राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ४] तृतीय विधान सभा के चतुर्थ सत्र, १९६३ का १२वां दिवस [संख्या १०

शुक्रवार दिनांक ३० अगस्त, १९६३

विधान सभा की बैठक म० प० २-३२ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[स्वायत्त शासन, राजस्व, सामान्य प्रशासन, चिकित्सा, सहकारी, कृषि, खनिज, समाज कल्याण, सिंचाई, आयुर्वेद, श्रम, पंचायत, वन, खाद्य, योजना एवं राजस्थान केनाल–विभाग]

प्रश्न संख्या ३१७

श्री उपाध्यक्ष : श्री उमरावसिंह ढावरिया।

(अनुपस्थित)

नेक्स्ट, श्री रामानन्द अग्रवाल।

नगर परिषद, अलवर, द्वारा जमीन का बेचान

३१८. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर):– क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सही है कि नगर परिषद्, अलवर ने अपनी ४-७-६२ की मीटिंग में हीरा आइस फैक्टरी के सामने पूर्व की तरफ और गोशाला के सहारे पश्चिम की तरफ की जमीन एक व्यक्ति रमेशचन्द्र को बेचने का प्रस्ताव स्वीकार किया था?

(२) क्या यह सही है कि इस जमीन को खरीदने के लिये दो अन्य व्यक्तियों-हरलाल पुत्र गोविन्दराम तथा प्रभुदयाल पुत्र उदाराम के प्रार्थना-पत्र भी नगर परिषद्, अलवर में आए थे?

(३) क्या यह सही है कि उक्त रमेशचन्द्र जिसको यह जमीन बेचने का प्रस्ताव स्वीकार हुआ, के पिता का नाम प्रार्थना-पत्र पर नहीं लिखा हुआ था?

(४) क्या यह सही है कि उक्त रमेशचन्द्र कांग्रेस पार्टी के एक म्युनिसिपल कौंसिलर श्री रामनाथ का एक नाबालिग लड़का है? क्या श्री रामनाथ भी मीटिंग में मौजूद थे तथा यह तथ्य कौंसिल की मीटिंग में कुछ सदस्यों द्वारा एक प्रस्ताव रख कर और कौंसिल की जमीन कौंसिल के एक सदस्य को ही उसके लड़के के नाम पर

Page No 2

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

देने का विरोध करते हुए सभी सदस्यों के सामने रख दिये थे ?

(५) क्या यह सही है कि यह ज़मीन उक्त रमेशचन्द्र को देने के प्रस्ताव के पक्ष में उसके पिता श्री रामनाथ म्युनिसिपल कौंसिलर ने कछ सदस्यों के एतराज करने के बावजूद वोट दिया परन्तु कुछ सदस्यों के आग्रह के बावजूद अध्यक्ष ने इस तथ्य को कार्यवाही मीटिंग में दर्ज करने से इन्कार कर दिया ?

(६) क्या यह सही है कि नगर परिषद की ४-७-६२ की यह मीटिंग लगातार ५-७-६२ को सुबह ३ बजे तक चलाई गई और विरोधी पक्ष के सदस्यों श्री कृपादयाल, श्री इन्द्रलाल भिनाल, श्री गिरधर शर्मा सिद्ध, श्री जयकृष्ण गुप्ता और श्री प्रभुदयाल वैद्य के रात को १२ बजे मीटिंग को स्थगित करने के प्रस्ताव को कांग्रेस दल के बहुमत से गिरा दिया गया ?

(७) क्या यह सही है कि श्री कृपादयाल, एडवोकेट, म्युनिसिपल कौंसिलर, अलवर ने ६-७-६२ को सचिव, स्वायत्त शासन विभाग को एक पत्र भी भेजा है जिसमें कौंसिल की उक्त ४-७-६२ की मीटिंग की कार्यवाही का अपने हलफनामे के साथ विवरण दिया है और श्री रामनाथ म्युनिसिपल कौंसिलर को राजस्थान म्युनिसिपेलिटीज़ एक्ट की धारा ६२ के तहत नगर परिषद् की सदस्यता से हटाने की मांग की है ?

(८) क्या सरकार ने इस संबंध में अभी कोई निर्णय लिया है ? यदि हां, तो क्या ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप-मंत्री, स्वायत्तशासन (श्री दौलतराम सारण):(१) जी हां।

(२) प्रार्थना-पत्र आये थे लेकिन परिषद के समक्ष नहीं थे।

(३) जी हां।

(४) श्री रमेशचन्द्र, श्री रामनाथ पार्षद के सुपुत्र हैं। श्री रामनाथजी कांग्रस पार्टी के सदस्य हैं। वे दिनांक ४-७-६२ को सभा में उपस्थित थे। कथित प्रस्ताव रखा गया था।

(५) नगरपालिकाध्यक्ष की सूचनानुसार श्री रामनाथजी ने कोई मत नहीं दिया और न गिना गया, जो कार्यवाही मीटिंग में हुई वह सब दर्ज की गई थी।

(६) उक्त मीटिंग में श्री मित्तल ने एक बज कर १५ मिनिट पर प्रस्ताव किया था कि मीटिंग स्थगित कर दी जावे। यह प्रस्ताव बहुमत से गिर गया। उसके बाद एक प्रस्ताव श्री जयकृष्णजी (विरोधी दल के सदस्य) ने पेश किया कि समय निर्धारित कर दिया जावे कि मीटिंग कितने बज तक होगी। श्री कृपादयालजी (विरोधी दल के सदस्य) ने उस प्रस्ताव में संशोधन किया कि मीटिंग को ३ बजे तक समाप्त कर दिया जावे। वह प्रस्ताव श्री अध्यक्ष महोदय द्वारा रूल आउट कर दिया गया। इसके बाद कुल ३ आइटम्स पर विचार करके मीटिंग विसर्जित कर दी गई।

(७) जी हां।

(८) विचाराधीन है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: यह तथ्य सरकार के सामने आया कि रामनाथ मीटिंग में मोजूद था और उसके लड़के के नाम से दरख्वास्त थी और उसमें लड़के

(श्रीरामानन्द अग्रवाल)

के पिता का नाम नहीं लिखा था। उसने जानबूझ कर इस बात को छिपाने की कोशिश की, तब भी वह जमीन उसको दी गई। तो उसके संबंध में एक दूसरे सदस्य श्री कृपादयाल एडवोकेट ने हलफनामा देकर कहा कि वे मौजूद थे मीटिंग में और उन्होंने वोट दिया है। यह हलफनामा सातवें महीने में भेजा। अब तक आपने क्या कार्यवाही की है?

श्री दौलतराम सारण: इन सब बातों पर विचार करके उनको शोकॉज़ नोटिस दिया है। अभी तक उनका जवाब नहीं आया है। लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि उन्होंने एक प्रार्थना-पत्र नगरपालिका को दिया कि यह जमीन झगड़े की है और मैं इसको लेना नहीं चाहता। उसके बाद नगरपालिका ने वह जमीन रद्द कर दी।

श्री रामानन्द अग्रवाल: जमीन के रद्द हो जाने से कोई असर नहीं पड़ता। जो उन्होंने इस संबंध में कार्यवाही की और फैक्ट्स को छिपा कर इस प्रकार का कार्य किया और वह भी म्युनिसिपल कमिश्नर होते हुए भी उन्होंने खुद ने वोट दिया, क्या गवर्नमेंट उनके इस एक्शन के खिलाफ कोई कार्यवाही करना उचित नहीं समझती है?

श्री दौलतराम सारण : अगर किसी परिवार के नाम से जमीन दे दें तो कोई अनुचित नहीं है। लेकिन उन्होंने मीटिंग में वोट नहीं दिया, जैसा कि हमारी जानकारी में है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: श्री कृपादयाल एडवोकेट ने हलफनामा देकर कहा है तो क्या इस प्रकार की जांच करना उचित नहीं समझते?

श्री दौलतराम सारण : इसी लिये तो संबन्धित सदस्य को नोटिस दिया गया है। उनका उत्तर आने के बाद कार्यवाही की जावेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल: उनको नोटिस कब दिया गया?

श्री दौलतराम सारण : तारीख तो इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष, यह तो महत्वपूर्ण बात है। ७वें महीने में उन्होंने लिखा कि उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिये। उनको कब नोटिस दिया गया, इस बात को बताने के लिये माननीय मंत्री तैयार नहीं हैं। इससे यही कह सकते हैं कि जान-बूझ कर दबाना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आपने नोटिस कब दिया?

श्री दौलतराम सारण : लगभग जनवरी के महीने में। निश्चित तारीख की जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: आखिर ८ महीने हो गये हैं। ८ महीने तो हो गये। अब कितने महीनों तक इन्तजार किया जाएगा?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां): इस पर जानकारी की जावेगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : ८ महीने तो हो गये हैं। आप इसकी इन्क्वायरी को कब समाप्त करेंगे? आपके नोटिस के ८ महीने तो हो गये, कोई सुनवाई नहीं होती है।

श्री बरकतुल्लाखां : प्रश्न यह है कि एक व्यक्ति ने मीटिंग में भाग लिया और वोट दिया और चेअरमैन यह कह रहा है कि मीटिंग में सदस्य जरूर था लेकिन उसने वोट नहीं दिया। फैक्ट्स इस प्रकार बने हैं। इसलिये संबन्धित व्यक्ति को नोटिस दिया गया है। उसका जवाब आया नहीं। इसके पहले कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। अगर आप इसके लिये प्रेस कर रहे हैं तो जानकारी कर लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : नोटिस की तारीख मालूम नहीं है, इसलिये मैं समझता हूं कि इस विषय में जागरूक नहीं हैं।

श्री बरकतुल्लाखां : सरकार इसके लिये जागरूक है। इसके लिये नियम बने हुए हैं और नियमानुसार कार्यवाही होती है। सरकार वे पॉवर्स अपने हाथ में नहीं ले सकती कि बगैर इन्क्वायरी किये हुए ही लोगों को सस्पेंन्ड कर दे। लोगों पर किसी प्रकार का हमला कर दे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ८ महीने हो गये। अगर वह रिपोर्ट नहीं दे तो आप क्या करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : सरकार इसमें जल्दी करे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा:—नोटिस सर्व हो चुका है, इन्क्वायरी नहीं हो रही है। जब एफिडेविट दिया गया है तो फिर कार्यवाही क्यों नहीं करते ? अगर झूठा एफिडेविट दिया है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जावे।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री नत्थीसिंह

पटवार घर बनाने के लिये स्वीकृत धनराशि ग्राम कोट, तहसील बयाना

३१६. श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम कोट, तहसील बयाना, जिला भरतपुर, में पटवार-घर बनाने के लिये ४,५०० रूपये स्वीकृत हुए थे ? यदि हां, तो कब ?

(२) क्या यह सही है कि तहसीलदार, बयाना द्वारा उक्त ग्राम में बिना किसी पटवारघर के बने यह तस्दीक करते हुए कि पटवारघर पूरा बन चुका है, चार हजार पांच सौ रुपये का भुगतान ठेकेदार को कर दिया ? यदि हां, तो यह रकम कितनी किश्तों में दी गई और प्रत्येक किश्त कितने दिनों के अन्तर पर दी गई है ?

(३) क्या यह सही है कि आज तक भी उक्त ग्राम में कोई पटवारघर नहीं बना है ? यदि हां, तो उक्त तहसीलदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उप-मंत्री, राजस्व (**श्री रामप्रसाद लड्ढा**) : (१) जी हां। यह धनराशि सितम्बर, १९६१ में स्वीकृत हुई थी।

(२) ओवरसीयर, पंचायत समिति द्वारा यह तस्दीक किये जाने पर कि उक्त पटवारघर तीन चौथाई बन गया है, तहसीलदार श्री के० वी० निगम ने निम्नलिखित ३ किश्तों में भुगतान किया:—

(१) १५०० रु० की पहली किश्त २-३-६२ को दी गई।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा) :

(२) १५०० रू० की दूसरी किश्त २-४-६२ को दी गई।

(३) १५०० रू० की तीसरी किश्त २४-७-६२ को दी गई।

(३) पटवारघर अभी तक पूरा नहीं बना है। सिर्फ २-३ फुट ऊंची चारदीवारी बनी है। तहसीलदार के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये जिलाधीश, भरतपुर ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को दिनांक ३-४-६३ को लिख दिया है।

श्री नत्थीसिह:–यह फैक्ट्स सरकार के नोटिस में कब आये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सरकार के नोटिस में एक रिपोर्ट तहसीलदार बयाना से आई, उसकी रिपोर्ट से जाहिर हुआ। एक्चुअल डेट मेरे पास नहीं है।

श्री रामकिशन (वेर): क्वेश्चन आया उसके बाद ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : क्वेश्चन आने के बाद नहीं। ३-४-६३ को ही इन्क्वायरी करने के आदेश दे दिये थे ?

श्री रामकिशन : यह क्वेश्चन तो एक साल पहले दिया हुआ है, अब नम्बर आया है।

श्री नत्थीसिह : क्या यह सही है कि जिस वक्त रुपया दिया जारहा था पटवारी ने रिपोर्ट दी तहसीलदार को कि पटवारघर नहीं बना है, फिर भी तहसीलदार मौके पर नहीं गया और रूपये दे दिये, ओवरसीयर और तहसीलदार दोनों ने मिल कर रूपया लिया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन ओवरसीयर के खिलाफ भी उसके इनजीनियर को लिख दिया गया है। ओवरसीयर के खिलाफ इन्क्वायरी की जा रही है। तहसीलदार के खिलाफ भी कार्यवाही की जा रही है।

श्री नत्थीसिह : काम हुआ नहीं और रूपया ले लिया, तो उनसे वसूली की कार्यवाही की जा रही है या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि तहसीलदार और ओवरसीयर दोनों के खिलाफ जांच की जा रही है। इस सम्बन्ध में मैं इस बात को छिपाता नहीं। इस मामले में गड़बड़हुई है, पर सजा तभी दी जा सकती है जब कि जांच पूरी हो जाय। जांच की जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोकुलप्रसाद ।

राजस्थान स्टेट होटल के हिसाब में गड़बड़

३२०. श्री गोकुल प्रसाद शर्मा (माण्डल): क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान स्टेट होटल के हिसाब के गड़बड़ को देख कर राजस्थान सरकार ने १९५७ में राजस्थान स्टेट होटल में एक पद अकाउन्टेन्ट का नया कायम किया था ताकि पुराने लेजर तो कम से कम तैयार हो सकें।

(२) क्या यह भी सही है कि एकाउन्टेन्ट की सन् १९५७ से नियुक्ति के बाद पिछले वर्षों के (१९५०-५५) एक साल के खाते भी नहीं बन पाये हैं और न इस दिशा में कोई प्रयास ही हुआ है ?

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा):

(३) क्या यह भी सही है कि आज भी स्टेट होटल में बिलों की जांच अकाउन्टेन्ट व सुपरिन्टेन्डेन्ट करते हैं और इस प्रकार रेवेन्यू साइड की कोई जांच नहीं होती जिससे स्टेट को लाखों रूपयों का नुकसान हुआ है, सरकार इसमें क्या सुधार करना चाहती है?

उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी हां, अकाउन्टेन्ट का पद तो कौमर्शियल पद्धति पर हिसाब रखने के लिये कायम किया गया है।

(२) सन् १९५० से १९५५ के खाते मौजूद हैं।

(३) राजस्थान स्टेट होटल में सीनियर रिसेप्शनिस्ट का पद केवल रिसेप्शन के काम के लिये और बिलों की जांच करने के लिये किया गया था। वह इस काम को करता है। इसके अतिरिक्त सुपरिन्टेडेन्ट और अकाउन्टन्ट भी बिलों का टेस्ट चैक करते हैं। रेवेन्यू साइड की पूर्ण जांच की जाती है और सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ। सुधार का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : पहले में "जी हां" कहा है, क्या क्या गड़बड़ियां हुई जिससे जरुरत पड़ी अकाउन्टेन्ट रखने की?

श्री परसराम मदेरणा : लेजर अकाउन्ट पूरे नहीं थे, खातेवार पूरे करने के लिये अकाउन्टेन्ट की पोस्ट नहीं थी इसलिये नई पोस्ट क्रियेट की गई।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : छः-सात वर्षों से लेजर ठीक नहीं था तो लेन-देन कितना बाकी रह गया?

श्री परसराम मदेरणा : लेजर अकाउन्ट्स खातेवार तैयार किये जा चुके हैं। ९,३८३ रू० २७ न० पै० बकाया हैं, जिसमें पी० डी० आर० के तहत कार्यवाही है; ८,६२५ रु० १५ न० पै० की, थर्टी पार्टीज हैं, उनमें इतना आउटस्टेन्डिंग है और इसको रिकवरी की जा रही है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : ५० और ५५ का पैसा जो बकाया है, फोरिनर्स में बकाया है, बाहर के लोगों में बकाया है, वे अब दे देंगे क्या? बहुत सों के तो नाम भी पढ़े नहीं जाते; ऐसे बिल्स हैं तो उनमें वसूली किससे करेंगे बगैर नाम के?

श्री परसराम मदेरणा : नाम तो हैं, नाम में कोई डिफिकल्टी नहीं है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : ऐसे भी बहुत से बिल हैं जिनके केश होने, क्रडिट होने का पता नहीं चला!

श्री परसराम मदेरणा : ऐसे नहीं हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : राइट ऑफ कितना पैसा कर दिया गया है, खत्म कितना कर दिया है जिसकी वसूली नहीं की जा सकती। ये ९ हजार तो ऐसे निकले हैं, वसूल होने लायक हैं।

श्री परसराम मदेरणा : होने लायक और नहीं होने लायक का सवाल नहीं, यह सारी आउटस्टेन्डिंग है।

श्री मानिकचंद सुराणा (कोलायत) : स्टेट होटल्स की बकाया लेंड रेवेन्यू की तरह वसूल की जा सकती है क्या?

श्री परसराम मदेरणा : पी० डी० आर० के नीचे कार्यवाही की जा सकती है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं लैंड रेवेन्यू को पूछता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : लैंड रेवेन्यू की पी० डी० आर० के तहत हो सकती है क्या?

श्री मानिकचन्द सुराणा : लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत।

श्री परसराम मदेरणा : पी० डी० आर० के तहत भी की जा सकती है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : स्टेट होटल्स की बकाया के सम्बन्ध में लीगल पॉइन्ट यह है कि एक साल के अन्दर दावा नहीं करें तो लिमिटेशन के बाहर हो जाता है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि ५०-५५ की रकमें तो लिमिटेशन के बाहर हो गई हैं।

श्री परसराम मदेरणा : यह लीगल पॉइन्ट है, लेकिन हमसे पी० डी० आर० के तहत कार्यवाही करवा रहे हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : यह रकम बकाया बताई है। इसके अलावा और कितने घोटाले हैं? जैसे बाहर से सामान आया क्रोकरी वगैरह, वह जमा नहीं हुई?

श्री परसराम मदेरणा : जो प्रश्न पूछा था उसका मैंने जवाब दे दिया।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मैंने जो हिसाब में गड़बड़ी हुई उसका पूछा है।

श्री परसराम मदेरणा : इसके लिए कहा कि लैजर तैयार नहीं थे। १५–२० क्वेश्चन्स पूछे हैं, उनका उत्तर देते समय इसका उत्तर दे दिया जायेगा।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आपने जो बताया है इन पैसों के अलावा और सामान कितना घटा और क्या क्या गड़बड़ हुई? उपाध्यक्ष महोदय, बाजार से सामान नहीं आया, बिल चुका दिये, ऐसे केसेज़ हैं। सामान के किराये का पैसा चुका दिया और वह सामान आया ही नहीं। अगर ऐसे केसेज हैं तो 'हां' कह दें और नहीं हैं तो 'ना' कह दें।

श्री परसराम मदेरणा : मैं इस तरह आप के कहने से 'ना' या 'हां' कहने वाला नहीं हूं, मैं कमेंट नहीं करने वाला हूं। एक तो ये मुद्दे बिना नोटिस दिये रेज़ किये हैं, दूसरे माननीय उपाध्यक्ष, अगर कोई सामान का बिल आ गया है, वह सामान पहुंचा या नहीं; यह मैटर ऑफ इन्क्वायरी का मामला है। जैसे एक स्कूल मास्टर बच्चे को कह देता है कि जानते हो या नहीं, उस तरह 'हां' या ना' में कहने वाला नहीं हूं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सिर्फ रुपयों का ही नहीं पूछा है, हिसाब में क्या क्या गड़बड़ हुई है, बाजार से लाखों रुपयों का माल खरीदा गया, वह होटल में पहुंचा या नहीं?

श्री परसराम मदेरणा : प्रश्न यह पूछा गया था कि खाते बन गये या नहीं, लेजर अकाउन्ट तैयार हुए या नहीं; मैंने उत्तर दे दिया कि ५० से ५५ तक लेजर अकाउन्ट्स बिलकुल तैयार हो गये हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : खाता और चीजों का भी होता है।

प्रश्न संख्या ३२१

श्री उपाध्यक्ष : श्री जेठमल बरवाड़।

(अनुपस्थित)

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न संख्या ३२२

श्री शिवनारायण छाछीया

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३२३

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास

मेडिकल कॉलेज बीकानेर में लेक्चरार्स की आवश्यकता

३२४. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) बीकानेर मेडिकल कॉलेज में कुल कितने लेक्चरार्स की आवश्यकता है और अब तक सरकार ने कितने उपलब्ध किये हैं ?

(२) क्या सरकार को यह विदित है कि उनकी कमी से छात्रों की पढ़ाई व मरीजों की देखभाल व जन-सुविधा में बड़ी कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो इस व्यवस्था के सुधार के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बरकतुल्लाखां): (१) कुल ३० जगह हैं जिनमें २१ मोजूद हैं ।

(२) जी नहीं ।

श्री मुरलीधर व्यास : जो जगह कम हैं तो कब से कम हैं ?

श्री बरकतुल्लाखां : जब से पोस्ट क्रियेट हुई है ।

श्री मुरलीधर व्यास:क्या इस प्रकार की कमी से मरीजों और छात्रों को परेशानी नहीं होती ? मरीज १२ बजे तक खड़े रहते हैं । क्या सरकार इस प्रकार की कमी से एक और मेडीकल कॉलेज को और दूसरी और हॉस्पीटल्स को – दोनों को चलाना चाहती है ? लेक्चरार की कमी होने पर भी कॉलेज तो चल रहे हैं लेकिन हॉस्पीटल बन्द हो रहे हैं । ऐसी स्थिति में सरकार को पेशेन्ट्स का तो ख्याल होना चाहिये । अगर लेक्चरार नहीं होंगे तो पेशेन्ट्स को सफर करना पड़ेगा । इसलिए इसकी क्या सरकार जल्दी व्यवस्था करेगी ?

श्री बरकतुल्लाखां : बराबर कोशिश की जा रही है । जहां जहां लेक्चरार्स की कमी है वह पूरी की जायगी । जयपुर में १०, उदयपुर में ६ की कमी है । इसका कारण यह है कि क्वालिफाइड लेक्चरार्स नहीं मिलते । अभी एक प्रमोशन और स्क्रीनिंग कमेटी बनाई थी । अब जो प्रमोशन होंगे उनको लेक्चरार बना दिया जायगा । वैसे सरकार कोशिश कर रही है कि जैसे भी क्वालिफाइड लेक्चरार्स मिलें तो उनको लेक्चरार की पोस्ट दे दी जाय । वैसे प्रिंसिपल ऑथोराइज्ड है टेम्पोरेरी अपोइन्टमेंट देने के लिए ।

श्री मुरलीधर व्यास : बहुत दिनों से यह कमी है, तो सरकार ने क्या प्रयत्न किया कि यह कमी पूरी हो सके ?

श्री बरकतुल्लाखां : पूरे मुल्क में कमी है, मेडीकल टीचर्स की पूरे मुल्क में कमी है । टीचर्स के लिए क्वालिफाइड आदमी चाहिये, फिर तीन साल का एक्सपीरीयेन्स चाहिए; इसके बाद हम ले सकते हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यानी कई साल का प्रोग्राम है, तब कमी पूरी हो सकेगी; तब तक हॉस्पिटल में यही हालत रहेगी ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री हनुमानसिंह चोधरी ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : मेडीकल कॉलेज में जो कमी है वह पूरी कब तक की जायगी ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री हनुमानसिंह चौधरी।

ग्राम नानणा में अग्नि-काण्ड की जांच व अग्नि-पीड़ितों को राहत

३२५. **श्री हनुमानसिंह चौधरी** (नावां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि गत वर्ष ग्राम नानणा, तहसील नावां में भीषण अग्नि-काण्ड हुआ जिससे सारा गांव जल कर नष्ट हो गया ?

(२) क्या सरकार को यह भी विदित है कि दुर्घटना सम्बन्धी तार व रिपोर्ट देने पर भी आज तक कोई भी अधिकारी जांच हेतु मौके पर नहीं पहुंचा और न कोई सरकारी सहायता ही दी गई ?

(३) क्या अब सरकार इन पीड़ितों को राहत पहुंचाने का इरादा रखती है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) जी हां। दिनांक २२ मई, सन् ६२ को अग्नि-काण्ड हुआ था जिसमें २३ व्यक्तियों को २२,००० रुपये की हानि हुई ।

(२) यह कहना सत्य नहीं है कि आज तक कोई भी अधिकारी जांच हेतु मौके पर नहीं पहुंचा और न यह कहना ही सत्य है कि कोई सरकारी सहायता ही नहीं दी गई । विकास अधिकारी, कुचामन सिटी ने दिनांक ११-११-६२ को मौके पर पहुंच कर जांच की और सहायता के लिये गांव वालों से पूछा तो वे जी० सी० शीट्स के अलावा कोई सहायता लेने को तैयार नहीं थे ।

(३) अब यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : क्या उन्हें जी० सी० शीट्स दी गई ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जी० सी० शीट्स की परमिट दी गई लेकिन परमिट का माल समय पर नहीं उठाया इसलिए टाइम बार हो गया । उसके बाद दुबारा उनको परमिट दी गई जिससे कि माल मिले ।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : जी० सी० शीट्स के अलावा और भी आर्थिक सहायता की मांग की थी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आर्थिक सहायता के लिए और मांग नहीं की ।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : मैंने रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को प्रस्तुत किया है आवेदन-पत्र।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपने दरख्वास्त दी थी, उसका जबाव इन्हीं शब्दों में ९-११-६२ को दिया गया ।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : कलेक्टर, एस० डी० ओ०, तहसीलदार – सभी अधिकारियों को इस सम्बन्ध में आवेदन-पत्र दिये थे लेकिन कार्यवाही नहीं हुई ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उनको जानकारी दी है, इसकी जानकारी मेरे पास है ।

श्री रामकिशन (वैर) : इससे अच्छा तो यह है कि चेम्बर में बात हो जाती ।

प्रश्न संख्या ३२६

श्री उपाध्यक्ष :

श्री रघुवीरसिंह

(अनुपस्थित)

श्री अब्दुल जब्बार ।

पंचायत समिति क्षेत्र निम्बाहेड़ा के अन्तर्गत चलने वाली सहकारी समितियों की वार्षिक रिपोर्ट।

३२७. **श्री अब्दुलजब्बार** (निम्बाहेड़ा): क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) पंचायत समिति क्षेत्र निम्बाहेड़ा में कितनी सहकारी समितियां कायम की गई हैं और कितनी धन-राशि प्रत्येक को दी गई है?

(२) कितनी ऐसी सहकारी समितियां हैं जो कार्य कर रही हैं?

(३) इन सहकारी समितियों ने आज तक कितना बिज़नेस किया है और इन्हें कितना फायदा हुआ है? क्या फायदा सदस्यों में बांटा गया है?

(४) क्या पंचायत समिति, निम्बाहेड़ा के अन्तर्गत चलने वाली सहकारी समितियों ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार की है?

उप-मंत्री, सहकारी (श्री भीमसिंह): (१) निम्बाहेड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में ४७ सहकारी समितियां हैं और प्रत्येक को दी गई धन-राशि की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) ४५ सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं।

(३) इन सहकारी समितियों ने ६,६३,२६४.०८ नये पैसे का बिज़नेस किया और उन्हें ५,३६६.७० नये पैसे का फायदा हुआ, जो सदस्यों को बांटा नहीं गया।

(४) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री अब्दुलजब्बार: आपने ४७ सहकारी समितियां बताई, यह भी बताया गया कि ४५ काम कर रही हैं ये कौनसी हैं, जो लिस्ट है उसमें दोनों का नाम नहीं लिखा है।

श्री भीमसिंह: ४७ नाम लिस्ट में निवेदन किये गये हैं, उनमें से दो काम नहीं कर रही हैं।

श्री अब्दुलजब्बार: वे नाम बता दीजिये कि कौन कौनसी काम नहीं कर रही हैं?

श्री गिरधारी लाल व्यास (आसीन्द): यह लिस्ट में है।

श्री भीमसिंह: दो के नाम मेरे पास मौजूद नहीं हैं, बाद में सूचना दे सकता हूं।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-सु०): ये समितियां कब से काम नहीं कर रही हैं?

श्री रामकिशन (वैर): ये कहां कहां की समितियां काम नहीं कर रही हैं?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): इस ४७ की लिस्ट में दो के नाम लिखे हैं, आप ढूंढिये।

श्री भीमसिंह: मेरे पास सूचना आई है कि दो काम नहीं कर रही हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल: आपने ४७ की लिस्ट दी है, उसी में दो के नाम हैं। आप ढूंढ सकते हैं या नहीं, यह बताइये?

श्री भीमसिंह: मैं पता लगाकर निवेदन कर सकता हूं। आपने लिस्ट मांगी थी कि कितनी हैं। ४७ रजिस्टर हुई हैं और सूची में ४७ के नाम हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल: सप्लीमेन्ट्री के लिए भी तैयार होना चाहिये।

श्री अब्दुलजब्बार : अर्ज करना यह है कि आप बिल्कुल पर्टीक्युलर सहकारी समितियों के नाम बता दीजिये जो काम नहीं कर रही हैं ? साथ ही साथ में दूसरा प्रश्न कर लेता हूं जिससे आप एक साथ जबाव दे दें और बार बार तकलीफ नहीं करनी पड़े । इसमें ३१,३२,३३ और उसके बाद ४४,४५,४६,४७ और उसके पहले ४०,४१,४२ ह – इनमें आपने बताया नहीं है कि ऋण-राशि क्या है, अनुदान-राशि क्या है और योग क्या है । ये समितियां रजिस्टर हुई हैं क्या? और अगर हुई हैं तो किस बिना पर हुई हैं ?

श्री भीमसिंह : दो के नाम चाहे हैं । उनकी जानकारी बाद में दी जा सकती है । जिन समितियों के नाम बताये हैं इन सब के सामने ऋण-राशि, अनुदान-राशि और योग अलग अलग लिखा हुआ है, उससे आप नतीजा निकाल सकते हैं ।

श्री अब्दुलजब्बार : मेरा स्पेसिफिक क्वश्चन आपके सामने है । आप यह बता दीजिये कि ३१,३२,३३,३४,३५,३६,३७ और उसके बाद में लिस्ट में ४४,४५,४६,४७ में न ऋण-राशि की रकम है, न अनुदान-राशि की रकम है और न योग है । क्या मैं यह मानूं कि ये सात-आठ समितियां काम नहीं कर रही हैं और इनका वैसे ही रजिस्ट्रेशन कर लिया है ?

श्री भीमसिंह : ये काम कर रही हैं, लेकिन इनका समय पर रेकॉर्ड नहीं आ सका । हम समय मांगते तो आप कहते उत्तर देरी से देते हैं । इसलिए जितनी जानकारी उपलब्ध हुई वह मैंने निवेदन कर दिया, बाकी की बाद में डिटेल्स दे सकता हूं ।

श्री अब्दुलजब्बार : आप यह बतायें कि हकीकत क्या है और क्या बगैर धन-राशि जमा किये हुए कोई सहकारी समिति रजिस्टर हो सकती है ?

श्री भीमसिंह : ये सारी रजिस्टर हुई हैं । लेकिन जिस वक्त रेकॉर्ड मांगा उस समय तक रेकॉर्ड नहीं पहुंच सका । एक बात यह है कि धन-राशि जमा हुई है, उसकी बाद में पंचायत डिटेल दे सकती है ।

श्री श्रवणलाल : यह बताने की कृपा करेंगे कि दो समितियां कब से रजिस्टर्ड हुई हैं और कितने दिनों से काम कर रही हैं ?

श्री भीमसिंह : यह पृथक् प्रश्न है । इस प्रश्न में यह उत्तर नहीं मांगा गया था, इसलिए मैं तैयार नहीं हूं । अगर पूछा गया होता तो अवश्य निवेदन कर देता ।

श्री अब्दुलजब्बार : आपने बताया कि ६,६३,२६४ रुपये का बिजनस किया और ५,३६६ रुपये का फायदा हुआ । यह प्रोफिट कितने अर्से का है इस धन-राशि पर, जो लगी हुई है ।

श्री भीमसिंह : यह आपने अर्सा नहीं पूछा, इसलिए रेकॉर्ड मौजूद नहीं है ।

श्री अब्दुलजब्बार : आपने आगे केपीटल वेल्यू, शेअर कपीटल, टोटल बताया है और साथ साथ जो आपने अनुदान दिया है वह बतलाया है । जो आपने बिजनेस बताया है वह किस बेसिस पर निकाला है और कितने अर्से का है ? जितनी केपीटल सरकार ने पांच लाख का प्रोफिट एचीव करने के लिए ६ लाख के बिजनेस में लगाया है, वह कितना है?

श्री भीमसिंह : देखिये, इन समितियों को ८ लाख २८८ हजार रुपये ५५ नये पैसे तो

(श्री भीमसिंह)

ऋण के मिले, तथा २३,१२३.३४ नये पैसे अनुदान के मिले । इन्होंने ८२,८८,०००.५५ नये पैसे का लेन-दन सदस्यों को किया और १ लाख १४ हजार ४३८ रुपये ५८ नये पैसे का अन्य बिजनेस किया–इसमें सहकारी समितियों को ६ हजार ६५ रुपये ६० नये पैसे का लाभ हुआ । इसमें से ६६८.३७ रुपये की हानि हुई । इस सबको सेपरेट करते हैं तो ५,३९६ ७० का फायदा हुआ ।

श्री अब्दुलजब्बार : यह मान कर चलें कि य सहकारी समितियां रजिस्टर की गई, इनमें सरकार ने धन लगाया है और वे सहकारी रूप से नुकसान में जाता है, क्या यह सच है ?

श्री भीमसिंह : यह प्रिजम्प्शन है ।

श्री अब्दुल जब्बार: यह प्रिजम्प्शन नहीं है। अगर कॉमर्शियल बसिस पर, जैसा आप कहा करते हैं कि जितना पैसा लगाते हैं उतना रिटर्न लेते हैं और रोडवेज की सराहना करते हैं, तो यह मान कर चलूं कि यह मान्यता है ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बरकतुल्लाखां) : Sir, Is it a question hour or a debate

श्री अब्दुलजब्बार : हकीकत में जो पैसा सरकार लगाती है उसका रिटर्न आता है, तो क्या यह मान कर चलें कि इन सहकारी समितियों में नुकसान हुआ ?

श्री भीमसिंह : मैटर आफ केल्कुलेशन है। आप केल्कुलेट कर लीजिय। मैंने आपको केपीटल बतादी, शेअर केपीटल लगी हुई है वह बता दी और यह बता दिया कि ५,३९६ रुपय का प्रोफिट हुआ है । ये फिगर्स आपके सामने हैं । आप कन्क्लूजन निकाल लीजिये ।

श्री मुरलीधर व्यास : जो केपीटल बताई है ....

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन ।

श्री अब्दुलजब्बार : प्रश्न इम्पोर्टेन्ट यह है कि क्या.......

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जितनी ४७ कोऑपरेटिव सोसाइटीज रजिस्टर हुई हैं, उनका रेकॉर्ड आपके दफ्तर में आता है। माननीय उप-मंत्री जी ने कहा कि इनमें से सबका रेकॉर्ड मौजूद है कि कितनी शेअर केपीटल है, कितना अनुदान है और उसको आप देख लीजिये। मेरा अर्ज है कि जो भी ऑफिस से रेकॉर्ड मंगाया जाता है उसमें रजिस्टर्ड सोसाइटीज की कितनी शेअर केपीटल है वह दर्ज रहती है । यों तो यह ऑफिस में दर्ज नहीं है या रेकॉर्ड आता है वह सच्चा नहीं आता । यह कहना कि कुछ का आया कुछ का नहीं आया, मैं समझता हूं कि यह उत्तर ठीक नहीं है क्योंकि किसी ऑफिस से सारा रेकॉर्ड आ सकता है....

श्री बरकतुल्लाखां : They have deviated from the point.

श्री उपाध्यक्ष : Next question Please. (३ म० प०)

श्री मुरलीधर व्यास: यह तो बचने का तरीका है ।

श्री उपाध्यक्ष: I have called for the next question please.

Shri Teja Ram

सघन कृषि योजना, जिला पाली

३२८. **श्री तेजाराम गेहलोत** (सोजत) [श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) द्वारा पूछा गया]: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

Page No 13

(श्री तेजाराम गेहलोत)

(१) पाली जिले में लागू की गई सघन कृषि योजना के बाद जिले में पानी की समस्या स्थाई रूप से हल करने में सरकार व विभाग ने क्या योजनाएं बनाई ?

(२) क्या सरकार ने पाली जिले का जियोलोजिकल सर्वे कराया? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट क्या है? पानी की उपलब्धि कहां पर है व किस तरह के पानी की आशा है?

(३) पाली जिले में खर्च किया जा रहा धन, जो सघन कृषि योजना के अन्तर्गत होगा, कितना है? कितने वर्षों में खर्च होगा, उसका कितना प्रतिशत एस्टेब्लिशमेन्ट पर व कितना प्रतिशत इनडाइरेक्ट व कितना प्रतिशत डाइरेक्ट प्रोडक्शन के बढ़ाने में खर्च होगा?

(४) सघन योजना लागू होने के बाद कृषि विभाग उस क्षेत्र की एवरेज प्रोड्यूस फी बीघा कितना मन एवरेज कृषक के खेत पर बढ़ाने में सफल हुआ?

(५) कृषि विभाग सघन योजना के लागू होने के बाद कितने कृषकों को इम्प्रूव्ड इम्प्लीमेन्ट्स देने में और काम में लेना सिखाने में सफल हुआ?

(६) इम्प्रूव्ड इम्प्लीमेन्ट्स जो कृषि विभाग ने कृषकों को बताये वे कितने प्रतिशत कृषक काम में लेते हैं?

उप-मंत्री, कृषि (श्री परसराम मदेरणा): (१) मुख्य सिंचाई के साधन जिनकी और विशेष ध्यान दिया गया है वे इस प्रकार हैं:–

(१) नए कुओं का निर्माण (२) पुराने कुओं की मरम्मत कराना व गहरा कराना (३) पम्पिंग सैट व रहट द्वारा अधिक सिंचाई उपलब्ध करना (४) पक्की नालियों का निर्माण (५) एनीकट व तालाबों की मरम्मत व निर्माण।

कुओं को ब्लास्टिंग मशीन द्वारा गहरा करने का कार्य भी विशेष तौर से किया गया है।

(२) जी हां। भारत सरकार द्वारा सन ५४-५५ में पाली क्षेत्र का जियोलोजिकल सर्वे करवाया गया था। इस रिपोर्ट के अनुसार भूमिगत पानी (अन्डर ग्राउन्ड वाटर) के उपलब्ध होने की संभावना बहुत कम बताई गई है, क्योंकि पास में कोई भी पेरीनियल सोर्सेज नहीं हैं।

(३) पाली जिले में ५ वर्षों में कुल ११० लाख की धन-राशि सघन कृषि योजना के अन्तर्गत व्यय करने की योजना है। इनमें से एस्टेब्लिशमेन्ट पर १७.६ प्रतिशत, २६.४ प्रतिशत इनडाइरेक्ट व ५३ प्रतिशत डाइरेक्ट प्रोडक्शन के बढ़ाने में खर्च किया जायेगा।

(४) योजना के पहले वर्ष की समाप्ति होने पर फसल कटाई प्रयोगों के आंकड़े के अनुसार योजनान्तर्गत लाए गए कृषकों की उपज में १९६०-६१ की अपेक्षा निम्न प्रकार बढौतरी पाई गई:–

ज्वार ३७ प्रतिशत, बाजरा ३६ प्रतिशत, मक्का १७ प्रतिशत, गेहूं २४ प्रतिशत, जौ ६ प्रतिशत, गूजी ११ प्रतिशत।

सन् ६२-६३ के प्रयोगों का परिणाम कृषि अनुसंधान परिषद् दिल्ली से प्राप्त नहीं हुआ है।

(श्री परसराम मदेरणा)

(५) सन् ६२-६३ में ८५४ सुधरे हुए औजारों का वितरण किया गया। प्रदर्शन द्वारा लगभग ६,००० काश्तकारों को उन्नत कृषि यन्त्रों का प्रयोग सिखाया गया।

(६) सभी काश्तकार, जिनको ये यंत्र दिये गये थे काम में ले रहे हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : इसमें एडीशनल स्टाफ कितना लगाया गया ?

श्री परसराम मदेरणा: इसमें एडीशनल स्टाफ, जो पैटर्न है हर डिस्ट्रिक्ट में उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पांच ओफिसर, डिप्टी डाइरेक्टर एग्रीकल्चर, सोइल कन्जर्वेटर, एग्रीकल्चर एक्स्टेन्शन ओफिसर, प्लान्टेशन एन्ड फार्म मैनेजमेन्ट और ब्लॉक्स लेवल पर एक्स्टेन्शन ऑफिसर हर एक पंचायत समिति में ४, एग्रीकल्चर इन्स्ट्रक्टर्स कोऑपरेटिव ३ और वी० एल० डब्ल्यूज़ १०। इस तरह से कुल मिलाकर इस प्रोग्राम के अन्तर्गत हर डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर का जो पैटर्न है उसके ओवर एन्ड एबव १८५ का स्टाफ लगाया गया।

श्री रघुनाथ बिश्नोई: शुरु से लेकर अब तक कितना एक्सपन्डीचर हो चुका है ?

श्री परसराम मदेरणा: जैसा कि मैंने निवेदन किया, यह प्लान ११.० लाख रुपयों का है, यह ६१-६२ व ६२-६३ का है। इसमें ३४ लाख २७ हजार रुपये का खर्चा हो चुका है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): सघन कृषि योजना के अन्तर्गत जो प्रोडक्शन होता है, प्रति एकड़ जो ईल्ड होती है और खर्चा होता है इन दोनों का बेलेन्स एक करके अधिक भाव में तो वह चीज नहीं पड़ती है ? क्या इस प्रकार का कभी बेलेन्स निकाला गया है ? सारे खर्चे का हिसाब लगा कर यदि मार्केट वेल्यू से वह ज्यादा पड़ता है या कम पड़ता है, क्या ऐसा हिसाब कभी लगाया गया है ?

श्री परसराम मदेरणा: प्रोड्यूस के बारे में पूछा है कि इस स्कीम के लागू करने के बाद एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बढ़ी है या नहीं, उसका परसेन्टेज दिया है। आप पूछ रहे हैं कि टोटल एक्स्पेन्डीचर लगा कर जो खर्चा हुआ है क्रोप कटिंग योजना के लागू होने के पहले और बाद में जो मैंने आंकड़े दिये है यह हम कृषि परिषद को भी भेजते हैं, जो परसेन्टेज प्रोड्यूस का बढ़ा है वह मैंने आपको अर्ज कर दिया।

श्री रघुनाथ बिश्नोई: ईयरवाइज़ इसका ब्रेक-अप क्या है ? क्या टार्गेट है और कितना एक्स्पेन्डीचर होना चाहिये ?

श्री परसराम मदेरणा: ईयरवाइज़ फेज्ड प्रोग्राम रखा है थर्ड फाइव ईयर प्लान में पहले साल में १२ लाख ७ हजार, दूसरे साल में २२ लाख २३ हजार, तीसरे साल में २४ लाख ३७ हजार, चौथे साल में २५ लाख ६८ हजार और पांचवे साल में २५ लाख ६८ हजार का एलोकेशन रखा है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई: ब्रेक-अप आपने एलोकेशन का बताया। क्या खर्चा हुआ है, यह बतायें।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): पाली जिले में जहां कि पानी उपलब्ध नहीं है वहां यह फेज्ड प्रोग्राम रखने से क्या लाभ हुआ है ?

श्री उपाध्यक्ष: One at a time please.

श्री परसराम मदेरणा : ६१-६२, ६२-६३, में मैंने बताया था कि ३४ लाख २७ हजार का खर्चा हुआ है। ६३-६४ का साल चल रहा है और बजट एलोकेशन है वह २४ लाख ३७ हजार है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई: आपने······

श्री उपाध्यक्ष: नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री रघुनाथ बिश्नोई: उपाध्यक्ष महोदय, एक सवाल और है। डाइरेक्ट और इनडाइरेक्ट प्रोडक्टिव स्कीम क्या है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सप्लीमेन्टरी करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: There is already one supplementary question.

श्री गिरधारीलाल व्यास: मेरा क्वेश्चन रह ही गया, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री परसराम मदेरणा: डाइरेक्ट और इनडाइरेक्ट स्कीम:

डाइरेक्ट में: माइनर इर्रिगेशन, सब्सीडीज़ और सोइल कन्ज़र्वेशन।

इनडाइरेक्ट में: डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड, डिमार्केशन ऑफ फार्म्स, ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ, सोइल टेस्टिंग लेबोरेटरी और वेलफेयर मैनेजमेन्ट स्कीम।

श्री रघुनाथ बिश्नोई: परसेन्टेज बता सकते हैं इनडाइरेक्ट का ?

श्री परसराम मदेरणा: अलग अलग ब्रेक-अप मेरे पास नहीं है।

श्री गिरधारीलाल व्यास: पाली ज़िले में इतनी पानी की संभावना नहीं है जब कि फेज्ड प्रोग्राम में पानी की काफी आवश्यकता होती है; ऐसी हालत में पाली ज़िले को क्यों चुना गया ?

श्री परसराम मदेरणा: गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया ने चुना।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): भारत सरकार ने, अब तक जो रिज़ल्ट आये हैं उस हिसाब से यह कहा है कि पाली ज़िले में यह प्रोग्राम फेल हुआ है ?

श्री उपाध्यक्ष: Next question please.

श्री परसराम मदेरणा: मैंने सुना नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल: अब तक इसके जो रिज़ल्ट्स आये हैं उनके अनुसार भारत सरकार ने यह राय बनायी है कि पाली ज़िले में यह प्रोग्राम फेल हुआ है और इसको दूसरी जगह पर बदलने के लिए विचार हो रहा है।

श्री परसराम मदेरणा: जहां तक मेरी जानकारी है भारत सरकार ने ऐसा नहीं किया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक सप्लीमेन्टरी है। क्या आपने ऐसे कोई आंकडे निकाले हैं कि आपका जितना पैसा खर्च हो रहा है और जो प्रोडक्शन इन्क्रीज़ हो रहा है तो उसका रेश्यो क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष: No more supplementary question. Next question please.

Page No 16

श्री परसराम मदेरणा: यह मैंने अपने उत्तर के पार्ट ४ में बता दिया है।

श्री उपाध्यक्ष: Next question please.

(विराम)

Shri Jai Narain Salodiya

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल): एक मेरा सप्लीमेन्टरी है केवल। जैसा मंत्री महोदय ने बताया कि भारत सरकार ने ऐसा कहा हो, यह उनकी जानकारी में नहीं है; तो यह तो मंत्री महोदय की व्यक्तिगत जानकारी हो सकती है। उनको इसकी जानकारी न हो, लेकिन गवर्नमेन्ट को इसकी क्या जानकारी है यह बता दें कि सचमुच में भारत सरकार ने यह फैसला किया है?

श्री उपाध्यक्ष: Next question please.

श्री परसराम मदेरणा: गवर्नमेन्ट की ओर से ही जवाब दे रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: Order please Shri Jai Narain Salodiya.

पत्थरों की खानों के विकास की योजना, तहसील निवाई

३२६. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) टोंक जिले की तहसील निवाई के पहाड़ में इमारती पत्थर व पट्टियों की व गोंड (घिया पत्थर) आदि की कितनी खानें हैं?

(२) इन खानों से सरकार को कितनी कितनी आमदनी होती है? अलग २ किस्म की खानोंवार आंकड़े बताने की कृपा करें।

(३) क्या यह सच है कि इस पहाड़ में अन्य कई तरह के कीमती पत्थर हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर उन्हें निकालने की व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(४) क्या उपरोक्त सब प्रकार के पत्थरों की खानों के विकास के लिये योजना है? यदि हां, तो क्या और उसका कार्य कब से चालू करने का विचार है?

उप-मंत्री, खनिज (**श्री रामप्रसाद लड्ढा**): (१) टोंक जिले की तहसील निवाई के पहाडों में इमारती पत्थर की २३ खानें हैं व घिया पत्थर की एक खान है।

(२) इमारती पत्थर व पट्टियों की खानों से १,२०० रु० प्रतिवर्ष की व घिया पत्थर की खान से ४,०४६ रु० प्रतिवर्ष की आमदनी है।

(३) निवाई के पहाड में कीमती पत्थर की उपलब्धि की कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं है। अतः जांच कराकर निकालने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

(४) पत्थरों की खानों के विकास के लिये क्वारी इम्प्रूव स्कीम के अन्तर्गत किराये पर खनन् उपकरण एवं यन्त्रों को खनिकों को देने की व्यवस्था है। इससे खनिक एवं खान मालिक अपनी खानों का विकास कर सकते हैं तथा खदानों के विकास के लिये ऋण देने की भी व्यवस्था है।

श्री जयनारायण सालोदिया: प्रश्न ३ का उत्तर आपने क्या दिया?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: मैंने निवेदन किया कि कोई अच्छे प्रोस्पेक्टस हैं नहीं।

श्री जयनारायण: उपाध्यक्ष महोदय, मुझे मंत्री महोदय की जानकारी पर तरस है।

श्री उपाध्यक्ष: इस समय तरस खाने का सवाल नहीं है आप तो प्रश्न पूछिये।

श्री जयनाराण सालोदिया: वहां दस तरह के पत्थर हैं....

श्री उपाध्यक्ष: What question do you want to ask? आपका प्रश्न क्या है?

श्री अब्दुलजब्बार खां (निम्बाहेड़ा): आपने इसका सर्वे कब कराया था?

श्रीर रामप्रसाद लढ्ढा: मैंने डिपार्टमेन्टल रिपोर्ट के आधार पर निवेदन किया था कि दो किस्म के पत्थर वहां उपलब्ध हैं और वे भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों, ऐसी बात नहीं है।

श्री जयनारायण सालोदिया: आपने वहां डिटेल्ड सर्वे कराने का प्रबन्ध किया है, ताकि आपको मालूम हो सके?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: जो सर्वे वहां पर हुआ उसी के आधार पर मैंने जवाब दिया है।

श्री जयनारायण सालोदिया: पहाड़ पर गरम पानी निकलता है, अतः वहां पर गन्धक निकलने की संभावना है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: गन्धक निकलने की संभावना नहीं है।

श्री जयनारायण सालोदिया: गरम पानी का सोता निकलता है, गवर्नमेन्ट उस संबन्ध में जांच करायेगी?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: हमारी जानकारी के अनुसार वहां पर कोई गन्धक की खान नहीं है।

श्री जयनारायण सालोदिया: आपने पत्थर के बारे में टैकनिकल जांच कराई है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: विभाग में जो एक्सपर्ट्स रहते हैं उनके द्वारा जांच कराई गई है और उसी जांच के आधार पर उत्तर दिया गया है।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़): जांच कब कराई गई?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: काफी अर्सा हो गया।

श्री जयनारायण सालोदिया: काफी कितने?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: कई वर्ष हो गये।

श्री उपाध्यक्ष: नेक्स्ट, श्री रामकिशन।

एस० डी० ओ० ऑफिस नीम का थाना में बकायात के मामले

*३३०. **श्री रामकिशन (वैर):** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

एस० डी० ओ० ऑफिस, नीम का थाना में इस समय सरकारी रकम के अलावा लगान जमीन के वसूली के कितने सर्टिफिकेट किस किस तादाद के किन किन व्यक्तियों के विरुद्ध किन किन महकमों से आये हुए पड़े हैं? कृपया पूर्ण विवरण दें।

(२) क्या ये सब पब्लिक डिमान्ड रिकवरी एक्ट अथवा लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत वसूल होने हैं?

(श्री रामकिशन)

(३) क्या यह सच है कि इन रकूमात को जान–बूझकर वसूल नहीं किया जा रहा है ?

(४) इन रकूमात में से सैल्स टेक्स राजस्थान इनकमटैक्स व माईनिंग राजस्थान की कितनी कितनी रकमें नीम के थाने व मांवडे के व्यापारियों के नाम बकाया हैं ?

उप-मंत्री राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा):

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) जी हां ।

(३) जी नहीं ।

(४) नीम का थाना व मांवड़ा के व्यापारियों के जिम्मे सेलस टैक्स, इन्कम टैक्स व माईनिंग टैक्स राजस्थान की बकाया निम्न प्रकार है :

सेल्स टेक्स इनकम टेक्स, माइनिंग नीम का थाना

१२,३७५.३६,३७.००,१७,८५२.५६ ।

मांवडा

१,०६,०८६,४६,२६६४१.०२,३४१२०.००

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री रामकिशन: यह जो बकाया है, बड़ी बड़ी रकमें हैं, उनका क्या हो रहा है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: मैंने आपको सूची दी है, जिनमें बकाया है, ज्यादातर बकाया स्टेन्ड है । स्टेन्ड है कोर्ट द्वारा, उनके लिये हमारी मजबूरी है ।

श्री रामकिशन: इस लिस्ट में देखिये, बड़ी बड़ी रकमें बाकी हैं, उनके लिये क्या कर रहे हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: मैंने निवेदन किया, बड़ी रकमों के लिए अटेचमेंन्ट किया जाता है।

श्री रामकिशन: ऐसे भी बकायात हैं जिनके बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: डिपार्टमेंन्ट द्वारा ज्योंही लिखा जाता है कि बकाया रकम है रिकवरी का सर्टिफिकेट दिया जाता है, लैन्ड रेवेन्य विभाग को भेज दिया जाता है, वहां कार्यवाही चलती रहती है ।

श्री रामकिशन: ऐसा नहीं है इस लिस्ट में जो रामेश्वरप्रसाद के खिलाफ रकम है उसके लिये क्या किया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: यह इतनी बड़ी लिस्ट है कि हर आइटम के बारे में डिटेल में सूचना की जानकारी करके आना बड़ा मुश्किल है; किसकी जायदाद कुर्क हुई, किसकी नीलाम हुई, यह सब बताना मेरे लिये मुश्किल है ।

श्री रामकिशन: लिस्ट में ऐसी रकमें हैं जो पांच पांच साल से वसूल नहीं हो रही हैं, इस प्रश्न का जवाब भी दो साल में आया है। आखिर आपने दो साल बाद जवाब दिया तो यह सब जानकारी आपको करके आना चाहिये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: इससे तो आप प्रोफॉर्मा क्वेश्चन पूछ लेते, सैकड़ों केसेज हैं कि किस तारीख को पी० डी० आर० में दिये, किस तारीख को लैन्ड रेवेन्यू विभाग को दिये, यह बताना मुश्किल है

श्री रामकिशन: मैं यह पूछ रहा हूं कि तहसीलों को कब भेज दिया गया एक लाख

Page No 19

(श्री रामकिशन)
रुपया और कुछ हजार रुपया एक पार्टी में बाकी है वह कब भेजा गया, यह बकाया वसूल क्यों नहीं हो रही है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: आप एक ही आइटम का सवाल पूछते तो उसके लिये तैयार होकर आता ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): इस सवाल के पूछने का मकसद था कि जिनमें ह्यूज अमाउन्ट बाकी है वह आपको देखना चाहिये था । जो इतनी बड़ी रकम इतने अर्से बाकी आ रही है उसको देखकर आना चाहिये । क्वेश्चन हमारे पूछने का मतलब ही यह है कि सरकार को विजिलेन्ट बनाया जाय ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: आप किसी पार्टी से इन्टरेस्टेड हैं, तो उसी के लिए पूछ लेते ।

श्री रामानन्द अग्रवाल: पर्टीक्युलरली किसी पार्टी के नोटिस में लाने का सवाल नहीं है; एक पार्टी में बकाया जो एक लाख से ऊपर है वह तो आप वसूल नहीं कर रहे हैं । आप उस क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं कर सकते तो आपकी विजिलेन्स क्या है ? सरकारी आय को बढ़ाने के लिये आप बकाया भी वसूल नहीं कर पा रहे हैं !

श्री रामप्रसाद लड्ढा: पर्टीक्युलर पार्टी के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता ।

श्री रामकिशन:–जो केस तहसीलों में पी० डी० आर० के तहत चले गये उसकी वसूली नहीं हो रही है, तो वह रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट की जिम्मेदारी है ।

श्री उपाध्यक्ष : Order please! Let him say. No discussion.

श्री रामकिशन: जवाब कुछ भी नहीं मिला, उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: जो मामले गवर्नमेंन्ट डिपार्टमेन्ट के अधीन या कोर्ट्स के अधीन हैं उनकी बात तो छोड़ दीजिये, बाकी के सारे मामले पी० डी० आर० या लैन्ड रेवेन्यू में चल रहे हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): We want to know the fact. जो अमाउन्ट बताया गया, कुछ में दो लाख के करीब अमाउन्ट है आप उसका भी जवाब नहीं दे सकते । मैं निवेदन करूंगा कि गवर्नमेन्ट रोजमर्रा कहती है आर्थिक प्रश्न जब सामने आता है कि हमारे पास पैसा नहीं है और दूसरी तरफ कुछ लोगों में इतना बड़ा अमाउन्ट आउटस्टेन्डिंग है उसको वसूल करने के बारे में आप सन्तोषजनक उत्तर नहीं दे पा रहे हैं । एक लाख से ऊपर रकम एक पार्टी में है उसके कारण भी आप नहीं बता सकते, तो आपकी विजिलेन्स फिर क्या है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कौनसी एक पार्टी है । जिसमें एक लाख रुपया है ?

श्री रामकिशन: न्यू भारत लिमिटेड में १ लाख ३७ हजार की रकम है, यह बहुत बड़ी रकम है, उसकी क्या पोजीशन है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: जो जो भी रकूमात वसूल करनी हैं, वे मामले पी० डी० आर० और एल० आर० में चल रहे हैं । जितना जल्दी डिस्पोज ऑफ हो सकते हैं, हम कर रहे हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): यह केस पी० डी० आर० को कब भेजा गया ?

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है उसको उन्होंने अच्छी तरह से पढ़ा ही नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : तो फिर आपको ये प्रश्न पूछने से फायदा क्या ? आपको जो जानकारी चाहिये थी उसी को पूछते ।

Next question please.

रेस्क्यू होम्स

३३१. श्री अचणलाल (हिन्डोन) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) राजस्थान में कहां कहां कब कब से कितने रेस्क्यू होम्स या महिला सदन हैं तथा इन होम्स के कौन कौन कब कब से इन्चार्ज हैं ?

(२) सन् १६६०-६१, ६१-६२, तथा ६२-६३ में अब तक किस किस रेस्क्यू होम में कितनी कितनी महिलायें आईं और कितनी वापिस चली गई ?

(३) रेस्क्यू होम्स की किस किस महिला की किस किस वर्ष में किस किस व्यक्ति से शादी की गई ? कृपया पूर्ण पते के साथ सूची सदन की मेज पर रखें ।

(४) क्या शादी होने के पश्चात् इस बात की जानकारी रखी गयी है कि वे महिलायें अपने पतियों के साथ रह रही हैं अथवा नहीं? यदि हां, तो यह बताया जावे कि कितनी महिलाऐं शादी होने के कितने कितने दिन बाद इन पतियों को छोड़कर अन्यत्र चली गयी हैं ?

सिंचाई मंत्री (श्री भीखा भाई) :

(१) राजस्थान में केवल एक राजकीय महिला सदन है जो ८ मार्च, सन् १६५७ से जयपुर में चल रहा है । इस महिला सदन के इन्चार्जों और उनके कार्यकाल की सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) राज्य महिला सदन, जयपुर में निम्न तालिकानुसार महिलाओं को प्रवेश दिया गया व विदा दी गई ।

वर्ष	महिलाओं को प्रवेश दिया गया	महिलाओं को विदा दी गई
१६६०-६१	७५ आवासनियां	४४ आवासनियां
१६६१-६२	७३ "	६४ "
१६६२-६३	७५ "	४० "

जनवरी तक

(३) सूची 'ब' सदन की मेज पर रखदी गई है।

(४) जी हां। कुल १२ महिलाओं की शादियां सदन द्वारा करवाई गई हैं जिनमें से ११ महिलाओं से पूर्ण सम्पर्क है और वे अपने पतियों के साथ आनन्दपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही है ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : डिस्ट्रिक्ट्स के अन्दर जो रेस्क्यू होम्स चलते हैं उनका सरकार कन्ट्रोल करती है या ग्रांन्ट देती है ?

श्री भीखाभाई : They are not Rescue Homes.

श्री भैरों सिंह : क्या है वह ही बतलाइये ?

श्री भीखा भाई : Shelter Homes.

श्री भैंरोंसिंह : शल्टर होम्स, महिला सदन, रेस्क्यू होम्स इन तीनों के अन्दर क्या अन्तर करते हैं?

Page No 21

श्री भीखाभाई : आप जानते नहीं, इसलिये पूछ रहे हैं ? जो महिलायें शेलटर होम्स के अन्दर आती हैं फीडिंग स्कूल्स की तरह होती हैं । उसके बाद इनको महिला सदन और शेल्टर होम्स में भेजा जाता है, वहां तीन महीने तक रखा जाता है ।

श्री भैरोंसिंह : रस्क्यू होम्स में १२ आदमियों की शादी के लिये कोन्टेक्ट करने की व्यवस्था कर रखी थी क्या ?

श्री भीखाभाई : सम्पर्क स्थापित करने के लिये समाज-सेवी संस्थायें है हमारे यहां, असिस्टेन्ट लेडी वेलफेअर आफिसर हैं; उसके साथ साथ महिला सदन की अध्यक्षा उनको पत्र-व्यवहार द्वारा सम्पर्क स्थापित करने के लिये कहा गया है । और जब कभी शादियों का आयोजन होता है, शादी होती है या फंक्शन होते है, तो उन लड़कियों को बुलाया जाता है ।

श्री भैरोंसिंह : कोई व्यक्ति शादी करना चाहता है वह व्यक्ति कोन्टेक्ट किस प्रकार कर सकता है, इसकी आपने क्या व्यवस्था कर रखी है ?

श्री भीखाभाई : अगर आपकी इच्छा हो, तो व्यवस्था की जा सकती है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : कोन्टेक्ट आपकी मारफत होता है क्या ?

श्री भैरोंसिंह: शादी होने के बाद में उन महिलाओं का जीवन सुखमय चल रहा है या नहीं, इस बारे की जानकारी आप किस प्रकार प्राप्त करते हैं ?

श्री भीखाभाई : इसके बारे में मैं उत्तर दे चुका हूं। जैसा कि मैंने निवेदन किया इसके लिये मैनेजिंग कमेटी होती है, उसके चयरमेन होते हैं । शादी के लिये चेयरमेन के पास में प्रार्थना पत्र जाते हैं । फिर लड़के लड़कियों को बताया जाता है । अगर वे अविवाहित होते हैं तो शादी की जाती है । जहां तक शादी के बाद का सवाल है उसके लिये मैंने निवेदन किया कि अध्यक्षा, महिला सदन और रेस्क्यू होम्स होते हैं वे उनसे सम्पर्क बनाये रखते हैं । श्रम सेवी संस्थाओं को भी एवं समाज कल्याण विभाग में लेडी वेलफेअर ऑफिसर होते हैं वे भी उनसे पत्र-व्यवहार द्वारा सम्पर्क रखते हैं और उन लड़कियों को यहां की एक्टीविटीज में भाग लेने के लिये बुलाया भी जाता है ।

श्री गिरधारी लाल व्यास (आसिन्द): आपने कहा, १२ की शादी हुई और ११से सम्पर्क है, तो एक का क्या हो रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष : That is enough. Next

जागीर कमिश्नरी में उदयपुर जिले के कर्मचारियों के फिक्सेशन के मामले

३३२. **श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा)** : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) जब जागीर रिज़्यूम हुई उस समय कितने कर्मचारी राजस्थान सरकार को हस्तान्तरित हुए ? कृपया उदयपुर जिले की सूची सदन की मेज पर रक्खें ।

(२) उनमें उदयपुर जिले के कितने कर्मचारियों का फिक्सेशन अभी तक नहीं हुआ है ? कृपया उसकी सूची सदन की मेज पर रक्खें ।

(३) फिक्सेशन नहीं होने का क्या कारण है तथा सरकार कब तक उनका फिक्सेशन कर देगी ?

(श्री विजयसिंह झाला)

(४) उदयपुर क्लेकटरी से कितने कागजात पटवारियों के फिक्सेशन के जागीर कमिश्नरी में आये तथा कब? अब वे किस स्टेज पर है ?

उप–मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा):

(१) १,२०४ कर्मचारी हस्तान्तरित हुए । उदयपुर जिले की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) ४० तफेदारों का फिक्सेशन शेष है । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(३) महालेखापाल द्वारा आपत्ति करना तथा तफेदारों द्वारा स्वतः नई ग्रेड न लेना, फिक्सेशन न होने का कारण है । अब शीघ्र ही किया जायेगा ।

(४) कोई कागजात नहीं आये । आगे प्रश्न ही नहीं उठता ।

(कृपया परीशिष्ट ३ देखिये)

श्री विजयसिंह झाला : आज माइक आपका खराब है । ठीक कराना पड़ेगा ।

आपने फिक्सेशन नहीं होने का कारण यह बताया कि स्वतः ग्रेड नहीं लेना चाहते थे, इसका क्या कारण है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नई ग्रेड के लिए आवेदन-पत्र नहीं भरा ।

श्री विजयसिंह झाला : अब क्या सुविधा की गई, आवेदनपत्र नहीं भरा तो ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह तो तथ्य है जो मैंने निवेदन किया ।

श्री विजयसिंह झाला : इसका भी तो कारण होगा कोई न कोई ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसके दो-तीन कारण है । कुछ का अन्य स्थानों में स्थानान्तरण हो गया और उनका फिक्सेशन एल० डी० सी० में हो गया । कुछ लोगों को पुरानी ग्रेड मिली हुई है, कुछ ने घोषणापत्र नई ग्रडों के लिए प्रस्तुत नहीं किया । इन कारणों से उनका फिक्सेशन नहीं हो सका है और जैसा निवेदन किया है, यह मसला जल्दी ही समाप्त हो, हम इसका प्रयत्न करेंगे ।

नहरों की लीकेज से नुकसान, तहसील पाटन

३३३ **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगें:–

(१) क्या यह सही है कि पाटन तहसील के रेडी चडी ग्राम में नहरों की लीकेज हो जाने व टूटने से हजारों बीघा जमीनें व फसलें नष्ट हो गई है ?

(२) क्या यह सही है कि इन्हीं गांवों में ऊख पैदा हो जाने से जमीन काबिल काश्त नहीं रही है ?

(३) क्या सरकार ऐसे किसानों को जिनकी जमीन नहरों की लीकेज के कारण काश्त के योग्य नही रही, दूसरी जमीन देने का इरादा रखती है ?

(४) क्या यह सही है कि नहर जब से प्रारम्भ हुई है तभी से उक्त ग्राम में फसलें नष्ट होती रही हैं ; जिसका मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया ?

(५) पाटन तहसील में कितने किसानों को मुआवजा देना बाकी है ? तालिका सदन की मेज पर रक्खे ।

उप मंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण):

(१) केवल १९ बीघा १ बिस्वा की जमीन की फसल को ६१–६२ की रबी में हानि हुई थी।

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

(४) यह सही नहीं है। केवल चडी के किसान का रुपया ४·५० न०पै० बकाया है। जी हां।

(५) तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री हरिप्रसाद शर्मा: खुद ने फसल का खराब होना बताया है, पर इसमें ५०० बीघा का रकबा खराब हुआ है। आपकी सूचना गलत है।

श्री दौलतराम सारण: मेरी सूचना सही है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा: पहले भी सरकार को सूचना दी गई थी और सरकार ने स्वीकार किया था कि ६८५ की चैन टूटी है। जब उसकी सफाई कराई गई थी तो उसका कचरा इकट्ठा हो गया था।

श्री दौलतराम सारण: जिस जगह से नहर टूटी थी और उससे जिन जिन खेतों की फसलों को हानि हुई, उस हानि को मैंने बतलाया है और पानी जाने से जिनको लाभ हुआ वह नुक्सान में नहीं रहे। जिनको हानि हुई, उनको मुआवजा दिया गया।

श्री हरिप्रसाद शर्मा: यही तो प्रश्न है। नहरों के टूटने से अधिक पानी आया और फसलें गल गई, नष्ट हो गई; तो उनको आपने हानि में ही नहीं गिना सो तो नहीं गिना, पर उनको पिलाई में भी दर्ज करके उनसे पिलाई वसूल और करली। यही तो मेरा प्रश्न है।

श्री दौलतराम सारण: उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्टतया निवेदन कर चुका।

श्री हरिप्रसाद शर्मा: उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपने मन्जूर किया कि वास्तव में नहर टूटी है। तो उसके टूटने से जिनको पानी नहीं चाहिये था या कम चाहिये था उनको अधिक पानी चला गया और उनकी फसलें नष्ट हो गई, उनको आपने हानि में नहीं गिना और न इसका मुआवजा दिया।

श्री उपाध्यक्ष: आपको इसमें शंका है तो और भी उपाय हैं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा: उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया कि वहां पर नहर की लीकेज होती है। मैं बताऊं कि तीन गांव-वलोदा, पादरा (अश्रव्य) पानी से काफी भरे रहते हैं और इससे वहां की जमीन बेकार हो गई है। उत्तर में कहा गया, "जी हां"।

श्री दौलतराम सारण: आपने जो पूछा उसका मैं उत्तर दे चुका हूं। आप वही बार बार रिपीट कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: नेक्स्ट। श्री हांडा।

मार्केटिंग सोसाइटी, रायसिंहनगर का ऑडिट

३३४. **श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा** (रायसिंहनगर): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सही है कि मार्केटिंग सोसाइटी रायसिंहनगर के कई वर्षों का ऑडिट कुछ माह पहले हुआ है?

Page No 24

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

(२) क्या यह सही है कि इस ऑडिट के परिणाम स्वरूप लाखों रुपयों का गबन इस मार्केटिंग सोसाइटी में पाया गया है ? यदि हां, तो गबन की रकम की वसूली के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

(३) क्या यह सही है कि इस सोसाइटी का रेकॉर्ड भी चोरी हो गया था ?

(४) क्या यह भी सही है कि इस चोरी की सूचना भी पुलिस स्टेशन, रायसिंहनगर में दर्ज कराई गई थी ? यदि हां, तो पुलिस ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

उप-मंत्री, गृह (श्री भीमसिंह): (१) जी हां ।

(२) हां, यह सही है कि आडिट के परिणाम स्वरूप गबन एवं दुरुपयोग के मामले नोटिस में आये हैं ।

वसूली की कार्यवाही राजस्थान सहकारी अधिनियम, १९५३ की धारा ५७ के अन्तर्गत की जा रही है ।

(३) जी हां, समिति का बीज-वितरण सम्बन्धी रेकार्ड चोरी हुआ है ।

(४) जी हां, पुलिस ने तफतीश पश्चात्, फाइनल रिपोर्ट में अनट्रेस्ड होना बतलाया है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: यह गबन कितने लाख का पाया गया है ?

श्री भीमसिंह: ४। लाख का ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: इसकी रिकवरी की कार्यवाही कब आरम्भ की गई ।

श्री भीमसिंह : जब आडिट रिपोर्ट कम्पलीट होकर आई उसके बाद ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: कब कम्पलीट हुई ऑडिट रिपोर्ट ?

श्री भीमसिंह : ६२ के अगस्त में आई ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): यह कितने साल की ऑडिट रिपोर्ट एक साथ आई है ?

श्री भीमसिंह: सन् ५३ से ६२ तक की है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा: ९ साल तक ऑडिट नहीं किये जाने का क्या कारण है और क्या यह सही है कि कोआपरेटिव रूल्स के अनुसार प्रत्येक साल ऑडिट कराया जाना चाहिये ?

श्री भीमसिंह: जो डिपार्टमेंन्ट में हैं उनकी गफलत है ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): यह मुकद्दमा पुलिस में क्यों नहीं दिया ?

श्री भीमसिंह: सात मामलों में तो दे दिया गया है । बाकी की प्रिलिमिनरी तैयारी कर रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह: कितने लाख के केस पुलिस में दे दिये और कितने लाख के प्रिलिमिनरी जांच में चल रहे हैं ?

(एक और माननीय सदस्य बोलने लगे)

श्री भीमसिंह : साफ सुनाई नहीं दिया, एक साथ दो के बोलने के कारण ।

श्री उपाध्यक्ष: One at a time please.

श्री भैरोंसिंह : ये जो मामले पुलिस में गये हैं, कितने लाख के हैं और कितने लाख के मामले आप की जांच में चल रहे हैं ?

श्री भीमसिंह : यह तफसील अभी मेरे पास मौजूद नहीं है, क्योंकि स्पेसिफिक कुछ पूछा नहीं गया था ।

श्री भैरोंसिंह : आपने प्रिलिमिनरी जांच में व्यक्तिगत आरोप भी लगाकर कुछ लिखा है क्या ? यदि हां, तो किन किन के खिलाफ ?

श्री भीमसिंह : १६ पार्टियां ऐसी हैं जिनको नोटिस दिये गये हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : सूरतगढ़ का एक इन्सपेक्टर भी है जिसके खिलाफ एक लाख के गबन दर्ज हैं, क्या यह सही है ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरा एक सप्लीमेन्टरी और है। १६ आदमियों के खिलाफ आपने गबन के चार्जेज लगाये। क्या उनके खिलाफ एफ० आई० आर० दर्ज करा दी गई है थाने में बाकायदा ?

श्री भीमसिंह : सात की एफ० आइ० आर० हुई हैं, बाकी की जांच चल रही है। कम्प्लीट होते ही एफ० आई० आर० के लिये दे दी जावेगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसका बीज वितरण का रेकॉर्ड सारा ही खो गया, यह स्वीकार हो गया और थानेदार ने फाइनल रिपोर्ट इस तरह की दे दी, इस सम्बन्ध में थानेदार के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री भीमसिंह : इसका प्रश्न अभी पैदा नहीं होता। डी० आई० जी०, सी० आई० डिपार्टमेन्ट ने लिखा है कि इसकी सी० आई० डी० की तरफ से जांच की जावे और उस जांच से अगर यह गलत साबित हुई उसकी रिपोर्ट कि वाकई में खोया नहीं, दबाया गया है जानबूझ कर, तो जरुर थानेदार के खिलाफ एक्शन लिया जावेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बिल्कुल यह थानेदार के खिलाफ प्रश्न उठता है। उसने मामले की जांच के दौरान किसी व्यक्ति को बुलाया नहीं, बात नहीं की, किसी को इन्टेरोगेट नहीं किया और दस हजार रुपया लेकर यह रिपोर्ट देदी है। यह बच्चा बच्चा जानता है रायसिंहनगर का। दो बार पहले भी यही प्रश्न यहां उठाया गया था। २५ रजिस्टर चोरी हुए, उसमें १५ लाख के करीब का गबन है। १० हजार रुपया लेकर जांच बन्द कर दी उस थानेदार ने तो और यह रिपोर्ट देदी। डी वाई० एस० पी०, खीची ने जांच में लिखा है कि इस थानेदार ने किसी को बुलाकर इन्टेरोगेट नहीं किया। ये डी वाई० एस० पी० के रिमार्क्स हैं।

श्री भीमसिंह : सरकार की तरफ से इस थानेदार को प्रोटेक्शन देने की कोई नीयत नहीं है। जहां तक इस गबन के केस का सवाल है इस सम्बन्ध में जितनी जानकारी और इन्फोर्मेशन आपके पास हो वह आप हमें दें, हमें इसमें आप सहयोग भी दें, हम डिटेल्ड इन्क्वायरी कराएंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं इसकी जानकारी तीन बार मुख्य मन्त्री जी को लिखित रुप में दे चुका हूं कि इस थानेदार ने इस मामले में कितने पैसा खाया है और पैसा खाकर यह मामला दबाने की चेष्टा की है। इस पर अभी तक थानेदार के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है और सुना यह जा रहा है उल्टा कि उसकी तरक्की हो रही है बहुत जल्दी।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्सट।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है उपाध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर मिलना चाहिये।

Page No 26

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मणप्रसाद ।

श्री भैरोंसिंह : यह बहुत इम्पोर्टेन्ट मसला है। मैं पूछना चाहूंगा कि उस बीज का एस्टीमेंट कराया कि कितने लाख का वह बीज था जिसके कागजात गायब हो गये ? यह रकम उस ४। लाख में शामिल है या अलग है ।

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री उपाध्यक्ष : Enough questions. Next.

नये औषधालय

३३५. **श्री लक्ष्मणप्रसाद** (सिकराय): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या राज्य में इस साल नये औषधालय खोले जायेंगे ? अगर हां, तो किन किन जिलों में ?

(२) क्या सिकराय तहसील में भी आयुर्वेद औषधालय खोला जायेगा ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री आयुर्वेद (श्री दौलतराम सारण):

(१) जी हां। इस वर्ष ७५ औषधालय खोले जायेंगे। कहां कहां खोले जायेंगे यह अभी निर्णय नहीं किया गया है।

(२) यह अभी नहीं कहा जा सकता।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : कब तक किस किस जिले में और कितने कितने औषधालय खोले जायेंगे ?

श्री दौलतराम सारण: जल्दी ही खोले जायेंगे।

श्री गिरधारीलाल व्यास : कितने महीने, कितने दिन लग जायेंगे ?

श्री दौलतराम सारण: निश्चित तारीख नहीं बता सकता।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री दुर्गालाल बाढदार ।

बन्दा जलमली, तहसील दौसा की नहर से सिंचाई तथा उससे आमदनी

३३६. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवा महल जयपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) मौजा बड़ा गांव तहसील दौसा में बन्धा जलमली किस साल में बना और किस साल से इससे सिंचाई चालू की गई ?

(२) बन्धा जलमली किस किस गांव की जमीन को सिंचाई करता है और इससे सिंचाई में कितनी आमदनी होती है ?

(३) क्या इस बन्धे के पानी में खार है ? क्या राज्य सरकार या सिंचाई विभाग ने इसके पानी का मुआयना करवाया है ?

(४) क्या इस बन्धे की नहर से पानी नहीं लेने वाले काश्तकारों से भी सिंचाई कर वसूल किया जाता है और यदि हां, तो इस बन्धे का कमान्डेड एरिया कितना है ?

उप-मंत्री सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी): (१) बन्ध जलमली का काम सन् १९५१-५२ में पूरा हुआ था और सन १९५०-५१ से सिंचाई शुरु हुई।

(२) इस बांध से निम्न १७ गांवों की सिंचाई होती है और १९६१-६२ में

आमदनी करीब ६२०० हुई है ...

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : यह जवाब देते समय मुस्करा रहे हैं, इसलिये साफ नहीं सुनाई दे रहा है। बाद में मुस्करा लें तो ठीक रहे।

श्री दिनेशराय डांगी: (१) चक दहलावास (२) किशनपुरा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : The list is long. It should be placed on the Table of the House.

श्री उपाध्यक्ष: If the Minister so desires, he may please place it on the Table of the House.

श्री दिनेशराय डांगी : नाम नहीं पढ़ने हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं।

श्री दिनेशराय डांगी : All right.

(३) जी नहीं।

(४) जी नहीं। इस बन्धे का कमान्डेड एरिया ३,६१५ एकड़ है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार: सिंचाई का काम बन्ध बनने से पहले चालू हुआ था या बाद में ?

श्री दिनेशराय डांगी: सिंचाई का काम बन्ध बनने के साथ साथ शुरु कर दिया जाता है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार: उत्तर यह दिया गया है कि बंध बनना १९५१-५२ में चालू हुआ और सिंचाई चालू कर दी १९५०-५१ से, तो जब तक बंध ही नहीं बना था तो सिंचाई बांध से हो रही थी या किसी और से ?

श्री दिनेशराय डांगी: उपाध्यक्ष महोदय, बंध बनकर पूरा होने में समय लगता है और सिंचाई, जो कुछ थोड़ा बहुत काम हो जाता है, उससे शुरु कर दी जाती है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार: १९५१-५२ में बंध बनना चालू हुआ और १९५०-५१ में सिंचाई चालू कर दी तो यह कैसे सम्भव है ?

सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई) : जो इनफोर्मेशन दी गयी है उससे मालूम होता है कि पार्शियल इर्रिगेशन हो सकता है। अगर माननीय सदस्य चाहें तो जांच करके बता दिया जायेगा। बांध तो एक्चुअली बाद में बनकर कम्पलीट होता है, लेकिन जितना पानी रोका जाता है उससे सिंचाई शुरु हो जाती है। यों तो पांच साल के बाद बंध पूरा रेज किया जाता है और सिंचाई पहले ही शुरु कर दी जाती है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार: आप निर्माण तो १९५१-५२ से शुरु करते हैं इससे पूर्व सिंचाई का प्रश्न ही नहीं होता है और उत्तर के लिए कहते हैं कि हम इन्क्वायरी करेंगे। बांध बनवाने से पहले आपने कोई अपने जो वज्ञानिक व्यक्ति हं उनसे इस पानी की जांच कराई थी कि यह खारा पानी है और इससे खेती नष्ट हो जाती है ? आपने इस पानी की जांच कराने की भी चेष्टा की थी ?

श्री भीखाभाई: ऐसी जांच नहीं कराई गई और न आवश्यकता पड़ती है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार: इसका पानी काम में आ सकता है या नहीं, इसकी जांच

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)
नहीं कराई, इसमें केमीकल्स क्या हैं इसकी जांच कराई गई थी या नहीं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री भैरवलाल कालाबादल।

पी० एन० आर० सी० की ट्रेनिंग

३३७. **श्री भैरवलाल 'कालाबादल'** (अकलेरा) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) झालावाड़ जिले में १ वर्ष की कम्पाउन्डर ट्रेनिंग में सन् ६० से ६३ तक कितने युवकों ने ट्रेनिंग पाई ?

(२) सन् ६३ में १५ जुलाई से पी० एन० आर० सी० की ट्रेनिंग में शामिल करने हेतु झालावाड़ डॉ० एम० ओ० ने कितने नाम भेजे थे; जिनमें से कितने युवकों को पी० एन० आर० सी० की ट्रेनिंग में लिया गया ?

(३) यदि झालावाड़ से एक भी युवक को पी० एन० आर० सी० की ट्रेनिंग के लिए नहीं लिया गया तो इसका क्या कारण है ?

(४) पी० एन० आर० सी० की ट्रेनिंग सन् ६३ में कितने कम्पाउन्डर्स शिड्यूल्ड कास्ट के हैं और कितने शिड्यूल्ड ट्राइब्स के ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बरकतुल्लाखां) : (१) एक साल की पी० एन० आर० सी० की कोई ट्रेनिंग नहीं है।

(२) डी० एम० एच० ओ०, झालावाड़ ने ८ नाम भेजे थे जिनमें से किसी को भी नहीं लिया गया।

(३) ट्रेनिंग में सिर्फ वे लोग लिए गए थे जो १९६१ तक सर्विस में आ चुके थे ये लोग १९६१ के बाद में सर्विस में आए थे।

(४) पी० एन० आर० सी० की ट्रेनिंग में ४३ व्यक्तियों को लिया गया था जिनमें से ६ शिड्यूल्ड कास्ट व शिड्यूल्ड ट्राइब्स के थे।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : आपने पहले प्रश्न का क्या जवाब दिया ?

श्री बरकतुल्ला खां : पी० एन० आर० सी० की एक साल की कोई ट्रेनिंग नहीं है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : इस ट्रेनिंग में झालावाड़ से कितने युवकों को भेजा गया और ट्रेनिंग के लिए छांटने की क्या व्यवस्था है ?

श्री बरकतुल्ला खां : इस तरीके का रखा गया था कि सीनियोरिटी के हिसाब से जिन्होंने ३ महीने की ट्रेनिंग कम्पलीट कर ली थी उनको पी० एन० आर० सी० में भेजा गया था। उसमें १९६१ तक जो लोग सर्विस में आचुके थ उनको पी० एन० आर० सी० की ट्रेनिंग में भेज दिया गया है और इन लड़कों ने ६३ में ३ महीने की ट्रेनिंग कम्पलीट की थी इसलिए इनको नहीं भेजा गया।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : जब झालावाड़ पी० एम० एच० ओ० ने ८ नाम भेजे थे तो उनमें से एक लड़के को भी नहीं लेने का क्या कारण है ?

श्री बरकतुल्ला खां : पी० एम० एच० ओ०, झालावाड़ ने ८ आदमियों के नाम लिखकर भेजे थे लेकिन गवर्नमेन्ट ने जसा तय किया था कि जो लोग पहले सर्विस में आये थे उनको पहल ट्रेनिंग का मौका दिया

(श्री बरकतुल्लाखां)
जाये और उस समय तक १६६१ में जिन्होंने ३ महीने की ट्रेनिंग कम्पलीट करली थी उनको मौका दिया गया। यह लोग जिनके नाम रिकमेन्ड किये वह सन् ६३ में ३ महीने की ट्रेनिंग कम्पलीट कर चुके थे इसलिए जिन्होंने पहले सर्विस जोइन की उनको पहले मौका दिया जाता है और जो बाद में आते हैं उनको बाद में दिया जाता है।

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : माननीय सदस्य ने पूछा; इसमें झालावाड़ का भी कोई कम्पाउन्डर है क्या, इसका कोई जवाब नहीं दिया गया ?

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : मैं थोड़ी सी और जानकारी चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : वैद्य श्री गोविन्द सहाय।

प्रश्न संख्या ३३८
(अनुपस्थित)

श्री कुमारानन्द ।

संघों का पंजीकरण

३३६. **श्री कुमारानन्द** (ब्यावर) : Will the Labour Minister please state.-

Is it a fact that hardships are being caused to the workers in the registration of their Unions ? If so, does the Government intend to delegate powers in such matters to the divisional Labour Officers ?

श्रम मंत्री (श्री भीखाभाई) : जी नहीं।

श्री कुमारानन्द : आपके पास कम से कम १०० लैटर्स पड़े हैं और आप कहते हैं 'जी नहीं'। आप बताइये कि कितने लैटर्स हैं आपके पास ?

श्री भीखाभाई: उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ माननीय सदस्य ने पूछा मैंने उस का जवाब दे दिया है। उन्होने पूछा था कि रजिस्ट्रेशन के बारे में कोई डिफिकल्टी है तो मैंने कहा 'जी नहीं'।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्वेश्चन यह था कि ट्रेड यूनियन्स को रजिस्ट्रेशन कराने में बहुत दिक्कतें आती हैं और दूसरा हिस्सा यह था कि उसकी पॉवर्स डिवीजनल लेबर कमिश्नर को देनी है तो पहले का जवाब 'जी नहीं' ? और कोई दिक्कत नहीं है ? एक चिट्ठी तो मरे पास अभी आई है जो मैं टेबल ऑफ दी हाउस पर रखता हूं। उसमें लिखा है। कितने ही रिप्रेजेन्टेशन्स इस तरह के हैं कि दिक्कतें होती हैं और उनको जवाब तक नहीं दिया जाता।

श्री उपाध्यक्ष: मैं निवेदन करूंगा कि प्रश्न क घन्टे में केवल प्रश्न पूछें और डिसकशन रेज़ होना है तो वह विभिन्न प्रकार से कर सकते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल: उनके पास इस तरह की शिकायतें आई हैं कि रजिस्ट्रेशन कराने में दिक्कतें होती हैं।

श्री भीखाभाई: ऐसी शिकायतें नहीं आई हैं। बल्कि जो ऑब्जेक्शन्स किये जाते हैं उनका जवाब यूनियन्स की तरफ से नहीं आता है। इस तरह की शिकायतें हैं। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि डिफिकल्टी होने की कोई शिकायत नहीं है और इसलिए ही मैंने सारा का सारा प्रश्न का उत्तर 'जी नहीं' दिया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: मॅग्जीमम कितना समय लगता है रजिस्ट्रेशन कराने में ?

श्री भीखाभाई: शीघ्रातिशीघ्र, जितना जल्दी होता है वह कर देते हैं। महीने में ५-६ यूनियन्स का रजिस्ट्रेशन हो जाता है और साल में करीब ५०-६० का रजिस्ट्रेशन हो जाता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: किसी को, यूनियन को रजिस्ट्रेशन कराने में मैग्जीमम कितना टाइम लगता है ?

श्री भीखाभाई : मैग्जीमम टाइम का सवाल नहीं है। अगर यूनियन्स की तरफ से कम्प्लीट इनफोर्मेशन होती तो १०-१५ दिन या महीने में हो जाता है लेकिन दिक्कत तब होती है जब कि इनकम्प्लीट इनफोर्मेशन होती है और इसके लिए उनको लिखा जाता है, और वह उसका जवाब तक नहीं देते। एक दो यूनियन्स के पड़े हैं उन्होंने जवाब ही नहीं भेजा। इसलिए उनके ऑब्जेक्शन मीट नहीं होने से वह यूनियन रजिस्टर नहीं हुई।

श्री गोविन्दसिंह (पिडावा): क्या यह सही है....

श्री उपाध्यक्ष: One at a time Shri Kumaranand.

श्री कुमारानन्द: एक एक साल हो गया, पर यूनियन्स रजिस्टर्ड नहीं हुई और आप कहते ह कि कोई दिक्कत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: Next question. Shri Bhagraj.

नगरपालिका जालोर द्वारा गलियों में पट्टियां बिछाने के ठेके

३४०. श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) जालोर नगरपालिका की गलियों में पट्टियां बिछाने के लिए कितना अनुदान और कर्ज दिया गया था ?

(२) नगरपालिका को भवन-निर्माण के लिए कितना कर्ज मिला ?

(३) क्या उस धन का उपयोग समय पर हुआ ?

(४) क्या इस समय नगरपालिका भवन पूरा तैयार हो गया है ?

(५) क्या सब ठेकेदारों को पूरा पूरा भुगतान हो चुका है ?

(६) क्या कुछ ठेकेदारों ने नगरपालिका पर दावे भी किए हैं ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण): (१) सन् १९५९-६० से १९६२-६३ तक सड़कों हेतु ५३,९९२ रू० का अनुदान और २०,००० रू० का ऋण दिया गया है।

(२) सन् १९५८-५९ व १९५९-६० में ५०,००० रू० टाउन हाल के लिए दिया गया है।

(३) जी नहीं।

(४) सूचनानुसार २ मास में पूरा हो जाने की आशा है।

(५) कुछ ठकेदारों का भुगतान बाकी है।

(६) जी नहीं।

श्री भगराज चौधरी: जैसा कि आपने बताया कि ५० हजार टाउन हाल में दिया गया ५६ में; उसको चार साल हो गये और भवन पूरा नहीं हुआ और अभी वन-थर्ड ही कम्पलीट हो पाया है जब कि पूरा पैसा खर्च हो गया और दूसरा पैसा कहां से लगवाया सरकार ने। तो इसके क्या कारण हैं कि इतने साल में भी भवन पूरा नहीं हो सका ?

श्री दौलतराम सारण: सरकार ने जो पैसा दिया वह उससे ज्यादा लगने वाला था। म्युनिसिपैलिटी ने अपना पैसा लगाया। उन्होंने सोचा था कि इसमें पूरा हो जायेगा।

श्री भगराज चौधरी : आप किस आधार पर कहते हैं ? जो प्लान पहले बना था वह सरकार की मंजूरी के मुताबिक बना था ज्यादा पैसा लगने का जो कारण बता रहें हैं तो वह किस आधार पर है ?

श्री दौलतराम सारण : ज्यादा बढ़ाने का सवाल नहीं हैं, वह ऋण वाला पैसा भी लगा। उसके अलावा म्युनिसिपैलिटी ने भी पैसा लगाया, लेकिन भवन पूरा नहीं हुआ। उसमें दो महीने का और समय लगेगा।

श्री भगराज चौधरी: म्युनिसिपैलिटी से कितना पैसा लगाने का प्रावधान था ?

श्री दौलतराम सारण : निश्चित तो मालूम नहीं है, लेकिन अभी तक ७० हजार खर्च हो चुका हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): ओरीजिनल प्लान क्या था ?

श्री दौलतराम सारण : ओरीजिनल प्लान की जानकारी नहीं हैं।

श्री भगराज चौधरी : तो किस आधार पर आपने दिया ? ५० हजार रुपया सरकार ने भवन बनाने के लिए दिया और ५० हजार रुपया वे लगायेंगे, यानि ५० हजार रूपया म्युनिसिपैलिटी का कन्ट्रीब्यूशन था। वह भी इसी लिए खर्च करना था। इस तरह से एक लाख रुपया पूरा कर दिया गया; लेकिन चार साल में केवल एक-तिहाई कम्पलीट हो पाया, तो इससे साफ जाहिर होता है कि म्युनिसिपैलिटी के चैयरमैन ने गबन किया है। इसकी जांच करें तो जांच करने से पता चलेगा कि उन्होंने गबन किया है।

श्री उपाध्यक्ष : आप भाषण कर रहें हैं या प्रश्न पूछ रहे हैं ?

श्री भगराज चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं। मंत्री महोदय को जानकारी पूरी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : वे जानकारी स्वयं कर लेंगे। (श्री भानु प्रसाद से) आप प्रश्न पूछें। श्री भानुप्रसाद।

न्यू कोलोनी हरिजन बस्ती, जयपुर में अग्निकाण्ड

३४१. श्री भानुप्रसाद कराडिया (चौमू) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) न्यू कोलोनी हरिजन बस्ती, जयपुर में सन् १९६३ में किस किस महिने में अग्नि-काण्ड हुए और कितना कितना नुकसान किस किस रूप में हुआ और कितने घर जले ?

(२) क्या इन्हें सहायता या कर्जा आग लगने पर दिया गया है ? यदि हां, तो

(श्री भानुप्रसाद कराडिया)
कितना कितना और कहां कहां से ? यदि, नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री भीखाभाई) :
(१) केवल एक घटना जनवरी १९६३ की रिपोर्ट प्राप्त हुई । उसमें १० घर जले । घरों के जलने से परिवारों को कितना नुकसान हुआ, इसका अनुमान इस विभाग में उपलब्ध नहीं है ।

(२) इस विभाग द्वारा कोई सहायता नहीं दी गई ।

श्री भानुप्रसाद कराडिया : माननीय मंत्री महोदय, इनमें दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनका एक का नाम श्री छोटेलालजी और दूसरे का नाम फूलचन्द जी हैं। इनमें छोटेलाल जी का करीब २–३ हजार का नुकसान हुआ और फूलचन्दजी का हजार डेढ हजार का नुकसान हुआ । ये न्यू कोलोनी में रहते हैं । इन्होंने माननीय मंत्री के पास प्रार्थना-पत्र भी दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई जब कि दूसरे लोगों को ऋण व सहायता दोनों मिल चुकी है ।

श्री भीखाभाई : यह मैंने नहीं कहा कि नुकसान नहीं हुआ । मैंने कहा कि कितना नुकसान हुआ, इसको इस विभाग को जानकारी नहीं है, क्योंकि इसका सम्वन्ध राजस्व विभाग से है । समाज कल्याण विभाग में तीसरी पंच-वर्षीय योजना में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उनमें से जो इस प्रकार के अग्निकाण्ड से पीडित लोग हैं उनकी सहायता की जा सके ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सम्पत्तिलाल वोहरा ।

झुन्झुनू नगरपालिका के लेखाओं का ऑडिट

३४२. **श्री सम्पत्तिलाल बोहरा** (मावली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे :

(१) झुन्झुनू नगरपालिका के लेखाओं का ऑडिट हुए कितने वर्ष हो गये तथा इतने समय तक ऑडिट न होने के क्या कारण है ?

(२) क्या यह सही है कि नगरपालिका के कई सदस्यों द्वारा ऑडिट किये जाने का आवेदन किया गया था ? यदि हां, तो इसके वाद भी ऑडिट क्यों नहीं की गई ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) ऑडिट अप्रेल, १९६३ में ही हुआ है ।

(२) जी हां । सम्बन्धित रेकार्ड पुलिस के कब्जे में होने से उस समय नहीं किया जा सका ।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल. जयपुर) : क्या यह सही है कि ऑडिट रिपोर्ट में कई गम्भीर अनियमितताओं का उल्लेख है ?

श्री दौलतराम सारण : प्रश्न से इसका सम्वन्ध नहीं है ।

श्री भैरों सिह : आप कहते हैं कि ऑडिट हो गयी है, तो आडिट रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है कि नहीं ?

श्री दौलतराम सारण : हो सकता है, लेकिन इसका इस प्रश्न से कोई ताल्लुक नहीं है ।

श्री भैरोंसिह : आपने कह दिया कि हो सकता है; लेकिन है या नहीं ? आपने ऑडिट रिपोट को पढ़ा या नहीं ?

श्री दौलतराम सारण : मेरी जानकारी में नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष: हो सकता है, कह दिया ।

श्री भैरोंसिह : ऑडिट रिपोर्ट को माननीय उप-मंत्री या मंत्री महोदय ने देखा कि नहीं ?

श्री दौलतराम सारण : जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया है कि ऑडिट अप्रेल, ६२ में हुआ है । मैंने ऑडिट रिपोर्ट को नहीं देखा है ।

श्री भैरोंसिह : क्या यह सही है कि इसी ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार माननीय मंत्री महोदय ने वर्तमान चेयरमैन को निलम्बित किये जाने के आदेश दिये है ।

स्वायत्तशासन मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां): जी हां, उनका एक्स्प्लेनेशन कॉल किया गया है।

श्री भैरोंसिह : क्या इसी ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार एक्स्प्लेनेशन कॉल किया गया है?

श्री बरकतुल्लाखां: जी हां । माननीय उप-मंत्री जी ने रिपोर्ट नहीं देखी है । मैंने देखी है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्योपतसिंह ।

श्री संपत्तिलाल बोहरा : प्रश्नकर्ता को सप्लीमेन्ट्री नहीं पूछने दिया जाता है । आपने कितने साल का ऑडिट अब कराया ? जो ऑडिट कराया है आपने ६२ में वह कितने वर्षों का कराया ?

उप-मंत्री, सहकारी (श्री भीमसिह) : (प्रश्न संख्या ३४३ का उत्तर पढ़ते रहे)

श्री रामानन्द अग्रवाल: पहले प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

श्री उपाध्यक्ष : This is very irregular. I have called the name and you are still.....

श्री संपत्तिलाल बोहरा : सदन में आज यही परम्परा चल रही है कि आपने दूसरों का नाम बोला, लेकिन माननीय सदस्य प्रश्न करते ही रहे ।

(श्री भीम सिंह, उप-मंत्री उत्तर पढ़ते रहे)

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order please.

श्री श्योपत सिंह (हनुमानगढ़) : सुना नहीं दुबारा जवाब दें ।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा (नसीराबाद): Point of order, Sir, the time is over. The one hour of Question Hour is over.

श्री उपाध्यक्ष : That is all right. I will look to it.

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : No, no. Only one hour is allotted for this.

श्री उपाध्यक्ष : Still sometimes it is increased. It does not matter.

श्री भीमसिह : पहले का या दूसरे का ? कौनसा ? सुनाई नहीं दिया ।

श्री श्योपत सिंह : कोई भी सुनाई नहीं दिया । प्रश्न संख्या ३४३ ।

लेण्ड मोर्टगेज बैंक, हनुमानगढ़

३४३. श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) हनुमानगढ़ लैण्ड मोर्टगेज बैंक के आज तक कुल कितने सदस्य बन चुके हैं व कितनी पूंजी जमा हो चुकी है ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त बैंक द्वारा किसी भी किसान को कर्ज नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

उप-मंत्री, सहकारी (श्री भीमसिंह) : फिर पढ़ रहा हूं दुबारा ।

(१) हनुमानगढ़ प्राथमिक सहकारी लैण्ड मोर्टगेज बैंक लि० की सदस्य संख्या ५७३ है और उसकी हिस्सा पूंजी २८,६५० रु० है ।

(२) अभी तक एक भी कर्जा नहीं दिया गया है कारण कि यहां पर अधिकतर भूमि के एक से अधिक हकदार हैं । जब तक वे सब मिलकर रहन न करना चाहें तब तक उनमें से किसी एक व्यक्ति के प्रार्थना-पत्र पर ऋण दिया जाना सम्भव नहीं है । इसके सिवाय रेवेन्यू रेकार्ड उपलब्ध कराने में भी काफी विलम्ब होता है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : रूल्स को सिम्पलीफाई करने का गवर्नमेंन्ट का विचार है क्या ? अगर नहीं तो इयर्स लगेंगे ।

श्री भीमसिंह: रूल्स से इसका सम्बन्ध नहीं है । जमीन के एक से ज्यादा हकदार हैं । सब मिलकर नहीं दें तब तक कुछ नहीं हो सकता है ।

श्री रामानंद अग्रवाल (अलवर): उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रांत में जो टेन्योर सिस्टम है उसको ध्यान में रखते हुए कोई भी रूल्स बनाने चाहिये । हमारे यहां यह सिस्टम है कि जोइन्ट खाते भी होते है जिसमें इस प्रकार बीड्स होते हैं कि उनका डिस्ट्रिब्यूशन नहीं होता है और रेकार्ड ऑफ राइट्स में इस तरह उनका शेयर लिखा हुआ है तो उस शेयर के हिसाब से लैण्ड मोर्टगेज मान लेना चाहिये । खसरा नम्बर अलग हो, यह जरूरी नहीं होना चाहिए । जब तक वह नहीं करेंगे तब तक लैण्ड मोर्टगेज बैंक का इस लैण्ड सिस्टम से कोई काम नहीं हो सकता है ।

श्री भीमसिंह: शेयर्स के लिए बहुत सी दरख्वास्तें आई हैं । एक आदमी का १।३ शेयर है और खसरे नम्बर सहित दरख्वास्त देता है तो १।३ मोर्टगेज हो सकती है ।

श्री रामानंद अग्रवाल: शेयर तो सही हैं, लेकिन बैंक के जो रूल्स हैं वे यह कहते हैं कि शेयर नहीं बल्कि खसरा नम्बर अलग होना चाहिये । रूल्स के अन्दर सुधारने की आवश्यकता है । जब तक आप रूल्स को इस तरह से नहीं सुधारेंगे कि उसका शेयर मोर्टगेज हो सकता है तब तक इस बात की दिक्कत होगी खास तौर से अलवर, भरतपुर और गंगानगर में ।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न समाप्त हुए ।

(अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री उपाध्यक्ष : Order please Only one question more.

श्री श्योपत सिंह : ये कब मिले ?

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : Point of order, Sir. The Chair has given the order that the Question Hour is over.

श्री उपाध्यक्ष : No I have allowed him.

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : You are again relaxing it?

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) The Chair should never be addressed as 'you'.

श्री श्योपतसिंह : दर्ख्वास्त के कितने साल बाद रुपये भर दिये ?

श्री भीमसिंह : तारीख मांगते तो जरूर निवेदन करता, लेकिन तारीख आपने मांगी नहीं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (आसींद) : क्या . . . .

श्री उपाध्यक्ष : Order please!

श्री गिरधारी लाल व्यास: एक प्रश्न मेरा भी है ।

श्री उपाध्यक्ष: No more questions.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें जो स्थगित प्रश्न प्रिन्ट हुए हैं वे अध्यक्ष महोदय आदेश देते हैं उनके आधार पर होते हैं । इनका जवाव अगर नहीं दिया गया तो नोरमल प्रोसिजर में लेप्स हो जायेंगे, इसलिये एडजोर्न्ड प्रश्नों के लिये एक दिन या दो दिन में आने का समय निश्चित कर दिया जाय, वरना इनका जवाब नहीं आयगा ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रयत्न यह किया जायगा कि स्थगित प्रश्न जहां तक हो सके लिये जायेंगे ।

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिये कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

(३·५१ म० प०)

कार्य सलाहकार समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर सहमति ।

विधि मंत्री (श्री मथुरादास माथुर): में कार्य सलाहकार समिति के ११ वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि कार्य सलाहकार समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन . . . . . .

श्री मथुरा दास माथुर : में प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है ।

श्री केसरी सिंह (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इस प्रतिवेदन में डिक्लेरेशन ऑफ कृषि निपुण रूल्स के लिये आध घन्टे का समय रखा है वह पर्याप्त नहीं है । ये कम्पलीकेटेड रूल्स हैं इसलिये कम से कम इनके लिये एक घंटे का समय रखना चाहिये ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : मैं, माननीय सदस्य ने जो निवेदन किया है, उसका मैं पूरा समर्थन करता हूं ।

श्री मथुरादास माथुर: मेरा ख्याल है, आध घन्टे में खत्म कर देंगे । As it is expected that the Government will accept most of the rules.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन जो उपस्थित हुआ है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रतिवेदन स्वीकार किया गया ।

गैर सरकारी संकल्पों की प्रस्तुती सम्बन्धी वाद–विवाद

अब प्राइवेट मेम्बर्स रिजोल्यूशन्स लिये जायंगे, उनके लिये में निवेदन करूंगा कि प्रथम

रिजोल्यूशन है उसके लिये ५॥ बजे तक का समय रहेगा । द्वितीय रिजोल्यूशन के लिये ७ बजे तक का समय रहेगा और तृतीय रिजोल्यूशन के लिये ७ से ८ बजे तक का समय रहेगा । मैं समझता हूं माननीय सदस्य और प्रस्तुत कर्ता इस समय को ध्यान में रखते हुए अपने भाषण समाप्त करेंगे ।

श्री अब्दुल जब्बार(निंबाहेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, तृतीय प्रस्ताव जो उपस्थित है उसके लिये कम समय रखा है ।

श्री उपाध्यक्ष: मैं कार्य सलाहकार समिति की सिफारिश से बंधा हुआ हूं । इसके अलावा सदन के सामने और भी कई कार्य हैं उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा । जितना समय है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा ।

श्री रामकिशन ।

(३·५३ म० प०)

न्यायालयों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग अविलम्ब बन्द करने एवं हिन्दी में कार्य चलाने सम्बन्धी गैर सरकारी संकल्प ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : On a point of order, Sir. इससे पहले कि मेरे माननीय मित्र अपना प्रस्ताव पेश करें मुझे इसके बारे में एक वैधानिक आपत्ति है और मैं समझता हूं वह ठीक लगती है । पहली बात तो यह है कि यह रिजोल्यूशन जो माननीय सदस्य ने रक्खा है वह रिजोल्यूशन बहुत वेग है और सभी अदालतों के बारें में है । और दूसरी आपत्ति यह है कि यह रिजोल्यूशन आर्टिकल ३४८, कांस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया का है उसको हिट करता है । आर्टिकल ३४८ कांस्टीट्यूशन का है उसके मुतल्लिक, जहां तक अदालत का प्रश्न है उसमे सभी अदालतें आती हैं, जिसमें हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान भी शामिल है । आर्टिकल ३४८ के प्रोविजन्स इस प्रकार हैः–

"Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Part, until Parliament by law otherwise provides:

(a) all proceedins in the Supreme Court and in every High Court ....shall be in the English language."

तो पहली चीज जो आर्टिकल ३४८ रिक्वायर करता है वह यह है कि हाई कोर्ट का काम, जब तक पार्लियामेन्ट कोई दूसरा लॉ पास नहीं करदे तब तक इंग्लिश में जारी रहेगा। इसके बाद इसका सब-क्लाज (२) है जो कि इस तरह से रीड करता है :

"(2) Notwithstanding anything in sub-clause (a) of clause (1), the Governor of a State may, with the previous consent of the President, authorise the use of the Hindi language, or any other language used for any official purposes of the State, in proceedings in the High Court having its principal seat in that State:

Provided that nothing in this clause shall apply to any judgment, decree or order passed or made by such High Court."

तो यहां "Governor, with the previous consent of the president", ऑर्डर कर सकता है कि हाई कोर्ट का काम सिवाय जजमेन्ट, ऑर्डर और डिक्री के अलावा हिन्दी में किया जाय। माननीय सदस्य ने रिजोल्यूशन में यह रखा है "यह सदन यह सिफारिश करता है कि राष्ट्रपति की आज्ञा

से राज्य की सभी अदालतों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग तुरन्त बन्द कर दिया जाय और अदालती कार्य हिन्दी में चलाया जाये"।

सब अदालतों में हाई कोर्ट भी शामिल हैं, अंग्रजी भाषा तुरन्त बंद करदी जाय, इसमें जजमेन्ट, ऑर्डर और डिक्री शामिल हैं। वह आर्टिकल ३४८ की लेंग्वेज को हिट करता है; इसलिये हमें अधिकार नहीं है कि इस प्रकार का रिजोल्यूशन हम पास करदें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी वाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी बूंदी से आनेवाले माननीय सदस्य ने, वैर से आनेवाले माननीय श्री रामकिशनजी ने जो संकल्प रखा है उसके संबंध में वैधानिक आपत्ति की है। मैं इस संबंध में आप का ध्यान राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम बने हैं उसके नियम ११० की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। चेप्टर १२ में जो रिजोल्यूशन के बारे में व्यवस्था है उसका क्लॉज ११० यह कहता है:–

" (1) The Speaker shall decide whether a resolution or a part thereof is or is not admissible under these rules and may disallow any resolution or a part thereof when in his opinion it is an abuse of the right of moving a resolution or is calculated to obstruct or prejudicially affect the procedure of the House or is in contravention of these rules:

Provided that the Speaker may, in his discretion, amend the resolution in form or give the member concerned an opportunity of amending it."

नियम ११० के आधीन अध्यक्ष महोदय ने अपनी स्वीकृति प्रदान करदी है और उसको एडमिट कर लिया है। मैं समझता हूं यदि यह नियम के विरुद्ध होता तो एडमिट नहीं करते। दूसरा जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया कि हाई कोर्ट का काम भी हिन्दी भाषा में किया जाय तो यह रिजोल्यूशन इस रूप में एमेण्ड हो सकता है। मेरा निवेदन यह है कि नियम ११० के आधीन अध्यक्ष महोदय ने स्वीकृति देदी है इसलिये माननीय सदस्य की आपत्ति ठीक नहीं है।

यह रिजोल्यूशन रिकमन्डेशन के तौर पर है। बहुत से रिजोल्यून्स ऐसे होते हैं जो स्टेट गवर्नमेन्ट पर बाइन्डिंग होते हैं, लेकिन यह बाइन्डिंग नहीं है। इसमें यह लिखा है कि यह सदन यह सिफारिश करता है कि राष्ट्रपति की आज्ञा से राज्य की सभी अदालतों में अंग्रेजी भाषा तुरन्त बंद करदी जाय और काम हिन्दी में चलाया जाय। यह रिकमन्डेशन के तौर पर निवेदन कर रहे हैं। यह निवेदन कई बार संविधान के प्रतिकूल भी हो सकती है और हम राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकते हैं कि ऐसा किया जाय। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि यह रिकमन्डेशन हो सकती है। इस संबंध में वैधानिक आपत्ति नहीं है। विधान सभा द्वारा तुरन्त पास होते ही यह लागू नहीं होगा। इसे पास करने के बाद यह राष्ट्रपति के पास भेजा जायगा। यदि संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता हुई तो राष्ट्रपति व्यवस्था करेंगे। यदि यह संकल्प पास भी कर दिया जाय तो पारित करने के बाद न्यायालयों पर तुरन्त लागू नहीं होगा। यह तो केवल रिकमन्डेशन है। यदि उचित प्रतीत हुआ तो राष्ट्रपति व्यवस्था करेंगे। इसलिये मैं समझता हूं, बूंदी के

माननीय सदस्यों ने जो आपत्ति प्रस्तुत की है वह कोई बड़ी आपत्ति नहीं है। माननीय सदस्य घबरा गये, उनको बड़ी भारी मोटी आपत्ति लगी, लेकिन मैं कहूंगा कि बड़ी भारी आपत्ति नहीं है, छोटीसी आपत्ति है; इसलिये इसे नामंजूर किया जाय।

(४ म०प०)

श्री मथुरेश बिहारी माथुर (वांदीकुई): अध्यक्ष महोदय, इस रिजोल्यूशन पर बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अपना अ ॉबजेक्शन दिया है उसका समर्थन करते हुए मैं सदन के सामने इस विषय का जवाब दूंगा कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो रूल ११० की तरफ ध्यान आकर्षित किया है वह यह है कि माननीय अध्यक्ष की ओर से किसी रिजोल्यूशन को अमेंड करके सदन में लाने की इजाजत तक सीमित है। लेकिन सदन की पैरामाउंट पावर्स हैं। अगर सदन के अंदर कोई आबजेक्शन रेज करता है और अगर वह संविधान से टक्कर खाता है तो रूल ११० उसमें अड़चन नहीं डालेगा। आज सदन की जो पैरामाउन्सी है उसका एक रूल स्पीकर को अलाउ करता है। वह वैधानिक आपत्ति उठाई गई है।

दूसरी बात बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने आर्टीकल ३४८ के बारे में कही। मैं उसका भी समर्थन करता हूं। विधान के आर्टीकल ३४८ में गवर्नर को पावर्स हैं और विधान सभा को या स्पीकर को कोई पॉवर नहीं दी तो गवर्नर ही अदालतों के मुतल्लिक कोई आर्डर दे सकता है। आर्टीकल यह भी बतलाता है कि दोनों भाषाएं विधान के अनुसार अलाउड हैं। तो उसके लिए केवल एक लेंग्वेज के लिए सीमित करते हुए सिफारिश करने के लिए जो प्रस्ताव है वह आर्टीकल ३४८ को हिट करता है। तो इस तरह की सदन के अंदर काम्पीटेन्सी नहीं है संविधान के किसी आर्टीकल को हिट करते हुए अगर कोई चीज आये तो उसको हम यहां डिस्कस कर सकते हैं इन दोनों का आपने एक जवाब और दिया कि इस रिजोल्यूशन की भाषा ऐसी है कि अगर उसको स्पीकर महोदय चाहें तो अभी भी उसका संशोधन कर दें। मैं इस दलील का मतलब नहीं समझा। एक दफा आपने दलील दी कि सदन में यह चीज आ गई, इसलिये स्पीकर महोदय उसको अमेंड करके दुवारा लाये, तो यह भी किसी रूल के मुताबिक नहीं आता।

तीसरी बात सिफारिश करने की है। इसके बारे में जो वैधानिक आपत्ति उठाई गई है इसका भी मैं समर्थन करता हूं और मेरी मान्यता है कि विधान के अनुसार इस पर विचार नहीं किया जा सकता।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री शिक्षा): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने लीगल पोजीशन को देखा है रूल ११० के अंतर्गत। उस संबंध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह मान लीजिए कि उपाध्यक्ष महोदय ने इस रिजोल्यूशन को एडमिट कर लिया अंडर रूल ११०, तो जैसे माननीय सदस्य ने कहा, यह सदन सुप्रीम बोडी है और वह एडमिशन एक प्रिलिमिनरी ऐडमिशन है। इसका मतलब यह नहीं निकाला जा सकता कि कोई चीज यदि इल्लीगल है तो सदन उसकी इल्लीगलिटी के ऊपर विचार नहीं कर सकता है, ऐडमिसि-बल्टी को चेलेंज नहीं कर सकता है। इसलिये मैं यह निवेदन कई ऑबजर्वेशन्स के आधार पर कर रहा हूं कि अगर कोई इन एडमिसिबल मोशन भी लिया हो तो सदन के सम्मुख इसको ओपन कर सकते हैं, सदन सुप्रीम बोडी होने के नाते। यही नहीं, अगर कोई इस तरह का डिसीजन अध्यक्ष महोदय या चेअर की ओर से हो गया हो जो सदन समझता

हो कि हमारी कम्पीटेन्स के अंतर्गत है, तो अपील इस संबंध में सदन के सामने हो सकती है। इस संबंध में प्रेसिडेन्ट्स और ऑबजर्वेशन्स मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस में कई मिलेंगे।

इसलिए मेरा निवेदन है कि चाहे माननीय अध्यक्ष महोदय ने इसको एडमिट किया यह मानते हुए कि वह एडमिशन प्रिलिमिनरी स्टेज का है तो उसका मतलब यह नहीं हो सकता कि सदन को इस लीगल क्वेशचन को ओपन करने का अधिकार न हो।

दूसरा, रिजोल्यूशन के संबंध में मैं अर्ज करूं, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा यह रिजोल्यूशन इम्प्रेक्टीकेबल है और in contravention of these Rules of Procedure है। जिसका बाई इम्पलीकेशन यह मतलब हुआ कि against the Constitution itself है ऐसी सूरत में यह रिजोल्यूशन व्यवहारिक नहीं।

इसकी भाषा को देखिए "यह सदन सिफारिश करता है कि राष्ट्रपति की आज्ञा से"....मान लीजिए कि इस रिजोल्यूशन को यह सदन स्वीकार कर ले तो ये वाक्य "सदन यह सिफारिश करता है कि राष्ट्रपति की आज्ञा से राज्य की सभी अदालतों में..." "इससे तात्पर्य यह होगा कि प्रस्ताव द्वारा we have taken the 'orders' of President."

यह हमारे कॉन्स्टीट्यूशन की धाराओं पर आघात है। रूल ११० में एडमिसिबिलीटी का भी प्रश्न है और साथ ही यह रिजोल्यूशन संविधान की धाराओं के विरुद्ध जाता है, जैसा माननीय सदस्य ने कहा।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): अभी तीन माननीय सदस्यों ने इस रिजोल्यूशन को अनकॉन्स्टीट्यूशनल होने के बारे में अपनी राय जाहिर की है। कॉन्स्टीट्यूशन का हवाला दिया और यह कहा गया कि हाई कोर्ट की लेंग्वेज अंग्रेजी हो सकती है और यदि वह लेंग्वेज बदली जाय तो गवर्नर साहब की परमीशन से बदली जा सकती है और इस संबंध में वह आदेश जारी कर सकते हैं प्रेसीडेंन्ट की अनुमति से।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि यह प्रस्ताव सिर्फ हाई कोर्ट की लेंग्वेज और उसके जजमेंन्टस और डिक्रीज की लेंग्वेज को बदलने के लिए ही नहीं है। हाई कोर्ट के अलावा हमारे प्रांत में जो सैकडों हजारों अदालतें हैं। एस० डी० ओज० के आफिसेज हैं, मुन्सिफ हैं, सिविल जजेज हैं, डिस्ट्रिक्ट जजेज हैं-उनकी भाषा और उनके जजमेंटस की भाषा को वदलने के लिए कोई रोक टोक संविधान के तहत नहीं है। माननीय सदस्यों ने अपना सारा ध्यान हाई कोर्ट की ओर केंद्रित कर दिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य में सिर्फ ५ प्रतिशत व्यक्ति ही हाई कोर्ट में लिटीगेशन करते हैं जब कि ६५ प्रतिशत व्यक्ति ऐसे हैं जिनको राजस्थान के नीचे की अदालतों में काम पड़ता है। इसलिए यह प्रस्ताव तो सारी अदालतों को कवर करता है। तो यदि पांच प्रतिशत अदालतों की भाषा नहीं बदल सकते हों और उसमें यदि गवर्नर की परमिशन की आवश्यकता हो या प्रेसीडेंट की अनुमति आवश्यक हो तो बाकी की अदालतों में हिंदी हो सकती है।

दूसरा निवेदन है कि हमने इस रिजोल्यूशन में विशेष तौर से डाल दिया है कि प्रेसीडेंट की अनुमति से सारी अदालतों के काम काज की भाषा हिंदी कर दी जाय। उसका स्पष्ट मतलब यह है कि यह रिजोल्यूशन

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

प्रेसीडेंट महोदय तक जायगा। उसके बाद यदि कोई कॉन्स्टीट्यूशनल धाराएं उसमें बाधक होंगी तो वे इसको उस हद तक ही ऐक्सेप्ट करेंगे, जहां तक वह संविधान की धाराओं को हिट नहीं करता। इसलिए यह रिजोल्यूशन हाई कोर्ट के अलावा और अदालतों के लिए तुरंत मन्जूर कर सकते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हाई कोर्ट में जाने वाले जो पांच प्रतिशत लोग हैं उसमें कानूनी अड़चन है, लेकिन यह कहना कि इस वजह से सारी अदालतों की भाषा नहीं बदली जा सकती, यह गलत दृष्टिकोण होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मदन की कम्पीटेन्स को चैलेन्ज करने का प्रश्न उपस्थित नहीं करता, यह सदन सभी द्वारा सोवरिन माना जाता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि संसदीय परम्पराओं के अनुसार किसी भी रिजोल्यूशन के एडमीशन के वक्त उसमें अड़चन डालना न तो संसदीय परम्पराओं को मजबूत करता है और न उनका पोषण करता है। उस रिजोल्यूशन पर सदन विचार करे और यह सदन का अधिकार है कि विचार करने के बाद वह उसे रिजेक्ट करे या नहीं। इसके अलावा कॉंग्रेस पार्टी की नीति का जहां तक सवाल है, जहां तक मैं उसे समझता हूं और जो मैं अखबारों में पढ़ता हूं, कांग्रेस और कांग्रेस सरकार ने सर्क्यूलर जारी किया है कि हिन्दी में जजमेंट लिखें। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी यह फैसला ले कि यह अनकान्स्टीट्यूशनल है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो सर्क्यूलर कांग्रेस सरकार ने निकाला है वह संविधान की भावना के खिलाफ निकाला है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रिजोल्यूशन के एडमीशन की स्टेज पर इस तरह की अडचन डालना संसदीय परम्पराओं के अनुकूल नहीं है। कान्स्टीट्यूशन इसमें बाधक नहीं है। हाई कोर्ट का जो प्रश्न है, वह प्रेसीडेंट की आज्ञा से सम्बन्धित है और इसलिए इसे उस हद तक एक्सेप्ट करेंगे। जहां तक संविधान का प्रश्न है, यह संविधान के प्रतिकूल नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : जो कान्स्टीट्यूशनल होने या न होने का प्रश्न है उसके बारे में व्यवस्था हो चुकी है कि अगर अनकॉन्स्टीट्यूशनल है तो भी उस पर लेजिस्लेशन बना सकते हैं, There are such rulings. आप जब भूतपूर्व उपाध्यक्ष थे, उस समय व्यवस्था दी है कि अनकान्स्टीट्यूशनल है तो हाउस लेजिस्लेशन बना सकता है।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा): याददाश्त आप तेज रखते हैं। कभी रेफरेन्स तो रखते नहीं, याददाश्त तेज रखते हैं।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक एडमिसिबिलिटी का सवाल है, वहां तक इस सम्बन्ध में जो माननीय सदस्य ने राय रखी है कि वैधानिक प्रश्न के ऊपर यह सदन अपने आपकी कोई भी राय रख सकता है और स्पीकर महोदय ने इस प्रश्न को, इस रिजोल्यूशन को एडमिट किया है – इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करता हूं कि जो रूल ११० है वह सिर्फ निगेटिव एप्रोच रखता है। वह रूल कहता है कि स्पीकर किसी रिजोल्यूशन को एडमिट नहीं करना चाहे तो वह इन्टीमेट कर देगा। रूल ११० में निगेटिव एप्रोच है। पोजीटिव एडमीशन के लिए इसमें कहीं भी रेफरेन्स नहीं है। इसलिए रिजोल्यूशन को मंजूर नहीं करना चाहे तो स्पीकर इन्कार कर देगें, लेकिन स्पीकर द्वारा इन्कार नहीं किया जाना इस बात को जाहिर नहीं करता है

that the resolution has been rightly and constitutionally admitted. इसलिए जो रूल ११० है, उसका जो ड्राफ्ट है, वह जिस स्कीम ऑफ थिंग्स से बनाया गया है, उसके अन्दर निगेटिव एप्रोच है । अब पोजिटिव एप्रोच का प्रश्न है, उस प्रश्न को बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने सदन के सामने उठाया । उनके अनुसार विधान के मातहत जो रूल्स बने हुए हैं, उनकी भावना को देखते हुए अगर रिजोल्यूशन विधान की धाराओं के प्रतिकूल है तो माननीय उपाध्यक्षजी हमें यह मानना पड़ेगा कि वह रिजोल्यूशन अनकान्स्टीट्यूशनल होने की वजह से एडमिट नहीं हो सकता ।

दूसरा प्रश्न यह है कि प्रस्ताव की जो भाषा है, वह भाषा उस भावना के अनुसार है, जो कि उन माननीय सदस्य के दिमाग में थी जिन्होंने यह प्रस्ताव रखा है । अभी एक माननीय सदस्य ने यह तर्क दिया कि उसमें सिर्फ अदालतों का सवाल था और हाई कोर्ट के प्रश्न पर बहस क्यों की जाती है । इस सम्बन्ध में अपनी बात कहने से पहले मैं यह निवेदन कर दूं कि अभी कांग्रेस पार्टी की नीति का प्रश्न किया । जो माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न उठाया गया था, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी की नीति के बारे में कहा । जहां तक कान्स्टीट्यूशन का सवाल है, किसी व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत जानकारी की वजह से किसी प्रश्न पर कन्फ्यूज़न हो सकता है और वह एतराज उठा सकता है । जिन माननीय सदस्य ने अपनी राय रखी है वह व्यक्तिगत जानकारी की वजह से रखी है । इसलिए उनके एतराज को इस मायने में नहीं समझा जा सकता है कि इसमें किसी पार्टी की नीति का प्रश्न हो । अब मैं वह बात निवेदन करना चाहता हूं कि इनके दिमाग में, प्रस्ताव-कर्ता के दिमाग में यह था, कॉन्सस्टीट्यूशन का आर्टिकल ३४८ (२) इनके दिमाग में था और उनके दिमाग में भावना थी कि राष्ट्रपति की आज्ञा से हाई कोर्ट के अन्दर भी अंग्रेजी में जजमेंट, इन्क्लूडिंग डिक्रीज और आर्डर-ये भी होने चाहिए । यह प्रस्ताव से साफ जाहिर होता है कि यह हाउस कॉम्पीटेंन्ट है सिफारिश करने के लिए । जो वैधानिक आपत्ति उठाई गई है वह यह है कि अगर हम कोई अवैधानिक सिफारिश करें संविधान में तरमीम करने के लिए तो वह सिफारिश करने का अधिकार हमें नहीं है । हां, अगर संविधान में तरमीम करे पार्लियामेंट और उस पर हमारी राय पूछी जाय तो हम अपनी राय और विचार दे सकते हैं और कॉन्स्टीट्यूशन की यही स्कीम आफ थिंग्स है । इसलिए आज के दिन जब कोई ऐसा प्रश्न नहीं है तो इसके बारे में विचार करना सदन के कॉम्पीटेन्स में नहीं है । इस रिजोल्यूशन के अन्दर ये शब्द हैं कि राष्ट्रपति की आज्ञा से राज्य की सभी अदालतों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग तुरन्त बन्द कर दिया जाय - इन लफ्ज़ों का प्रयोग किया गया है, the resolution as it is constituted, यह अनकॉन्स्टीट्यूशनल है, इसलिए रिजोल्यूशन पर इस भाषा में नहीं विचार किया जा सकता । हो सकता है कि दूसरी भाषा में वे यदि कहें कि हाई कोर्ट को छोड़कर जो सबोर्डिनेट कोर्टस हैं, उनके अन्दर हिन्दी काम में लाई जाय- तो सदन उस पर विचार कर सके । लेकिन वह दूसरा प्रश्न है । इसलिए मेरे ख्याल से जो माननिय प्रस्तावक महोदय हैं वे इसे रीड्राफ्ट करके और रीकान्सटीटयूट करके रखें । अभी जो उन्होंने रखा है उसका दूसरा मतलब हो जाता है । वैसे मैं आपको अर्ज कर दूं, हिन्दी के लिए हमारा विरोध नहीं · · ·

Page No 42

श्री रामकिशन (वैर) : मैं बतलाऊंगा कि हिन्दी के आप क्यों विरोधी हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : प्रस्ताव कॉन्स्टीट्यूशनल हो जायगा और आप अपनी बात रख देंगे तो उसका जवाब दे देंगे ।

श्री रामकिशन : जवाब तो दे रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : हिन्दी पर किसी पार्टी की ठेकेदारी नहीं है और कोई जोर से बोलने से ही हिन्दी के पक्ष में नहीं हो जाता . . . . .

श्री रामकिशन : आपकी ठेकेदारी तो है ?

श्री मथुरादास माथुर : प्रस्ताव की भाषा ऐसी है, जो प्रस्ताव को गैर कानूनी, गैर वैधानिक बनाती है, इसलिए उनका एतराज इसके एडमीशन के बारे में है; Rule 199 (v):

"(v) it shall not relate to any matter which is not primarily the concern of the State Government;"

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कौनसा रूल पढा ?

श्री मथुरादास माथुर : Rule 109 (v).

अब इससे स्टेट गवर्नमेंट का कन्सर्न नहीं रहता . . .

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कौनसा रूल पढ रहे हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : १०९ का सब क्लाज (५)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या बात कर रहे हैं ? १०७ और पढ लीजिये । १०७ में क्या लिखा हुआ है ?

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! let him say.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : This resolution, as it is constituted, १०७ के तहत रिकमन्डेटरी रिज़ोल्यूशन वह है ।

श्री मथुरादास माथुर : वह हो सकता है, अगर उसकी रिकमन्डेशन स्टेट गवर्नमेंट ऑपरेट कर सके । आपका प्रस्ताव यह कहता है कि राष्ट्रपति की आज्ञा से/वह हाई कोर्ट के बारे में है । इसलिए आर्टिकल ३४८ को इन्फ्रिन्ज करता है । It infringes Article 348.

मैं नहीं कहता कि हिन्दी के प्रस्ताव या प्रश्न पर चर्चा नहीं कर सकते । लेकिन हाई कोर्ट के बारे में है, उससे यह ३४८(२) आर्टिकल है उसको इन्फ्रिन्ज करता है इसलिए एडमिसिबल नहीं है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: हाई कोर्ट की बेंच का रिज़ोल्यूशन इस हाउस में आया है रिकमन्डेशन करने के लिए । और हाई कोर्ट की बेंच का फैसला प्रेसीडेंट ऑफ इंडिया करता है । वह भी इस हाउस में डिस्कस हुआ है ।

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह इम्पॉर्टेन्ट क्वेश्चन है, यह रूल आउट नहीं हो सकता है । इस तरह का प्रश्न हाउस में आया है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : Point of order, Sir. No member can be permitted to speak twice.

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, ये व्यूज एक्सप्रेस की गई कि यह रिजोल्यूशन इनएडमिसिबल है । आपत्ति

(श्री नत्थीसिंह)

इस पाइन्ट को लेकर की गई कि यह कॉन्स्टीट्यूशन के खिलाफ है। मेरी राय में इस प्रकार की आपत्ति उठाना बिल्कुल गलत है। कॉन्स्टीट्यूशन के खिलाफ कौनसी चीज है और कौनसी नहीं है, यह रूलिंग देना या डिसाइड करना इस हाउस का काम नहीं है। जैसा कि हमारे इस सदन में जिस वक्त हमारे पी० डब्ल्यू० डी० मिनिस्टर ने एक आर्डीनेन्स पेश किया था उस वक्त यह प्रश्न उठाया गया था कि यह कानून के खिलाफ है, तो उस वक्त अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी थी कि कौनसा कानून के अनुसार काम है और कौनसा नहीं, कौनसा एक्शन कानून के अनुसार है और कौनसा नहीं, या कौनसा कॉन्स्टीट्यूशन के खिलाफ है और कौनसा नहीं, यह देखना कोर्ट का काम है और इसे कोर्ट डिसाइड करेगा। इसी तरह से यह रिज़ोल्यूशन, जो इस सदन में मूव हुआ है, वह कानून के मुताविक है या नहीं, इसको देखने के लिए कोर्ट कॉम्पीटेन्ट है और यह कोर्ट का काम है। सदन इसको डिसाइड करने के लिए काम्पीटेन्ट है। इसलिए किसी मोशन को इसीलिए रूल आउट नहीं किया जा सकता। यह इन्टरप्रिटेशन का सवाल है जिसको यह सदन डिसाइड नहीं करेगा।

दूसरा सवाल यह है कि आपने १०६(५) का हवाला दिया है। उसमें साफ कहा है कि स्पीकर को रूल १०७ के अन्डर में यह अधिकार है कि वह गवर्नमेंट को रिकमन्डेशन करे या "in any other form" रिज़ोल्यूशन हो तो उसको एडमिट करे। यह राष्ट्रपति को सिफारिश की जा रही है, यह किसी तरह से संविधान की अवहेलना नहीं करता और न संविधान के खिलाफ है, न रूल १०७ के खिलाफ है। सब तरह से उसके प्रोविजन्स के अन्तर्गत है। स्पीकर साहब ने सही तौर से इसे एडमिट किया है और एडमीशन को चैलेंज करने की यहां इजाजत नहीं देनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने यह आपत्ति उठाई है कि जो रिजोल्यूशन माननीय श्री रामकिशन ने प्रस्तुत किया है वह विधिवत् नहीं है क्योंकि वह आर्टिकल ३४८ ऑफ कॉन्स्टीट्यूशन के बरखिलाफ जाता है और इस संदर्भ में रूल ११० को भी कोट किया गया एडमिसिबिलिटी के सम्बन्ध में, जिसे कि प्रिलिमिनरी एडमीशन माना जाता है।

इस आर्टिकल के क्लाज (२) में यह स्पष्ट है:

"(2) Notwithstanding anything in sub-clause (a) of clause (1), the Governor of a State may, with the previous consent of the President, authorise the use of the Hindi language, or any other language used for any official purpose of the State, in proceedings in the High Court having its principal seat in that State."

गवर्नर का अर्थ यह है कि वह हेड ऑफ दी स्टेट, इस माने में कि वह प्रेसीडेन्ट की तरफ से यहां स्टेट के लिये डेलीगेटेड ऑथोरिटी है और फेडरेशन के प्रिन्सीपल के आधार पर गवर्नर को कुछ अधिकार दिये गये हैं और यह बता दिया गया है कि वह फलां फलां मामलों में कानून बना सकता है। उतने मामलों तक गवर्नर हेड ऑफ दी स्टेट है। गवर्नर यहां प्रीवियस कन्सेन्ट ऑफ दी प्रेसीडेन्ट से विशेष प्रकार से, जैसा कि इस आर्टिकल के क्लाज (२) में दिया हुआ है कर सकता है। जहां गवर्नर का सवाल आता है वह अब लेजिश्लेशन के साथ है और लेजिशलेशन गवर्नर

को राय बनाने में इमदाद दे सकती है, इस दृष्टि से अगर लेजिशलेशन में इस प्रकार का कोई रिज़ोल्यूशन ओरिजिनेट होता है तो वह केवल गवर्नर को राय देने जैसा रिज़ोल्यूशन होगा और दूसरी चीज यह भी है कि जो यह प्रस्ताव इस समय में रखा गया है वह केवल रिकमन्डेटरी है, वह रिकमन्डेटरी अधिकार ३४८ में मौजूद है और जो रूल १०६ (५) कोट किया है "(v) it shall not relate to any matter which is not primarily the concern of the State Government" तो मैं समझता हूं कि जब तक यह रिज़ोल्यूशन जिस प्रकार से यहां आया है वह स्टेट की कन्सर्न से परे हो ऐसी बात नहीं बनती जिससे इसकी रोक हो । इसलिए मैं समझता हूं कि यद्यपि इस रिज़ोल्यूशन की भाषा कुछ सुधारने लायक है, फिर भी इस रिजोल्यूशन पर विचार करने का अधिकार इस सदन को है और इस विषय में, यह स्पष्ट राय स्पीकर महोदय को भी दी गई है, उसे पढ कर सुनाता हूं: "In this connection attention is invited to Article 348 (1) of the Constitution of India, which provides that until Parliament by law otherwise provides, all proceedings in every High Court shall be in the English language. But in clause (2) of that Article, it has been provided that the Governor of the State may, with the previous consent of the President, authorise the use of the Hindi language in proceedings in the High Court having its principal seat in that State. This would, however, not apply to any judgment, decree or order passed or made by such High Court.

In view of this, the resolution seems to be admissible."

तो जो गवर्नर सिफारिश करेगा प्रेसिडेन्ट को वह सदन में जो प्रस्ताव प्रस्तुत होता है उसी को लेकर करेगा । इस दृष्टि से जो रिजो-ल्यूशन यहां रखा गया है उसको मैं एडमिसिबल मानता हूं और इसको डिस्कस किया जावे ।

राज्य में अदालती कार्य अंग्रेजी में अविलंब बन्द करने एवं हिन्दी में चलाये जाने सम्बन्धी गैर सरकारी संकल्प

श्री रामकिशन (वैर) : आपने पहले १।। घन्टा इसके लिये रखा था । इसके बाद में आधा घन्टा तो यों ही चहला गया ।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : समय तो निश्चित कर दिया था वही रहेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : समय तो बढ़ नही सकता ।

श्री रामकिशन : समय आध घन्टे का तो इस प्रकार की बहस में चला गया ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको १५ मिनट का समय और दे दूंगा ।

श्री रामकिशन (वैर): संकल्प इस प्रकार है:

"सदन यह सिफारिश करता है कि राष्ट्रपति की आज्ञा से राज्य की सभी अदालतों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग तुरन्त बन्द कर दिया जाये और अदालती काम हिन्दी में चलाया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात को कहते हुए बडा दुःख होता है कि जहां करोड़ों लोग हिन्दी में बोलते है और यहां राजस्थान की जनता जो शत प्रतिशत हिन्दी भाषी है यहां पर भी इस प्रकार का प्रस्ताव लाना पड़ता है कि राज-काज की भाषा हिन्दी हो । सरकारी पक्ष की तरफ से जो वैधानिक उलझने बताई गई, उनके लिये मैं नहीं कहना चाहता हूं कि उन्होंने कानूनी ढंग से उलझने पैदा की या उनकी पार्टी का कोई मत था । लेकिन मेरे इस

(श्री. रामाकिशन)
बात का दुख हुआ जब कि स्वतन्त्र पार्टी के सदस्य ने भी कांग्रेस का समर्थन किया। मेरा प्रस्ताव हिन्दी के लिये है और यह चाहता हूं, कि प्रादेशिक भाषा हिन्दी हो। हिन्दी के प्रति जो विरोध है वह अग्रेंजी पढ़े लिखे लोगों का है और अग्रेजी पढ़े लिखे लोगों का एक ऐसा वर्ग है जो ३०–४० लाख लोगों का है जो मुल्क के ३३ करोड़ लोगों की जुबान काटना चाहते हैं। वे अंग्रेजी इसलिए चाहते हैं कि सारी सत्ता उनके हाथ में रहे, जिस तरह से अंग्रेज चाहते थे। वे नहीं चाहते कि हिन्दी का प्रचलन हो क्योंकि हिन्दी का प्रचलन होने से सत्ता उनके हाथों से छिन जायेगी। अंग्रेजी अभिजात्य वर्ग की भाषा है।

आपने कहा कि हाई कोर्ट में अंग्रेजी हटाने की बात थी। मैं सही कहता हूं कि यह बात मेरे दिमाग में अभी भी है। अभी कृषि मंत्री व मुख्य मंत्री विदेशों की यात्रा करके आये हैं और वे इस बात को भली भांति जानते हैं कि हिन्दुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां पर दूसरी भाषा में राज-काज होता है। बाकी किसी भी देश में दूसरी भाषा में राज्य का काम-काज नहीं होता। गृह मंत्रीजी ने कहा कि आपने हिन्दी का ठेका ले रखा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम हिन्दी के ठेकदार नहीं हैं और मैं यह समझता हूं कि कोई भी आदमी आज हिन्दुस्तान में यह भी नहीं कह सकता कि हम अंग्रेजी के ठेकेदार हैं।

आज देश को आजाद हुए १५ वर्ष हो गये, लेकिन हिन्दी अभी तक राज्यभाषा नहीं बनाई गई है और राज-काज में अधिकार नहीं मिल रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारा राज-काज चाहे केरल में हो, बिहार में हो, चाहे राजस्थान में हो, अग्रेंजी पढ़े लिखे लोगों के हाथ में है और वे यह चाहते हैं कि अगर हिन्दी भाषा राज-काज के लिये करदी गई तो जो लोग आज कुर्सीयों पर बैठे हुए हैं उन पर नहीं रह पावेंगे। उनकी जगह दूसरे ही होंगे।

आप कहते हैं कि दक्षिण के लोग इसके खिलाफ हैं, मगर मैं कहूंगा कि 'अंग्रेजी हटाओ' सम्मेलन, पूना में श्री राम बाबू ने कहा कि मैसूर में कन्नड़ आनी चाहिये। द्रविड के जो तामिलनाड के मंत्री हैं उन्होने कहा कि अंग्रेजी हटाओ और तामिल चलाओ। इसका विरोध केवल बड़े बड़े लोग ही करते हैं। इसका विरोध करते हैं पंडित नहरु और श्री राजगोपालाचारी और यहां माथुर साहब, बरकतुल्लाखां साहब और कई साहब हैं जो अंग्रेजी रहे इसके लिये कहते हैं। . . . .

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष, मैं कहूंगा कि आप अपनी राय तक ही सीमित रहें। दूसरों को इसमें न लें। जैसा अभी आपने कहा, ऐसे लोग जैसे माथुर साहब वगैरा।

आप हिन्दी के प्रति प्रेम दिखाने की भावना से भाषण दे रहे हैं, यह ठीक है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि हिन्दी का कोई विरोधी नहीं है। आप यह क्यों कहते है कि दूसरे हिन्दी नहीं चाहते हैं?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, केवल इतना ही ध्यान रखें कि दूसरे नामों को इसमें न घसीटा जाए।

श्री रामकिशन: आपको इसमें गुस्सा नहीं आना चाहिये।

श्री मथुरादास माथुर: मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे दया आती है।

श्री उपाध्यक्ष: Hon. Members, it is not advisable. . . .

श्री रामकिशन : गवर्नमेन्ट को दया आ रही है। मैं यह कहूंगा कि हम जैसे गरीबों पर गवर्नमेन्ट को दया कब से आनी शुरु हो गई?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : आपने अभी जो व्यवस्था दी कि ११० में स्पीकर को अधिकार है...

अनेक माननीय सदस्य : इस पर निर्णय हो चुका है।

(शोरगुल)

आप व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Order please.

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं व्यवस्था को चैलेंज नहीं कर रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने इस बात को बताया कि रिज़ोल्यूशन जो पेश किया गया है उसकी लेंग्वेज डिफक्टिव है तो क्या इसको प्रस्तावक महोदय, स्पीकर या सदन के माननीय सदस्य, सुधार करके पेश करेंगे? मेरा इस संबन्ध में यह कहना है कि क्या प्रस्तावक महोदय इसमें एमेन्डमेंट करके इसको सदन में पेश करेंगे या सदन इसमें एमेन्डमेंट करेगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने केवल यही कहा है कि रूल ११० के मातहत जो स्पीकर ने एडमिसिबल समझा है, that was purely constitutional. और मैंने यही कहा है कि यदि इस रिज़ोल्यूशन में इस प्रकार की शब्दावली हो जो उचित नहीं है जिसको ठीक करना चाहिये, उसको यह सदन विचार करके ठीक कर सकता है। अब उचित और अनुचित का प्रश्न है वह सदन का है। जिसमें एडमिट हुआ है उसमें पेश करेंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा): उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि इस आसन ने यह ओबजेक्शन दिया कि कुछ खराबी है रिज़ोल्यूशन में...

श्री उपाध्यक्ष : आसन का यह आशय नहीं है कि यह खराब है। आसन तो केवल संदेह व्यक्त कर रहा है कि यह खराब हो सकता है, सदन के माननीय सदस्यों की राय में।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस आसन को अधिकार है। "Provided that the speaker may...."

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): On a point of order, Sir....

श्री उपाध्यक्ष: Order please! There is already a point of order.

श्री निरंजननाथ आचार्य : "Provided that the speaker may, in his discretion, amend the resolution in form or give the member concerned an opportunity of amending it." इसलिये आपके ओब्जर्वेशन की साया में मैंने निवेदन किया कि माननीय सदस्य को समझ लेना चाहिये। क्योंकि यह ठीक सा नहीं है। आसन इसमें सुधार करना उचित नहीं समझता तो माननीय सदस्य इसको अमेंड करके अच्छे फार्म में रक्खें ताकि इस पर अच्छी तरह विचार हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : यह एक बार रूल ११० के अन्तर्गत स्पीकर महोदय ने एडमिट कर लिया है, जैसी शब्दावली इसमें है उसी रूप में। इसमें जो आपत्ति उठाई गई उसका निराकरण कर दिया गया है। इसलिये जो रिज़ोल्यूशन प्रस्तुत है उसके सम्बन्ध में आपत्ति उठाने की आवश्यकता नहीं। इसमें माननीयस सदस्य चाहें तो संशोधन पेश कर सकते हैं।

श्री रामाकिशन : जहां तक इसकी वैधानिकता का सवाल है, यह विशेषज्ञों का काम है कि जानकारी करें और इसे कानून संगत बनायें। लेकिन एक बात इस मुल्क में तय हो जानी चाहिये कि जब तक देश का राज-काज का काम इसकी भाषा में नहीं चलेगा तब तक यह देश आगे नहीं बढ़ सकता ।

चीन ने आज हम पर आक्रमण किया, मैं नहीं चाहता कि सारे कारणों को गिनाऊं। उन कारणों में से एक कारण यह भी था कि हमने १५ साल तक विदेशी भाषा को चलाया लेकिन राज-काज में अपनी भाषा द्वारा जितने मिस्तरी, वैज्ञानिक और कारीगर चीन ने पैदा कर लिये उतने हम नहीं कर सके। तृतीय पंच वर्षीय योजना में सरकार ने लिखा है कि हमारे पास इतने टेक्नीशियन्स नहीं, मिस्तरी नहीं कि हमारे निर्माण-कार्य को चला सकें। तो एक बात यह भी समझ लेनी चाहिये कि जिस देश में जो भाषा होती है उस भाषा से उस देश में हर विषय का अच्छा शिक्षण दिया जा सकता है। इस देश में भाषा के प्रश्न को लेकर विवाद उठा । उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन है कि मेरी पार्टी और हम हिन्दी वाले नहीं, अंग्रेजी हटाने वाले हैं। हम कहते हैं कि तामिल नाड में तामिल में, राजस्थान में राजस्थानी में, आसाम में असमियां में, केरल में मलयालम में काम काज चले। हमारा काम हिन्दी को थोपना नहीं। भाषा के प्रश्न को लेकर उत्तर-दक्षिण के लोग इसलिये झगड़ रहे हैं कि छोटे आदमी शासन में न आ सकें, उस जगह की भाषा में काम होने लगा तो फिर नेहरु साहब, कॉल साहब का नम्बर नहीं आएगा, छोटे दलित लोगों में से ही नम्बर आयेगा। तामिल नाड में अगर तामिल में राज-काज होता है तो कामराज नाडार खत्म नहीं होते। इसका कारण यह है कि जब तक वहां की भाषा में राज-काज न हो बगैर पढ़े-लिखे, छोटे दलित वर्गों के लोग आगे नहीं बढ सकते। ये चव्हाण साहब बम्बई से आये, छोटी जाति से आये, इसलिये मोरारजी से अच्छे मुख्य मंत्री साबित हुए। तो इसके पीछे केवल भाषा का सवाल नहीं, इसके पीछे सवाल उन करोड़ों लोगों को जो सदियों से कुचले गये हैं उनको राज-काज का अधिकार दिलाना है। जब हमारी वाणी में राज-काज चलेगा तब छोटे लोग भी आगे बढ़ेंगे और शासन में आयेंगे।

एक प्रश्न खड़ा किया जाता है, और वह अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगों की तरफ से खड़ा किया जाता है, इसलिये मुझे उन पर तरस आता है। वे कहते हैं कि अंग्रेजी अन्तर्राष्ट्रीय भाषा है। यदि हमारे यहां अंग्रेजी नहीं रही तो हम वैज्ञानिक कहां से पैदा करेंगे? मैं पढ़े-लिखे लोगों से निवेदन करूंगा कि रूस आज वैज्ञानिक मामलों में सबसे आगे है और उनमें एक आदमी भी ऐसा नहीं है जो अंग्रेजी जानता हो। वास्तव में देखा जाय तो विज्ञान की तरक्की अपनी भाषा में ही ज्यादा होती है।

मैं एक रिपोर्ट लाया हूं जिसके अनुसार जो सबसे जटिल लिपि और सबसे जटिल भाषा संसार की है, वह चीनी भाषा है। हमारे यहां २६ अक्षर हैं और चीनी भाषा में ४०० अक्षर हैं। पर वे अपनी भाषा द्वारा ही गणित, साहित्य और विज्ञान की तरक्की कर रहे हैं और सभी जानते हैं कि हमारे यहां छात्रों का क्या होता है। किसी गांव वाले के बच्चे से पूछो कि किसमें फेल हुए तो वह कहता है कि इतिहास ठीक था, साहित्य ठीक था, पर अंग्रेजी में फैल हो गया। क्यों नहीं हो, यहां उच्च वर्ग के लोग हैं वे अपने बच्चों को जन्म लेते ही डेडी मम्मी कहलाना शुरु कर देते हैं। छोटे वर्ग के लोग होते हैं उनको इसमें मुश्किल होती है।

Page No 48

मैंने अब की बार सब का रिजल्ट देखा है.

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपके वच्चे भी आपको डेडी कहते हैं।

श्री प्रतापसिंह (रानीखेड़ा) : बाबा कहते हैं।

श्री रामकिशन: इसका कारण यह है कि लार्ड मेकाले ओर डलहोजी के खानदान से उन्हीं का सम्बन्ध है और मैं साधारण खानदान से आय हूं।

श्री किशनसिंह बट्टड़ (लक्ष्मणगढ): आप छोटे वर्ग से हैं या बड़े वर्ग से ?

श्री निरंजननाथ आचार्य: बड़े वर्ग से हैं, पर बातें छोटी करते हैं।

श्री रामकिशन: आप बड़ी गम्भीरता से इसे लें। ५ लाख लड़के हाई स्कूल परीक्षा में बैठे, उनमें से दो लाख लड़के फेल हुए, उनमें से १७३ हजार केवल अंग्रेजी में फेल हो गये। कारण यह है कि विषय ज्ञान तो होता नहीं है, भाषा ज्ञान पर ही सारा जीवन समाप्त हो जाता है तो अंग्रेजी के माध्यम से साइंस, टेक्नोलोजी का ज्ञान हो सके यह असंभव है। छोटे २ देशों ने जहां कि राज-काज वहां की भाषा में होता है, हमारे मुकाबले ज्यादा वैज्ञानिक और इन्जीनियर पैदा किये हैं। इस सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है उसको देखेंगे तो पता चलेगा कि कितने वैज्ञानिक, इन्जीनियर हमने पैदा किये हैं और कितने दूसरों ने। इजराईल एक छोटा सा देश है, उसने हमसे ज्यादा वैज्ञानिक और इन्जीनियर पैदा किये। अर्जेन्टाइना हमसे बाद में स्वतन्त्र हुआ, वह हमसे ज्यादा वैज्ञानिक और इन्जीनियर पैदा कर रहा है। अभी जैसे माथुर साहब कह रहे थे हम भी अंग्रेजी जानते हैं, पर कांग्रेस में भी छोटे वर्ग के लोग हैं, लेकिन जो कांग्रेस का प्रस्ताव है साफ है. .

श्री मथुरादास माथुर : न कांग्रेस का प्रस्ताव है न विज्ञान का, न विद्यार्थियों का प्रस्ताव है। अदालतों में यह भाषा बन्द की जाय, इस पर आप बहस कीजिये। आप तो जैसे कोई चीज हमें पढाने जा रहे हैं। चर्चा यह की जाय कि हमारी अदालतों में अंग्रेजी भाषा बन्द की जाय, चाहे मुकद्दमा मुन्दर्जे अनवान बाला में चालू रहे, आपको तो अंग्रेजी बन्द कराना है।

श्री रामकिशन : इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं ? जवाब बाद में देने का आपको मौका है।

इसके पीछे राज-काज का सवाल है । तो मेरा निवेदन है कि इसका कोई राजस्थान में विरोधी नहीं होगा। कोई विरोधी नहीं है तो मैं प्रश्न पूछता हूं कि· · · ·

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): जो होम मिनिस्टर साहब ने कहा तो उपाध्यक्ष महोदय, यह किंग कांग का फ्री स्टाइल इस सदन में अलाउड है क्या ?

(विराम)

माननीय गृह मंत्री जी ने ओब्जेक्शन किया उस पर माननीय उपाध्यक्ष, आपके क्या कमेंटस हैं, यह फ्री स्टाइल किंग कॉंग का हाउस में अलाउड है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : No free style.

श्री रामकिशन: लोग समझ नहीं पाते। लोग फायदा नहीं उठा पाते। लगातार भाषण हुए। चाहे सरकारी पार्टी के नेता कहते हों, चाहे राज्य के बड़े कर्मचारी हैं वे कहते हों कि हम हिन्दी ला रहे हैं। लेकिन इसका नतीजा क्या होता है हिन्दी कभी आती

नहीं। यदि हिन्दी को आप एकदम लागू नहीं करेंगे तो हिन्दी कभी आयेगी ही नहीं। जिस समय हमारे देश में संविधान लागू किया गया था उस समय पांच लाख लोगों ने अंग्रेजी का इम्तिहान दिया था और आज उनकी संख्या ३५ लाख हो गई। सरकारी पार्टी जो यह कहती है कि हम देश में धीरे धीरे हिन्दी को लायेंगे तो उसका नतीजा यह निकलेगा कि अंग्रेजी के समर्थक बढ़ते जावेंगे और देश में हिन्दी कभी पूरे तौर से लागू हो भी नहीं सकेगी। अभी जो संविधान में इस सम्वन्ध में संशोधन किया गया है उससे भी देश में अंग्रेजी पढने वालों की संख्या ही अधिक बढ़ेगी और जो देश में हिन्दी को हम लागू करना चाहते हैं उसमें भी वाधा ही पड़ेगी। इस तरह से तो हम कभी भी देश को या राजस्थान को हिन्दी पढ़ा नहीं सकते। आज भी हम पाते हैं कि यहां पर १ परसेन्ट अंग्रेजी पायी जाती है। अगर यही क्रम रहा तो हम देश के अन्दर और खास कर राजस्थान के अन्दर ११० या १२५ वर्ष में भी हिन्दी पूरी तरह से लागू नहीं कर सकेंगे। यही हालत रही तो हम विज्ञान में भी दूसरे देशों का मुकावला नहीं कर सकेंगे। राजस्थान की अदालतों की भाषा और शिक्षा ये दोनों एक साथ जुड़ी हुई चीजें हैं। जव अदालतों में अंग्रेजी चलेगी तो शिक्षा में भी अंग्रेजी चलेगी। इसलिये मेरा पहला प्रस्ताव है कि अविलम्व राष्ट्रपति को यह सिफारिश की जाय कि न्याय पंचायतों से लगा कर हाई कोर्ट तक हमारी भाषा जो हिन्दी है उसको लागू किया जाय। राजस्थानी कोई भाषा नहीं है, यह तो एक वोली है, वोलने की रफ्तार है। मूल में तो हिन्दी है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम): राजस्थानी भाषा है।

श्री मथुरादास माथुर: किसी के जजवात को आप ठेस पहुंचा रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: आप क्यों प्रोवोक हो रहे हैं। दूसरों को भी क्यों प्रोवोक कर रहे हैं।

श्री रामकिशन: राजस्थानी कभी कोई भाषा नहीं। वह तो हिन्दी की ही रफ्तार है।

श्री निरंजननाथ आचार्य: युनिवर्सिटी में अलग विषय है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): राजस्थानी एक महान भाषा है।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत: राजस्थानी बोली नहीं है, भाषा है। डिंगल भाषा है बोली नहीं है।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर): राजस्थानी भाषा नहीं वोली है। वृज भाषा नहीं वोली है।

श्री उपाध्यक्ष: भाषा के प्रश्न में आप न जांय।

श्री मथुरादास माथुर: यह इन्सल्ट है राजस्थानी की।

श्री रामकिशन: मेरा निवेदन करना यह है कि राजस्थान में सरकार ने आज तक.....

श्री मथुरादास माथुर: विधान में भी नहीं है। राजस्थानी भाषा है, बोली नहीं है। आप सव के जजवात का ध्यान रखें।

श्री रामकिशन: गृह मंत्री जी मेरे से उम्र में वड़े हैं, लेकिन यदि इस प्रकार से आप इन बोलियों को ही भाषा मानने या कहने लग जायेंगे तो हिन्दुस्तान में २२४ वोलियां हैं वे सब भाषायें होंगी।

Page No 50

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप तो राजस्थानी भाषा का विरोध इसीलिये करते हैं . . .

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, इसमें काहे को उलझें।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत: आप हिन्दी के समर्थन में बोल रहे हैं या राजस्थानी के विरोध में ? आप अपने विषय पर बोलें तो हमें ऐतराज नहीं है।

श्री रामकिशन: माननीय गृह मंत्री जी ने प्रश्न उठाया था उस पर जवाब दे रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: उस पर आवश्यकता नहीं है।

श्री रामकिशन: वीरेन्द्रकुमार भट्टाचार्य ने इस सम्बन्ध में राय दी है। वे हिन्दुस्तान के प्रमुख भाषा शास्त्री हैं।

श्री मथुरादास माथुर: मैं रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम पेश कर सकता हूं जिन्होंने राजस्थानी को भाषा कहा है।

श्री रामकिशन: रविन्द्रनाथ टैगोर तो कोई भाषा शास्त्री नहीं थे, वे तो एक लेखक थे ।

श्री निरंजननाथ आचार्य: सुनीति कुमार चटर्जी ने राजस्थानी को भाषा माना है। वे भी प्रमुख भाषा शास्त्री हैं, बड़े काबिल हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: और श्री निरंजननाथ आचार्य ने भी माना है।

श्री निरंजननाथ आचार्य: वे भी काबिल हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से केवल इतना ही निवेदन करूंगा कि भाषा के प्रश्न को लेकर काहे को किसी को तकलीफ दी जाय।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): राजस्थानी भाषा मानी गयी है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : राजस्थानी भाषा का अदालतों से क्या ताल्लुक है ?

माननीय सदस्य ख्वाम-ख्वाह हमारी भावना को क्यों चोट पहुंचाना चाहते हैं ?

श्री रामकिशन : मैं तो किसी की भावना को कोई चोट नहीं पहुंचाना चाहता।

तीनों पार्टीज अब मिल गयी हैं। मुझे यह कहना पड़ता है. . . . .

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : राजस्थान में राजस्थानी भाषा होनी चाहिये।

श्री रामकिशन : यह सब राजनैतिक दलों जैसी भावना हो गई है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अंग्रेजी को हम हटाना चाहते हैं और राजस्थान में राजस्थानी को लाना चाहते हैं।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : राजस्थान में बृजभाषा भी बोली जाती है।

(व्यवधान एवं शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order please

श्री निरंजननाथ आचार्य : बृज भाषा होनी चाहिये।

श्री रामकिशन : आप इस प्रश्न को उलझाने की कोशिश न करें। साधारण सा प्रश्न है। करोडों लोगों से इसका सम्बन्ध है।

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न तो, ऐसा लगता है, उलझ चुका है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप इसको छोड़ दें तो सुलझ जायगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रश्न के साथ दूसरी चीजों को मंत्री लोग उलझा रहे हैं।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, आज यहां से अंग्रेजी नहीं हट सकती है तो इसका कारण यही है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी को रखना चाहते हैं, उनका उसके प्रति स्वार्थ है। दूसरा उदाहरण में आपको बिहार के अध्यक्ष का देता हूं। उन्होंने विचारार्थ एक प्रश्न रखा है। मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। ये प्रान्त हिन्दी भाषा-भाषी हैं और इनमें २० करोड़ लोग हैं जो हिन्दी भाषा बोलते हैं। केन्द्रीय सरकार को उन्होंने यह सुझाव दिया है कि इन चारों प्रान्तों में कम से कम अविलम्ब हिन्दी राज-काज की भाषा के रूप में लागू की जा सकती है। हम नहीं कहते कि कन्नड़ के लोगों के लिए आप कन्नड़ न रख कर हिन्दी रखिये, हम यह भी नहीं कहते कि आप मलयालम के लोगों के लिए हिन्दी रखिये, लेकिन इन चारों प्रान्तों में जहां कि २० करोड़ लोग हिन्दी भाषा-भाषी हैं वहां तो आप शीघ्र ही हिन्दी को राज-काज की भाषा के रूप में लागू कर दीजिये। इन लोगों की बोली में ही आप राज-काज चलाइये।

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। कल माननीय मुख्य मंत्री जी और गृह मंत्री जी बोल रहे थे तो वे कह रहे थे कि हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म लाना चाहता हैं। इसके सम्बन्ध में उनसे यह पूछा गया था कि इसके विषय में आपका क्या कार्यक्रम है, यह भी तो बता दें। वाणी के लिए आपका क्या कार्यक्रम है इसके लिये बता दें। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मनुष्य के लिए दो कार्यक्रम हुआ करते हैं। एक कार्यक्रम शरीर का होता है और दूसरा कार्यक्रम होता है बुद्धि का। मनुष्य जिन्दा रहता है तब तक ये दो ही कार्य होते हैं। शरीर वाले कार्यक्रम के लिए तो जब योजना के सम्बन्ध में विचार होगा और मौका होगा तब जबाब दूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: आत्मा का भी कार्यक्रम है या नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर: मीठी वाणी भी होती है और खारी वाणी भी होती है।

श्री रामकिशन: शरीर का कार्यक्रम और वाणी का कार्यक्रम ! कोई दर्शन, सिद्धान्त, वेदान्त, फिलोसोफी .....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: शरीर के कार्य-क्रम में मालिश भी शामिल है।

श्री मथुरादास माथुर: कार्यक्रम के बारे में पूछा था मुख्य मंत्री जी ने और खास कर मिर्धा साहब ने उत्तर दिया था ......

श्री मथुरादास माथुर: यहां अदालतों में भाषा का प्रश्न है कि कौनसी भाषा हो।

हम जवाब उस पर देंगे।

श्री रामकिशन: यदि आप सुनेंगे तो समझ जावेंगे।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): जब तक पहला कार्यक्रम न बताया जावेगा तब तक कैसे होगा।

श्री रामकिशन: सुनें तो सही। आप सुनेंगे तब ही बताऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष: आप अपने रिजोल्यूशन पर ही सिमित रहें। समय बहुत कम है।

श्री रामकिशन: उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो दो घंटे के हिसाब से चल रहा हूँ। जानबूझ कर मुझे इन्टरफियर किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: आप प्रारम्भ रखिये।

श्री रामकिशन: मैं केवल इतना ही निवेदन कर दूं कि तुम्हारा क्या कार्यक्रम है। कार्यक्रम यह है कि राज-काज की भाषा हिन्दी हो। जिस किसी भी देश को लीजिये जहां कि डेमोक्रेसी है, आप डेमोक्रेटिक सोशयलिज्म लाना चाहते हैं, कोई भी सरकार अपनी राज-काज को भाषा विदेशी नहीं रख सकती और अपनी भाषा के द्वारा ही वह डेमोक्रेटिक सोशयलिज्म ला सकती है। आप इंगलेंड, अमेरिका, इजरायल आदि होकर आये हैं, आपने इस बात की जांच कर ली होगी उन देशों म अपनी ही भाषा में, चाहे वह कैसी ही हो, कमजोर हो, टूटी फूटी हो, कैसी भी हो, राज-काज का काम उसी से होता है।

एक तर्क और दिया जाता है। खास तौर से अदालतों में काम करने वाले वकील, वे कहते हैं कि कानून के शब्द हिन्दी में नहीं हैं, विज्ञान के शब्द नहीं हैं, इसलिये मुश्किल पड़ती है। यह बात मानी हुई है कि कोई भी भाषा जन्म से समृद्ध नहीं होती, जन्म से सम्पन्न नहीं होती। ज्यों ज्यों उसमें हम काम करते हैं, नये नये अनुभव होते हैं नये शब्दों का चयन कर लिया जाता है। जिस तरह से कोई व्यक्ति यह सोच कि बिना तैरना सीखे पानी में नहीं उतरा जाय तो वह कभी तैरना नहीं सीख सकता, आखिर तैरना सीखने के लिये ही सकता है वह डूब भी सकता है और अच्छा तैराक भी हो सकता है। इसी तरह से किसी भाषा के लिये यह कहना कि इसमें विज्ञान के, कानून के शब्द नहीं, उनके बन जाने के बाद ही काम में लेंगे; यह ठीक नहीं है। ज्यों ज्यों प्रयोग में लायेंगे, हमें शब्दों को अन्य समृद्ध भाषाओं से लेना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हम जब भाषा के प्रश्न पर विचार करते हैं तो हमें कन्जर्वेटिव बनकर काम नहीं करना चाहिये, ऑर्थोडोक्स नहीं बनना चाहिये। जो जो सरल शब्द हैं, जिनका प्रयोग हम करते आये ह उनको हमें लेना पड़ेगा। लालटेन की हिन्दी हम नहीं करेंगे, मोटर के लिये हिन्दी का नया शब्द नहीं रखेंगे। टेक्स, रेल आदि जो शब्द जन साधारण ने अपना लिये हैं उनको हम लेंगे। आपको यह मालूम होगा, अंग्रेजी भाषा में कुल ढाई लाख शब्द हैं, जब कि हमारी हिन्दी भाषा में ९ लाख शब्द हैं, उन सब का प्रयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। हमारी जो प्रादेशिक भाषायें हैं, जैसे तामिल भाषा है यह बहुत सम्पन्न भाषा है। हम उसमें से शब्दों को ले सकते हैं। राजस्थानी भाषा है, गुजराती भाषा है; उनके शब्दों को हम ले सकते हैं। केवल यह कारण बताकर कि हमारी भाषा में शब्द नहीं हैं, करोड़ों लोगों की जबान काट देना, वही अंग्रेजों वाला तरीका आप बना रहे हैं। अंग्रेज कहते थे कि आप लोग राज्य करने लायक नहीं हो, इसलिये आपको राज्य नहीं सौंपा जा सकता। लेकिन आखिर में हम राज्य मिला, लेकिन जहां तक वाणी का सवाल है हम उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, यह हमारी कमजोरी है।

आज अन्य विदेशों में रहने वाले लोगों की भाषा को देखिये हर मुल्क की अपनी अपनी भाषा होती है। लेकिन हमारे यहां हम

(श्री रामकिशन)

देखते हैं, अंग्रेजी का सहारा लिये हुए हैं और यह कहते हैं कि उसके विना काम नहीं चल सकता। इस संबन्ध में निवेदन करना हैं खास तौर से कांग्रेसी सदस्यों से । वे इस बात की दलील देंगे कि विधान में इसके लिये व्यवस्था है, लेकिन हम देखते आये हैं कि विधान में लगातार संशोधन कर रहे हैं, ऐसे भी संशोधन कर रहे हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जहां ४० करोड़ की जबान का सवाल आता है, उसको दबाया जा रहा है । जो बड़े लोग हैं, सम्पन्न खानदान के हैं यानि सवर्ण लोग है वे चाहते हैं कि गरीब लोग आगे न बढ़ जांय, इसलिये वे इस प्रश्न को दावे हुए हैं। एक भील का लड़का सरकारी राज-काज में नहीं पड़ सकता क्योंकि उसकी आर्थिक हालत ऐसी नहीं कि वह अंग्रेजी की उच्च शिक्षा ले सके। अगर हिन्दी को राज-काज की भाषा बना दी जाय तो निश्चित रूप से जो गरीब लोग हैं, जो हरिजन भील आदि हैं वे पांच दस साल में राज-काज का काम करने लायक हो सकते हैं। यह बहुत सीधा सा प्रश्न है जिसको बहुत अरसे से टाला गया है । लेकिन आज ऐसे वक्त में, बड़े मौके पर यह प्रस्ताव आया है, आज जब कि देश में यह प्रश्न चल रहा है कि अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को लाया जाय।

इसके बारे में दक्षिण के विद्वानों के जो मत में वह भी मैं आपके सामने रखूंगा। जिन्होंने भाषा के बारे में अपना मत दिया है वे कोई टट्पूंजिये राजनीतिज्ञ नहीं हैं, विभिन्न भाषाओं के विद्वान हैं । इन भाषाविदों का भी यही मत है कि हर प्रदेश का राज-काज उनकी प्रादेशिक भाषा में चलना चाहिये । इस संबंध में अन्नादुराई का नाम बताया । वे इस बात के विरोधी हैं कि तामिलनाड में हिन्दी न आवे, वे चाहते हैं कि तामिल आनी चाहिये । हम भी इस बात का समर्थन करते हैं कि तामिलनाड की भाषा तामिल होनी चाहिये । केरल की मलयालम होनी चाहिये, लेकिन अंग्रेजी जानी चाहिये ।

श्री प्रतापसिंह (राजाखेडा): ये टटपूंजिये राजनीतिज्ञ कौन हैं, यह बतलाइये ।

श्री रामकिशन : उसमें आप नहीं हैं । उसके लिये मद्रास के एक बहुत बड़े नेता का जिक्र कर दिया है। ये राजनीतिज्ञ हिन्दी का विरोध कर रहे हैं केवल अपने स्वार्थ के करण ताकि वे यह कर सकें कि राज-काज पर हमारी छाप बनी रहे, हमारे रिश्तेदार बने रहें उसके बाद भी हमारे ही लोग राज-काज करने में लगे रहें । आज हम देश में देखते हैं और जिस पर ज्यादा वाद-विवाद भी हो रहा है वह है भाषा, भोजन, भवन और वेशभूषा। इस मामले में हम पश्चिम की नकल करते जा रहे हैं । भाषा बोलेंगे तो अंग्रेजी, भोजन करेंगे तो भी वही पाश्चात्य ढंग से—चाकू से और भवन में भी रहेंगे तो आलीशान बंगलों में । तो जहां हमारी भाषा, भोजन, भवन और वेशभूषा छिन गई तो फिर हम भारतीय कहां रहे । इस प्रकार क्या हमारा आत्म सम्मान रहेगा। मैंने श्री रमाकान्त शास्त्री से, जो यूथ कान्फ्रेंस में गये, जिसमें हमारे स्पीकर महोदय भी गये थे, उनसे इस बारे में बातचीत हुई तो वे कहने लगे कि मैं वहां पर कुरता-पायजामा पहन कर रहता था तो लोग मेरे से मिलने आते थे । वे यह जानते थे कि ये भारत के रहने वाले हैं । बाकी सब लोग गये थे वे पेन्ट सूट पहने हुए थे ।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : लंगोटी लकाकर जाते तो और ज्यादा पूछते ।

श्री रामकिशन : वह आत्मा है नहीं, उपाध्यक्ष महोदय । हम यहां सदन में भी देखते हैं कि जब कभी अंग्रेजी में कुछ बोला जाता है तो बहुत से माननीय सदस्य समझ नहीं पाते हैं और कुछ लोग जो अंग्रेजी में बोलते हैं तो वे भी गलत बोलते हैं । वे अंग्रेजी बोलना नहीं जानते, किन्तु अंग्रेजों की नकल करना जानते हैं और उसी में अपना गौरव अनुभव करते हैं । इसलिए मेरा निवेदन है कि जो उच्च सत्ताधारी और उच्च वर्ण के लोग हैं वे इसका समर्थन नहीं करेंगे । भीखाभाई निश्चित रूप से इसका समर्थन करेंगे । वे जानते हैं कि आखिर भील लोग कौनसी भाषा बोलते हैं, श्री दौलतराम जी समर्थन करेंगे, परसराम जी समर्थन रेंकगे क्योंकि वे गरीब घर से आये हैं । दूसरी तरफ उपाध्यक्ष जी, माथुर, नेहरु, कॉल साहब इसका समर्थन नहीं करेंगे क्योंकि वे अंग्रेजी के समर्थक हैं ।

श्री भैरों सिंह (किशनपोल, जयपुर) : हरिभाऊ जी तो अंग्रेजी जानते ही नहीं हैं ।

श्री रामकिशन : इसमें अब वाणी का सवाल नहीं रह गया है ! यह एक वर्ग विशेष का सवाल बन गया है । आज हम, देखते हैं, जहां किसी को गाली देनी होती है अपशब्द कहने होते हैं वहां अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं । जैसे हम अदालतों में देखते हैं, जो मुवक्किल होता है उसको बेचारे को जज साहब के और वकील साहब के बीच में जो कुछ बहस होती है उसका उसको कुछ पता नहीं गलता, बीच के टाइम में क्या बहस हुई, क्या बात हुई उसका उसे पता नहीं रहता । यह साधारण सत्य है कि उसको सारी बहस का पता नहीं रहता । इसलिए में निवेदन करूंगा कि जहां वाणी का सवाल हो, भाषा का सवाल हो वह किसी पार्टी विशेष का सवाल नहीं है । यह तो उस ४० करोड़ जनता का सवाल है जो अपनी भाषा से प्रेम करत हैं ।

इसी संबन्ध में मुझ एक प्रसंग याद आ गया है । अभी गत १४ तारीख की बात है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी दिल्ली में ३० नम्बर के फ्लेट में ठहरे हुए थे । हम लोग भी किसी कार्यवश उस दिन वहीं थे । जब उनकी लोहियाजी से बातचीत शुरू हुई तो उन्होंने लोहियाजी से पूछा कि मैं आपसे किस भाषा में बात करूं । यह तो उन्होंने अंग्रेजी में ही कहा था, तो उन्होंने कहा आप तामिल में कहिये । मेरे पास डा० सुन्दरम् बैठे हैं, जो बड़े साहित्यकार हैं, वे मुझे आपकी बात समझा देंगे । और इस तरह से जब मुझे आपसे बातचीत करनी होगी तो मैं तामिल सीखने की कोशिश करूंगा । उन्होंने कहा, आप मेरी भाषा से नफरत करते हैं । तो उन्होंने कहा कि हम आपकी भाषा से नफरत नहीं करते और न अंग्रेजी भाषा से नफरत करते हैं । अंग्रेजी भाषा विश्व की समृद्ध भाषाओं में है । हम नहीं चाहते कि अंग्रेजी भाषा मरनी चाहिये, लेकिन यह नहीं हो सकता कि यह भाषा हिन्दुस्तान की राज–काज की भाषा बनी रहे । अंग्रेजी भाषा सम्पन्न भाषा है, इसका साहित्य सम्पन्न है इसको जानना चाहिये । हजारों सालों से यह चला आ रहा है कि जो शासकों की भाषा रही वह शासितों की भाषा रही नहीं है । जब शासक लोग संस्कृत बोलते थे तो जनता उस समय पाली बोलती थी । आम लोग जब फारसी बोलते थे तो राज–काज की भाषा उर्दू थी । और अब आम लोग जब हिन्दी बोल रहे हैं तो शासक लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं । इस तरह से शासक और शासितों में भाषा के मामले में विभिन्नता रहती आई है ।

(श्री रामकिशन)

उपाध्यक्ष महोदय, में यहां भी देखता हूँ जब अंग्रेजी वोली जाती है तो वह कितनी गलत वोली जाती है, यह सुनकर आश्चर्य होता है । लेकिन जो वोलने वाले हैं वे यह सोचते हैं कि अंग्रेजी में वोलने से ज्यादा रोब पड़ता है । मेरा आपसे निवेदन है कि अगर नकल करनी ही है तो आप नकल करिये लेकिन विज्ञान की नकल करिये, टेक्नोलोजी की नकल करिये । लेकिन जहां तक भाषा, भूषा, भवन और भोजन का ताल्लुक है वह हमारी अपनी होनी चाहिये । इतना ही कह कर में अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ । इसके वाद जो भी इस पर संशोधन आयेंगे उनकी शंकाओं का निराकरण करने की कोशिश करूंगा ।

(५.० म० प०)

श्री उपाध्यक्ष : Shrimati Laxmi Kumari. (विराम) I am sorry. There are amendments. Shri Vijay Singh Jhala.

में संशोधन प्रस्तुत करने वाले महोदय से निवेदन करूंगा कि वहुत ही संक्षेप में वे अपने विचार प्रस्तुत करें ।

[प्रस्तुत संकल्प पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए :

१ **श्री विजयसिंह झाला** : "शब्द 'तुरन्त' के स्थान पर शब्द 'आवश्यक रूप से' रखे जाय ।"

२ **श्री अव्दुल जव्वार**: "शब्द 'राष्ट्रपति की आज्ञा से' विलोपित किये जायें तथा शब्द 'अदालतों में' के पश्चात् शब्द 'सिवाय उच्च न्यायालय के' जोड़े जायें । तथा शब्द 'और' के वाद शब्द 'उनका' जोड़ा जाय ।"

३. **मुरलीधर व्यास**: "शब्द 'तुरन्त' की जगह शब्द व अंक '१ अक्टूवर, १९६३' किये जाय ।"]

श्री विजयसिंह झाला: उपाध्यक्ष महोदय, मेरी पार्टी के श्री सतीशचन्द्रजी वगैरह नहीं वोलेंगे, इसलिए उनके समय का लाभ भी मुझे मिलना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस महत्वपूर्ण संकल्प को हमारे कुछ ट्रेजरी पक्ष के सदस्य जिस ढंग से मजाक में उड़ाना चाहते हैं उसको देखकर मुझे रोना आता है, उन पर तरस भी आता है । दुख भी हुआ कि हमारे ये कुछ जिम्मेदार मन्त्री लोग भी इसको हंसी में ले रहे हैं और यहां पर कई जगह खड़े होकर चक्कर भी इसके लिये काटे ।

यह संकल्प राजस्थान के २ करोड़ निवासियों की भावनाओं का प्रतीक है । हमारे आदर्श और मूलभूत अधिकारों का यह प्रश्न है। इससे यह स्पष्ट होगा कि हमारे बीच लार्ड मैकॉले के मानसपुत्र कितने हैं और महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी और शिष्य कितने हैं?

इस देश में सवसे पहले अंग्रेजी का प्रभाव इसी मैकॉले ने जमाया । उसी ने हमारे वीच एक हीन-वृति को जन्म दिया कि इस देश की किसी भी भाषा का ऐसा साहित्य नहीं, सामर्थ्य नहीं कि वह अंग्रेजी का मुकावला कर सके ।

जिस समय हमारा देश स्वतन्त्र हुआ तो उस समय ब्रिटेन की आकाशवाणी के प्रतिनिधि महात्मा गांधी से मिले और उनसे प्रार्थना की कि वे इस आकाशवाणी के माध्यम से देश को ओर संसार को अपना संदेश दें । उस वक्त गांधीजी ने एक ऐतिहासिक महत्व की वात कही । उन्होंने कहा कि संसार को कहदो कि महात्मा गांधी अंग्रेजी नहीं जानता।

(श्री विजयसिंह झाला)

आज उनके अनुयायियों की क्या दशा है । आज मालवीयजी, बजाजजी जैसे हिन्दी सेवी कहां हैं ? कौन हैं ?.इसका निर्णय इस संकल्प के मतदान के अवसर पर हो जावेगा ।

मैं यह भी जानता हूं कि सरकार की ओर से यह कहा जावेगा कि हिन्दी में कानूनी शब्द ऐसे नहीं कि जिसके आधार पर अंग्रेजी को वहां से वदला जा सके। मैं समझता हूं कि यह हमारी आत्महीनता का घिनौना रूप है । यह आत्म-हीनता इस स्वतन्त्र देश के नागरिक को शोभा नहीं देती ।

हिन्दी के प्रचार और प्रसार में क्या रूकावटें हैं और वे कहां से आती हैं, इस पर भी सोचना होगा । राजस्थान में ३०-३५ प्रतिशत लोग शुद्ध हिन्दी जानते हैं, ६०-६५ प्रतिशत लोग हिन्दी से मिलती जुलती बोलियां बोलते हैं । तो जहां ६५ प्रतिशत जनता हिन्दी जानती हो वहां हिन्दी को सर्वत्र लागू करने का जव प्रश्न सदन में आता है तो क्यों नहीं इसमें सरकार का हमें सहयोग मिलता है। इसका कारण क्या है ?

कारण ढूंढने जव जाते हैं तो मालूम होता है कि ३ प्रतिशत ऐसे लोग जो आज शासन में ऊँचे स्थानों पर बैठे हैं वे अपना दवदवा शासितों पर छोड़ना नहीं चाहते । उनकी इजारेदारी को खतरा है । वे चाहते हैं कि शासन और शासित के वीच खाई वनी रहे, दोनों दूर दूर रहें, आपस में मिले नहीं, एक दूसरे के नजदीक न आ पावें, एक दूसरे को समझ न पावें, उनके कारनामों की असलियत का पता जनता को न लग सके । इस सदन में दो करोड़ जन-प्रतिनिधियों पर भी ये अपना नियन्त्रण रखना चाहते हैं, इससे वढ़कर शर्म की और क्या वात हो सकती है ?

इसका दूसरा कारण यह भी है कि हमारे कल के आजादी के सिपाहियों और आज के शासकों के मनों पर भी लार्ड मैकॉले की हीन-वृति का प्रभाव जम चुका है । ये हमारे नेता लोग, मन्त्रिगण भी जव तक अपनी इस अंग्रेजी के प्रति दास्यवृति और हिन्दी के प्रति हीनवृति अपने मनों से नहीं निकाल वाहर फेंकेंगे तव तक राजस्थान में हिन्दी की सर्वतोमुखी प्रतिभा का विकास और प्रचार नहीं हो सकता।

इसी का कारण है कि सरकार की तरफ से कुछ विभागों में हिन्दी में ही काम किया जाने सम्वन्धी, विज्ञप्ति के निकलने के वावजूद गाडी जहां है वहीं है, आगे नहीं सरकी । इस वात को हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने गत सत्र में स्वीकार किया है ।

यहां तक कि पंचायत स्तर तक तहसीलदार के स्तर पर पटवारियों के स्तर तक पर जो आदेश ऊपर के विभागों से निकलते हैं वे तक कभी कभी अंग्रेजी में निकलते हैं । इससे वढ़कर हीनवृति का प्रर्दशन और क्या हो सकता है ?

सदन में भी विधेयक अंग्रेजी में प्रचारित किये जाते हैं और इसके वाद में जव ऐतराज होता है तो हिन्दी के विधेयक दिये जाते हैं । यही हिन्दी का सम्मान है क्या? कभी कभी तो प्रश्न हिन्दी में पूछे जाते हैं तो मंत्री जी उत्तर अंग्रेजी में देते नहीं झिझकते ।

आज इन तीन प्रतिशत लोगों ने प्रशासन में बैठकर जनता और प्रशासन के वीच एक दीवार खडी कर रखी है अंग्रेजी भाषा की, ताकि जनता उनकी सही गलत कार्यवाही को समझ नहीं सके । यह मुख्य कारण है कि आज हिन्दी का प्रचार और प्रसार पिछड़ गया है और इसकी गति शासन में वहुत ही मन्द है। दरअसल में हमारी सरकार हिन्दी का प्रचार अभी तक नहीं कर पाई है।

(श्री विजयसिंह झाला)

सन् ५० के बाद में संविधान में घोषणा हुई कि हिन्दी को राष्ट्र भाषा के रूप में मान लिया जावे । बाद में हिन्दी को हमने भी प्रान्तीय भाषा माना । आपने यह मान कर हिन्दी पर कोई अहसान नहीं किया क्योंकि हमारे यहां तो इसके सिवाय दूसरी भाषा हो ही नहीं सकती थी । गुजरात में या मद्रास में यह प्रश्न होता तो बात दूसरी थी । पर हमारे यहां तो किसी अन्य भाषा के लाने का प्रश्न ही नहीं था ।

श्री कुमारानन्द (ब्यावर): No Quorum.

श्री उपाध्यक्ष : No Quorum.

(गण पूरक घंटी एवं गण पूर्ती के पश्चात पुनः) Now full Quorum. Please continue.

श्री विजयसिंह झाला : इसके बाद कुछ कमेटियां बनी । उन्होंने सिफारिशें कीं कि कुछ विभागों का काम बिल्कुल हिन्दी में हो । फिर भी वह नहीं हुआ । आज भी वहां के कागजात वैसे ही अंग्रेजी में चलते हैं । ५८ में इस प्रकार का प्रश्न उठा था और उसमें सुखाड़िया साहब ने स्वीकार किया था कि इन कमेटियों के आदेशों को पूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं किया गया ।

आज भी उसी प्रकार की स्थिति है । तो उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई सन्तोषप्रद स्थिति नहीं है । इस पर बाद में भी सरकारी संकल्पों के द्वारा भी विचार हुआ, लेकिन उनमें भी कोई अच्छी वृति दिखाई दी हो, यह मैं नहीं मानता । ऐसा लगता है, हमारे मुख्य मंत्रीजी और नोजवान गृहमंत्रीजी हिन्दी की सेवा करते समय बुढापा दिखाते है और कहते हैं इसीलिये कि धीरे धीरे इसका विकास होने देना चाहिये । 'दा' साहब अगर यह बात कहते तो मैं मानता, वे वृद्ध हैं ।

श्री मथुरादास माथुर (गृहमंत्री) : वे तो हिन्दी के लिये बहुत जवान हैं । 'दा' साहब हिन्दी के लिये जवान हैं ।

श्री विजयसिंह झाला : राजस्थान के युवक गृहमन्त्री यह कहे कि धीरे धीरे होना चाहिये इसका विकास और इसलिये होना चाहिये कि हमारे सामने कठिनाइयां हैं, यह बड़े खेद की बात है ।

इससे बढकर एक नौजवान मिनिस्टर के लिए, जहा हिन्दी की सेवा का प्रश्न है, वहां बुढापा दिखाया जाए, इससे बढकर और शर्म की क्या बात हो सकती है । भगवान इनको बहुत जल्दी बुढापा न दे, लेकिन हिन्दी के लिए बुढापा दिखाने का मतलब यह है कि आप बुढापे को बहुत जल्दी निमंत्रण देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सदन के सामने कुछ बातें रखी हैं। कुछ कठिनाइयां यह हैं कि हमारे गृह मंत्री जी या हमारे जो कुछ मंत्री इसका जवाब देंगे उसमें कहेगें कि दर-असल में न्यायालयों में जो न्यायाधीश हैं या जो अधिकारी हैं, वे हिन्दी नहीं जानते ।

श्री मथुरादास माथुर : मैं यह नहीं कहूंगा, बेफिक्र रहें ।

श्री विजयसिंह झाला : अगर नहीं कहेंगे तो आप इसको स्वीकार नहीं करेगें।

तो मैं निवेदन करुंगा कि जो अधिकारी हिन्दी नहीं जानते और देश के अन्दर राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी को स्वीकार करते हैं वे इसको नहीं मानते; लेकिन राष्ट्रभाषा को नहीं जानने वाले अधिकारी होने का भी अधिकार नहीं रखते। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि आप यह भी

(श्री विजयसिंह झाला)

कह सकते हैं कि कानून के अन्दर ऐसे टेक्निकल शब्द हैं उनको हमने अभी तक हिन्दी में नहीं अपनाया है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं हमारे माननीय मंत्री महोदय से कि आपने इस और क्या प्रयास किया, राजस्थान में हिन्दी कोष बनाने के लिए। इस तरह अदालतों के जो शब्द हैं उनको हिन्दी भाषा में परिवर्तित करने के लिए क्या प्रयास किया। मुझे दुख होता है यह जानते हुए कि कोई भी कदम इस प्रकार का नहीं उठाया गया, इस प्रकार का कोई भी प्रयास नहीं किया है कि जिसके आधार पर इस प्रकार के शब्द जो कठिनाइयां पैदा करते हैं उनका कोई अच्छा कोष आपने बनाया हो। वे शब्द जो अदालतों में काम आते हैं उन टेक्निकल शब्दों का कोई भी हिन्दी कोष नहीं बनाया।

श्री मथुरादास माथुर : बनाया है । डॉक्टर रघुवीर का कोष बना है उसको हम बहुत फोलो करते हैं।

श्री विजयसिंह झाला: मैं इसका स्वागत करता हूं और यदि दरअसल में डॉक्टर रघुवीर के कोष को आप फोलो करते, तो आज यह नौबत पेश नहीं आती, बारबार आपके सदस्यों को इस प्रकार के मसले नहीं उठाने पड़ते। मुझे अफसोस हुआ कि हिन्दी जैसे महत्वपूर्ण विषय को हमारे जिम्मेदार व्यक्ति जिसमें हमारे उप-शिक्षा मंत्री भी आते हैं जिनके लिए मैं जानता था कि उनको हिन्दी के प्रति प्रेम है, ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति भी इस प्रकार की कोशिश करते हैं कि जो सदस्य बोल रहे थे.....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त करें।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा): This is just convassing the observations of the Chair.

श्री जोधसिंह (गिरवा): आप अंग्रेजी बोलकर क्या हम पर रोब डाल रहे हैं?

श्री विजयसिंह झाला: अंग्रेजी में बोलकर धमका रहे हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य: He should not reopen the position.

श्री विजयसिंह झाला: मैं समझता हूं कि जो अंग्रेजी जानते हैं, उनके सामने अंग्रेजी बोलें और उनको डराना चाहें तो वे डर नहीं सकते। हां, राजसमन्द में जाकर अंग्रेजी बोलें तो कुछ लोग डर सकते हैं।

तो उपाध्यक्ष महोदय, कहने का तात्पर्य यह है कि जो महत्वपूर्ण विषय है और जो विषय पहले भी विधान सभा में उठा था इस पर हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय का यह कथन है कि बहुत ही जल्दी हमारे राजस्थान में कार्य हिन्दी में होगा। जहां आपके बहुत से सदस्य और बड़े जिम्मेदार व्यक्तियों ने इसका सपोर्ट किया है और आज भी आप इसको मानते हैं तो यह सिद्ध होता है कि आप महात्मा गांधी के सिद्धान्तों की हत्या करते हैं और जिन्होंने आजादी मिलने के बाद यह सबसे पहले कहा था कि दुनिया को कह दो कि महात्मा गांधी अंग्रेजी नहीं जानते । आजादी के तुरन्त बाद में महात्मा गांधी ने एक ही सिद्धान्त दिया था जिसकी भी आप हत्या कर रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष: Please mind the time.

श्री विजयसिंह झाला: मैं कहूंगा कि इसके लिए आप ऐसी शिक्षण संस्थायें खोलिये कि जिनमें लोग ६ महीने या १२ महीने में हिन्दी सीखें, ताकि आगे जाकर इस प्रकार की दिक्कत नहीं हो।

श्री उपाध्यक्ष :Order! Order Please !! मैं निवेदन करूंगा कि आपका संशोधन क्या है, वह तो आपने प्रस्तुत किया ही नहीं।

श्री विजयसिंह झाला: वह मैं अब कर रहा हूं। मेरा संशोधन यह था, उसको भी सुन लिया जाये कि जो 'तुरन्त' शब्द है उसकी जगह 'आवश्यक रुप से' रख दिया जाये। वह आवश्यक इसलिए है कि क्योंकि हमारे मंत्री गण तुरन्त, शीघ्र और जल्दी इन शब्दों के महत्व को नहीं समझते। इसलिए नहीं समझते कि उन्होंने तोते और मैना की तरह इन शब्दों को रट लिया है। जब कभी प्रश्न किया जाता है कि यह काम कब किया जायेगा तो जल्दी ही और तुरंत ही इस प्रकार की बातें करते हैं। इसलिए 'तुरंत' शब्द के स्थान पर 'आवश्यक रुप से' रख दिया जाये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर न्याय प्रणाली दुनिया के अन्दर सबसे अच्छी रही है और प्रसिद्ध रही है। इसका एक ही कारण है कि जो हमारी मातृभाषा के प्रति ममता है और जहां इसके साहित्य और संस्कृति का सवाला है उसके प्रति श्रद्धा नहीं रहेगी जब तक कोई भी व्यक्ति न्याय नहीं दे सकता। हिन्दी के अन्दर सही न्याय देगा तो जो उसका निर्णय लिखा जायेगा उस समय सारा साहित्य और संस्कृति हमारे सामने आयेगी और सही न्याय दे सकेगा। ऐसा न्याय विक्रमादित्य आदि लोगों ने पहले दिया है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि जो प्रस्ताव रखा गया है उसको हमारे सामने बैठे हुए सदस्य स्वीकार करेंगे और इसको पार्टी का सवाल नहीं बनायेंगे। हो सकता है कि इसको विरोधी दल के एक सदस्य ने रखा है, पर ऐसा न सोच कर आप चलेंगे। इसी सद्भावना के साथ मैं अपना संशोधन रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अब्दुल जब्बार।

श्री उपाध्यक्ष: पांच दस मिनट में ही रख दें तो ठीक रहेगा।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेडा): ५ मिनट में ही खत्म कर दूंगा।

जैसा एक माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा है कि अदालतों में कार्य हिन्दी में हो, इस संबंध में मैं इसका समर्थन करता हूं। वास्तव में हम हमारी स्थिति का अन्दाजा लगायें तो विद्या के लिए मैं कहूंगा कि यह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा अपनी रोजी-रोटी को कमाया जा सकता है। इसको भी एक तरह से व्यवहार के रुप में देखते हैं क्योंकि विद्याध्ययन करने के लिए किसी का लड़का पाठशाला में पहुंचता है तो सबसे पहले उसका ध्यान इस और जाता है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर राजकीय सेवा में ऊंचे से ऊंचे पद पर पर जाये और अपने कुटुम्ब का नाम ऊंचा करे। यह भावना सबसे पहले होती है और इस भावना को प्रत्यक्ष रुप से देखने के लिए, हकीकत का जामा पहिनाने के लिए उसको विद्या के संबंध में विचारना पड़ता है कि किस प्रकार की शिक्षा बच्चे को दिलाई जाये। ऐसी सूरत में राजस्थान की स्थिति की ओर सबसे पहले हमें ध्यान देना चाहिए। हमारे यहां इस प्रान्त में जो खेती करन वाली जनसंख्या है वह ७० लाख ५५ हजार है और इसके बाद सबसे बड़ी संख्या

(श्री अब्दुलजब्बार)

है वह अन्य सेवाओं में है; राजकीय सेवाओं में और दूसरी दूसरी सेवाओं में भी है। लेकिन सबसे बड़ा आंकड़ा जो बादमें मिलता है वह है अन्य सेवाओं में ६ लाख ७८ हजार और यह सब सरकारी महकमों में काम करते हैं। जिसको चाहे तहसील कह दो या जिलाधीश कह दो, उप-जिलाधीश कह दो या इसी से संबंधित जो न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत है उसमें काम करने वाले लोग हैं। इस बड़ी संख्या में जहां हमारे राजस्थान के व्यक्ति काम करते हैं खेती करने वालों के बाद में इन्ही का नम्बर है। अब हमें यह सोचना पडेगा कि यदि भाषा अंग्रेजी ही अदालत में प्रयोग की जायेगी, तो जनता इस विदेशी भाषा को समझने में असमर्थ है और किसी भी सूरत में उसको ठीक तरह से समझ नहीं सकते हैं और अंग्रेजी में फेल होने के बाद जो उनके माता पिता की भावना थी, वह पूरी नहीं होती। साथ ही साथ हमारी देश की अधिकांश जनसंख्या, वैसे तो अन्य पार्टियां भी मानती हैं और सत्ताधारी पार्टी है वह भी मानती है कि वास्तव में शिक्षा का प्रसार बहुत कम है। वह अनिवार्य रुप से पढाई जाये यह बिल भी आने वाला है। यह हम जानते हैं कि शिक्षा बहुत कम है। ऐसी स्थिति में अदालतों का काम अगर उस भाषा में बढ़ जाये जिसको कम से कम बोलने में समझा जा सकता है। इतना पढ नहीं सकता तो कम से कम एक न्यायाधीश अगर अपने आसन से बैठ कर एक निर्णय सुनाता है तो समझने वाला चाहे मुल्जिम हो चाहे फर्यादी हो, दोनो ही आसानी से समझ सकें। यह व्यवस्था अवश्य होनी चाहियें। फैसला अंग्रेजी में लिखकर न्यायाधीश अपने आसन से उस फैसले को सुनाता है, तो न तो मुल्जिम और न फर्यादी इस पोजीशन में होता है कि उसको समझ सके। उसको समझने के लिए वकील की शरण लेनी पड़ती है कि समझाओ कि क्या फैसला किया। ऐसी अवस्था में कम से कम इस बात का ध्यान रखा जाय कि हमारा न्याय ऐसी भाषा में लिखा जाय जिसको समझने के लिए किसी की शरण नहीं लेनी पड़े, क्योंकि अगर कहीं शरण लेने के लिए गया तो हो सकता है कि उसको अन्य प्रकार से समझा दें और वे नहीं समझ सकें। ऐसी अवस्था में जो संकल्प हमारे माननीय सदस्य ने रखा है में उसका समर्थन करता हूं और इस हद तक समर्थन करता हूं कि यहां पर यह एतराज उठाया जा जा सकता है कि हमारे ए० आई० आर०, आर० एल० डबलू० जो भी रिपोर्टस वकीलों की साहयता के लिए या अदालतों की सयायता के लिए छापी जाती हैं, छपती हैं, और तैयार होती हैं और बाजार में वितरित होती है, वे हिन्दी में नहीं हैं। इस सम्बन्ध में अदालतों का खास नहीं और ऐसी सूरत में जब कि ये चीजें हिन्दी में उपलब्ध हैं। कानपुर से हिन्दी में तर्जुमा छपता है। वह भी आता है। ऐसा नहीं है कि प्राप्य न हो। वह प्राप्य हैं। ऐसा नहीं कहा जाय कि प्राप्य नहीं हैं। ऐसे हिन्दी के ज्ञाता इस देश ने पैदा किये हैं और हैं जो कि हिन्दी को बहुत अच्छी तरह से, सुगमता से, जटिल हिन्दी में नहीं, जिसको कि समझने से महरूम न रह जाय, लिख और बोल सकते है कि साधारण लोग समझ सकते हैं। वह भाषा हमारे देश के लिए जहां हम कहें कि राष्ट्र्य एक्ता हो, हमारी एक आवाज, हमारी एक भाषा हो और उस धारणा को लेकर जहां यह शक्ल आती है, नेशनल इन्टीग्रीटी की तो वह कब मुमकिन हो सकता है कि हम बोलते कुछ हों और लिखते कुछ हों।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

Page No 61

(श्री अब्बदुल जब्बार)

उपाध्यक्ष महोदय, में इतना ही अर्ज करता हूं कि हर हालत में भाषा ऐसी होनी चाहिए जो कि सरल हो, जिसको आसानी से समझा जा सके। और मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मुरलीधर व्यास ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष, यह प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री रामकिशनजी ने रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष: संक्षेप का ध्यान रखें।

श्री मुरलीधर व्यास: सिर्फ १० मिनट।

सबसे पहले मैं इसका समर्थन इसलिए कर रहा हूं कि आज हिन्दी की जगह हिन्दी हो जाती है तो उससे अपने राज्य के करोडों लोगों को काफी मदद मिल सकती है। मैं ऐसा मानता हूं कि आज यह अंग्रेजी भाषा का जहां कहीं भी इस्तेमाल होता है तो उससे मेरी यह भी मान्यता है कि उससे शोषण भी होता है और उसके साथ भृष्टाचार भी होता है। आज न जाने कितने करोड़ आदमी इस राजस्थान में हैं जो हिन्दी या राजस्थानी भाषा बोलते हैं, उनसे इसी अंग्रेजी की वजह से किस प्रकार से कई झूठे दस्तखत करवा लिये जाते हैं, किस प्रकार से करोडों के अन्दर वह नहीं जानने की वजह से उनके सामने कितनी मुसीबतें आती हैं, और अगर हिन्दी ही का चलन हो जाय तो उससे करोडों राजस्थान के लोगों को राहत मिल सकती है। इसलिए अगर आप इस चीज को मानते हैं कि हमारे राज्य के लोगों को सस्ता न्याय दिलाना है, उसके साथ ही साथ नको अपनी बात पहुंचाने का अधिकार देना है, कुछ ऐसे अधिकार भी उनको देने हैं जिससे कि समाजवादी व्यवस्था के अन्दर वे कामयाब हो सकें। तो मैं समझता हूं कि अंग्रेजी को फौरन हटाकर हिन्दी नहीं करेंगे तब तक ऐसे लोग इनके शिकार होते रहेंगे।

अब उसमें समर्थन करने की चीज मैं इसलिए मानता हूं और मैंने एक संशोधन छोटा सा उसमें रखा था कि हिन्दी या राज्य भाषा। राज्य भाषा के सम्बन्ध में बहुत से मतभेद हो सकते हैं। इस राज्यभाषा के लिए राज्य के अन्दर जो बेसिक स्टेटिस्टिक्स गवर्नमेंट ने दिये हैं उससे यह मैं बतलाना चाहता हूं कि पोपुलेशन एकार्डिंग टू लेंग्वेज, उसमें इस प्रकार से दी हुई है :

राजस्थानी, हिन्दी नहीं, लेंग्वेज बोलने वाले ६६ प्रतिशत राजस्थान के अन्दर हैं; यानी १,५१,४६,३२५ आदमी हैं। तो लेंग्वेज के रूप में भी, राजस्थानी को एक लेंग्वेज के रूप में सरकार ने माना है और उसी कारण से स्टेटिस्टिक्स के अन्तर्गत रखा है। दूसरा उन्होंने वेस्टर्न हिन्दी लिखा है। वेस्टर्न हिन्दी कहां की है ? उसमें जनरली कौनसा हिस्सा है, वह नहीं दिया है, परन्तु उसमें ३४,७०,००० आदमी हैं और मीली भाषा का उन्होंने लिखा है ७,६२,०००, सिन्धी का १,६६,०००, पंजाबी का २,६७,०००, गुजराती का ८६,००० मराठी का १३,००० और दूसरी भाषाओं के २१ हजार पर्सेन्टेज जो दिया है राजस्थानी का वह ६६ पर्सेन्ट दिया है । अब मेरा थोड़ा सा यह निवेदन है कि हिन्दी व राजस्थानी में, इसके अन्दर से राजस्थानी को बिल्कुल हटा देते हैं तो इससे क्या होगा कि राजस्थान के बहुत से लोग उससे वंचित रह जायेंगे।

(श्री मुरलीधर व्यास)

मैं इस भाषा के सम्बन्ध में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन् ५७ में बीकानेर के अन्दर एक स्पीच दी थी वह आपके सामने रखता हूं:–

"हमें यह बात साफ साफ समझ लेनी चाहिये कि हम बंगाली, मराठी, गुजराती, तामिल, तेलगू, कन्नड़, मलयालम और राजस्थानी आदि उन प्रान्तीय भाषाओं की तरक्की चाहते हैं।"

वो अन्य प्रान्तीय भाषाओं में उन्होंने राजस्थानी को भी माना हैं। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू का मैं कोटेशन दे रहा हूं। इसी प्रकार से मदन मोहन मालवीयजी और राष्ट्रपति राजेन्द्र बाबू का भी इसके अन्दर है। विश्वकवि का भी है। विश्वकवि ने कहा–

"कुछ समय पहले मेरे राजस्थानी मित्रों ने लड़ाई सम्बन्धी कुछ राजस्थानी गीत सुनाए। मैं तो उनको सुनकर मुग्ध होगया। उन गीतों में सरसता, सरलता, भावुकता व लोगों के स्वभाविक उद्‌गार हैं। मैं उनको समस्त संत साहित्य से उत्कृष्ट समझता हूं। क्या ही अच्छा हो कि इन गीतों को प्रकाशित किया जाय तो ये सारे विश्व की भाषा-साहित्य का गौरव बढा सकते हैं।"

यह उन्होंने लिखा है। यह रविन्द्रनाथ टैगोर, राजेन्द्र बाबू आदि ने जो वक्तव्य दिये हैं वे मैंने आपके सामने रखे हैं। राजेन्द्र बाबू ने भी इसी प्रकार से राजस्थानी को राज्य भाषा के रूप में माना है।

मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं यह चाहता हूं कि हिन्दी को चूंकि सरकार ने नेशनल लेंग्वेज के रूप में मान्यकर लिया है उसी प्रकार से स्टेट लेंग्वेज में राज्य-भाषा के रूप में राजस्थानी को भी उसके अन्दर स्थान मिलना चाहिए। तो मेरा यह संशोधन था कि इसके अन्दर हिन्दी व राजस्थानी कर दें। अंग्रेजी को तो फौरन हटाया जाय, जैसा कि जिन्होंने प्रस्ताव रखा है उन्होंने खुद ने माना है। इस तरह से कुछ लेन देन हो। मैं चाहता हूं कि राज्य-भाषा में सिर्फ राजस्थान की जो भाषा है, यानी राजस्थानी जो भाषा विज्ञान के अन्दर मानी गई है तो भाषा विज्ञान के अन्दर हिन्दी के अन्तर्गत ही राजस्थानी को माना है, बल्कि उससे अलग नहीं है। मैं यह समझता हूं कि यह जो सुझाव उसके अन्दर है, उसके सम्बन्ध में जो रिजोल्यूशन है उन्होंने वक्तव्य दे दिया है। मैं अर्ज करना चाहता हूं अधिक समय नहीं लूंगा, कि यह जो भाषा अंग्रेजी है इसको तो फौरन हटाया जाय। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि उसमें शीघ्रता की जाय किये वगैर यह नहीं हो सकता है। उसमें भी सरकार की मन्शा, जैसा कि मैं देख रहा हूं कि सरकार इस रिजोल्यूशन के सम्बन्ध में, यह हो सकता है कि कानूनी दृष्टिकोण उनके सामने नाना प्रकार के खड़े हों, परन्तु उनका द्रष्टिकोण इसके प्रति कुछ उपहास सा नजर आता है। वे अवहेलना करते हैं। इस चीज को टालमटोल करना चाहते हैं, उसकी उपेक्षा करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि यह राज्य मंत्रियों के लिये जो कि इस धरती के रहने वाले हैं, इस धरती की भाषा बोलते हैं वे उस भाषा का उपहास करते हैं। तो उनके लिए बड़ शर्म की बात है, कोई अच्छी बात नहीं है। जैसा कि मैंने अभी तक देखा है, तो मेरे दिमाग में यह चीज बैठी है कि मैं उसको यह मानता हूं कि मुल्क का रहने वाला मुल्क की भाषा के सम्बन्ध में इस प्रकार का उपहास करें तो यह

(श्रीमुरलीधर व्यास)

कोई अच्छी चीज नहीं है। अभी हमारे जोशी साहब जो कि फोरिन से होकर आये हैं वे कल ही बता रहे थे कि फ्रान्स के अन्दर उन्होंने खाने के लिए कोई चीज मंगाई और वे वेजीटेरियन डाईट चाहते थे; लेकिन वेटर नॉन-वेजीटेरियन ले आया, क्योंकि वह फ्रेंच समझने वाला बॉय था। वह कुछ नहीं समझा। वह उस चीज को जानते हुए भी टालता था कि मेरे यहां बाहर से आने वाला यहां की भाषा बोलता है कि नहीं।

तो एक दूसरे देश का आदमी, जो देश बिल्कुल इंग्लैंड के पास लगा हुआ है, जिसके साथ उसका पुराना सम्बन्ध है, वहां का एक साधारण चपरासी अंग्रेजी भाषा की उपेक्षा करता है और अपनी भाषा का गौरव करता है। लाख दफा जोशीजी ने उससे कहा कि मेरे लिये यह लाओ पर वह नहीं लाया। आखिर में उनको वहां की भाषा में बताना पड़ा कि मेरे लिये यह लाओ, सब्जी लाओ तब लाया, वरना लाता नहीं। उस देश में अपनी भाषा के प्रति कितना प्रेम है।

बहुत से लोग रशिया जाते हैं और वहां के लोगों से अंग्रेजी में बात करना चाहते हैं, पर रशियन उनसे कहते हैं कि हम अंग्रेजी नहीं समझते हैं, हिन्दी में बोलो, हम हिन्दी में जवाब देंगे। इनके अलावा दूसरी जगह चले जाओ तो हर देश अपनी भाषा के प्रति प्रेम करता है, कीमत करता है। आज दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जिसमें राज्य अपने कार्यों में अपनी भाषा का उपयोग नहीं करता हो। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज १५ साल बाद भी जिन अंग्रेजों ने हमको कुचल कर रखा, गुलाम बनाया, आज हम उन्हीं की भाषा को वार बार तरजीह देते हैं, उसको आगे बढाते हैं। उसको समाप्त करने के लिये बार बार कहा जाता है और लोग चाहते हैं कि यह गुलामी की बेड़ी है जो हमेशा के लिये हट जाय, नहीं तो इससे भी अधिक गुलाम बनना पड़ेगा। इसलिये मैं मानता हूं कि यह बड़े ही महत्व का प्रस्ताव है, करोड़ों लोग इसको चाहते हैं, हर आदमी यह चाहता है कि हमारे यहां हिन्दी भाषा का प्रयोग हो। हिन्दी का प्रयोग होता है तो याद रखिये आपके यहां जो भृष्टाचार के मामले साल में १० हजार, २० हजार होते हैं यदि हिन्दी का प्रयोग होने लगा तो भृष्टाचार के मामले खत्म हो जायेंगे और शोषण से भी लोगों को राहत मिलेगी। छोटी-मोटी बातों में, जैसे अंग्रेजी में कोई अर्जी टाइप कराती है तो ज्यादा पैसा मांगते हैं, हिन्दी में थोड़ा पैसा लगता है। हर प्रकार से शोषण होता है।

मुझे याद है इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में, जो जामसर में डिस्प्यूट हुआ उसके लिये एक मद्रासी जज आये। रिट्रेन्चमेन्ट और विक्टीमाइजेशन का मामला था, उसके लिये उसने वकील खड़ा किया वह हिन्दी नहीं जानता था, अंग्रेजी जानता था। इसलिये हिन्दी में जवाब देता था, लेकिन दूसरा वकील गलत तरीके से जज के सामने बताता था कि यह यह कहता है। मैं यह कहता हूं कि एक मजदूर को विटनेस के लिये आना पड़ता है और अपनी बात कहनी पड़ती है वह हिन्दी में ही कह सकता था, लेकिन जो वहां पर जज बुलाया वह हिन्दी नहीं जानता था, गृह मंत्री जी कह रहे थे कि ऐसा नहीं होता, लेकिन क्योंकि इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का डिस्प्यूट केन्द्र से तालुक रखता था इसलिये वहां पर अंग्रेजी जानने वाला जज आया....

श्री कुमारानन्द : इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में भी हिन्दी चलती है।

श्री मुरलीधर व्यास : हिन्दी चलती तो है लेकिन वह जज हिन्दी नहीं जानता था, इसलिये क्या करते दूसरों का सहारा लेना पड़ा। इसलिये मेरा कहने का मतलब यह

(श्री मुरलीधर व्यास)
है कि इसको फौरन समाप्त करना चाहिये। यह गुलामी लाने वाली भाषा है, शोषण और भ्रष्टाचार से भरी है। यदि आप इन तीनों चीजों को समाप्त करना चाहते हैं तो हमे फौरन हिन्दी भाषा लागू करके हिन्दी को मान्यता देनी चाहिये, वरना हमारी रक्षा इससे नहीं होगी।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है, कोई भी ऐसा राजस्थान का नागरिक नहीं हो सकता, या कोई भी ऐसा भारत का नागरिक नहीं हो सकता जिसको हिन्दी के लिये प्रेम न हो। चाहे हम देश की मुख्तलिफ पार्टियों में बैठे हों, चाहे सदन के इस ओर या उस ओर बैठे हों, हम सब को हिन्दी के लिये प्रेम है और हरेक पेट्रियोट के लिये, हरेक देश-भक्त के लिये आज हिन्दी के लिये प्रेम रखना, हिन्दी भाषा की इज्जत करना और हिन्दी का इस देश में प्रसार और प्रचार हो सके, ऐसा सोचना आवश्यक है और हिन्दी के जरिये देश की सेवा हो सके.....

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत (भीम): उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी की तरफ से कोई नहीं बोला, इसलिये बोलने की इजाजत दी जाये।

श्री उपाध्यक्ष: टाइम कम है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत: किसी एक व्यक्ति को तो इजाजत दी जाये।

श्री उपाध्यक्ष: पहले आपको बोलने दीजिये।

श्री मथुरादास माथुर: माननीय उपाध्यक्षजी, मैं शुरू में ही निवेदन कर देना चाहता हूं कि जहां तक भावना से संबंध है, जहां तक हिन्दी से प्रेम करने का सवाल है, मेरा ख्याल है कि इसमें किसी का मतभेद नहीं हो सकता। इसमें भी दो राय नहीं हो सकती कि राजस्थान जैसे प्रदेश में जहां पर हिन्दी हमारी प्रान्तीय भाषा भी है और हमारे देश की हिन्दी राष्ट्रभाषा भी है। यहां पर कठिनाई दूसरे प्रान्तों के मुकाबले में, जो अहिन्दी भाषी, प्रान्त हैं उनके मुकाबले में हमारे यहां कठिनाई कम होनी चाहिये।

माननीय उपाध्यक्षजी, जो प्रस्ताव सदन के सामने रखा गया है वह प्रस्ताव आम तौर से हिन्दी भाषा के लिये ही नहीं है बल्कि एक सीमित प्रस्ताव है। प्रस्ताव की भाषा यह कहती है कि हमारा यह सदन सिफारिश करता है कि राष्ट्रपति की आज्ञा से राज्य की सभी अदालतों में अंग्रेजी भाषा तुरन्त बन्द करदी जाये। जहां तक इस प्रस्ताव का सम्बन्ध है मैं इसकी सीमा में ही आपसे निवेदन करूंगा। प्रश्न यह है कि हमारे प्रान्त के अंदर जितनी अदालतें हैं उनमें अंग्रेजी भाषा का प्रयोग बंद करना चाहिये। प्रस्ताव बहुत सरल है, सूक्ष्म रूप में रखा गया है। हिन्दी का प्रचार युनिवर्सिटी आदि में हो या न हो, यह इस प्रस्ताव से संबन्ध नहीं रखता है। सीधे तौर से अदालतों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग बंद कर देना चाहिये, यह प्रस्ताव है। हमारे यहां उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी अदालत हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट के अंदर भाषा के प्रयोग के सिलसिले में हमारे विधान की धारा ३४८ मौजूद है। यह ऐतराज हुआ था जब शुरू में इस संबंध में तो एक माननीय सदस्य ने चर्चा की, उस वक्त इस धारा का जिक्र हुआ था। धारा ३४८(२) के हिसाब से यह मामला हमारे राष्ट्रपति, गवर्नर की सिफारिश पर चलाते हैं और हमारे यहां पर उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री मथुरादास माथुर)
आज नहीं, माननीय सदस्य तो आज सन् ६३ में यह प्रश्न रखते हैं, लेकिन हमारे यहां जब राजस्थान बी० स्टेट था, तब हमारे यहां गवर्नर के स्थान पर राजप्रमुख महोदय हुआ करते थे, उस वक्त भी सन् ५० में, १४ फरवरी, सन् ५० को इस तरह का आदेश जारी कर दिया गया था और वह आदेश में आपके सामने पढ़ कर सुनाता हूं :

'In pursuance of clause 2 of Article 348 of the Constitution of India, His Highness the Raj Pramukh is pleased to authorise with the previous consent of the President of India the use of Hindi language under the proceedings of the High Court of Rajasthan to the extent permissible under the provisions of the said clause'.

माननीय उपाध्यक्षजी, सन् ५० में राजप्रमुख महोदय ने यह आदेश जारी कर दिया था कि हाई कोर्ट में हिन्दी भाषा का प्रयोग होना चाहिये, सिवाय उन्होंने यह कहा था कि ३४८ धारा में जो प्रोवीजो है उसमें यह कहा गया है कि अदालतों के फैसले, जजमेन्ट, डिक्री और उसका हुक्म, उनकी आज्ञा के अलावा अन्य सारे काम में हिन्दी का ही प्रयोग होना चाहिये।

सन् १९५० में इस तरह का हुक्म राज्य सरकार की तरफ से, राष्ट्रपति की आज्ञा से राजप्रमुख महोदय ने निकाला। आज के दिन यदि कोई कहे कि राज्य सरकार हिन्दी के लिए सचेत नहीं है तो उनका कहना ठीक नहीं है।

उसके बाद, माननीय उपाध्यक्षजी, हमारे नीचे दीवानी अदालतें आती हैं, फौजदारी अदालतें आती हैं। हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट जजेज हैं, सिविल जजेज हैं, एडीशनल सिविल जजेज हैं और मुन्सिफ लोग होते हैं। जहां तक इनका प्रश्न है, राज्य सरकार ने १९६१ में यह आज्ञा निकाली थी, जिसमें जाब्ता दीवानी की दफा १३७ के मातहत यह हुक्म कर दिया गया था। सबसे पहला हुक्म १९६० में निकाला गया, फिर १९६१ म यह कह दिया गया था :

"Hindi shall be the language of all Courts subordinate to the High Court."

श्री रामकिशन (वैर) : वह आर्डर भी अंग्रेजी में था।

श्री मथुरादास माथुर : वह हिन्दी में भी छपा था। अंग्रेजी से इतनी छूआछूत मत कीजिए। मैं भी हिन्दी का प्रेमी हूं, लेकिन अंग्रेजी का पल्ला ही नहीं पकड़ना, मैं इस चीज को नहीं मानता।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : हिन्दी में भी आदेश थे या नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर : हिन्दी में थे।

"Hindi shall be the language of all courts subordinate to the High Court and the characters of Hindi in proceedings in all such courts will be in Devnagri."

यह १९६१ में हुक्म शाया हो गया था दफा १३७ जाब्ता दीवानी के मातहत। इस तरह से फौजदारी मामलात में इस तरह का हुक्म हुआ था दफा ५५८ जाब्ता फौजदारी के मातहत। उसमें कहा गया है कि सभी

(श्री मथुरा दास माथुर)

फौजदारी अदालतों में हिन्दी का उपयोग होगा। फिर भी वह प्रोविजो लगा दिया गया:

"Provided that the District Judges and Civil Judges may write judgments in English."

इससे यह साफ जाहिर होता है कि जहां तक अदालतों का प्रश्न है और यह सिर्फ अदालतों के बारे में है, इसलिए मैं विधि मंत्री होने के नाते जवाब देने के लिए खड़ा हुआ हूं।

हिन्दी का चौमुखी विकास हो जाय, शिक्षा में और दूसरे मामलों में, यह प्रश्न सदन के सामने नहीं है। सदन के सामने प्रश्न यह है कि अंग्रेजी भाषा का प्रयोग अदालतों में बन्द हो जाना चाहिये और इसके ऊपर मैंने राज्य सरकार की तरफ से जो तीन आदेश जारी किये गए हैं, उनका जिक्र किया। एक भारत के संविधान के नीचे, दूसरा जाब्ता दीवानी के नीचे और तीसरा जाब्ता फौजदारी के नीचे। ये सब आज्ञाएं मैंने सदन के सामने इसलिए प्रस्तुत की है ताकि सदन को विश्वास हो जाये कि राज्य सरकार इस विषय में जागरूक है और वह चाहती है कि हिन्दी में और देवनागरी लिपि में वह कार्यक्रम चलना चाहिए और सिर्फ हाई कोर्ट जजमेंट्स, प्रोसीडिंग्ज, ऑर्डर्स, सेशन्स कोर्ट्स के जजमेंट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जजमेंट्स, डिक्रीज और ऑर्डर्स अंग्रेजी में दिये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कई वजुहात हैं क्योंकि राज्य सरकार ने १९६० के अंदर इस तरह का हुक्म जारी कर दिया था। जिसमें जजमेंट्स के लिए ऐसा नहीं लिखा गया था। जहां तक डिस्ट्रिक्ट और सैशन्स का सवाल है और सिविल जजेज का सवाल है, हमें जाब्ता दीवानी दफा १३७ और १३८ और जाब्ता फौजदारी ५५८ के नीचे हाई कोर्ट की राय लेकर ही राज्य सरकार को आदेश जारी करने पड़ते हैं।

इसमें भावना का प्रश्न नहीं है। इसमें दो राय नहीं हो सकती कि इस ओर बैठने वालों को हिन्दी के लिए भी उतना ही उत्साह है जितना कि उस ओर बैठने वालों को। हिन्दी के प्रश्न को राजनीति में नहीं लाना चाहिए और हिन्दी के कारण अपनी पार्टी को या अपने व्यक्तित्व को हिन्दी का प्रेमी समझकर प्रचार करते हैं तो वह अहितकर है। यह प्रश्न सब के लिए है, क्योंकि अपनी भाषा से सबको प्रेम है। हम उठते बैठते, खाते और पीते समय हिन्दी और राजस्थानी बोलते हैं। आपका प्रस्ताव है कि अंग्रेजी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिशा में राज्य सरकार बराबर १९५० से ही कोशिश कर रही है। लेकिन हमारे सामने एक कठिनाई है, उसको सभी माननीय सदस्य अनुभव करेंगे, खास तौर से जो अदालतों में वकालात करते हैं, वे ज्यादा अनुभव करते हैं।

बद्किस्मती से हमारा देश सदियों से साम्राज्यवादियों का गुलाम रहा है और उन्होंने इस देश का चरित्र बिगाड़ने के लिए सबसे पहला जो काम किया वह था अपने यहां अंग्रेजी भाषा का प्रचार और प्रसार, जिसकी वजह से हम लोगों की शिक्षा आदि सब अंग्रेजी में हुई। इसकी वजह से ही हमारी पुरानी पीढ़ी के जो मध्यम श्रेणी के लोग थे उनको भी वक्त के अनुसार अंग्रेजी पढ़नी पड़ी। इसलिए आज हमारा जुरिस्प्रुडेन्स मनु के आधार पर न बनकर ब्रिटिश जुरिस्प्रुडेंस के आधार पर बना हुआ है। यह सब एक दिन में कैसे हटाया जा सकता है, जो चीज सदियों से चली आ रही है। यही कारण है कि हमारे यहां कानून की किताबें भी अंग्रेजी में बनी हुई हैं; जैसे पीनल कोड, एवीडेन्स एक्ट-ये सब हमने

(श्री मथुरादास माथुर)

ब्रिटिश पैटर्न पर यहां मन्जूर किये, परन्तु उसके बाद उसमें परिवर्तन आ रहे हैं । अब इससे संबंधित हमको सारी किताबें हिन्दी में बनानी पड़ेंगी । खास करके जो लीगल लेंग्वेज है, कोडिफिकेशन की भाषा है उसके लिए हमको शब्द बनाने पड़ेंगे। लफ्ज बनाये जाते हैं । अंग्रेजों को भी लेटिन, रोमन और न जाने कहां कहां से लफ्ज कोइन कर बनाने पड़े थे । अपने यहां भी ऐसा समय आएगा जब कि एक भाषा बन जायगी, लेकिन वक्त लगता है ।

भारत सरकार ने लेंग्वेज कमीशन का निर्माण किया । कुछ ही दिन पहले राजस्थान में लेंग्वेज कमीशन के लोग आए थे, उनमें डाक्टर मौलीशचन्द शर्मा भी थे । उनसे चर्चा हुई । ये लोग बैठकर शब्द कोइन करते हैं । ये सब लोग इसमें ल े हुए हैं । इतना ही नहीं, जब हमारी हिन्दुस्तान की सरकार फैडरल स्टक्चर की है, जिसकी वजह से एक सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग हाई कोर्ट्स हैं । उन सब की जजमेंट्स होती हैं। प्रिसी-डेन्स बनेंगे, केस लाज बनेंग । तो ये सब ऐसे होने चाहिए कि हमारी हाई कोर्ट के एक लफ्ज का दूसरा माईना न निकाला जाय बल्कि लोगों को प्रोवोकेशन होता है, क्योंकि ऐसे भी लफ्ज हैं जिनको मैं इस सदन में नहीं कहना चाहता, जिनके अर्थो में भेद होता है, जो शब्द का अर्थ हमारे यहां अच्छा है, वह दूसरे स्थान पर बुरा अर्थ रखता है । कमीशन इस सम्बन्ध में काम कर रहा है, उसने कुछ शब्द बनाये हैं जो महाराष्ट्र में भी काम आयें और गुजरात में भी काम आयें और एक ही अर्थ रखते हों, ताकि जो भाषा या लीगल लेंग्वेज पैदा करनी है वह ऐसी हो कि जिसके लफ्ज सब जगह खप जांय और जिनकी वजह से एक युनिफाइड लीगल लेंग्वेज पैदा हो सके और जिसके जरिये अदालतों में काम कर सकें । इस वक्त तक उन्होंने जितने शब्द बना लिये हैं, माननीय उपाध्यक्षजी, उनके एक्चुअल फिगर्स मुझे इस वक्त याद नहीं हैं । मुझे उस वक्त याद थे जब यहां पर कमीशन आया था और मैंने उससे बात की थी । तो हजारों लफ्ज ऐसे बन चुके हैं जो सब जगह काम आ सकें । यह कमीशन हिन्दुस्तान के मुख्तलिफ प्रान्तों में घूम घूम कर यह देख रहा है कि कौनसे ऐसे लफ्ज हो सकते हैं जो सब जगह काम में लिये जाते हैं । इसके अलावा दस-बारह डिक्शनेरीज हैं, स्टेन्डर्ड डिक्शनेरीज हैं; जैसे रघुवीरा डिक्शनेरी है । उनमें लफ्जों को कोइन करते हैं, फिर उनको अडाप्ट करते हैं और उनको अंगीकार करते हैं । उसके बाद उनका प्रचार करते हैं और प्रचलन में लाते हैं । इस तरह से हल्के हल्के यह भाषा, जो लीगल है, पैदा होती जा रही है ।

हमारे राजस्थान में भी जो स्टेट के कानून बने हैं, राजप्रमुख के समय से और जो आर्डिनेन्स निकले हैं, उनके अन्दर ५३८ शब्द हिन्दी के कोइन हो चुके हैं और बाकी और करने का कार्यक्रम चल रहा है । इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे सदन में भी हम बिल्स हिन्दी में लाने का प्रयत्न कर रहे हैं । मेरा निवेदन है कि कानून जब हिन्दी में बनेंगे, जब हिन्दी भाषा कानून की होगी, उसका विकास होगा और ज्यों ज्यों अदालतों में वकील लोग उनका प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे और काम में लायेंगे तो हल्के हल्के जो अदालत फैसला देती है, उन फैसलों में भी हिन्दी का प्रयोग शुरू कर देंगी । इस तरह जो आज हम चाहते हैं वह जल्दी से जल्दी पूरा हो, यह मैं भी मानता हूं ।

माननीय सदस्य, जिन्होंने यह रिजोल्यूशन मूव किया है, ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा

(श्री मथुरादास माथुर)

इशारा होने के बाद भी हमारे यहां की मुंसिफी अदालतों में अभी भी फैसले अंग्रेजी में होते हैं। मैं निवेदन करूं कि मुंसिफी अदालतों में मजिस्ट्रेटों ने हिन्दी में फैसला इसलिए नहीं किया है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज फैसलों की अपील हाई कोर्ट में होती है और हाई कोर्ट की जो केस बुक बनती है वह भी अंग्रेजी में बनती है। वैसे मैं मानता हूं कि राज्य सरकार का अधिकार न होते हुए भी राज्य सरकार इस सदन की भावना को उन्हें बता सकती। इसलिए हम भी वही चाहते हैं जो आप चाहते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष जो, हमारी भावनाओं में कोई मतभेद नहीं है । इसलिए मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम इसके प्रति जागरुक हैं और जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा हिन्दी का प्रयोग हमारी अदालतों में, डिस्ट्रिक्ट जजेज, सेशन्स जजेज की अदालतों में, हाई कोर्ट में हो इसके लिए सदन की भावनाओं का उन पर असर डालने की कोशिश करेंगे और इस प्रकार का असर डालने की कोशिश करेंगे कि यह जल्दी से जल्दी हो। इसके साथ ही मैं निवेदन करूं कि आर० जे० एस० के जो इम्तहान होते हैं उनमें हमने एक हिन्दी का पर्चा रखा है, वह कम्पलसरी होता है ताकि जो जज और मुंसिफ मजिस्ट्रेट बने वे फैसला हिन्दी में कर सकें। तो चारों तरफ से प्रयत्न किये जा रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया कि १९५० के बाद भारत का विधान बना, उसमें हमने रखा लेकिन जो सैकड़ों वर्षों की परम्परा हमें मिली थी और जो विदेशी हुकूमत की हमें देन मिली हुई है, यह हमारा मिसफोर्चून है कि यह देन हमें मिली हुई है–उसको पलटने का धीरे धीरे प्रयत्न किया जा रहा है और उस ओर हम बढ़ने की कोशिश करते हैं। हमारे यहां रेवेन्यू कोर्टस हैं और समस्त राज्य सरकार के कोर्टस में हिन्दी का इस्तेमाल हो रहा है। सिर्फ रेवेन्यू बोर्ड के फैसले अंग्रेजी में लिखे जाते हैं, बाकी की नीचे की अदालतों में हिन्दी के अन्दर फैसले लिखते हैं। मैं समझता हूं कि कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैंने हिन्दी के प्रयोग के लिए रेवेन्यू अदालतों, हमारी फौजदारी अदालतों और दीवानी अदालतों और हाई कोर्ट–इन सब को सम्मिलित किया है और इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने जो कदम उठाये हैं वे आपके सामने रखे हैं। इसलिए माननीय उपाध्यक्षजी, मैं उम्मीद करूंगा कि इस कार्य के अन्दर और भी तेजी हो काम तेजी से हो– यही मेरी भावना है और राजस्थान सरकार की भी यही भावना है और हम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट को आग्रह करेंगे कि इन आदेशों को पूरी तरह से देखें और इन्हें अमल में लायें। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हिन्दी अमल में लाई जायेगी और हल्के हल्के जो जजमेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होते हैं वे हिन्दी में होंगे। हिन्दी में होने भी चाहिए, यह मैं मानता हूं क्योंकि हमारे देश के लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं और इसलिए कानून की व्यवस्था में कोई चीज आ जाती है तो उसको ट्रान्सलेट कराना पड़ता है।

इन शब्दों के साथ माननीय सदस्य, जो इस प्रस्ताव के प्रस्तावक हैं, की भावनाओं की कद्र करते हुए उन माननीय सदस्य को और सदन को यह आश्वासन दे सकता हूं कि हम पूरी तरह से प्रयत्न करेंगे कि हिन्दी का ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो। मैं उम्मीद करूंगा कि ऐसे प्रस्ताव को, माननीय सदस्य मेरे एश्योरेन्स के बाद, मेरी भावना के बाद वोट के ऊपर नहीं डालेंगे। इसके साथ ही अपने सदन में इस पर बहस और चर्चा हुई है और उसके द्वारा सदन का, सरकार का और जनता का ध्यान आकर्षित किया है। इसके लिए

(श्री मथुरादास माथुर)

म उनको बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन ऐसा प्रस्ताव वोट पर नहीं डाला जाता है क्योंकि वोट पर डालने से वह मेन्डेटरी प्रोवीजन बनता है। यह कठिनाई है, इसको वे रियलाइज नहीं कर सकते और महसूस नहीं करते। इसलिए में निवेदन करूंगा कि वे इस प्रस्ताव को वोट पर न डालें वैसे उन्होंने जिस भावना से इसे रखा है उसकी में कद्र करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्तावक महोदय।

श्री रामकिशन (वैर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी ने जो सरक्यूलर निकाले हैं उनके पालन करने की उचित व्यवस्था कर दें तो इसे प्रेस करने की जरूरत नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री): में इसका उत्तर दे चुका हूं।

श्री रामकिशन: मेरा विश्वास ऐसा था कि गृह मंत्री जी के उत्तर के बाद मुझे संतोष होगा। लेकिन में निवेदन कर चूका हूं कि हमारे देश में एक ही चीज है कि धीरे धीरे अंग्रेजी को हटाओ और धीरे धीरे हटाओ का मतलब है कि कभी नहीं हटाओ। में तर्क से और प्रमाण से यह साबित कर सकता हूं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है। वैसे जहां तक माननीय गृह मंत्री जी की भावना का प्रश्न है, में उनका स्वागत करता हूं। में यह मान चुका हूं कि राजस्थान में ऐसी परिस्थिति है नहीं, लेकिन यह प्रश्न अखिल भारतीय नीति के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिये राज्य सरकार हिम्मत नहीं दिखा सकती है। मेरा पहले विचार था कि गृह मंत्री जी कोई नई बात कहेंगे और उससे प्रेरित होकर में प्रस्ताव को वापिस ले लूंगा। लेकिन पहले स्थिति जो थी अब उससे भी बदतर हो गई है। उसके एक-दो कारण हैं-एक तो यह कि गृह मंत्री जी ने दो चार आदेशों का जिक्र किया है, १९६१ और १९५० के। इसमें सबसे ज्यादा मजाक की बात तो यह है कि हिन्दी के लिए आदेश तो दिये गये हैं लेकिन वे अंग्रेजी में दिये गये हैं। इससे पता चलता है कि राज्य सरकार हिन्दी के प्रयोग के लिए कितनी गम्भीर है। कोई यह सोचे कि मुझे अंग्रेजी से नफरत है, तो में निवेदन कर दूं कि अंग्रेजी एक सम्पन्न भाषा है और संसार के सबसे बड़े भाग में बोली जाने वाली भाषा है। उसके प्रति मेरे मन में सम्मान है। में उसका विरोधी नहीं हूं। लेकिन अगर हिन्दुस्तान में उसका प्रयोग होता है तो हम उसको सामन्ती भाषा कहते हैं और अंग्रेजी का प्रयोग अगर हाई कोर्ट में हो, छोटी कोर्ट्स में हो तो वह गलत है। वैसे अंग्रेजी एक सम्पन्न भाषा है, जीवित भाषा है और उससे हमें कुछ सीखना चाहिये, लेकिन अदालतों में राज-काज में इसका प्रयोग नहीं होना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि राजस्थान सरकार आदेश दे दे, लेकिन उनमें (May) 'में' लगा दे तो नतीजा यह होता है कि उनका पालन नहीं करते हैं। अगर आदेश में यह लिख दें कि अधिकारी फैसले हिन्दी में लिखेंगे, नहीं तो उन्हें सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ेगी तो में समझता हूं कि पन्द्रह दिन क अन्दर आदेशों का पालन हो जायगा। में आपको एक उदाहरण दूं कि यह भरतपुर स्टेट के जमाने का उदाहरण है कि उस समय अदालतों में फारसी चलती थी। रामसिंह जी ने उर्दू चलाई। उनके तीस चालीस

(श्री रामकिशन)
साल बाद किशनसिंहजी आये तो उन्होंने कहा कि तीन महीने के अन्दर सरकार के अधिकारी फैसला हिन्दी में देना शुरू करदें, वे उर्दू से शब्द ले सकते हैं लेकिन टूटी-फूटी हिन्दी में ही फैसला दें और अगर किसी ने हिन्दी में फैसला देना शुरू नहीं किया तो उसको बर्खास्त समझा जायगा। उसके बाद सबने हिन्दी में फैसला देना शुरू कर दिया । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक भी सरकारी कर्मचारी नहीं है जिसको हिन्दी नहीं आती हो । लेकिन अपने आदेशों में अगर 'मे' (May) करदें, 'Should, would' कर दें तो उसका कोई मतलब नहीं होता है । इसलिए मेरा निवेदन है कि इस मामले पर वोट लेनें चाहिए। इसकी मैं मांग भी कर सकता हूं, इसके अन्दर हमारा विधान भी 'बाधक नहीं है क्योंकि हाउस एक सिफारिश कर रहा है राष्ट्रपति से। अगर वे उचित समझेंगे तो इसको अमल में लायेंगे और उचित नहीं समझेंगे तो अमल में नहीं लायेंगे । इसलिए इसमें विधान बाधक नहीं है कि राज्य सरकार राष्ट्रपति को सिफारिश नहीं करे। लेकिन राज्य सरकार ने इसे संविधान और परम्पराओं में जकड़ दिया है। अगर कोई क्रांतिकारी कदम हो तो सरकार परम्परा का जिक्र करेगी लेकिन गलत कार्य कभी कर देगी। यह करोड़ों लोगों की जिन्दगी का सवाल है, इसे वे भी मानते हैं और यह भी मानते हैं कि इसकी वजह से भृष्टाचार चलता है और लोगों को तकलीफ होती है क्योंकि उनका अदालतों से सम्बन्ध है। अदालतों से अंग्रेजी हट जाये तो लोगों को मुकद्में पेश करने और आवेदन-पत्र देने में सहूलियत होगी। अब उस सम्बन्ध में हिन्दी में कानून बनाने की बात है उसके लिए राज्य सरकार कुछ अनुवादक रखदे। वे कानूनों का अनुवाद करें। उन्होंने यह भी कहा कि हिन्दी में शब्द नहीं है इसके लिए मैंने जैसा अर्ज किया कि प्रयोग के अन्दर जो शब्द आते हैं उनको ले लिए जाय। जैसा कि मैंने कहा अंग्रेजी कोई भाषा नहीं है, उसमें फ्रेंच के शब्द हैं, उसमें लेटिन के शब्द हैं। इसी तरह हिन्दी भाषा का भी रूप यह नहीं रहेगा। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूं कि श्री सतीश-कुमार ने मेरे पास एक संशोधन भेजा है, जिसमें कहा है कि अदालत की जगह न्यायालय हो, मैं कहता हूं, यह वाहियात बात है। भारतवर्ष में जो भी जीवित भाषा है, उर्दू भाषा है, तामिल भाषा है, तेलगू भाषा है, मराठी है, गुजराती है उनसे शब्द लेकर हिन्दी भाषा बना दें और उसका अदालतों में प्रयोग हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं है।

एक बात मैं और बता देना चाहता हूं कि राज्य सरकार में कितना अंधेर है। सरकार किस प्रकार उल्टा काम कर रही है। युनिवर्सिटी ने नियम बनाया है कि जनरल इंग्लिश में ८० प्रतिशत नम्बर जो लड़का लावेगा वही पास समझा जावेगा। भला आप समझें कि क्या इससे ज्यादा लाभ गरीबों के लड़कों को हो सकेगा। नहीं गरीबों के लड़के ८० प्रतिशत नम्बर नहीं ला सकेंगे, ८० प्रतिशत नम्बर तो ज्यादा बड़े बड़े अधिकारियों व अमीरों के लड़के ही ला पावेंगे जो सेन्ट जेवियर या किसी दूसरी अंग्रेजी स्कूल में पढे हों या प्राईवेट ट्यूशन घर पर मास्टर रख कर करते हों। इसलिए यह जो नियम बनाया है उसके आधार पर बड़े बड़े अफसरों के लड़के ही उच्च स्थानों को प्राप्त कर पावेंगे क्योंकि भील, मीने, रेगर और अन्य गरीब हरिजनों के लडके ८० प्रतिशत नम्बर प्राप्त नहीं कर पावेंगे और वे फेल होंगे और उसका नतीजा यह होगा

Page No 71

(श्री राम किशन)

कि उनको कोई चपरासी भी नहीं रखेगा। जमीन आप उन लोगों को देते नहीं और पढ़ने के लिए आपने जनरल अंग्रेजी में ८० प्रतिशत नम्बरों का प्रतिबन्ध लगा दिया। इसके लिये मैं तो यही कहूंगा कि यह एक गरीब लोगों को उच्च पद प्राप्त करने से रोकने के लिए बड़े बड़े लोगों का एक योजना-बद्ध षड़यन्त्र है।

इसके बाद में उस बात पर आता हूं जो अभी माननीय मंत्री महोदय ने कही। मंत्री महोदय ने कहा कि आप इसको वापिस ले लें और वोट के लिए प्रेस न करें। क्योंकि सरकार ने क्लेक्टर आदि को हिन्दी में काम करने के लिए आदेश और आज्ञाएं पहले ही जारी कर रखी है, लेकिन मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि आपकी उन आज्ञाओं को मानता कौन है ? आप किसी भी क्लेक्टर के १० फैसलों को उठा कर देख लीजिये, आपको मालूम हो जाएगा कि आपके आदेशों का पालन किस प्रकार से हो रहा है और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि आप जाकर देखें कि कौन क्लेक्टर हिन्दी में अपना फैसला देता है। १५ सालों से जब हम आजाद हुए, सुनते आ रहे हैं कि हिन्दी हो जाएगी, लेकिन आज तो हम देखते हैं कि पहले से भी ज्यादा अंग्रेजी का प्रयोग होने लगा है। हर एक क्लेक्टर या अधिकारी अंग्रेजी लिखना अपनी शान और फेशन समझता है।

एक माननीय सदस्य: उनकी भाषा कैसी होती है ?

श्री रामकिशन : भाषा तो बिल्कुल टूटी-फूटी ही लिखते हैं, लेकिन लिखते अंग्रेजी ही हैं। विदेशी भाषा है इसलिये विदेशी भाषा में वे पारंगत तो नहीं हो सकते। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सरकार राज-काज की भाषा हिन्दी के लिये सिफारिश करे और इसमें कोई वैधानिक आपत्ति, मैं समझता हूं, नहीं आवेगी।

इस संकल्प पर एक माननीय सदस्य ने संशोधन रखा कि अदालतों के स्थान पर "न्यायालय" शब्द का प्रयोग हो। मैं समझता हूं कि हिन्दी का मतलब संस्कृत समझ लिया है। मगर मेरा मतलब चालू शब्दावली से है, जिसमें हिन्दी, उर्दू व अंग्रेजी आदि सभी के काम में आने वाले शब्द हैं, वे लिये जावें। इस प्रकार की काम चलाने के लिये भाषा भी मिल जावेगी और उसमें भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आवेगी और जो स्थिति है वह चलती रहेगी।

इसलिये मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा और मंत्रियों से भी निवेदन करूंगा कि वे इस पर गंभीरता से विचार करें क्योंकि कि इसमें छोटे छोटे और गरीब लोग ही मरते हैं। इसलिये आप इस पर विचार करें।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि श्री विजयसिंह झाला ने अपना संशोधन प्रस्ताव रखा है उसे स्वीकार किया जावे।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): I beg leave to withdraw my amendment, Sir.

श्री उपाध्यक्ष: क्या सदन की मंशा है कि श्री विजयसिंह झाला ने जो संशोधन रखा है उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

(आज्ञा प्रदान की गई)

Page No 72

श्री विजयसिंह झाला: मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूं ।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेडा): मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेने की इजाजत चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: क्या सदन की मंशा है कि श्री अब्दुल जब्बार ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

(आज्ञा प्रदान की गई)

श्री अब्दुल जब्बार: मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

एक माननीय सदस्य: उन्होंने मूव ही नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मुरलीधर व्यास ।

श्री मुरलीधर व्यास: रखा है वह रहेगा। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि श्री मुरलीधर व्यास ने रखा वह स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

(संशोधन अस्वीकृत किया गया)

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि जो संकल्प श्री रामकिशन ने रखा है उसको स्वीकार किया जावे।

(मतदान के पश्चात्)

(ना पक्ष जीता)

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): हां पक्ष जीता।

श्री उपाध्यक्ष: मैं पुनः इस प्रश्न को रखता हूं ।

प्रश्न यह है कि जो संकल्प श्री रामकिशन ने रखा है उसको स्वीकार किया जावे ।

(पुनः मतदान के पश्चात्)

(ना पक्ष जीता)

श्री विजयसिंह झाला: हां पक्ष जीता।

श्री रामकिशन (वैर): ना पक्ष जीता आप घंटी बजावें।

श्री उपाध्यक्ष: मैं पुनः इस प्रश्न को रख सकता हूं ।

श्री विजयसिंह झाला: We want Division, Sir.

(विभाजन घंटी के पश्चात्)

श्री उपाध्यक्ष: Order please.

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संकल्प श्री रामकिशन ने रखा है उसे पारित किया जावे ?

(मतदान के पश्चात्)

(ना पक्ष जीता)

श्री विजयसिंह झाला: हां पक्ष जीता।

श्री उपाध्यक्ष: 'ना' पक्ष वाले 'हां' पक्ष की लोबीज में जावेंगे और 'हां' पक्ष वाले 'ना' पक्ष की लोबीज ।

श्री रामकिशन: खड़े होकर भी मत ले लें।

श्री उपाध्यक्ष: If the House so wishes.

'हां' पक्ष वाले खड़े हो जावें।

('हां' पक्ष वाले खड़े हुए)

आप अपना स्थान ग्रहण करें।

अब 'ना' पक्ष वाले खड़े हो जावें।

('ना' पक्ष वाले खड़े हुए)

कृपया स्थान ग्रहण करें।

'हां' पक्ष जीता। I am sorry.

'ना' पक्ष जीता। संशोधन गिर गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी, बाजार जयपुर): Point of Order, Sir, मैं आपका ध्यान रूल २८६ की ओर दिलाना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो एक हिन्दी के संबंध में प्रस्ताव रामकिशनजी ने प्रस्तुत किया उस पर जो यहां पर मत लिये गये, और मत लेने के बाद आसन की ओर से घोषणा की और इस संबन्ध में यह निर्णय लिया गया कि हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

श्री उपाध्यक्ष: मैं उसके बाद तुरन्त ही रेगुलेट हो चुका। यह मेरी कभी मंशा नहीं थी कहने की 'हां' पक्ष जीता लेकिन Slip of tongue हो गया। 'ना' पक्ष' जीता और मेरा निर्णय है कि 'ना' पक्ष जीता। इसके अलावा इस पर कोई बहस नहीं होगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: मैंने संकल्प के संबंध में पोइन्ट आॅफ आॅर्डर रेज किया है। इस पोइन्ट आॅफ आर्डर को सुनने के बाद चाहे जो निर्णय दें।

श्री उपाध्यक्ष: इसके अलावा कोई पोइन्ट आॅफ आॅर्डर हो तो आप कहें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: चैअर ने अपना डिसिजन एनाउन्स कर दिया। चेयर की मंशा क्या है, यह हम नहीं जान सकते, लेकिन चेयर से जो एनाउन्समेंट होता है वही चेयर की मंशा होती है। वही चेयर की मंशा सदन समझता है और आपने अपना निर्णय ध्वनि विस्तारक यंत्र से घोषित कर दिया है और जो आपने एनाउन्समेंट किया वही आसन की मंशा और निर्णय समझता हूं और मेरा यह निवेदन है कि आसन की ओर से एक बार निर्णय दिया गया उससे यह संकल्प पारित हो गया और यह पारित होने के बाद आसन को कोई अधिकार नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष: जो आपत्ति उठाई गई है उसके बारे में मेरा निर्णय हो चुका है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं आपका ध्यान रूल २८६ के साथ रूल २८७ की ओर दिलाना चाहता हूं। सब-रूल (३) इस प्रकार है।

"(3) The result of the Division shall be announced by the Speaker and it shall not be challenged".

मेरा निवेदन करना यह है कि आप स्वयं अपने निर्णय को चैलेंज करते हैं; पर आप चैलेंज नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता; आपका निर्णय चैलेंज नहीं हो सकता, परिवर्तित नहीं हो सकता

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

इसलिये नियमों के अनुसार यह संकल्प पारित हो गया। इस वक्त आसन को कोई अधिकार नहीं कि उस निर्णय को परिवर्तित करे।

श्री उपाध्यक्ष : जो माननीय सदस्य ने आपत्ति प्रस्तुत की है उस आपत्ति के विषय में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो वस्तुस्थिति थी वह मैं रख चुका हूं। यदि प्रोसीजर के ऊपर ही जोर दिया जाता है तो पार्लियामेंटरी प्रोसीजर हम बराबर देखते आये हैं, वह यह रहा है कि आसन से दो बार घोषणा होती है। मैंने पहले एक बार स्लिप आफ टंग किया, दूसरी बार घोषणा करने से पहले ही मैंने अपने आपको सुधार लिया। इतना ही नहीं अपनी घोषणा करने के बाद मेरे लिये यह भी कहना बाकी रह गया कि संकल्प गिर गया अथवा संकल्प पारित हुआ। जब तक कि मैं यह घोषित नहीं करदूं रूल २८७ के सब-रूल (३) के मातहत कि संकल्प पारित हुआ या संकल्प गिर गया, तब तक मेरी घोषणा पूरी नहीं होती। "संकल्प पारित हुआ", मेरे द्वारा इस प्रकार की घोषणा करने के बाद ही संकल्प पारित हुआ समझा जायगा। पहली बार जो स्लिप ऑफ टंग हुआ दूसरी बार की घोषणा के पहले ही मैंने अपने आपको सुधार लिया और निश्चित रूप से घोषित कर दिया कि संकल्प गिर गया। अतः मैं माननीय सदस्य द्वारा जो आपत्ति उठाई गई है उसे निरस्त करता हूँ।

श्री सतीशचन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान रूल २८६ के सब-रूल (२) की ओर दिलाना चाहता हूं : "(2) The Speaker shall then say: 'I think the Ayes (or the Noes as the case may be, have it' If the opinion of the Speaker as to the decision of a question is not challenged, he shall say...."

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री शिक्षा): Point of order, Sir, the point has already been decided......

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): Point of order, Sir.

श्री उपाध्यक्ष: There is one point of order, and then there is another point of order. How can there be a third point of order......

श्री मुरलीधर व्यास: उपाध्यक्ष महोदय,

श्री निरंजननाथ आचार्य : The Chair is on its legs, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय में आसन से अन्तिम निर्णय दिया जा चुका है और वह चैलेंजेबल नहीं है।

(शोर गुल)

Order please ! इस विषय में अन्तिम निर्णय दिया जा चुका है। मैं फिर स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूं कि जो अभी माननीय सदस्य ने आपत्ति उठाई, रूल २८६ के सब-रूल (२) पर मेरा ध्यान आकर्षित किया; उसमें जो दिया है "I think the Ayes (or the Noes as the case may be) have it......."

मैं घोषणा करने के प्रोसेस में था तभी मैंने सुधार कर लिया और घोषणा की स्थिति में स्पष्ट घोषणा की है और उसमें यह कहा गया है कि संकल्प गिर गया......

श्री मुरलीधर व्यास : Point of order..

श्री उपाध्यक्ष : Now I will not allow any point of order on this.

श्री मुरलीधर व्यास: मेरा दूसरा पोइन्ट आॅफ आर्डर है। आपने अभी यह निर्णय दिया कि एक दफा पोइन्ट आॅफ आर्डर उठाया उसके बारे में आपका निर्णय........

श्री उपाध्यक्ष : आप फिर वही कह रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास: मैं वही नहीं कह रहा हूं रूल २८७ (३) में है:

"विभाजन का परिणाम अध्यक्ष द्वारा विघोषित किया जायेगा और उस पर आपत्ति नहीं की जायेगी।" तो आपकी तरफ से परिणाम विघोषित करने के बाद न आपत्ति कर सकते हैं और न फिर घोषणा कर सकते हैं ....

श्री निरंजननाथ आचार्य: It amounts to canvassing the ruling, Sir. He is canvassing the ruling.

श्री मुरलीधर व्यास : उपरोक्त रूल के सब-रूल (३) के अनुसार आपके द्वारा परिणाम घोषित किया गया, उसके बाद किसी माननीय सदस्य को आपत्ति प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है और आपके निर्णय को बदलने का तो सवाल ही नहीं। पहली बात तो यह है कि आप ....

श्री उपाध्यक्ष: आपत्ति का कोई प्रश्न नहीं और निर्णय भी स्पष्ट है। इस संबंध में मेरा अन्तिम निर्णय हो चुका है। Now the Second resolution. Shri Brij Sundar Sharma.

(६·१७ म. प.)

संकल्प प्रस्तुतकर्त्ता सम्बंधी औचित्य प्रश्न

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर नगर): Point of order, उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मूवर दो हैं। बैलट द्वारा निश्चय किया जाता है उसमें एक आदमी का नाम आता है। धारा २५ में जो बेलट की व्यवस्था दी गई है उसके अनुसार एक ही के नाम बेलट आयेगा, दो मूवर फिर कैसे हैं?

श्री उपाध्यक्ष: इस विषय में स्पष्ट है कि केवल एक ही मूवर हैं और वे हैं माननीय श्री बृज सुन्दर शर्मा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) इसमें दो मूवर हैं, एक माननीय और दूसरी एक माननीया महिला।

श्री मुरलीधर व्यास: पर्चियां आप निकालेंगे तो दो नाम कैसे आ सकते हैं, दो बेलट किस प्रकार से निकाल सकते हैं?

श्री उपाध्यक्ष: इस विषय में मूवर केवल श्री बृज सुन्दरजी हैं।

श्री मुरलीधर व्यास: मैं कहता हूं कि किसी न किसी नियम के अन्तर्गत तो सारी कार्यवाही चलती है। नियम यह है कि एक ही सदस्य कोई रिजोल्यूशन रख सकता है, दो नहीं रख सकते। इसके बावजूद दो सदस्यो ने रखा है और बेलट से तय हुआ है तो एक सदस्य का ही बैलट निकल सकता है, दो के नाम नहीं हो सकते। इसलिये मैं समझता हूं सारी कार्यवाही गलत हुई है और यह रिजोल्यूशन अवैधानिक है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं कार्यालय की सूचना के अनुसार बता देता हूं कि बेलट के अनुसार पहला संकल्प में रामकिशनजी का बैलट आया, उसके बाद बृजसुन्दरजी का और उसके बाद सुमित्राजी का आया इसलिये रख दिया। अपने नियम हैं उनके अनुसार मूवर केवल एक ही हैं और वे हैं श्री बृजसुन्दरजी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी): उपाध्यक्ष महोदय,......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: उपाध्यक्ष महोदय, पहले महिलाओं को चान्स देना चाहिये, माननीय सदस्य रोज बोलते हैं, इसलिये उन्हें यह चाहिये कि माननीया सदस्या को चान्स दें।

श्री उपाध्यक्ष: Order please!

श्री बृजसुन्दर शर्मा: माननीय सदस्य ने आपत्ति जाहिर है उसकी मैं कद्र करता हूँ। मैं थोड़े ही शब्दों में कहूंगा और फिर उनको चान्स मिलेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: Let the thin lady speak in preference to the fat lady.

राज्य के सरकारी कार्यालयों के समय में परिवर्तन विषयक गैर सरकारी संकल्प।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी): माननीय उपाध्यक्ष, यह जो संकल्प रखा है वह उन हजारों कर्मचारियों की आवाज है जो सरकार के अन्दर मुलाजिम हैं। पहले जो समय सरकारी कार्यालयों का निर्धारित था उससे सब लोगों को आराम था, सब उससे प्रसन्न थे। लेकिन जो नया समय निर्धारित किया गया है उससे मेरी दर्याफ्त के अनुसार मैंने कई लोगों से बातचीत की है और मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि, उन कर्मचारियों की तकलीफ बढी है। हो सकता है कि इस नये समय से हमारे कुछ अफसरान जो लंच लेने के आदि हैं उनको सुविधा हुई हो और वे अपनी मोटरों में जाकर घर से लंच लेकर आ सकते हैं, लेकिन उन हजारों कम तनख्वाह पाने वाले छोटे कर्मचारियों को कि जिनको अपने दफतर में कई मील से आना पड़ता है, जिनके साधन बहुत सीमित हैं और जो दिन भर में दो बार कोरस मील खाते हैं उनके बारे में इससे तकलीफ बढी है, उसके बारे में मैं तवज्जोह दिलाना चाहता हूं सरकार को।

एक लोअर डिविजन कलर्क, एक अपर डिविजन क्लर्क और क्लास ४ जो हमारे एम्पलोइज हैं वे इस टाइम के बदल जाने से सुबह अपने घरों से जल्दी निकल पड़ते हैं। वे अपना जो कुछ भी नाश्ता हो वह लेकर चलते हैं, और १ बजे फिर खाना, जो बिल्कुल ठंडा हो जाता है, यदि टिफिन केरियर में लाते हैं, तो उनको ठंडा खाना खाना पड़ता है। उसके साथ साथ यदि वे सुबह खाना खाकर आते हैं तो उनको दिन में भूख लगती है और उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वे किसी अन्नपूर्णा में या रेस्टोरेंट में जाकर कुछ खा पी सकें। इससे उनके खर्चे में भी वृद्धि हुई है। यदि उनके घर में कोई बीमार हो तो उनको अस्पताल जाने में भी असुविधा होती है और हुई है और साथ ही साथ शनिवार की छुट्टी रखी गई है उससे उनको कतई कोई फायदा नहीं होता है। वे शनिवार को आफत में रहते हैं कि किस प्रकार से शनिवार की छुट्टी का दिन बिताया जाय।

(६.२१ म. प.)

(श्री केसरीसिंह, सभापति पदासीन)

माननीय चेयरमैन महोदय, दूसरे देशों में ऐसी व्यवस्था हो सकती है। वे ठंडे मुल्क हैं और उनके पास साधन भी पर्याप्त हैं। उनको थोड़े पैसों में खाद्य पदार्थ मिल जाते हैं और उनकी तनख्वाह भी हमारे यहां के मुकाबले में काफी है, हमारे यहां से उनको ज्यादा तनख्वाह

(श्री वृजसुन्दर शर्मा)

मिलती है । वे अपने घरों से आते हैं नाश्ता करने के बाद ही । और उनके यहां यह एक आम रिवाज है कि दिन में खाने को लोग जाते हैं । लेकिन हमारे यहां पर, मैं निश्चित् रूप से कह सकता हूं कि ९० प्रतिशत ऐसे कर्मचारी हैं जो कि दस बजे अपना खाना खाकर दफतर के लिए चलते हैं और वापिस पांच बजे लौटने पर अपना खाना खाते हैं। गर्मी के दिनों में रात को खाना खाते हैं, ठंडक हो जाने पर खाना खाते हैं, और इसलिए इस समय के परिवर्तन से उनको काफी दिक्कतें पेश आयी हैं।

इसके साथ साथ माननीय चैयरमैन महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि क्या होगा जबकि सर्दियों के दिन आवेंगे ? किस तरह से वह क्लास ७-७॥ बजे उठकर जल्दी से जल्दी निवृत होकर ९ बजे किसी दफतर में पहूंच सकेगी और बेचारे क्लास ४ सर्वेन्ट्स को तो आध घंटे पहले पहुंचना पड़ता हैं, उससे कितनी परेशानी होगी और कितनी दिक्कत होगी । उनके घर वालों को कितनी दिक्कत होगी, यह भी तो आप देखिये । बच्चे स्कूल जांय उनके लिए अलग खाना बना कर उनको दे और घर वालों को जो दफ्तर जाने वाले हैं, उनको पहले बना कर दे । हो सकता है जिनके यहां नौकर हो और सुबह से काम करता हो, नाश्ते के लिए सब तैयार मिल जाय । लेकिन एक गृहिणी जो सुबह उठती है, वह मकान का झाडू लगायेगी, बर्तन-चौका करेगी और तब खाना बनाने के लिये बैठेगी । इतना उसके पास समय नहीं होता और यह संभव नहीं है कि वक्त पर खाना बना कर दे सके; इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस समस्या के ऊपर, इस तकलीफ के ऊपर हमारे मुख्य मंत्री, जो अभी अभी बाहर से आये हैं, बाहर का उन्होंने सारा नक्शा देखा है, बाहर की सुविधायें देखी हैं, बाहर के लोग किस तरह मालदार हैं, किस तरह उनका गुजारा होता है, आदते उनकी किस तरह की हैं, उस बिना पर समय बदलने का एक्सपेरिमेन्ट किया है तो मैं समझता हूं कि यदि सच पूछा जाय तो यह कामयाब एक्सपेरिमेन्ट नहीं रह सकेगा ।

जहां तक कर्मचारियों का ताल्लुक है उनमें इस समय को लेकर असंतोष की वृद्धि ही हुई है। काम तो उतना ही करना है, किसी तरह से काम कराइये । मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री उन सब की तकलीफों को देखेंते हुए विचार करेंगे, बड़ी सहृदयता के साथ, बड़ी सहानुभूति के साथ । मैं काफी लोगों से मिला हूं और मेरी काफी लोगों से बातचीत हुई है और सब की यही भावना है, यही इच्छा है और यही राय है ।

हमारे माननीय मित्र जो जयपुर से आने वाले हैं उन्होंने कहा है कि मैं इस प्रस्ताव पर ज्यादा न बोलूं । अत : अधिक न बोलते हुए मैं अपने इस संकल्प को इस सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं :

"इस सदन की राय है कि राज्य के सरकारी कार्यालयों का समय प्रात: दस बजे से सांय ५ बजे तक का ही रखा जाय और शनिवार की छुट्टी नही रखी जाय "

यह संकल्प इसलिए रखा है कि शनिवार के दिन जितना काम आप लेना चाहें उतना ले लीजिये और शनिवार की कोई छुट्टी नहीं रखिये । जो शनिवार की छुट्टी करते हैं इतने बचे हुए घंटों का काम उनसे आप सप्ताह में और ले लीजिये । शनिवार की छुट्टी नहीं रहने से काम के घंटे उतने ही हो जावेंगे जितने आप चाहते हैं, काम उतना ही हो

(श्री बृज सुन्दर शर्मा)

सकेगा जितना आप चाहते हैं। इतवार की छुट्टी रहती है उसमें वे लोग अपने घरका काम-काज कर सकते हैं। इससे कोई तकलीफ कर्मचारियों को नहीं होती। इतना ही कहते हुए मैं इस संकल्प को सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

श्री सभापति : श्रीमती सुमित्रा।

श्रीमती सुमित्रा (झुंझुनू) : सभापति महोदय, मेरा जो संकल्प था वह तो माननीय सदस्य द्वारा रखा जा चुका है लेकिन मैं इसका समर्थन करने के लिए खडी हुई हूं। मैं जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य की तरह से यह तो नहीं कहूंगी कि हमारे मुख्य मंत्री राजस्थान की सर्विस क्लास के लिए एक तोहफा लाये हैं बल्कि मैं तो मुख्य मन्त्री की इस बात के लिए तारीफ करूंगी और तारीफ यों करूंगी कि समाजवादी समाज की स्थापना करने में उनका जो यह कदम है वह समाजवादी समाज को दृढ बनायेगा। आप लोग शायद यह सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब डेली वेजेज पर जाने वाला मजदूर ८ बजे से लेकर शाम को ५ बजे तक काम करता है तो सरकारी कार्यालियों में काम करने वाले कर्मचाररियो का समय १० बजे से ५ बजे तक क्यों रखा जाय? खुशी की बात है उन्होंने यह बात महसूस की कि जो लोग शारिरिक श्रम करते हैं उनकी मस्तिष्क से काम करने वालों से, बराबरी की जा सकती है। इस देश की आपतकालीन स्थिति में कार्यालियों के काम में शीघ्रता आनी चाहिये और उनकी कार्यक्षमता भी बढनी चाहिये। कार्यक्षमता और शीघ्रता बढाने के लिए यह आवश्यक है कि सरकारी कार्यालयों का समय कुछ अधिक बढ़ाया जाय। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी कठिनाई भी है। प्राणी मात्र से काम उतना ही लेना चाहिये जितना उसका स्वास्थ्य अनुमति दे सके और जितना उसका शरीर बर्दाश्त कर सके।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय, मैं आपको निवेदन करूं कि आपके इस सरकारी कार्यालयों के समय परिवर्तन से बड़े बड़े अफसरों को जरूर सुविधा मिली है और वह सुविधा यों मिली है कि पहले लंच अवर्स में, बहुत कम आफिसर्स ऐसे थे जो अपने घरों पर लंच लेने के लिए जाया करते थे; वे १ या २ परसेन्ट भी नहीं थे। लेकिन जब से यह समय परिवर्तन किया गया है तब से यह शुरू हुआ है कि बड़े बड़े अफसर लोग घरों पर जाते हैं, लंच लेने के लिए। आपने समय जरूर बढाया है, लेकिन क्या आपने इस बात पर भी गौर किया है कि उनको कार से जाने में १५ मिनट लगते हैं, और १५ मिनट के बाद उनकी टेबल पर खाना आता है, आधा घंटा खाना खायेंगे और उसके बाद १५ मिनट का विश्राम लेंगे और बाद में १५–२० मिनट दफतर जाने में लग जायेगें और १५–२० मिनट काम करने के लिए मूड बनाने के समझिये इस तरह से उनके पूरे दो घंटे बरबाद होंगे। बड़े ऑफिसरों के पास मोटरें हैं इसलिये वे तो घर लंच लेने के लिये जायेगें और इस तरह से वे दो घंटों का अवकाश रखेगें। लेकिन दूसरी और जो छोटे कर्मचारी हैं, क्लर्कस हैं, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, छोटे छोटे अफसर हैं उनके लिये आपका यह समय परिवर्तन बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है। मुसीबत यों बन गया है, मैं सदन को याद दिलाना चाहती हूं, सब माननीय सदस्य इस बात को सोचें कि हिन्दुस्तान में ब्रेकफास्ट लेने वाले कितने लोग हैं? मैं समझती हूं ऐसे लोगों की संख्या केवल १० प्रतिशत है। ब्रेक फास्ट

(श्रीमती सुमित्रा)

का मतलब है जब कर्मचारी ९ बजे दफ्तर जायेगा तो वह आठ बजे ब्रेकफास्ट लेगा । में समझती हूं जो छोटे कर्मचारी हैं, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं या छोटे छोटे अफसर हैं जिनको ३००–४०० रूपये से अधिक नहीं मिलते, वे ब्रेकफास्ट अफोर्ड नहीं कर सकते ।

हिन्दुस्तान के लोग प्रातः काल चाय लेते हैं और दस बजे खाना खाकर अपने अपने कार्यालय को चले जाते हैं । ब्रेकफास्ट में अंडा होना चाहिये, टोस्ट होना चाहिय, मक्खन होना चाहिये, आप यह बता सकते हैं कि क्या एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी, छोटे क्लर्क, छोटे अफसर इतना खर्च बरदाश्त कर सकेंगे । फिर यदि ब्रेकफास्ट वह नहीं लेता है, तो अकेली चाय लेकर जायगा तो १ बजे तक उसके पेट में बिल्लियां दौडने लग जायेंगी । तो ऐसी हालत में उसका काम में कितना मन लग सकेगा, यह आप जान सकते हैं । मैं कहना चाहती हूं कि वैसे भी इस मंहगाई के जमाने में आप उन लोगों को खाना कार्यालय में ले जाकर खाने के लिये बाध्य करेंगे तो जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं, खाना लेकर अपने दफ्तर को जायेंगे, सुबह खाना बनाकर, तो वह एक बजे तक ठंडा हो जायगा, ठंडी रोटी होगी, ठंडा साग होगा और जो एक बजे तक केवल चाय पर रहेगा क्या यह ठंडा साग और रोटी उसको खाने में रूचिकर लगेंगे ? इस समय-परिवर्तन से सरकारी कर्मचारी को तो परेशानी है ही, इससे भी अधिक परेशानी है गृह स्वामिनी को । इस समय–परिवर्तन से गृहिणियां हैं वे बहुत ज्यादा परेशान हैं । उनका जीवन कार्यालयों के इस समय परिवतन के बाद बहुत अस्तव्यस्त हो गया है । सबसे पहले उसको बच्चों को स्कूल जाने के लिये तैयार करना पड़ता है, घर की सफाई करनी पड़ती है । दूसरी बात यह है, राजस्थान में कितने आदमी ऐसे हैं जो नौकर अफोर्ड करते हों, सवन्ट्स रख सकते हों । कहने का मतलब है इसका कि ८० से ९० प्रतिशत औरतों को अपने घर का काम करना पड़ता है । एक तरफ बच्चों को स्कूल जाने के लिये तैयार करना और दूसरी तरफ उसका आदमी भी गरम खाना मांगेगा , चाहे उसमें दाल–रोटी ही हो । यह तो नहीं हो सकता कि वह पहले दिन का ठंडा खाना लेकर कार्यालय को जाय । इसके अलावा हमारे यहां औरतों के बच्चे भी ज्यादा होते हैं, तो घर मे कोई छोटा बच्चा है वह बीमार है तो उसको भी अस्तपाल ले जाना पड़ेगा, साग सब्जी कौन लायगा ? जहां बच्चे छोटे हैं वहां आप देखेंगे जब आदमी छोटे बच्चे को रखता है तब कहीं जाकर गृहिणी खाना बनाती है, आप उसकी परेशानी को महसूस कीजिये, उसके दुख को महसूस कीजिये । उसका जीवन इस कार्यालय के समय–परिवर्तन से कितना दुखी और कष्टमय हो गया है ।

इसके साथ साथ इस संकल्प में जो शनिवार को छुट्टी न रखने का कहा गया है उसके पीछे भी एक कारण है । वैसे समय–परिवर्तन जो किया गया है उसके लिये मुख्य मंत्री महोदय यह कह सकते हैं कि सप्ताह के अन्दर दो दिन की छटी भी तो हो गई है । मैं मुख्य मंत्री महोदय से पूछती हूं वे शनिवार को जो एडीशनल छुट्टी देते हैं – छोटे कर्मचारी, क्लर्क, चतुथ श्रेणी के कमचारी उन दिनों में क्या काम करेंगे ? कोई उनके पास कार तो नहीं है जो देहली या आगरा घूम फिर कर आ जांय । इतना तो वे अफोर्ड नहीं कर सकेंगे । घरमें बैठे रहेंगे तो सिमनेमा जायेंगे, खामखांम पांच-सात रूपये खर्च होगें या मन में आ गई तो बाजार चले गये, वहां बीस पच्चीस रूपये

(श्रीमती सुमित्रा)

की खरीद करके आयेंगे । तो इस तरह से आप एक और आपोर्चुनिटी दे रहे हैं ज्यादा पैसे खर्च करने की । जो कर्मचारी ३० दिन के लिये अपने वेतन को चलाता है वह पन्द्रह दिन में ही समाप्त हो जायगा । इस तरह से एक और मुसीवत बढ़ जायगी ।

इसके साथ साथ सरकारी कार्यालय के जो कर्मचारी हैं उनके जीवन को एक मशीन की तरह बना रहे हैं । वैसे में कहना चाहती हूं कि जो जिम्मेदार अफसर हैं उनके लिये चाहे कोई भी समय हो चाहे दस से चार हो, चाहे ९ से पांच हो, जो अपनी जिम्मेदारी महसूस करता है, जो जिम्मेदारी के साथ काम करता है वे सब अफसर घर पर फाइलें ले जाते हैं और वहां पर देखते हैं । इसलिये जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनके लिये समय के बढ़ाने की आवश्यकता हो, यह बात नहीं है । और जो गैर जिम्मेदार हैं, काम नहीं करना चाहते हैं उनके लिये आप कितना ही समय बढ़ाइये – न उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी और न कार्य में शीघ्रता ही होगी क्योंकि वे काम करेंगे ही नहीं तो जो लोग ईमानदरी से काम करते हैं, जो घर पर भी फाइलें ले जाते हैं, उन लोगों को इस समय ने व्यर्थ में मुसीवत में डाल दिया है ।

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं, वैसे मैं पहले ही निवेदन कर चुकी हूं, इस समय-परिवर्तन ने सबसे अधिक दुखी किसी को बनाया है तो वह घर की स्त्रियों को बनाया है । उनका जीवन इतना अधिक व्यस्त हो गया है कि जो सुबह पांच बजे उठती हैं फिर भी वे ९ बजे अपने पति के लिये खाना बनाकर नहीं दे सकती हैं । तो आप बताइये कि उनका पारिवारिक जीवन कितना दुखमय हो जायगा । उसको अवकाश नहीं रहता है अपने बच्चों के प्रति ममता और स्नेह प्रदर्शित करने का और न वह पति के प्रति प्यार ही रख पायेगी । यह परेशानी हमारे मुख्य मंत्री महोदय को कभी महसूस नहीं हुई । उनको सुबह दिक्कत नहीं होती है, गाड़ियों में बच्चे अपनी अपनी स्कूलों को चले जाते हैं । जिन लोगों को अपने बच्चे साइकलों पर पहुचाने पड़ते हैं । जरा आप उनकी तकलीफों को भी सोचकर देखिये ।

दूसरी बात यह है कि कुछ लोग यह भी कह सकते हैं, यह तो आदत की बात है । जिस तरीके से आदत डाली जाती है वह पड़ सकती है । सुबह अगर कुछ खा पी लिया जाय और दिन में चाय ले ली जाय तो काम चल सकता है । मुख्य मंत्रीजी आपको तथा आपकी केबीनेट के साथियों को जनता के स्नेह और सदभावना का टॉनिक मिलता रहता है इसलिए आप बिना खाये ही काम चला सकते हैं, लकिन चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी क्लर्क, छोटे अफसर जो रात दिन इस प्रकार कार्यालय के काम के चक्कर में फंसे रहें उनको बिना कुछ पेट में डाले काम नहीं चलेगा । वैसे भी सरकार ने यह एक प्रयोग किया है, उस पर कोई हठधर्मी नहीं होनी चाहिये, अगर यह सफल नहीं होता है, असफल हो जाता है तो लोगों की सुविधा के दृष्टिकोण से परिवर्तन करना पड़ जाय तो मेरी समझ में यह बेजा बात नहीं होगी । इस प्रकार की हठधर्मी से कोई फायदा होने वाला नहीं है । माननीय मुख्य मंत्रीजी आपसे आइ० ए०एस० और आइ० पी० एस० आफिसर मिलते है और उन्हीं की प्रेरणा से आपने उनको सहूलियतें और दे दीं हैं लेकिन जो लोग आप तक पहुंच नहीं सकते, जो छोटे कर्मचारी हैं उनकी तकलीफों से आपको अवगत कराया जाय, तो मैं समझती हूं माननीय मुख्य मंत्री काफी सहृदय व्यक्ति है, वे लोगों की तकलीफों को महसूस करने के बाद समय में भी परिवर्तन कर सकते हैं ।

(श्रीमती सुमित्रा)

इसके साथ साथ एक और भी बात है। इन गर्मियों के दिनों में तो किसी न किसी प्रकार ६ बजे कर्मचारी कार्यालय में पहुंच जायेंगे। लेकिन सर्दियों के दिनों में जब कि १० बजे धूप आयेगी तो कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों से क्या आप यह अपेक्षा रखेंगे कि वे कार्यालय में रजाई लेकर जायेंगे या ठिठुरेंगे। इस मंहगाई के जमाने में उनके पास पूरे कपड़े नहीं हैं, उस वक्त उनकी क्या हालत होगी ? इन सब बातों पर गौर करते हुए जहां लाखों आदमियों का प्रश्न है, लाखों आदमियों को तकलीफ हो रही है, इसके कारण लोगों को कितनी तकलीफ होती है, राज्य सरकार को इस पर गौर करना चाहिये। ठंडे दिल-दिमाग से सोचना चाहिये। इसमें किसी प्रकार भी परिवर्तन की गुंजाइश हो तो अपनी सहृदयता का परिचय देना चाहिये।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): मैं मूव नहीं कर रहा हूं। मेरा समय सतीशचन्द्रजी को दे दीजिये।

श्री सभापति: श्री राम किशन।

[इस संकल्प पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत हुए]

श्री रामकिशन (वैर) :

शब्द "कार्यालयों का समय" के बाद तथा शब्द "प्रातः १० बजे से" पूर्व शब्द व अंक "१ सितम्बर, १९६३ से" जोडे जांय।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा): शब्द "छुट्टी" के बाद प्रयुक्त शब्द "नहीं" को हटा कर शब्द "आधे दिन की" रखे जांय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर): "नहीं" शब्द जो "छुट्टी" और "रखी" के बीच में हैं विलोपित किया जावे, तथा शब्द "शनिवार" से पूर्व शब्द "प्रत्येक" जोड़ा जायेगे।

श्री जयकृष्ण शर्मा (थानागाजी):

शब्द "दस" के स्थान पर अंक "६½" और अंक "५" के स्थान पर "५½" रखे जांय और शब्द "और शनिवार की छुट्टी नहीं रखी जांय" विलोपित किये जांय।

श्री कुमारानन्द (ब्यावर): शब्द "शनिवार" के आगे शब्द "आलटरनेट" जोड़ा जाय और शब्द "नहीं" विलोपित किया जाय।

श्री रामकिशन (वैर): सभापतिजी, जो माननीय सदस्य श्री बृज सुन्दरजी ने और श्रीमती सुमित्राजी ने अपने विचार प्रकट किये हैं, वे काफी हैं, उनको स्वीकार कर लेने में मुख्य मंत्रीजी को बाधा नहीं होनी चाहिये।

जिस विचार से आपने कार्यालयों का समय परिवर्तित किया है उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। आज जो दफ्तरों की हालत है वह आप हम सब अच्छी तरह जानते हैं। समय बढ़ाने से ही वे कोई अधिक कार्य करने लग जावेंगे, ऐसी आशा करना बिल्कुल व्यर्थ है। यह तो मनोवृति से सम्बन्ध रखने वाला प्रश्न है। अगर उनकी वृत्तियां ठीक नहीं हैं मन की, तो आपकी इच्छानुकूल नतीजा निकलने वाला नहीं है।

काम तो जैसे वे करते हैं, वैसे ही कर रहे हैं, उसमें तो कोई अन्तर आया हुआ लगता नहीं है; हां, उलटे लोगों की कठिनाइयां जरूर काफी बढ़ गई हैं। ये कठिनाइयां कई तरह की हैं। जिन कठिनाइयों का उल्लेख बृजसुन्दरजी ने किया वे तो हैं ही, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि घर घर में झगड़े और पैदा हो जावेंगे।

(श्री राम किशन)

एक तकलीफ तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को यह हो जावेगी कि आज तक वह जैसा तैसा रूखा-सूखा खाना घर पर खाता था खाकर काम पर चला जाता था । जो कुल मंहगाई के आंकड़े कल दिये गये थे यहां पर उनको देखते हुए आज घी और सब्जी उनको मिलना मुश्किल हो गया है । तो ऐसी हालत में अब वही रूखा-सूखा खाना टिफिन में लेकर वह दफ्तर में जावेगा और वहां अपने दूसरे साथियों के साथ बैठकर जब खाने लगेगा तो उसकी इज्जत का सवाल खड़ा हो जावेगा । नतीजा यह होगा कि उसे अपना रूखा-सूखा खाना बदलना पड़ेगा । इसके लिए उसे कर्जा लेना पड़ेगा और इससे उसकी गिरी हुई आर्थिक स्थिति और गिरेगी ।

दूसरा झगड़ा घरों में पति-पत्नियों में हो जावेगा । मेरा खुद का यह अनुभव है । मैं भोजन करने जिस राज्य कर्मचारी के घर जाता हूं उसमें पति दफ्तर जाता है और पत्नि यूनिवर्सिटी में पढ़ने । अब शाम को देर से आते हैं पति और सुबह जल्दी जाना चाहते है तो समस्या खड़ी हो गई है उनके सामने । वे कहते हैं पढ़ाई छोड़ों । दोनों बातें नहीं निभ सकेंगी । तो आप इससे अन्दाज लगा सकते है कि इससे गृहणियों को कितनी तकलीफें हैं ।

सभापतिजी, दूसरी बात भी है । यह झगड़ा तो है ही । जैसा माननीय सदस्या ने जिक्र किया, उन्होंने व्यवहारिक पहलू उसका रक्खा । मैं उसका एक कटु पक्ष रखता हूँ । अब सर्दी में क्या कठिनाई आवेगी । पति कहेगा, तुम सर्दी में जल्दी जगी नहीं, खाना तैयार नहीं किया, मैं भूखा ही रह गया । तो इस तरह से हर घर में ये झगड़े होंगे । माननीय मुख्य मंत्रीजी को इस का आभास होगा नहीं । उनके पास तो साधन हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, मोटर है जब जी चाहेंगे मंगा सकते हैं । पर औरों के घर घर में तो वे इन झगड़ों के बीज बो रहे हैं। मैं जहां भोजन करता हूँ दोनों पति-पत्नि चूंकि शिक्षित हैं, वे उसी तरह का झगडा करते हैं,; कहते सुनते हैं पति पत्नि को कि तुम आदत बदलो; पत्नि कहती है कि तुम समय बदलो । तो यह तो मैं स्वयं अपने अनुभव की बात बतला रहा हूँ ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिहनगर): आप ही तो कहीं झगडे के कारण नहीं हो रहे हैं ?

श्री रामकिशन : मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी की भावना की कद्र करता हूं । पर हालत क्या है, इसका उनको भान नहीं है । वे यूरोप और पश्चिमी दुनिया का दर्शन करके आये हैं अभी अभी । वहां परिवार-पद्धति है नहीं । सब दोपहर को होटल में खाना खाते हैं। फिर अमेरिका में, जहां मुख्य मंत्रीजी घूमकर आये हैं वहां तीन आदमी के पीछे एक कार का अनुपात आता है और पश्चिम के जिन अन्य देशों का उन्होंने भ्रमण किया है वहां पर भी प्रति सात आदमियों के पीछे एक कार का अनुपात है । जी चाहें वहां वे कार में आ–जा सकते हैं और जब चाहें जा-आ सकते हैं । पर यहां हमारे मुल्क में तो १२०० आदमियों के पीछे एक साइकिल है । जैसा नेहरूजी ने कहा है, हम तो अभी साइकल युग में ही प्रविष्ट हुए हैं । तो इन हालतों को देखते हुए अनुमान लगा सकते है कि इस समय-परिवर्तन से यहां के लोगों की कठिनाइयां कितनी बढ़ गई हैं ।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह एक एक्स-पेरीमेन्ट, हिन्दी अर्थ इसका याद नहीं आ रहा, हां, परिक्षण किया है, सभापतिजी । परीक्षण तो सफल और असफल होते रहते हैं ।

(श्री रामकिशन)

असफलता के बाद परिवर्तन करते हैं तो जीत होती है और विज्ञान का यह नियम है कि हर असफलता से कुछ सीखो । तो वे इस नियम के अनुसार कुछ सीखने को कोशिश करेंगे ।

तो एक स्थिति यह है । इसका दूसरा पक्ष भी है । कुछ गृहिणियां घरों में ऐसी हैं जो अच्छा खाना नहीं बनाना जानती, न अच्छी सब्जी बनाना जानती हैं और कुछ ऐसे पढे-लिखे लोग भी यूनिर्वासिटियों और कालिजों से निकल निकल कर आ गये हैं, तो अगर वे इस तरह का ख़राब और अस्वास्थ्यकर खाना, खराब खाना लेजाते है, तो इससे उनका स्वास्थ्य गिरेगा, दवाइयों में पैसा जाया होगा ।

तो समय दस से पांच ही बहुत है, अगर वे काम मन लगाकर करें तो । आज हालत यह है कि लन्च के बाद अफसर समय पर अपनी कुर्सी पर नहीं मिलते अक्सर । मेरा वैसे सेक्रेटरियेट से ज्यादा काम पड़ता नहीं। पर जितने दिन में गया हूं किसी काम से वहां दो-तीन सचिवों से बिजली आदि के सम्बन्ध में जांच करनी थी, तो लन्च का समय था उसके आधा पौन घन्टे वाद उनको अपनी कुर्सी पर आते मैंने देखा है । तो इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसकी व्यवहारिक, आर्थिक और अन्य महिलाओं की कठिनाइयों पर आप पूरा ध्यान देंगे ।

मैं पूछता हूँ आपसे कि अगर महिलाएं दुखी होंगी तो पुरूष दुखी नहीं होंगे और पुरूष अगर दुखी होंगे, घर से लड़-झगड़ कर या दुखी मन लेकर आपके कार्यालयों में आवेंगे तो क्या आप यह नहीं समझ सकते कि उनका मन तो घर की तरफ दिन भर लगा रहेगा और यही सोचता रहेगा कि कब घर जाऊं और किस तरह से गृहिणी से मेलजोल करूं और अपना मनमुटाव दूर करूं । ऐसी हालत में क्या तो उसका मन दफ्तर की फाइलों में लगेगा और क्या वहां के काम में लगेगा ?

यूरोप की आप नकल करने चले हैं। वहां क्या है ? वहां औद्योगिक सभ्यता विकसित हो गई है । वहां शनिवार और इतवार की छुट्टियां इसलिए रखी गई हैं कि वे एक दिन तो पिकनिक पर जाए और ईतवार का दिन चर्च में बिताएं । यह आम रिवाज है वहां । मन्त्रीजी इसको भी देखकर आये होंगे । पर यहां हमारे तो आज धर्म भी गायब हो गया है और जहां भोजन का ही ठिकाना नहीं, वहां पिकनिक की कौन बात करेगा ? आज की मंहगाई ने आपके इन बाबुओं की आर्थिक हालत को और भी खराब कर दिया है।

तो मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्रीजी अगर अमेरिका और यूरोप की यात्रा से विज्ञान की बात, कृषि की बात सीख कर आते, योजना में संशोधन की बात लेकर आते, तो उनके अनुभव का लाभ देश को मिलता । अब जो यह समय परिवर्तन की बात वे लेकर आये हैं उसके केवल दो फायदे हो सकते हैं ।

एक फायदा तो यह होगा कि जब तक यह समय रहेगा और जब इसके प्रारम्भ के बारे में बात चलेगी तो कर्मचारी आपको याद रखेंगे । आपका नाम इसके लिये इतिहास में लिखा जावेगा और दूसरा फायदा यह होगा कि जब जब इस समय की बात याद आवेगी गृहणियों को तो वे इस रूप में आपको याद करेंगी कि उन्होंने हमारा सत्यानाश कर दिया ।

अब यह आपके सोचने की बात है कि आप क्या चाहते हैं । इतिहास में अपना नाम अमर करना चाहते हैं तब तो इसे रखें, और गृहणियों की गालियों से वचना है तो इसे न

(श्री रामकिशन)

रखें । अब इन दो विकल्पों में से वे किसको पसन्द करते हैं, इसका चुनाव करने का काम मैं उन पर ही छोड़ता हूं ।

मैं इसका भुक्तभोगी हूं । मैं जिनके यहां खाना खाता हूं वहां की हालत जानता हूं । नाम मैं उनका नहीं बताऊंगा क्योंकि आप से उन को डर हो सकता है । जब से आपका यह समय हुआ, तब से मेरा तो १५ दिन से वहा भोजन का मामला ही समाप्त हो गया । मैंने तो इसका कटु अनुभव किया है । भले ही मुख्य मंत्रीजी को और गृह मंत्रीजी को इसका ऐसा अनुभव नहीं हुआ हो, क्योंकि उनके यहां नौकर-चाकर हैं, बंगले हैं, कार है, वैसे मैं उनको भी कोई बड़े परिवार का नहीं मानता, पर आजकल वे राजकाज में हैं तो वहां की सुविधाएं उनको मिली हुई हैं इस वक्त तो । तो मैं निवेदन कर रहा था कि उनको गाली और इतिहास इन दो बातों में से एक को चुनना है और उनके भावों को देखते हुए मुझे विश्वास है कि वे इसे निश्चित तौर से बदल देंगे, ऐसी मेरी मान्यता है । मेरा यह उन से एक साधारण अनुरोध है कि वे इस पर सब तरह से गम्भीरता से विचार करेंगे ।

श्री सभापति : श्री अब्दुल जब्बार ।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : सभापतिजी, मैं दो मिनट बोलूंगा और बाकी मेरा समय अपने साथी सतीशचन्द्रजी को देना चाहता हूं ।

मैं इतना ही अर्ज करना चाहता हूं चेयरमैन महोदय, कि और तो मेरे पूर्व सदस्य साथियों ने बहुत कुछ कह दिया, मैं केवल चपरासियों की हालत पर रोशनी डालना अपना फर्ज समझूंगा । बहुत जल्दी दफ्तर के टाइम से घंटा भर पहले अफसर के घर पर जाकर बस्ता कान्फीडेन्शियल उठाकर दफ्तर पहुंचता है, वहां टेबिल साफ करता है, दफ्तर साफ करता है, कुर्सियां साफ करता है, कुर्सी पर अगर धूल जमी रह जावे तो उसकी मौत है । फिर वापिस शाम को दफतर समाप्त होने के बाद बस्ता लेकर घर जाता है और साग भाजी लाने जाता है, दवा वगैरह लाने जाता है और इसके बाद भूखा-प्यासा रात को घर पहुंचता है । इस समय के कारण आज इस क्लास को, जो अपने पेट कर बेल्ट बांध कर एक फौजी की तरह डटकर खड़ा रहता है और काम करता है, सुबह-शाम ड्यूटी देता है, सबसे अधिक हैरानी हुई है । इतना काम इस चतुर्थ श्रेणी के व्यक्ति से लेना एक तरह की बेगार प्रथा है ।

मैं तो समझता हूं कि यह चीज लागू करने के बजाय यह लागू किया जावे कि इनसे ली जाने वाली बेगार को फौरन बन्द किया जावे और जिस के घर पर चपरासी काम करता पाया जावे इस तरह से, उसके खिलाफ नैसेसरी एक्शन लिया जाना चाहिये ।

सबसे ज्यादा वर्किंग लोड इन चपरासियों पर पड़ेगा और वैसे भी हमेशा से पड़ता रहा है । इस समय की वजह से और अधिक पड़ेगा। जहां क्लर्क प्रातः इस समय के कारण ५ बजे उठेगा, वहां चपरासी को तो तीन बजे उठना पड़ेगा, जब कि ३ बजे आराम करने का समय होता है । इतना आराम का समय भी आप उस थके-हारे प्राणी को देना नहीं चाहते जो कुदरत उसको देना चाहती है ।

इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूं और अपना बाकी का समय श्री सतीशचन्द्रजी को देना चाहता हूं ।

श्री सभापति : श्री सतीशचन्द्र :

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सभापति महोदय, बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि कार्यालयों का समय १० से ५ का ही रखा जावे और शनिवार की छुट्टी नहीं रखी जावे, मैंने उसमें यह संशोधन रखा है कि 'नहीं' शब्द हटा दिया जावे और शनिवार के पहले प्रत्येक शब्द जोड़ दिया जावे । इसका अर्थ यह होगा कि समय दस से पांच रहेगा और प्रत्येक शनिवार को छुट्टी रखी जावेगी ।

सभापति महोदय बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कुछ भी बात कही थी उसको तो मैं नहीं समझता कि उसका माननीय मुख्य मन्त्रीजी पर कोई असर हुआ होगा । पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिन माननीय सदस्या ने उसका समर्थन किया उसका उन पर जरूर असर पड़ा होगा । और यह स्वाभाविक बात भी है । हम सब को अनुभव है कि जब हम रेल का सफर करते हैं और रेल के डिब्बे में जगह नहीं होती तो लोग खड़े रहते हैं । कोई हट्टा-कट्टा आदमी अगर जगह मांगे तो नहीं देते । पर कोई महिला खड़ी हो और जगह मांगे तो तुरन्त खड़े होकर कहते हैं, "बहिनजी आप बैठ जाइये" । यह मनुष्य-स्वभाव है और यह आवश्यक है । यह कुछ शिष्टाचार के नाते भी आवश्यक है और मैं समझता हूं कि यह जो इस प्रस्ताव का समर्थन जिन माननीय सदस्या ने किया है और चूंकि इस प्रस्ताव का और समय-परिवर्तन का पुरुष और महिलाओं का दोनों का गहन संबंध है और महिलाओं की कठिनाइयों को जिस करूणाजनक विचार के साथ उन्होंने सदन के सम्मुख रखा है, उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान में महिलाओं के साथ बहुत से परिवारों में इन्क्रीज ऑफ पापुलेशन की कठिनाई है, आज जनसंख्या बढ़ रही है उसके अनुसार आवश्यक है कि एक एक घर में पांच पांच, और आठ आठ बच्चे होते हैं ।इस कारण से आज महिलाओं के साथ काफी कठिनाइयां हो सकती हैं । उनमें से कुछ बच्चे स्कूल भी जाते होंगे । लेकिन सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि महिलाओं की कठिनाइयों का जो उन्होंने एक करुण चित्र यहां सदन में प्रस्तुत किया है, उसको देखते हुए जैसा कि मैंने अभी रेल का उदाहरण दिया, उसके अनुसार जो माननीय सदस्य, प्रस्तावक महोदय हैं और जो बूंदी से आये हैं उनकी बात. का असर शायद हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय पर या गृह मंत्री महोदय पर न पड़े और उनको गाड़ी में बैठने को शायद कोई स्थान भी नहीं देगा लेकिन एक महिला सदस्या ने जो करूण चित्र प्रस्तुत किया है उसके लिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे इस बात को जरूर मानेंगे । मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि माननीय गृह मंत्रीजी जो महिला उत्थान के बारे में, उनकी भलाई के लिए और महिला समाज के लिए इतने अगृणी रहते हैं, हमेशा उनकी कठिनाइयों का ध्यान रखते हुए निश्चित रूप से उनके ऊपर जो कुछ महिला सदस्या अभी चित्र प्रस्तुत कर चुकी हैं, उनका उनके ऊपर असर पड़ा होगा ।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो समय परिवर्तन किया है, माननीय मुख्य मंत्रीजी इस समय ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूरोप के दूसरे दूसरे देशों की यात्रा करके आये हैं और वहां से लौटने के बाद जब वे हिन्दुस्तान में आये तो हिन्दुस्तान में आने के बाद एक तर्क जो सरकार ने दिया है और सरकार ने अखबारों में भी दिया है और जो लोग हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी से उनके ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूरोप

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

की यात्रा करके आने के बाद मिले हैं उनको भी तर्क दिया है कि जब वहां हो सकता है तो यहां क्यों नहीं हो सकता? उन्होंने अखबारों में भी स्टेटमेन्ट दिया है कि अमेरिका में ऐसा है, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा है और यूरोप के दूसरे देशों में भी ऐसा ही है। वहां भी शनिवार और इतवार की छुट्टी रहती है। तो जब वहां हो सकता है तो हमारे यहां क्यों नहीं हो सकता . . .

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार ने यह स्टेटमेन्ट कौन सा दिया है कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दूसरी जगह हो सकता है तो यहां क्यों नहीं हो सकता?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: जो लोग आपसे मिलते हैं उनसे आप यही कहते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: आपने स्टेटमेन्ट का जिक्र किया कि अमेरिका और दूसरी जगह होता है तो यहां भी हो सकता है, यह किसने कहा ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: जो लोग आपसे मिलते हैं उनको आप यही तर्क देते हैं, वर्ना यह सूझ तो पहले भी हो सकती थी। आप बाहर जाकर देख कर आये हैं, तब ही लागू किया है। बाहर से जब कोई आदमी नयी चीज देखकर आता है तो अपने देश में भी उसको लागू करता है। तो सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ता महोदय ने फरमाया और इस संबंध में विवेचन किया कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के देशों में उनकी जो परिस्थितियां हैं, वे हमारे देश से भिन्न हैं। हमारे देश भारतवर्ष और हमारे देश में भी राजस्थान की जो परिस्थितियां हैं, वे बिलकुल विभिन्न हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि आपके सामने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के दूसरे देशों का उदाहरण नहीं है तो फिर ऐसी कौनसी बात है जिससे आपने दफ्तरों का समय बदलने की बात सोची? क्या आप ने कभी सेक्रेटेरियट का सर्वे कराया है कि वहां पर काम करने वाले हमारे क्लर्कों के पास कितना वर्कलोड है? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमेटी बनी उसने क्या ऐसे सुझाव दिये कि हमारे सचिवालय में काम करने वालों के ऊपर कितना वर्कलोड है और उस ज्यादा वर्कलोड को खत्म करने के लिए, रेड टेपिज्म को समाप्त करने के लिए, काम में डिले होती है उसको समाप्त करने के लिए और कितना काम है उसको खत्म करने के लिए कितना समय क्लर्कों को चाहिए, कितना समय उनको काम को निपटाने में लगना चाहिए, यह कोई बेसिस है आपके पास? अगर ऐसे कोई आंकड़े हैं तो मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से कहूंगा कि वे ये आंकड़े सदन में प्रस्तुत करें और बतायें कि सचिवालय के अन्दर काम करने वाले कर्मचारियों के वर्कलोड को समाप्त करने के लिए, फाइलों को खत्म करने के लिए, डिस्पोज ऑफ करने के लिए रेड टेपिज्म नहीं बढ़े, काम में देरी नहीं लगे, इतने घन्टे हर कर्मचारी को काम करना आवश्यक है, ये फिगर्स हमारे मुख्य मंत्री महोदय सदन के सम्मुख रखें और इस प्रकार से पर्सुएड करने की कोशिश करें कि सरकार ने यदि सर्वे कराया है और इतने कर्मचारी काम करें तो हमारे सेक्रेटेरियट में काम में डिले नहीं होगी ; इस प्रकार के आंकड़े वे सदन में प्रस्तुत करें।

सभापति महोदय, आज देरी इस कारण नहीं लगती कि आपने काम करने का समय

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

बढ़ा दिया, वल्कि देरी इसलिए लगती है कि आज जो अधिकार हैं उनका डीसेन्ट्रलाइजेशन नहीं किया । माननीय मुख्य मंत्रीजी कहेंगे कि हमने असिस्टेन्ट सेक्रेटरी को जो पावर्स हैं और डिप्टी सेक्रेटरी को जो पावर्स हैं उन दोनों के बीच जो पावर्स होने चाहियें उसको हमने डिवाइड किया था । जैसा सरकार ने पहले भी कहा था उसमें इस प्रकार की तब्दीली की है । लेकिन में निवेदन करना चाहूंगा कि आज क्लर्क से सुप्रिन्टेन्डेन्ट, असिस्टेन्ट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, डिप्टी मिनिस्टर और मनिस्टर इन सब के बीच में जो फाइल चलती है, उस फाइल का महीने भर तक पता नहीं लगता कि वह कहां से कहां गयी। यह फाइल सबमिशन में चलती रहती है । दफ्तर में नोट लिखा जाकर सुप्रिन्टेन्डेन्ट के पास पहुंचती है और वहां से असिस्टेन्ड सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, डिप्टी मिनिस्टर और मिनिस्टर तक जाती है । नतीजा यह होता है कि नोटिंग में ही सारी फाइल चलती रहती है । उसका कहीं भी डिस्पोजल फाइनल नहीं होता । इसलिए राज्य सरकार को रेंड टेपिज्म को समाप्त करना है तो उसका यह तरीका नहीं है कि दफ्तरों में काम के घन्टे बढ़ायें बल्कि तरीका यह है कि लोगों को अधिकार बांटें और इस प्रकार से बांटें कि अमुक प्रकार के मामले सुप्रिन्टेन्डेन्ट तक के लेवल पर तय हो जायेंगे, अमुक प्रकार के मामले असिस्टेन्ट सेक्रेटरी के लेवल तक तय हो जायेंगे, अमुक प्रकार के मामले डिप्टी सेक्रेटरी तक तय हो जायेंगे, अमुक प्रकार के मामले सेक्रेटरी के लेवल तक तय हो जायेंगे, और अमुक प्रकार के मामले डिप्टी मिनिस्टर के लेवल तक तय हो जायेंगे और अमुक प्रकार के मामले मिनिस्टर महोदय के सामने प्रस्तुत किये जायेंगे । अगर आप इस व्यवस्था को नहीं अपनाते ह तो रेंड टेपिज्म को कभी समाप्त नहीं कर सकते। आपने काम के घन्टे बढ़ा दिये और उसके लिए आप के पास कोई लोजिक नहीं कि आपने क्यों बढ़ा दिये । कोई तर्क आपसे पास नहीं है कि क्यों बढा दिया टाइम । आपको नहीं मालूम कि लोगों को क्या तकलीफें होंगी । जैसा सदन के कई माननीय सदस्यों ने कहा, मैं समझता हूं कि इसके कारण बड़ी दिक्कत आने वाली है । मैं पूछना चाहता हूं कि आपने ९ बजे का समय रखा है। आज किसी के परिवार में कोई बीमार पड़ गया, किसी की पत्नि बीमार पड़ गई या छोटा भाई बीमार पड़ गया । आज हमारे भारतवर्ष में संयुक्त परिवार की प्रणाली है । बूढे मां-बाप सभी उनके साथ रहते हैं, दादा और दादी भी साथ रहते हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि किसी के घर में कोई बिमार पड़ गया, उसके लिए वह दिखाने के लिए और दवाई लेने के लिए अस्पताल में जायेगा । तो वह अस्पताल में ७ बजे तो चला ही नहीं जायेगा । अस्पताल आपका खुलता है ८॥ बजे और ८॥ के बजाय ९ बजे डाक्टर आते हैं । फिर उसे लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, डाक्टर को दिखायेगा और वहां से दवाई लेने के लिए जाना पड़ेगा, जहां भी लाइन लगी होती है । उसको इतना टाइम नहीं कि वह लाइन में लग जाये । किसी बच्चे को दवाई लेने के लिए लाइन में खड़ा कर देगा । तो अब वह अस्पताल से कहां तो वह घर जायेगा और घर भी खाना खाकर फिर दफ्तर जायेगा ? अगर आपको परिवर्तन ही करना है तो आप सारी चीजों में परिवर्तन करें । जीवन के लिए जितनी आवश्यक चीजें हैं उनमें भी इसी प्रकार का परिवर्तन हो, तो समझ में आ सकता है । लेकिन नतीजा यह है कि ८॥ बजे अस्पताल खुलता है और ९ बजे तक डाक्टर लोग आते हैं, तो किस प्रकार से वह ९ बजे तक दफ्तर

(श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल)

पहुंच सकता है । इसके बाद में आप फिर कहेंगे कि शनिवार की छुट्टी रखी है उस दिन सारे काम किये जा सकते हैं । यह कैसे हो सकता है कि किसी मरीज को पांच दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया जाये ? सोमवार के बजाय शनिवार को ले जायें, यह सम्भव नहीं है । बीमार पड़ने वाले को शनिवार के लिए नहीं टलाया जा सकता कि मुख्य मंत्री का आदेश है ६ बजे जाना है इसलिए शनिवार को दिखाने के लिए चलेंगे, यह कतई नहीं हो सकता। इतने दिन में तो आदमी सीरियस होकर मर जायेगा ।

सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त और भी कई कठिनाइयां हैं । जैसा निवेदन किया कि आज हमारे परिवार की परम्परा है कि वह इस प्रकार की है कि मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उन सारी परिस्थितियों में कई बार होता है कि पुरुष और स्त्री दोनों ही सर्विस करते हैं । बहुत से ऐसे हैं कि पुरुषों का समय १० बजे का होता है जो और कहीं सर्विस करते हैं और महिलायें जो राज्य कर्मचारिणी हैं वे ६ बजे जायेंगी । तो इसका मतलब यह हुआ कि वह पहले खाना खायेंगी और हमारे धर्म के अनुसार हिन्दुस्तान में पत्नी को पति से पहले खाना नहीं खाना चाहिए । पर आप इस प्रकार का समय-परिवर्तन कर पत्नि को पहले खिलाकर उसका धर्म भ्रष्ट कराते हैं । यह भारतवर्ष में बहुत पुरानी प्रथा चली आ रही है । हालांकि मुख्य मंत्रीजी के यहां तो यह नहीं चल सकता क्योंकि वे अक्सर दौरे पर रहते हैं और उन्होंने अपने यहां घर पर इस प्रकार के रूल्स रिलेक्स कर रखे हैं । लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस धर्म के पक्के अनुयायी हैं और मुझे अच्छी तरह पता है कि दोपहर को अगर ३ बजे कोई घर पहुंचेगा तो पत्नि ३ बजे बाद ही खाना खायेगी, पहले नहीं खायेगी । तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो महिला कर्मचारिणी हैं जिनको ६ बजे सेक्रेटेरियट जाना होगा और उनके पतियों को १० बजे स्कूल या कालेज में जाना होगा और उनका टाइम बाद का है तो वह बाद में भोजन करेंगे और पत्नि पहले करेगी । यदि पत्नि के साथ ही जबरदस्ती ८॥ बजे भोजन खा लेगा तो यह कोई तरीका नहीं है कि जबरदस्ती उस टाइम पर खाना खाये. इससे उसका हाजमा खराब हो जायेगा और स्वास्थ्य खराब हो जायेगा । हमारे यहां जो लोगों की धर्म में आस्था है, जो घर के परिवार की परम्परा सदियों से चली आ रही है, जो भारतवर्ष का गौरव है, हमारे यहां जो धर्म-पालन का कर्तव्य है जिसके बारे में मैं समझता हूं कि कांग्रेस भी जिसका विरोध नहीं करती, वे सारी परम्परायें कैसे निभेंगी।

तो सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि ये सारी चीजें एक तरफ हैं । दूसरी तरफ आपको जाना है ६ बजे, तो ८॥ बजे भोजन घर पर करना पड़ेगा । घर पर भोजन नहीं मिलता है क्यों कि साग सब्जी बाहर से आती है, वह ६ बजे बाजार में मिलेगी । तो ८ बजे ताजी सब्जी मिलेगी और ६ बजे तक घर लायेंगे और फिर भोजन बनेगा तब खायेंगे, तब जाकर सचिवालय पहुंचेंगे और जल्दी पहुंचने के लिए ऐसी व्यवस्था है कि बस के लिए लाइन में खड़ा रहना पड़ता है और बस का इस तरह का आपका प्रबन्ध है कि एक बस निकल जाय तो दूसरी बस मिलने वाली नहीं है । तो मैं, सभापति महोदय, निवेदन करूंगा कि सेक्रेटेरियेट ६ बजे नहीं पहुंच सकेगा, क्योंकि हिन्दुस्तान में हर आदमी के पास साइकल नहीं है, हिन्दुस्तान के हर कर्मचारी के पास मोटरें नहीं हैं। हिन्दुस्तान के हर कर्मचारी के पास रिक्शे के लिए पैसा नहीं है । आज

Page No 89

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हिन्दुस्तान के कर्मचारी के पास बस-ट्रेवल के लिए व्यवस्था नहीं कर सकता है, उससे आप आशा करें कि अन्नपूर्णा केन्टीन में भोजन करे ।

माननीय सदस्य जो बूंदी से आये हैं उन्होंने कह दिया कि अन्नपूर्णा में भोजन करें । वे अन्नपूर्णा के प्रतीक हो सकते हैं । मैं सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हुं कि हर आदमी वहां नहीं जा सकता। हर आदमी १२ आने रोज केन्टीन में खर्च नहीं कर सकता । फोरिन कन्ट्रीज में कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनी हुई हैं । वे चलती हैं और हर घर में जाकर टिफिन इकट्ठा करके वहां पर पहुंचाती हैं । उस तरह की व्यवस्था यहां पर नहीं है कि २०-२५ टिफिन्स को इकट्ठा करके दफ्तर में पहुंचा दिया जायगा । यहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज नहीं हैं तो क्या सरकार ने यह व्यवस्था की है ? क्या सरकार आगे से इस प्रकार की व्यवस्था करेगी कि सचिवालय में ऐसी गाड़ियां रखी जायं कि हर कर्मचारी के घर पर जाकर १२ बजे टिफिन लेकर सचिवालय में खाना पहुंचा सके । कीजिये आप इस प्रकार का इन्तेजाम। खोल दीजिये सस्ते केन्टीन जिनमें तीन आने में खाना मिल जाय । वह नहीं दे सकते । सस्ता भोजन नहीं दे सकते, टिफिन की व्यस्था नहीं करते हैं, लोगों की हालत सुधार नहीं सकते ।

मैं, माननीय सभापति, निवेदन करना चाहता हूँ कि कर्मचारी बोलेगा नहीं । वह बगावत नहीं करना चाहता, लेकिन अन्दर ही अन्दर उनमें बड़ा भारी असन्तोष फैल रहा है इसके कारण सेक्रेटेरियेट में जैसा कि माननीय सदस्या ने कहा कि सेक्रेटरी महोदय को १५ मिनट जाने में, १५ मिनट आने मे, १५ मिनट भोजन करने में और १५ मिनट मूड बनाने में लगता है, इस तरह से १ घन्टा खराव हो जाता है । मैं तो यहां तक कहता हूं कि १५ मिनट मूड बनाने में नहीं वल्कि अगर घर की व्यवस्था खराव हो, सामाजिक व आर्थिक कारणों की वजह से और घर में झगड़ा होगा तो भयंकर झगड़ा होगा और उसका मूड घन्टों तक खराब होगा और उससे कोई काम नहीं होगा और अगर उससे कोई काम नहीं होगा तो सेक्रेटरी क्या काम करेगा और फाइल क्या आगे जाएगी । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो नींव है उसका मूड खराब नहीं होना चाहिए । सेक्रेटरी का मूड खराव हो गया तो कोई चिन्ता की वात नहीं, क्योंकि वे बड़े अधिकारी हैं तो कोई बात नहीं । माननीय सदस्या ने कहा कि १५ मिनट मूड खराव रहता है तो उन्होंने अपने अनुभव से कहा, क्योंकि वे गजेटेड अधिकारी की पत्नि है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो छोटे कर्मचारी हैं उनके घर में १५ मिनट का मूड खराब नहीं होता है । उनके यहां झगड़ा होता है तो कस कर होता है । घंटों उसमें लग सकते हैं । उसका भी ध्यान रखना चाहिए । उनकी परेशानियों का भी ध्यान रखना है, सभापति महोदय । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस सारी परिस्थिति में यह जो मेरा सुझाव था कि शनिवार की छुट्टी होनी चाहिए। यह बात मैं मानता हूं कि वे पिकनिक के लिए बाहर नहीं जा सकते और पैसा खर्च नहीं कर सकते, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब राज्य सरकार यह करने को तैयार नहीं है कि कर्मचारियों के पास कितना वर्क लोड है तब भी मैं समझता हूं कि आज सारी दुनिया और सारे देशों को देखें, आप कहीं भी जाकर देखकर आये हों, तो सारे देशों में यह आर्थिक प्रगति का चिन्ह माना गया है कि काम

Page No 90

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

करने के वर्किंग आवर्स घटाने के लिए सब तुले हुए हैं। काम का वर्किंग आवर्स कोई मापदंड नहीं है। मापदण्ड है कि प्रोडक्शन, आउटपुट कितना है, मापदण्ड होना चाहिये डिसपोजल। इस बात को बढ़ाना है, कर्मचारियों को देखना है कि उनमें असन्तोष बढ़ रहा है। वह १५ मिनट ही देर से नहीं आयेगा क्योंकि वह जानता है कि सेक्रेटरी एक घन्टे देर से आयेगा। उसको पता है कि सेक्रेटरी ६ बजे नहीं आता है। वह भी इसलिए नहीं आता है कि उसको पता है कि ६ बजे दा साहब मालिश कराते हैं और साढ़े नौ बजे तक नहीं आ सकते, तो वह क्यों जल्दी आयेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके बारे में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आदेश जारी किये हैं मंत्री-मंडल के सदस्यों के नाम। उन्होंने मंत्रियों से कहा है कि कुछ दिन तो पन्कचुएलिटी रखी जाय, कुछ दिन तो समय पर जरूर पहुंचा जाय। कई मंत्रियों ने अपनी आदत सुधारी है कि जो १० बजे उठते थे वे ८ बजे उठने लगे हैं। और, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके कारण से जो खास तौर से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की बुरी हालत हो रही है। वह ६ बजे आकर ताला नहीं खोलेगा तो क्लर्क कैसे घुसेगा। अगर वह ताला नहीं खोलेगा मान लो तो टेबिल साफ नहीं होती है, दवात में स्याही न डाले, पानी न डाले, बाबू के लिए ठंडा गिलास नहीं रखे, पंखा नहीं चलाये तो उसका दिमाग नहीं चलेगा। तो मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा मुसीबत, सबसे ज्यादा परेशानी अगर किसी को है तो छोटे कर्मचारियों को है, मिनिस्टीरियल कर्मचारियों को है, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी आपकी बात रह गई, आपने नया एक्सपेरीमेंट कर लिया। नया आदमी नया प्रयोग करेगा और इसलिए आपने नया प्रयोग कर लिया। आपकी बात रह गई। कुछ दिन वह समय रह गया। लाला की रिरी मिट गई और लाली का कुंआरापन मिट गया। दिक्कत क्या है? कुछ दिन देख लिया। कर्मचारियों को दिक्कत हो गई। सदन की भावना इधर और उधर एक ही है। हमने भी ऐसा प्रस्ताव रखा है। १० मेम्बर्स ने यह प्रस्ताव रखा है। यह प्रस्ताव एक सदस्य का नहीं है, १० मेम्बर्स ने प्रस्ताव रखा है। यह बात दूसरी है कि दो प्रस्ताव एक साथ निकल आयें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इधर बैठने वाले और उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने प्रस्तुत किया है। माननीय मुख्य मंत्री इस प्रश्न को आल इंडिया कांग्रेस कमेटी का न मान लें। कांग्रेस के विधान में कहीं लिखा हो तो बता दें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इंगलेण्ड की बात करते हैं तो वहां से वह चीज लानी चाहिए थी कि वहां के वार मिनिस्टर का एक इन्सीडेन्ट हुआ तो उसका इस्तीफा ले लिया और छुट्टी दे दी। अगर उनको काम करना है तो इस तरह का करें कि राजस्थान में भी ऐसे कुछ प्रोफयूमोज हैं उनकी तलाश करें और उनको छुट्टी देदें। इस हालत का काम नहीं करें जिससे उनको परेशानी हो। इससे कर्मचारियों में असन्तोष बढ़ रहा है। हम नहीं चाहते कि उनमें असन्तोष बढ़े। हमने राजस्थान के रैंड टैफ्जिम के बारे में सुझाव दिया है। जो प्रशासन सुधार समिति बनाई है उनके सुझाव आये हैं, वे आप सदन को बताएंगे और उस सम्बन्ध में बताएंगे कि कितना वर्कलोड है, कितने वर्किंग आवर्स होने चाहिए।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने यह समय रख कर कर्मचारियों में असन्तोष

Page No 91

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

पैदा किया है। इससे उनका पारिवारिक जीवन अस्तव्यस्त हो गया है। सरकार को गालियां देता हुआ कर्मचारी सेक्रेटेरियेट जायगा कि क्या मुसीबत में हमारी जान लाकर रख दी। वह बद्दुआएं देगा। उन बद्दुआओं का बहुत बड़ा असर होता है। वे सी० डी० एस० के ऊपर बैठे हुए आदमी को नीचे ले आती हैं। ये बद्दुआएं बहुत बुरी होती हैं। हम नहीं चाहते कि इस उम्र में बद्दुआएं मिलें आपको। बद्दुआएं खास तौर से महिलाओं की बहुत बुरी होती हैं। वे ऐसी लगती हैं कि बचता नहीं है आदमी। कर्मचारियों के बच्चों की जो दादियें हैं वे बद्दुआएं देंगी तो वहां जाकर कोई बच नहीं सकता। इसलिये में मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करें। मैंने निवेदन किया कि उनकी बात रह गई। सब मान गये कि आप लागू कर सकते हैं। इसमें क्या बात है? आप मुख्य मंत्री हैं? आपकी पूरी ऑथोरिटी को सब मानते हैं। आपकी ऑथोरिटी इसमें होनी चाहिए कि सदन में सुझाव आया है। में समझता हूं कि एक–दो नहीं, बल्कि ७-८ सदस्य बोले हैं। सब ने यही मत प्रगट किया है। जिनका प्रस्ताव बैलट में नहीं आया है उनमें से ७-८ सदस्य ऐसे हैं जो कोई नहीं कहता है कि कर्मचारियों से गधे की तरह से काम लेना चाहिए। कर्मचारी राज्य सरकार के शासन के ढांचे की नींव है। उसकी बहबूदी का नक्शा पूरा नहीं हो सकेगा अगर राजस्थान की सेवाएं असन्तुष्ट होंगी, राजस्थान के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी असन्तुष्ट होंगे तो मंत्री-मंडल के जो लोग हैं वे राजस्थान को बहबूदी के रास्ते पर नहीं ले जा सकते। राजस्थान में अगर बहबूदी कोई लायेगा तो राजस्थान के कर्मचारी–वह लोअर डिवीजन अपर डिवीजन क्लर्क्स और राजस्थान के चतुर्थ श्रेणी क कर्मचारी ही लायेंगे। राजस्थान के उज्ज्वल भविष्य का अगर कहीं नक्शा देखना है तो इनकी बहबूदी में देखो। इनकी पत्नियों को सुखी बनाओ। इनको ज्यादे से ज्यादा काम के घन्टे मत दो। इनको आराम का समय देने की दृष्टि से, तनख्वाह बढ़ाने की दृष्टि से, इनको सहूलियतें देने की दृष्टि से, यदि सरकार विचार करे, तो सदन उसका पूर्ण समर्थन करेगा।

माननीय सभापति, मैं अधिक समय नहीं लेता हूं क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी उत्तर देंगे सदन में। इस बारे में माननीय मुख्य मंत्रीजी सदन की भावनाओं को समझ कर यह घोषणा करेंगे। सिर्फ एक घन्टे का सवाल है, ३० मिनट का ही सवाल है। केवल एक घन्टे की कर्मचारियों को राहत देने का सवाल है। कर्मचारी आपका है। आप भी सदन में बैठते हैं। इसलिए सदन आपसे कह सकता है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी उसकी सारी कठिनाइयों को निश्चित रूप से समझते हैं। मैं इन शब्दों के साथ अपना संशोधन का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करते हुए माननीय मुख्य मंत्री महोदय से, विशेष रूप से महिला वर्ग की ओर से, महिला समाज की ओर से जैसा कि उन्होंने कहा, उनकी तरफ से पूरा आग्रह करता हुआ, में निवेदन करूंगा कि वे कम से कम हमारी बातों पर विचार न करें। जैसे बूंदी से आनेवाले माननीय सदस्य की तरह रेल में मुस्डे-मुसन्डों की तरफ ध्यान न दें तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन महिला वर्ग की तरफ से तो पहली बार यह प्रस्ताव इस हाउस में लाया गया है, उन्होंने अपने परिवार

Page No 92

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

का अनुभव सुनाकर, अपना निजी अनुभव सुनाकर आपसे आग्रह किया है; इसलिये मुख्य मंत्रीजी जरूर सहृदयता से इस पर विचार करेंगे। जिस सहृदयता का सर्टिफिकेट उन्होंने मुख्य मंत्रीजी को दिया है उस सहृदयता के कारण मुझे आशा है वे उनको निराश नहीं करेंगे। अगर उनको निराश करेंगे तो उसका व्यापक असर होगा। इसलिये अर्ज करना चाहता हूं कि आप इसको स्वीकार करलें।

श्री सभापति (श्री केसरीसिंह): श्री हरिप्रसाद।

(अनुपस्थित)

श्री जयकिशन।

श्री जयकिशन शर्मा (थानागाजी): चेयरमेन महोदय, मैंने जो संकल्प बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा उसमें दो संशोधन रखे हैं। एक तो शनिवार की छुट्टी नहीं रखी जाय उसको विलोपित किया जाये। मैंने यह रखा है कि शनिवार की छुट्टी होनी चाहिये और दूसरा संशोधन मैंने यह रखा है कि १० बजे की जगह ९॥ बजे और ५ बजे की जगह ५॥ बजे का समय होना चाहिये।

सभापति महोदय, में शनिवार की छुट्टी के पक्ष में इसलिय हूं कि जो दलील सदन में दी गई है कि गरीब, गरीब क्लर्क या दूसरे जो गरीब लोग हैं उनको यदि शनिवार की छुट्टी दी जायगी तो वे या तो सिनेमा चले जायेंगे या खर्चा करने के लिये बाजार चले जायेंगे। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सिनेमा ९॥ बजे के बाद भी शुरु होता है और ५॥ बजे के बाद भी शुरू होता है। जो चपरासी या कलर्क सिनेमा देखने जायेंगे उनको आपकी दलील रोक नहीं सकती। दूसरी दलील आपने यह दी कि बाजार में जाकर खर्चा करेंगे तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके जयपुर का बाजार सबेरे ८ बजे खुल जाता है और रात को ९॥-१० बजे तक खुला रहता है इसलिये उनको बाजार जाना होगा तो आफिस के बाद भी चले जायेंगे। आप एक क्लर्क या एक चपरासी से क्या यह आशा करते हैं कि उसके आर्थिक दृष्टिकोण से इस पहलू पर दबाव डाल कर शनिवार की छुट्टी रोकी जाय। आप शनिवार की छुट्टी नहीं करेंगे तो चपरासी या क्लर्क खर्च नहीं करेंगे, यह विश्वास की कड़ी से नहीं जुड़ता। यह उनके खुद के सोचने की बात है। वे खुद यह दखते हैं कि हमारी इतनी आमदनी है उसके अनुसार बजट बनाकर वह उसी प्रकार से खर्च करता है जिस प्रकार से कर सकता है। आपकी और हमारी ओर से इस प्रकार की बात करने से उसके खर्चे पर किसी प्रकार का असर पड़ने वाला नहीं है। मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि शनिवार की छुट्टी के पीछे बहुत बड़ी बात है। कोई व्यक्ति काम करता है आफिसेज़ में जाकर, उसको थोड़ी राहत चाहिये। आप कहेंगे कि अदीतवार को राहत मिलती है, लेकिन मैं कहता हूं कि ५ दिन काम करते हैं उसके बाद २ दिन का उनको यदि आराम मिलता है तो उनमें तरोताजगी आती है। आपको भी माननीय सदस्य अदितवार की छुट्टी मिलती है तो कैसा महसूस करते हैं, उस रोज आप यह समझते हैं कि आज वकालात के केसेज़ नहीं देखनें पड़ेंगें और आराम मिलेगा, चाहे आपके पास उस रोज क्लाइन्ट आयेंगे भी तो उनसे बात करलेंगे लेकिन यह वात आपको जरूर महसूस होती होगी कि

(श्री जयकिशन शर्मा)

आज अदालत में नहीं जाना पड़ेगा। शनिवार की छुट्टी के पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उनको शनिवार और अदीतवार की लगातार दो दिन की छुट्टी मिलेगी तो शनिवार को वे अपने बच्चों को, घर ग्रहस्थी की अच्छी तरह से संभाल कर सकते हैं। आपकी दलील से मैं सहमत नहीं हूं। मैं यह बात रखता हूं कि शनिवार को छुट्टी रहनी चाहिये।

इसके अलावा जो दूसरी बात कही गई है, मैं उससे सहमत नहीं हूं कि यदि सुबह क्लर्क या चपरासी जाते हैं तो उनको दिक्कत महसूस होती है; आप लेबरर्स और किसानों के नाम से दलील देते हैं। आप उस लेबर के नाम से दलील देते हैं जो मजदूर प्रातः ८ बजे फेक्ट्री में जाता है क्या उसके बच्चे नहीं हैं? क्या उसके बीबी नहीं है या उसके रिश्तेदार नहीं हैं या दादी नहीं है? क्या नहीं है? आप उस मजदूर के पीछे कैसे कड़ी जोड़ना चाहते हैं? क्या आपके क्लर्क और दूसरे लोग हैं उनके माताऐं नहीं हैं? बीबी और बच्चे नहीं हैं? दादी और दादा नहीं हैं? वे परेशान हैं तो मजदूर जो फक्ट्रीज में काम करते हैं वे भी परेशान नहीं हैं? तो मैं आपकी इस दलील को तथ्य नहीं मानता।

इसके अलावा आप किसान का नाम लेते हैं, क्या आपने कभी किसान को नजदीक से देखा है? हो सकता है कि रिश्तेदारी में कोई किसान आपका संबंधी हो, लेकिन किसान का जो नित्य प्रति का जीवन है उसको बहुत से माननीय सदस्य भूल गये। सुबह किसान उठता है कलेवा करके काम पर जाता है...

श्रीमती सुमित्रा (झुन्झुनू) : आपको मालूम है क्या कि शहरवालों के पास कलेवा करने को क्या पड़ा है? किसान के पास तो गाय है, भैंस है, दूध है दही है, छाछ है, जिससे वह कलेवा करता है लेकिन शहर वालों के पास क्या है?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाज़ार, जयपुर): बहुत अच्छा कहा।

श्री जयकिशन शर्मा : वह सुबह जाता है, कलेवा करके हल जोतता है, फिर दोपहर को मेला करता है या मेल करता है। अपने बैलों को भी चराता है और खुद भी खाता है। इसलिये जो प्रस्ताव रखा है उसमें मैं इस प्रकार से संशोधन रखना चाहता हूं कि ६।। बजे से ओफिसेज का टाईम चालू हो। ९ बजे कर्मचारी खाना खाते हैं तो ६।। बजे ओफिस में पहुंचे और ६।। बजे से ५।। बजे तक का टाईम हो जाय, तो पूरा टाईम हो जाता है। लेकिन जो लंच का टाईम रखा है उसके बारे में मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि लंच के समय का सदुपयोग पूरा होना चाहिये। बहुत से लोग इस लंच टाइम का दुरुपयोग करते हैं। जो एक घंटे का टाइम रखा है उसके बजाय बड़े २ अधिकारि जब लंच पर जाते हैं तो दो-दो घंटे ढाई-ढाई घंटे तक वापिस नहीं आते हैं। तो दूसरे जो निम्न श्रेणी के लोग हैं उनके मन में भी यह भावना होगी कि उच्च अधिकारी देरी से आते हैं तो वे भी देरी से आवें। मैंने देखा है कि उच्च अधिकारी लंच पर जाने के बाद समय पर नहीं आते हैं, इसलिये लंच का समय जो १ घंटे का रखा है उसका असर उन पर भी होना चाहिये क्योंकि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी और क्लर्क वहीं पर लंच लेते हैं और १ घंटा समाप्त होने पर टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। जो संकल्प आया है १० बजे से ५ बजे तक का, मैं उसको इसलिये नहीं मानता कि सुबह के टाईम में काम करने की हरेक में बहुत अच्छी

(श्री जयकिशन शर्मा)

ताकत होती है। आप और हम देखते हैं कि सुबह हम सब काम तेजी से करते हैं, लेकिन शाम को जाते है तो किसी काम को करने की मंशा नहीं होती है, इधर-उधर घूमने फिरने की इच्छा होती है। सुबह के टाइम और लंच के बाद बहुत अधिक काम करने की शक्ति होती है, इसलिये मेरा प्रस्ताव है कि ६।। बजे से ५।। बजे तक का टाइम कर दिया जाय और शनिवार को छुट्टी रखी जावे। मैं निवेदन करूंगा कि मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जरूर करेंगे, पहले उनसे करवालें।

श्री सभापति : श्री कुमारानंद।

श्री कुमारानंद (ब्यावर) : माननीय सभापति महोदय, मेरा संशोधन है कि समय के प्रस्ताव को मानते हुए आल्टरनेट सेटर्डे को छुट्टी रखी जाय। मरी दर्ख्वास्त है कि दूसरे हफ्ते छुट्टी रखी जाय, या २ शनिवार को छुटी हो और १० बजे से ५ बजे तक का आॅफिस रहे, यही मेरा संशोधन है। माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से काम के घंटे रखे गये हैं उनके बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गरीब कर्मचारियों पर, आॅफिस के कर्मचारियों पर यह एक प्रकार का अत्याचार है। भारत के आजाद होने के बाद वे चाहते थे कि हम भी आजाद भारत में सबके बराबर काम करें, घूमे, फिरे, और चलें और अपनी भाषा में अपने ख्यालात एक्सप्रेस करें। लेकिन अभी वे ६ बजे से दफतर में आते हैं तो ठीक तरह से खाना खाकर आ नहीं सकते और फिर क्या होगा कि भूख लगेगी तब केन्टीन में जायेंगे, होटल में जायेंगे, अन्नपूर्णा में जायेंगे और महीने में ४०-५० रुपयों का बिल होटल और केन्टीन, अन्नपूर्णा का बनेगा और बहुत से एसे भी हैं जो गरीब अन्नपूर्णा में नहीं जा सकते, वे चना-चबीना खाकर दिन बितायेंगे; जिसका नतीजा यह होगा कि आगे चलकर हो सकता है कि वे गरीब चपरासी और क्लर्क टी० बी० के मरीज बनेंगे।

तो इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री से प्राथना करना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में राजस्थान प्रगति कर रहा है, तो उनको यह भी चाहिए कि जो राजस्थान के गरीब कर्मचारी हैं उन पर इस प्रकार का अत्याचार न हो, जैसे कि एक माननीय सदस्य ने कहा ८।। बजे अस्पताल का टाइम होता है। अब यदि वे ६ बजे बाल बच्चों को लेकर अस्पताल जायेंगे, दवाई लायेंगे, तो फिर दफ्तर टाइम पर कैसे पहुंच सकेंगे?

कहते हैं कि वीक-एन्ड होलीडेज होने चाहिए। ये बेचारे छोटे छोटे गरीब कर्मचारी हैं। बड़ी तनख्वाह वाले लोगों के पास तो कार है, वे कार में बैठकर लंच के लिए आसानी से जा सकते हैं, लेकिन गरीब कर्मचारी जो थोड़ी तनख्वाह पाते हैं, वे ६ बजे से ड्यूटी पर आते हैं। सारा दिन ड्यूटी पर रहते हैं तो उसमें उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, साइकोलोजीकल इफैक्ट भी होता है। अब ऐसे गरीब लोग वीक-एन्ड होलीडेज मे कहां जायेंगे?

हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि इससे फैमिली में झगड़े होते हैं। मैं तो कभी फैमिली के चक्कर मे नहीं पड़ा। लेकिन एक बात कहता हूं, जो मैंने पेपरों में पढ़ा है कि पार्लियामेंट में बिल पास हो गया है कि औरतें भी डाइवोर्स कर सकती हैं तो इस मामले में दस बीस का डाइवोर्स भी अखबारों में आने वाला है।

(श्री कुमारानन्द)

इसलिए ज्यादा नहीं कहता हूं। बारबार कहूंगा तो वह रिपीटेशन हो जायगा। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से प्रार्थना करता हूं कि वे काम के घंटे १० से ५ रखें और आल्टर्नेटिव सेटरडे को होलीडे रखी जाय और हमारे प्रस्ताव को मन्जूर किया जाय।

श्री सभापति: श्री हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): सभापति महोदय, आज जो गैर सरकारी प्रस्ताव सदन के सामने आए हैं, उसमें स्वामीजी ने जो अमेंडमेंट प्रस्तुत किया है, मैं उससे पूर्ण रुप से सहमत हूं। ६ बजे से लेकर ५।। बजे तक का समय जो निर्धारित किया गया है वह सभी श्रेणीयों के लोगों के लिए कठिन पड़ता है और समय पर दफ्तर पहुंचना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। मुझे तो अपना तजुर्बा है और यह अनुभव मुझे मंत्रियों से ही प्राप्त हुआ है। प्रायः काम काज के दिनों में मंत्रियों को गवर्नमेंट होस्टल से कोई समय निर्धारण करने के लिए टेलीफोन करता हूं तो एक मंत्री महोदय जो कि काफी गौण मंत्री महोदय हैं उनके संबंध में ८।। बजे के करीब मुझे बताया जाता है कि मालिश करवा रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। ६ बजे टेलीफोन किया तो उनकी मालिश जारी थी और १२ बजे टेलीफोन किया तो वे साहब भोजन कर रहे थे। एक दूसरे मंत्री महोदय के संबंध में ६ बजे टेलीफोन किया तो मालूम हुआ कि वे गुसल फरमा रहे थे, १० बजे किया तो भी गुसल फरमा रहे थे और ११ बजे किया तो वे भोजन कर रहे थ। तीसरे मंत्री महोदय का अनुभव है कि ६ बजे टेलीफोन किया तो बताया गया कि बजरंगबली का पाठ कर रहे थे, १० बजे टेलीफोन किया तो भी बजरंगबली की आराधना जारी थी।

तो सभापति महोदय, जब मंत्री महोदयों की यह हालत है, तो उन हजारों कर्मचारियों की बात सोचिए, जिनको शहरों से बहुत दूर दफ्तरों में जाना पड़ता है। कई साइकिल के जरिए, कई बस के जरिए और बहुत सारे तो पैदल ही पहुंचते हैं, उनके लिए समय पर दफ्तर पहुंचना कितना कठिन कार्य है।

जहां तक शनिवार की छुट्टी का प्रश्न है और इसके साथ ६ बजे का समय निर्धारित करने का प्रश्न है, मेरा तो विचार है कि मुख्य मंत्री महोदय जो विदेश की यात्रा से लौटे हैं, वहां से ही उनको यह आइडिया प्राप्त हुआ है कि वीक-एन्ड होलीडेज मनाई जायं। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के लोग अपनी धर्मपत्नि और बच्चों को लेकर कारों में बैठकर घूमने चले जाते हैं। मैं मानता हूं कि इस राज्य के मंत्री ओर आई० ए० एस० इन वीक-एन्ड होलीडेज को मना सकते हैं, लेकिन ये चतुर्थ श्रेणी के लोग और क्लर्क कैसे मना सकेंगे। कौनसा रामगढ़ का बंधा देखने जायेंगे। यह बात अमेरीका में हो सकती है, जहां हर तीसरे व्यक्ति के पास कार है, लेकिन राजस्थान के कर्मचारियों की ऐसी हालत नहीं है। पुलिस के कर्मचारियों को ही लीजिए, २० प्रतिशत पुलिस कर्मचारी टी० बी० के मरीज हैं और हमारी सरकार उनसे ६ बजे से लेकर ५।। तक कार्य कराना चाहती है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि आज इन एल० डी० सीज और चपरासियों का मेडिकिल एग्जामिनेशन करवाइये, पता लग जायगा। यह बात दूसरी है कि वे दस

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

रूपये या पच्चीस रुपये देकर, अपना रोजगार चलाने के लिए, मेडीकल सर्टीफिकेट फिटनेस का आपके सामने पेश करते हैं। आज इनके स्वास्थ्य को देखें। एफीशयेंसी लाने के लिए और ज्यादा वर्क लेने के लिए क्या यही रास्ता है कि ६ बजे से लेकर ५।। तक वे काम करें? मेरे विचार से अगर इसके बजाय आप इनकी आर्थिक स्थिति सुधारें तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि अगर वे १०।। से ४ बजे तक भी काम करें तो कई गुना अधिक काम कर सकते हैं। लेकिन प्रणाली क्या है आपके काम की? आपका काम इसलिए सफर करता है कि आपका हरेक कागज लंबी टनेल में से होकर गुजरता है . .

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): आपके कॉम्यूनिस्ट कन्ट्रीज में काम के घंटे . .

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हमारे कॉम्यूनिस्ट कंट्रीज में काम के घंटे ८ के बजाय ६ हो गए हैं। अभी हाल ही में श्री खुश्चेव ने यह घोषणा की थी। मुझे यह बताते हुए फक्र होता है।

तो सभापति महोदय, मैं कार्य की प्रणाली के बारे में कह रहा था कि यह जो रिपोर्टिंग सिस्टम है, ऑफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट, असिस्टेन्ट सेक्रेट्री को रिपोर्ट किया, डाइरेक्टर ने डिप्टी मिनिस्टर के पास रिपोर्ट की और चीफ मिनिस्टर ने मिनिस्टर साहब के पास रिपोर्ट की। इस चीज को हटाना चाहिए। मेरा कहना है कि कुछ कामों के लिए असिस्टेन्ट सेक्रेट्री को फुल पॉवर्स दीजिए। वह कौन से कामों के अन्दर होना चाहिए, यह तय कर दीजिए। तो इससे काम के अन्दर बहुत एफीशियेन्सी आ सकती है।

राज्य के जो मध्यम वर्गीय कर्मचारी हैं, जो नॉन गजेटेड कर्मचारी हैं, सेकंड क्लास ऑफिसर्स हैं और कुछ हद तक फर्स्ट क्लास ऑफिसर्स की जो दशा होगी वह मैं एक घटना से अर्ज कर दूं। जब मैं एम० एससी० का विद्यार्थी था, मेरा एक लेक्चरार रिसर्च करता था। वे रिसर्च में खोये रहते थे और रोटी का भी ध्यान नहीं रहता था। उनकी धर्मपत्नि आम तौर पर उन्हें रोकती थी, लेकिन रिसर्च में वह काफी खोया रहता था। एक दिन श्रीमती इस बात पर तुल गई कि आज रिसर्च के काम पर नहीं जाइये, लेकिन वह चला गया। एक पान जो लेकर रखा था अपने पति महोदय के लिए वह मेज पर पड़ा था। मैं लेक्चरार साहब के घर दाखिल हुआ तो वह पान मेज पर पड़ा फड़फड़ा रहा था। मैंने उस वक्त कविता बना ली जो आपको सुना देता हूं।

वह पान पड़ा का पड़ा ही रहा,
उसे वायु के झोंके सताते रहे।
उस माननी के मृदु अंजन पर,
कुछ भाव तनाव के आते रहे,
कुछ भाव तनाव के जाते रहे।

सुखाड़िया साहब की निश्चित रूप से यही दशा होगी क्योंकि उनको पान खाने की आदत है।

श्री सभापति : गवर्नमेंट कब रिप्लाई देना चाहेगी, यह मैं जानना चाहूंगा और गवर्नमेंट रिप्लाई में कितना टाइम लेगी और मूवर ऑफ दी रिजोल्यूशन कितना टाइम लेंगे?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्यमंत्री) : दस पन्द्रह मिनट मुझे चाहिए।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : सभापति महोदय, पांच पांच मिनट हमें बोलने दीजिये। पांच पांच मिनट बहुत होंगे।

श्री सभापति : How long will the Mover take for reply?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : पांच मिनट मुझे बोलने दिया जाय।

श्री सभापति : Let me know it first.

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : There is a third Bill (resolution) also and the House is committed that the third Bill (resolution) will be taken.

श्री सभापति : It depends upon the time.

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : एक रेजोल्यूशन दस आदमियों ने भेजा है, वह तो पहले होना चाहिए।

श्री सभापति : I will give you only five minutes.

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : सभापति महोदय, इस सदन में जो संकल्प विचारार्थ प्रस्तुत है मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं समर्थन इसलिए करता हूं कि हमारे यहां गवर्नमेंट के अन्दर और खास तौर से राजस्थान प्रान्त में जो कर्मचारी लोग हैं, जो सेक्रेटेरियेट में और दूसरी जगह बैठते हैं, उनकी क्या स्थिति है, उनकी क्या आय और उनकी क्या आर्थिक स्थिति है। उनको देखते हुए यह जरूरी है कि उनको इतना समय अपने घरेलू काम के लिए मिले, एफीशियेन्सी से काम करने के लिए भी मिले और अपनी तन्दुरस्ती को ठीक करने के लिए भी मिले, ताकि वे अपने जीवन को ठीक तरह से चला सकें। यह जो समय बदला है उसके बाद जो मेरा खुद का एक्सपीरियेन्स है वह मैं आपके सामने रखता हूं। यह टाइम बदलने के बाद एक घंटा लंच का दिया गया है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, कि जब मैं ट्रेजरी में बिल पास कराने गया तो वहां लंच का एक घंटा १२ से १ का होता है, जब कि सेक्रेटेरियेट में १ से २ बजे का होता है और बैंको में २ से ३ बजे तक का होता है। अब एक आदमी अगर बारह बजे से लेकर तीन बजे तक इन तीनों आफिसेज में जाय तो तीनों ऑफिसेज में उसका वह काम नहीं हो सकता है, उसका काम पूरा नहीं हो सकता है।

इसके अलावा एक बात जो सबसे बड़ी देखने की है, वह मैंने खुद ने कई दिन से देखी है। ट्रेजरी के अन्दर दो-तीन लोग, जो वहां क्लर्क हैं, खाना खा रहे थे। और वहीं पर खिड़की के बाहर सैकड़ों खड़े हुए, जो आदमी वहां खाना खा रहे थे, उनको देख रहे थे और हर मिनट पर वे कहते थे कि हमारा बिल कब पास करोगे। यह शर्म की बात है कि एक नागरिक जब पेट भरने के लिए खाना खाये, तो उस वक्त सैकड़ों व्यक्ति वहां खड़े हों और उसको आराम से खाना नहीं खाने दें, उनको आराम से नहीं बैठने दें। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे यहां इस तरह की व्यवस्था सेक्रेटेरियेट में या और कार्यालयों में नहीं है, वहां डाइनिंग हॉल नहीं बना रखे है, जहां बैठ कर वे खाना खा सकें। इस कारण वे लोग मेज पर बैठ कर या इधर-उधर बैठ कर सूखी रोटी खाते हैं और सैंकड़ों लोग देखते हैं या वे क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं। इस तरह वे आराम से खाना नहीं खा सकें। मैं समझता

Page No 98

(श्री अमरावसिंह ढाबरिया)

है कि जब तक उनके लिए अच्छी व्यवस्था नहीं करदें, उनके लिए सुविधायें उपलब्ध नहीं कर दें तब तक इस तरह अधिक समय उनसे काम कराना मेरी राय में उपयुक्त नहीं है क्योंकि वे लोग जब तक खाना आराम से नहीं खायेंगे तब तक अच्छी तरह एफीशियेन्सी से काम नहीं कर सकेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात देखने की है वह यह है कि हम जिन आदमियों से काम लेना चाहते हैं वे अपने काम के लिए जिम्मेदार हैं। उनको ७ से ८ बजे तक काम करने के लिए कहेंगे तो वे काम करने के लिए तैयार रहेंगे और अगर ९ बजे से १० बजे तक के लिए काम करने के लिए कहेंगे तो वे काम करने के लिए तैयार रहेंगे। आज जो कर्मचारी काम कर रहे हैं और उनसे काम करने की जिम्मेदारी जिन लोगों ने उठा रखी है, मैं सही तरीके से कह सकता हूं कि कोई भी कर्मचारी चार घंटे से अधिक काम नहीं करता है। सब लोग, जिनके पास केवल दस्तखत करने का काम रहता है, जिनके पास रूटीन तरीके का काम रहता है जिनको वह काम निकालना ही है, जरूर अधिक समय काम करते हैं। लेकिन उनके अलावा कोई अधिकारी नहीं है जो चार घंटे या साढे चार घंटे से ज्यादा बैठ कर काम करे। सभापति महोदय, जिन लोगों को कार्यालयों में जाने का काम पड़ता है, वे जानते हैं कि य लोग कितनी जिम्मेदारी से काम करते हैं। आज अगर वे जिम्मेदारी से काम करते हैं तो कौनसी परिस्थिति आ गई कि ऑफिसेज़ का टाइम बढ़ाना पड़ा। पहले भी वे काम चलाते थे। जब दस बजे से चार बजे तक का समय था तब ज्यादा एफीशियेन्सी से अच्छा काम होता था। लेकिन आज लोगों को तंग किया जा रहा है। उनकी तनख्वाहें कम हैं, उनकी आर्थिक स्थिति खराब है, उनको सुविधायें नहीं हैं रहने सहने की, उनको मेडीकल की सुविधा नहीं है, उनकी तन्दुरुस्ती खराब है ऐसी हालत में उनके ऊपर काम का बर्डन बढाना, बोझ लादना उचित नहीं है। अगर इस तरह अधिक समय काम लेना चाहते हैं तो आप हर तरह की सुविधा उनको दें तो इस तरह से काम अच्छा होगा। वरना उनके साथ, जो आपके अन्डर में हैं और गरीब हैं, उनके मजाक की चीज बन जायगी क्योंकि एक तो अपने घर से माल मसाला लेकर आता है और एक आदमी सूखी रोटी लेकर आता है। वह दूसरे आदमी के सामने वह सूखी रोटी खाता है तो शर्म महसूस करता है। इस तरह यह मजाक की चीज है उन लोगों के लिए जिनकी आर्थिक हालत खराब है और अपनी स्थिति के कारण अच्छा खाना नहीं खा सकें। इन शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): सभापति महोदय, जो प्रस्ताव रखा गया है कि सरकारी दफ्तरों का समय दस बजे से पांच बजे तक का कर दें..

श्री सभापति : बहुत संक्षेप में कहें।

श्री गिरधारीलाल व्यास: मैं उस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। विरोध का कारण यह है कि जैसा मैंने अनुभव किया है कि जहां सेन्ट्रेल सेक्रेटेरियेट या किसी दूसरे दफ्तर में सुबह का टाइम होता है वहां पर जितना काम हो सकता है उतना काम लंच के बाद नहीं हो सकता है। लंच के बाद के टाइम में आदमी आराम करने की सोचता है, उस समय उससे काम नहीं होता है। जैसा कि कहा गया है कि ऑफिसर्स खाना खाने के बाद एक-दो घंटे ऑफिस में देर

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

से आते हैं, इसलिए यह व्यवस्था करने की जरूरत पड़ती है ताकि लोग बाग अपने घरों पर खाना नहीं खा सकें तो सुबह के समय खाना ले आवें ताकि वे ज्यादा काम कर सकें।

दूसरे यह कहा गया कि लोगों को सूखी रोटी दूसरों के सामने खानी पड़ेगी और जल्दी खाना खाने में उनको असुविधा होगी। यह बात कही गई लेकिन आप गांवों में देखें, शहरों में देखें, हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। वे लोग सात बजे स्कूल जाते हैं और डेढ बजे वापिस आते हैं। जब इतने छोटे बच्चों के लिए प्रबन्ध कर सकते हैं कि सात बजे वे स्कूल जायं और डेढ़ बजे वापिस लौट कर आयें तो यह नहीं कहा जा सकता कि सेक्रेटेरियेट या दूसरे दफ्तरों में काम करने वाले लोग हैं वे ६ बजे जाकर दफ्तरों में काम करें और उसके बाद पांच बजे वापिस आयें, जो पांच बजे तक का टाइम निर्धारित किया गया है, वे ६ बजे जायं और उनकी पांच बजे छुट्टी हो–तो इससे उनको कोई असुविधा होगी, उनको खाना नहीं मिलेगा, बच्चों की देख भाल नहीं कर सकेंगे, खरीद-फरोख्त नहीं कर सकेंगे, दवा-दारु नहीं ला सकेंग, फेमिली अफेअर्स को अटेन्ड नहीं कर सकेंगे जिससे आपस में बहुत तरह के झगड़े मीयां बीबी के होंगे। इस प्रकार की आशंकायें प्रगट की गई हैं और इस प्रकार की बातें कही गई हैं। मेरी मान्यता है कि इस प्रकार की बातें किसी प्रकार नहीं हो सकती।

दूसरे यह कहा गया है कि शनिवार की छुट्टी से नुकसान है। शनिवार की छुट्टी इसलिए दी गई है कि लोगों को एक दिन की छुट्टी मिले उसमें जैसा वे कह रहे हैं कि वे बहुत बीमार हैं, तो उसके लिए दवा वगैरह लाकर बीमारी को दूर कर सकें और घर के काम-काज को निपटा सकें। इसलिए इस बात से उनको कोई असुविधा नहीं होगी।

एक बात यह कही गई कि ऑफिसेज के बड़े बड़े ऑफिसर्स मोटर से लंच करने चले जाते हैं और जो छोटे कर्मचारी हैं वे वहां किस प्रकार भोजन करें। मैं समझता हूं कि इसकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, मोटर द्वारा या किसी और प्रकार से। वैसे राजस्थान कोई इंगलेंड तो है नहीं या कोई दूसरा कंट्री तो है नहीं जिसके पास इतने साधन हों कि मोटर के द्वारा टिफिन वगैरह घर घर से मंगाये। सरकार कहां से इतना खर्चा करे? लेकिन जैसे मजदूर सुबह कारखाने जाते हैं और शाम को वापिस आते हैं वे अपना टिफिन लेकर, अपना खाना लेकर जाते हैं और लंच के टाइम में खाना खाते हैं, वैसा करें। अब यह कहा जाय कि सबके सामने वे सूखी रोटी कैसे खायें। मैं समझता हूं कि सब एक श्रेणी के हैं, एल० डी० सी०, यू० डी० सी०- वे साथ बैठ कर सूखी रोटी खाते हैं तो उसमें शर्म की क्या बात है? अपने घर में जैसा होगा उसी प्रकार की रोटी तो खायेंगे। मेरा तो यह सुझाव है कि ६ बजे का जो समय किया गया है इसमें इसके बजाय ज्यादा से ज्यादा मौनिंग अवर्स लिये जायं तो उससे ज्यादा एफिशियेन्सी बढ़ेगी और ज्यादा काम अच्छा होग। जिस प्रकार गर्मी के दिनों में आफिसेज के टाइम सात बजे से डेढ़ बजे तक कर दिये जाते हैं उसी प्रकार किये जाते हैं तो इससे ज्यादा एफिशियेन्सी होगी और काम ज्यादा होगा। यह सुझाव मेरा है।

दूसरी बात यह है कि सेन्ट्रल सेक्रेटेरियेट और दूसरे स्थानों पर देखा जाय तो बहुत से ऑफिसेज में ६ बजे से आफिस का समय होता

(श्री गिरधारीलाल व्यास)
है, बहुत से ऑफिसेज में साढे नो से होता है और बहुत सों में १० बजे से होता है। यह उनकी सुविधा को देख कर इस वजह से किया गया है कि वसेज में भीड़ रहती है। इस वजह से हर ऑफिस के समय में थोड़ा बहुत समय का फर्क रख कर नो बजे और साढे ६ बजे से ऑफिस का समय प्रारम्भ होने की व्यवस्था की गई है।

तो जितना मोर्निंग के समय में काम होता है उतना बाद में नहीं होता इस लिये मोर्निंग के समय को ज्यादा से ज्यादा लिया जावे तो ज्यादा से ज्यादा काम निकलेगा। मुझे यही अर्ज करना है।

श्री मानसिंह महार (आमेर): सभापति महोदय,....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर): सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि अब समय हो चुका है इसलिये अच्छा हो कि इस पर गवर्नमेंट की तरफ से उत्तर हो जावे।

श्री सभापति: श्री मानसिंह महार बोल लें उसके बाद में।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): इससे पहले कि माननीय सदस्य अपना भाषण शुरु करें, में निवेदन करुंगा कि सदन का समय बढ़ाया जावे। अभी जवाब देना है।

श्री सभापति: (श्री महार से): आप संक्षेप में ही कहें और जल्दी अपना भाषण समाप्त करें।

श्री मानसिंह महार (आमेर): सभापति महोदय, मैं बहुत संक्षेप में निवेदन करुंगा। सदन के समक्ष जो प्रस्ताव प्रस्तुत है उसके संबंध में बहुत कुछ कहा जा चुका है। लेकिन मैं जानता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री इस पर तुले हुए हैं कि इन वेचारे सरकारी कर्मचारियों को परेशान किया जावे। वे शायद अमेरीका से जाकर वहां से ऐसे विचार लाये हैं अधिक समय काम करने का। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं और उनसे पूछना चाहता हूं कि वे इस बात पर ठंडे दिमाग से सोचें कि आपके क्लर्क चाहे वे यू० डी० सी० हों या एल० डी० सी० हों, जितना काम वे ६ घंटों में कर सकते हैं वे ८ या ६ घंटों में नहीं करते। इस बात को आप निश्चित समझ लें। इसलिए आपको अपने स्टाफ में विश्वास प्राप्त करना चाहिए और मैं यही कहूंगा कि आप अपने स्टाफ में विश्वास पैदा करिये। आप उनका समय कम कीजिये और उनसे यह कह दीजिये कि यह काम है, इसको इतने समय में करना है इसकी जिम्मेदारी आपकी है। तो वे उस काम को किस प्रकार करते हैं? चीफ मिनिस्टर साहब को मालूम है कि जिस समय जरुरत पड़ती है तो सेक्रेटेरिएट के लोग रात को भी १० बजे तक काम करते हैं। और आप उनको बहुत कम समय एक्सट्रा एलाउन्स देते होंगे। मैं यह समझता हूं कि आप हमारे जो सरकारी कर्मचारी है उनके लिये यह नहीं कह सकते कि वे सरकार को सेबोटेज करना चाहते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर वे आपको सेबोटेज करें तो आपकी यह सरकार एक दिन भी नहीं चल सकती। आपकी सरकार उन कर्मचारियों के बल बूते पर ही तो चलती है। जब सरकारी कर्मचारी आपके खिलाफ हो जावेंगे तो यह आपके कागज के जो महल हैं, वे जल्दी ही गिर जावेंगे।

श्री सभापति: आप जल्दी अपना भाषण समाप्त करें।

श्री मानसिंह महार: मैं बहुत जल्दी कर रहा हूं।

आपने सटरडे की छुट्टी रखी है। मैं यह कहूंगा कि आप दफ्तरों का समय जो ९ से ५।। रखा है उसके बजाय १० से ४।। का रखें और तीन महीनों तक आप इसको देखें कि कौनसा समय ठीक है, तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि वर्क का आउट पुट जो आज आपको इस टाइम में जो ९ से ५।। बजे का है उसके बजाय १० से ४।। का रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज लोग ज्यादा परेशन हैं। वे कहते हैं कि यह टाइम ठीक नहीं है। लेकिन कुछ लोग आपकी तरफ से यह कहेंगे कि इसके बजाय ७ से सुबह १।। बजे तक का रख लीजिये, दूसरे लोग मजदूर भी तो सुबह जाते हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि क्या आप मेन्यूअल लेबर और मेन्टल लेबर को एक बराबर मानते हैं।

एक माननीय सदस्य: उनमें जान नहीं है क्या?

श्री सभापति: Ignore what he is saying. You are wasting valuable time.

श्री मानसिंह महार: बुद्धि का जो काम है वह कम समय में ज्यादा अच्छा होता है। मैं कहता हूं कि हम जिस समय कॉलेज जाते थे और जिस दिन हाफ होली डे होती थी उस दिन हम ज्यादा काम दिमाग में लेकर आते थे बनिस्वत उस रोज के जिस दिन पूरा समय कॉलेज का होता था। इसलिए समय कम होने की वजह से मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा और यह भी निवेदन करूंगा कि आपकी पार्टी की तरफ से एक महिला सदस्या ने जिस करुण आवाज में आपको कहा है, आपका हृदय तो तभी पिघल गया होगा और आप अब अमेरिका और इंग्लेंड जा कर आये हैं तो वहां से कुछ लेकर आये हैं। मेरा यह कहना है कि आप फोरिन टूर करके आये हैं और हमारे कर्मचारियों को कुछ राहत मिले, ऐसा समय रखें ताकि छोटे छोटे कर्मचारी जब अपने बीवी बच्चों के पास जल्दी जावेंगे तो आपको दुवाएं मिलेंगी। जिस दिन से गोल्ड कन्ट्रोल हुआ आपको स्वर्णकारों ने बददुआएं दीं और कहीं ऐसा न हो की इन बददुआओं की दूसरी लिस्ट में आपका नम्बर आ जावे। इसलिये मैं आपके खुद के भले के लिये और राजस्थान के भले के लिये और हमारे दा साहब के भले के लिये अपील करूंगा कि आप इस प्रस्ताव को मान लीजिये।

श्री मोहन लाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): माननीय चैयरमैन, इस समय के परिवर्तन को लेकर जो इस सदन में प्रस्ताव रखा गया है और जो इस पर वाद-विवाद हुआ उसमें कुछ सदस्यों ने इसको जिद्द बताया है। कुछ प्रश्न इसके अन्दर उठाये गये जो भावनाओं से भरे हुए थे और कुछ कठिनाइयों के संबन्ध में भी बातें सदन के समक्ष रखी गई। मैं यह समझता हूं कि यह सदन इस बात से सहमत होगा कि चाहे कोई मिनिस्टर हो, चाहे बड़े से बड़ा ऑफिसर हो, चाहे और कोई कर्मचारी हो उसका पहला कर्तव्य यह है कि जिस राज्य की सेवा के अन्दर वे लोग लगे हुए हैं उसकी सेवा का अंजाम पूरी तरह से दें। जितनी उनकी शक्ति है उसके अनुसार ज्यादा से ज्यादा काम उनको करना चाहिये और इस दृष्टि से जो निर्णय किया गया है वह उचित है या नहीं, यह हमें देखना है क्योंकि आज इन स्थानों पर चाहे सरकारी ऑफिसर्स हों, चाहे कर्मचारी हों, सभी तरह के लोग काम करते हैं और जब कि हमें सारी स्टेट का काम करना

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

हैं, उनकी बहुत बड़ी तादाद है । आज एक तरफ हम कहते हैं कि कागज नहीं निकल पाते हैं और बहुत विलम्ब हो जाता है, इसलिए सारी चीजों को टोन अप करने की आवश्यकता है । मैं समझता हूं कि इन सारे पहलुओं को एक दृष्टि से देखना होगा और मैंने भी, जहां तक ६ बजे से ५।। बजे का समय रखा है उसमें हमने ही ऐसा सब कुछ किया है यह मान कर चलने का प्रश्न नहीं है । हमने हमारी केबिनेट में, हमारे जो अधिकारी में उनसे इस संबन्ध में स्पष्ट तौर से कहा है कि वे इस प्रकार का एक आधार बनावें कि कितने समय तक एक प्रकार का कागज उनके पास रुके और उससे ज्यादा अगर वह रोका जाता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये और उस व्यक्ति को दोषी समझा जाए । क्योंकि आज हम करप्शन की बातें करते हैं और यह करप्शन डिले की जड़ में ही पैदा होती है और डिले की जड़ ही इसका कारण बनती है । इसलिये हमें इसके लिये प्रोसिजर ले डाउन करना चाहिये कि कागज रुकने के बजाय निश्चित समय में आगे बढ़े ।

इसके अलावा मैं यह कहूंगा कि जो समय पहले उनको काम करने के लिये देना पड़ता था उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है, एक वीक में जो समय काम के लिये देते थे उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है । अगर कोई यह समझे कि एक सप्ताह में जितना घन्टा काम करते थे उनके काम के धन्टों में वृद्धि हुई हो, ऐसी बात नहीं है । समय परिवर्तन के बारे में, माननीय चैयरमैन, भारत के अन्दर और दूसरी जगह भी, सभी जगह यह मान्यता रही है कि सुबह का समय जितना काम करने के लिये उपयुक्त हो सकता है, दोपहर के बाद उपयुक्त नहीं होता है ।

हमारे यहां यह क्यों हुआ १० से समय ? हमारे यहां खास करके अंग्रेजों का राज्य आया तब से यह टाइम हुआ । इसके अलावा बहुत सी चीजों में परिवर्तन आया । पुराने जमाने में कई जगह सुबह दफ्तर लगते थे । लेकिन चूंकि अंग्रेज आये और वे लोग बहुत दूर रहते थे, उनको आने में समय ज्यादा लगता था इसलिए समय में परिवर्तन हुआ । मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि मोनिंग में एक आदमी के काम करने की शक्ति ज्यादा होती है बमुकाबले लन्च के बाद जब वह आता है । आज यह चीज दिमाग में चलती थी बाहर हम लोग गये और बाहर जाने से इन चीजों को बल मिला । जहां ठंडा मुल्क है आप यह कल्पना करते होंगे कि वहां के लोग देरी से उठते होंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है । लेकिन मैं ऑस्ट्रेलिया में ठंड के दिनों में गया और वहां पर उन लोगों के काम करने के ढंग को देखा तो हवाई जहाज जो आम तौर से वहां से जाता था सुबह सब लोग जो मीलों दूर रहते थे आ जाते थे और वहां यह डिफरेन्स कि मेनुअल लेबर के लिये अलग समय होना चाहिये और दूसरों के लिये अलग समय होना चाहिये, यह बात नहीं है । ४० अवर्स वीक जहां माना जाता है वही हमारे यहां पर भी है और आज हमने जो समय रखा है उसमें ४० घन्टे वीक के रखे हैं । ४० घन्टे वीक से ज्यादा काम नहीं करते हैं ।

जो परिवर्तन किया गया है उसके बाद, यह परिवर्तन करने के बाद, मैं तो चाहता था कि साढे आठ बज काम शुरू होना चाहिये, जैसे युगोस्लाविया में ७ से १।। बजे तक काम करते हैं, यदि उसी प्रकार यहां हो तो उस पर विचार कर सकते हैं । पर बहुत से व्यक्ति इसको पसन्द नहीं करते । मेरी उत्सुकता है कि सुबह का टाइम सबसे अच्छा टाइम है, सुबह के टाइम जो आदमी फ्रेश माइन्ड

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
से काम कर सकता है उसको स्टेट की सर्विसेज़ में लगाना चाहिये । भारतीय संस्कृति में देर से उठना भारतीय संस्कृति का अंग नहीं रहा है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : Seven to One is acceptable. That is quite all right.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : में तो निवेदन कर रहा हूं कि यह भी मैंने रखा कि सटरडे की छुट्टी नहीं हो, सिक्स डेज तक वर्क हो तो इसका मतलब यह हो जाता है कि इन आल ३६ घंटे के करीब हो जाता है । इस बात के फार्मूला पर आते हैं तो इसको मंजूर करने पर विचार किया जा सकता है । हम यह चाहते हैं कि सुबह का समय जितना ज्यादा से ज्यादा स्टेट की सर्विसेज़ के काम में लगा सकें लगाना चाहिए । मैं वाद-विवाद में नहीं पड़ना चाहता, मेरे सामने जो भावना है वह मैंन व्यक्त की।

दूसरी बात यह है, चैयरमैन महोदय, कि हम इस बात को जानते हैं कि जिस तरह लोग पढ़ने लगे अंग्रेजी वगैरह, उन लोगों में लंच वगैरह की बात आने लगी । पर व्यापारी लोग सुबह ८ बजे दुकान पर जाते हैं तो खाना खाकर पहुंचते हैं और शाम को छः, साढे छः बजे वापिस खाना खाकर घूमने निकल जाते हैं । ऐसी परम्परा हमारे यहां, भीलवाड़ा और दूसरी जगहों पर रही है । यह सिस्टम हमारे यहां रहा है, हेबिट्स की बात है कि हम चाहें उस तरह एड्जस्ट करें ।

हमारे वित्त मंत्री कमजोर नहीं दिखते, सुबह हैवी ब्रेक फास्ट लेते हैं, फिर दिन को खाना नहीं खाते, रात को डीनर ही लेते हैं। मैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में लेट अवर्स में खाना लेता रहा,, वहां के लोग बाग छः, साढे छः बजे शाम को खा लेते हैं, आम तौर से शाम का यही वहां खाने का समय है । सुबह वे लोग हैवी ब्रेकफास्ट ले लेते हैं, फिर हल्का लंच लेते हैं । तो ये तो सारी चीजें इसके पीछे हैं, हेबिट्स को एड्जस्ट करने के पीछे हैं । सटरडे और सनडे इसलिये खुला रखा है कि मार्केटिंग के लिये, और चीजों के लिये शनिवार का समय उनको मिल जाय जिससे अपनी आवश्यकता की चीजें वे ला सकें ।

अस्पतालों की बात आती है तो होस्पिटल का समय साढे पांच से ७ का कर दिया है, ५ से ६ के बजाय जिससे कि वे लोग वहां जाकर दवा ले सकें । अब ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि घरमें कोई ज्यादा बीमार हो जाय तो यह तो सब के लिये मानकर नहीं चला जा सकता कि सब के घरों में बीमार हैं । अगर किसी के घर में बिमार हो जाय तो ऐसे अवसर के लिये गवर्नमेंट द्वारा सुविधाएं दी हुई हैं, केज्वल काम के लिए छुट्टी ले सकते हैं ।

तो ये सारी चीजें देखने का मतलब यह है कि कौनसे समय में गवर्नमेंट का वर्क अच्छी तरह डिस्पोज ऑफ हो सकता है ।

क्लास फोर सर्वेन्ट्स के लिये मैंने कहा है क्योंकि उनको जल्दी आना पड़ेगा इसलिए जल्दी आने वालों को उनकी जगह औरं को एड्जस्ट करके जल्दी छुट्टी दे दें । तो इस बात की भी व्यवस्था की गई है ।

श्री सभापति (केसरीसिह): में सदन का समय १० मिनिट और बढ़ाता हूं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मिनिस्टीरियल और क्लास फोर स्टाफ है उसके लिये यह कहा है कि इस टाइम के बाद ओवर टाइम

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

रोका जाता है तो ओवर टाइम दे किया जाना चाहिये, जिससे उनके सामने यह भी दिक्कत नहीं आये ।

दूसरे यह रखा गया कि ऑफिसर्स लंच टाइम का जो समय रखा है उससे ज्यादा समय तक रुक जाते हैं या लंच टाइम के बाद वापिस दफ्तर नहीं आते । मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि चाहे वे कोई हों यदि ब्रीच करते हैं तो सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करेगी ।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : कलेक्टर की आप जांच कर लीजियेगा ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : दूसरे यह भी कहा कि ये लोग इतनी देर तक काम करते हैं और जो ऊपर हैं वे लोग काम नहीं करते हैं, तो मेल नहीं खाता । इसलिये उनको भी वक्त पर काम करने की जरूरत पड़ेगी । मैं नहीं चाहता, यही मैंने ऑफिसर्स से भी कहा है, कि वे फाइलें साथ में ले जाय और कहें कि क्योंकि हम घर पर काम करते हैं इसलिये ऑफिस से एब्सेन्ट रहेंगे, घर पर काम करें या नहीं करें, मैं कतई उत्सुक नहीं हूँ कि घर पर फाइलें ले जाते हैं इसलिए ऑफिस अवर्स में कम्पेन्सेट करना चाहिये । मैं तो यह चाहता हूं कि एक भी फाइल घर पर डिस्पोज ऑफ करने को नहीं रहे तो वह अच्छी चीज रहेगी। क्योंकि चेयरमेन महोदय, यह आवश्यक है कि हर एक में वर्क करने का फिलिंग पैदा करनी होगी, आज हर बड़े से बड़े कन्ट्री में लोग हार्ड लेबर करते हैं, आप इससे कैसे दूर रह सकते हैं, हिन्दुस्तान में भी हमें चाहिये कि हम हार्ड लेबर करें ।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि ७ से डेढ बजे का समय ठीक हो सकता है । मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनकी एसोसियेशन की तरफ से यह इच्छा जाहिर करेंगे तो 7 to 1-30 p.m. without any holiday on Saturday (all the Saturdays will be working days), इसे मानने में हमें ऐतराज नहीं होगा, हम इसे स्वीकार करने को तैयार होंगे । यह बात मैं पहले भी कह चुका हूं, अब भी तैयार हों तो हमें ऐतराज नहीं ।

इसलिए माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है उसे वे वापिस ले लेंगे और मैं उम्मीद करके चलता हूं कि जो बातें कही गई, और भी कई बातें कही गई, डेलिगेशन ऑफ पावर की । डेलिगेशन तो बिजनेस रूल्स के माफिक हैं । पर बहुत सी बातें गंगानगर और रायसिंहनगर से आने वाले माननीय सदस्यों ने कहीं कि आप पावर डेलिगेट कर दीजियेगा ।

तो डिस्पोजल तो कलेक्टर्स को सौंप रखा है, उसके खिलाफ आप हमें कहें कि आप इन्हें ठीक करिये तो स्वाभाविक तौर से कागज नीचे भेजते हैं तो ऊपर आता है । तो डेलिगेशन नहीं किया गया हो, ऐसी बात नहीं है ।

हमने हरिश्चन्द्र माथुर की चेयरमैनशिप में एक कमेटी बैठा रखी है कि किस तरह डिस्पोजल क्विक हो सकता है ।

तो टाइम तो एक फैक्टर है । असल में डिस्पोजल जल्दी होने के लिए हर तरीके से विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार इन चीजों को किया जाय । आज के दिन अर्ली डिस्पोजल और हमारे कानून कायदों में हमारी मूल बातों को कायम रखते हुए लोग-बागों की डेली लाइफ में इन्टरफियरेन्स जितना कम किया जा सकता हो उस

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
तरह से हम विचार करना चाहते हैं, विचार कर रहे हैं और उन चीजों की ओर कदम उठाना चाहते हैं ।

करेप्शन की शिकायतें आती हैं, उनके कारणों को भी जितना दूर कर सकें उन पर भी विचार किया जाय ।

तो मुझे उम्मीद है कि इस प्रस्ताव को जिन माननीय सदस्य ने रखा है वे इसको वापिस लेंगे ।

श्री दुर्गालाल बाददार (हवामहल, जयपुर) : युनिफोर्मिटी ऑफ टाइम के लिए प्रकाश नहीं डाला ।

श्री सभापति : प्रस्ताव वापिस लेना चाहेंगे ?

श्री दुर्गालाल बाददार : माननीय मुख्य मंत्रीजी ने युनिफोर्मिटी ऑफ टाइम के लिए प्रकाश नहीं डाला है । उस पर भी तो कुछ फरमायेंगे ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : हमारे माननीय मुख्य मंत्री राजस्थान में एक नयी चेतना देने वाले हैं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आप तो इसको वापिस ले लीजिये । आपका नम्बर तो अब मिनिस्ट्री में नहीं आने वाला है ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इससे आपको कोई गुरेज नहीं होनी चाहिये । यह ठीक है कि जो सुबह के बारे में समय का कहा है कि ७ बजे से १॥ बजे तक जितना आज काम करना पड़ रहा है गर्मी के दिनों में छः महीने तक ऐसा एड्जस्ट कर दिया जाय और उसके बाद जो सर्दियों का टाइम है उसमें १० से ५ बजे तक का एड्जस्ट कर दिया जाय तो यह उचित ही रहेगा और मैं उम्मीद करता हूं कि इस पर आप विचार करेंगे । मैं यह आशा करते हुए कि जो आपने नया एक्सपेरिमेन्ट राजस्थान में किया है उसमें आप कामयाबी हासिल करें । मुझे बड़ी खुशी है । मैं प्रस्ताव वापिस लेता हूं ।

श्री सभापति : वापिस लेने से पहले संशोधन प्रस्ताव के वापिस लेने के लिए पूछ लता हूं ।

श्री रामकिशन (बैर) : उनकी तो जरूरत ही नहीं रही, वे वापिस प्रस्ताव के लेने पर स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : संशोधन प्रस्ताव वापिस लेने की हमें क्या जरूरत है हम क्यों लेने लगे ? हमें बटर लगा कर क्या करना है । हमें तो जगह मिलनी नहीं मिनिस्ट्री की ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं ।

श्री सभापति : क्या सदन की यह राय है कि जो प्रस्ताव श्री बृज सुन्दरजी शर्मा ने रखा है वह उन्हें वापिस लेने की अनुमति दी जाय ।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं ।

श्री सभापति : प्रस्ताव वापिस ले लिया गया है । सदन की कार्यवाही सोमवार दिनांक २-९-६३ के २॥ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म०प० ८-५ बजे दिनांक २ सितम्बर, १९६३ के म०प० २–३० बजे तक के लिये स्थगित हुई)

संक्षिप्त-विवरण

(शुक्रवार, दिनांक ३० अगस्त, १९६३)

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक

नगर परिषद् अलवर द्वारा जमीन का बेचान ।

पटवार घर बनाने के लिए स्वीकृत धनराशि-ग्राम कोट, तहसील बयाना ।

राजस्थान स्टेट होटल के हिसाब में गड़बड़ ।

मेडिकल कालेज बीकानेर में लेक्चरार्स की आवश्यकता ।

ग्राम नानणा में अग्नि काण्ड की जांच व अग्नि पीड़ितों को राहत ।

पंचायत समिति क्षेत्र निम्बाहेड़ा के अन्तर्गत चलने वाली सहकारी समितियों की वार्षिक रिपोर्ट ।

सघन कृषि योजना-जिला पाली ।

पत्थरों की खानों के विकास की योजना-तहसील निवाई ।

एस० डी० ओ० आफिस नीम-का-थाना में वकायात के मामले ।

रेस्क्यु होम्स ।

जागीर कमिश्नरी में उदयपुर जिले के कर्मचारियों के फिक्सेशन के मामले ।

नहरों की लीकेज से नुकसान-तहसील पाटन ।

मार्केटिंग सोसाइटी, रायसिंहनगर का ऑडिट ।

नये औषधालय ।

बन्धा जलमली, तहसील दौसा की नहर से सिंचाई तथा उससे आमदनी ।

पी० एन० आर०सी० की ट्रेनिंग ।

यूनियन्स का रजिस्ट्रेशन ।

नगरपालिका जालौर द्वारा गलियों में पट्टियां बिछाने के ठेके ।

न्यू कोलोनी हरिजन बस्ती, जयपुर में अग्नि काण्ड ।

झुंझुनू नगरपालिका के लेखाओं का ऑडिट ।

लैण्ड मोरगेज बैंक, हनुमानगढ़ ।

गोविन्दगढ़ व लक्ष्मणगढ़ की पंचायत समितियों का ऑडिट।

टैक्सटाइल मिल भवानी मण्डी के मजदूरों को सहूलियतें ।

वाइल्ड लाइफ बोर्ड।

नागौर ज़िले में चीनी का वितरण ।

देवगढ़ में सूकई तालाब से सिंचाई ।

आयुर्वेद शिक्षा के प्रोफेसर्स ।

आबादी काबिल भूमि—नगरपालिका लाखेरी ।

रेन्जर के पदों पर भर्ती ।

अनुसूचित जन जाति बस्ती निर्माण हेतु आर्थिक सहायता—जिला भरतपुर ।

ग्राम खेजड़ो वजर्ग औषधालय में वैद्य ।

मध्यमवर्ग आय वालों को मकान बनाने के लिए ऋण

हरिजन बस्ती—कस्बा मालपुरा।

राजस्थान केनाल एरिया में भूमि एलाटमेन्ट के लिए एक्स-मिलिटरी पर्सनल्स के आवेदन-पत्र।

स्थगित प्रश्न
(२३-८-६३)

उनियारा की हरिजन कालोनी में वर्षा काल में पानी की समस्या।

ग्लास फेक्ट्री को दी गई जमीन ।

चम्बल की नहरों से पानी की सप्लाई ।

२. कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन तथा उस पर विचार।

श्री मथुरादास माथुर ने कार्य सलाहकार समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन किया।

तत्पश्चात् प्रतिवेदन पर सदन द्वारा सहमति प्रकट की गई ।

गैर-सरकारी संकल्पों पर विचार ।

(१) श्री रामकिशन, सदस्य विधान सभा, ने निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत किया :–

"सदन यह सिफारिश करता है कि राष्ट्रपति की आज्ञा से राज्य की सभी अदालतों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग तुरन्त वन्द कर दियां जाये और अदालती काम हिन्दी में चलाया जाये ।"

उपरोक्त संकल्प पर सर्व श्री विजयसिह झाला, अब्दुल जब्बारखां एवं मुरलीधर व्यास ने अपने अपने संशोधन प्रस्तुत किये ।

विधि मंत्री, श्री मथुरादास माथुर के उत्तर के पश्चात् संकल्प सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

(२) श्री बृजसुन्दर शर्मा, सदस्य विधान सभा, ने निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत किया :–

"इस सदन की राय है कि राज्य के सरकारी कार्यालयों का समय प्रातः दस वजे से सायं ५ वजे तक का ही रखा जाये और शनिवार की छुट्टी नहीं रखी जाय ।"

श्रीमती सुमित्रा ने संकल्प का समर्थन किया ।

उपरोक्त संकल्प पर सर्व श्री रामकिशन, अब्दुल जब्बार खां, सतीशचन्द्र अग्रवाल, जयकृष्ण शर्मा एवं श्री कुमारानन्द ने अपने अपने संशोधन प्रस्तुत किये । कतिपय अन्य सदस्यों ने भी प्रस्तुत संकल्प पर अपने विचार व्यक्त किये ।

मुख्य मंत्री, श्री मोहनलाल सुखाडिया के उत्तर के पश्चात् संकल्प संबंधित सदस्य द्वारा वापस ले लिया गया ।

सदन की वैठक रात्रि के ८ वजकर ५ मिनिट पर सोमवार, दिनांक २ सितम्बर, १९६३ को दिन के २-३० वजे तक के लिए स्थगित की गई ।

सोमवार, दिनांक २ सितम्बर, १९६३ की कार्य सूची

१. राजस्थान जन सेवा आयोग के ११ वें १२ वें प्रतिवेदनों पर विचार ।

२. राजस्थान पुलिस (अनिष्ठा हेतु अभिलेखा) विधेयक, १९६३ के सदस्यों के नामों की घोषणा ।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३२७ का उत्तर देखिये)

सूची परिशिष्ट "क"

क्रम संख्या	नाम सहकारी समिति	ऋण राशी	अनुदान राशी	योग
१	२	३	४	५
१	बाडी ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०	३९७९२·००	६००·००	४०३९२·००
२	मांगरोल " "	४७०२०·००	६००·००	४७६२०·००
३	फाचर " "	१४३२०·००	५५०·००	१४८७०·००
४	मनोरा " "	४९३२०·००	५००·००	४९८२०·००
५	रानीखेड़ा " "	३६०७०·००	२१५०·००	३८२२०·००
६	सतखण्डा " "	२१०७०·००	६५०·००	२१७२०·००
७	खरनौदा " "	३०५२०·००	६००·००	३११२०·००
८	भिण्डाना " "	२९८००·००	५००·००	३०३००·००
९	बिनौता " "	२८७६०·००	६००·००	२९३६०·००
१०	मंडलाचारण " "	८६२० ००	५००·००	९१२०·००
११	कनेरा " "	२७२८०·००	५००·००	२७७८०·००
१२	फलवा " "	५४४६०·००	६००·००	५५०६०·००
१३	मैंलाना " "	९६००·००	५००·००	१०१००·००
१४	केली " "	२६३७०·००	५००·००	२६८७०·००
१५	नादोला " "	३५११८·००	५००·००	३५६१८·००
१६	लाडावन " "	४२४८०·००	६००·००	४३०८०·००
१७	बांगरेडा " "	३१६३०·००	५००·००	३२१३·००

१	२	३	३	५
१८	मरनोदी सेवा सहकारी समिति लि०	११३८०·००	७००·००	१२०८०·००
१९	पदकोटडी " "	१०४२०·००	७००·००	१११२०·००
२०	आवदा " "	४०९६०·००	७००·००	४१६६०·००
२१	कोटडी कलां " "	१४३२०·००	७००·००	१५०२०·००
२२	कारूण्डा " "	९१७०·००	७००·००	९८७०·००
२३	गुडीखेडी " "	२७२००·००	७००·००	२७९००·००
२४	भर्गवानपुरा " "	१८७२०·००	७००·००	१९४२०·००
२५	चरलियां " "	१६४५०·००	७००·००	१७१५०·००
२६	अडोलीपाटा " "	२१६८०·००	७००·००	३२३८०·००
२७	भावलियां " "	११०४०·००	७००·००	११७४०·००
२८	वरनियाजोशी " "	७६००·००	५००·००	८१००·००
२९	ऊंडलीयां " "	१४७४०·००	५००·००	१५२४०·००
३०	वडौली झंटोली " "	३१५६८·००	५००·००	३२०६८·००
३१	संरचीं " "	—	१५०·००	१५०·००
३२	बीनोता कृषि स० समिति लि०	—	—	—
३३	अरनियां जोशी " "	—	—	—
३४	वटेरा कृषि स० समिति लि०	—	—	—
३५	वेनीपुरा कवीन बुनकर स०स०लि०	२१३७·५०	—	२१३७·५०
३६	कमेरा घाणी तेल उत्पादक स०स०लि०	१६३००·००	१००३·२४	१७३०३·२४
३७	बोरखेडी " "	७०५०·००	—	७०५०·००
३८	मांगरोल " "	४८६२·००	—	४८६२·००
३९	गांगेडा चर्म उत्पादक स०स०लि०	४१००·००	१६००·००	५७००·००

१	२	३	४	५
४०	चाडी चर्म उत्पादक सहकारी समिति लि०	१२२५·००	—	१२२५·००
४१	आडावन " "	४३६०·००	—	४३६०·००
४२	रानीखेडा " "	१२००·००	—	१२००·००
४३	आडावल गुड खाण्डसारी स० स०लि०	१०११२·५०	६००·००	११०१२·५०
४४	कारण्डा " "	—	—	—
४५	सतखन्डा " "	—	—	—
४६	गांगरेडा श्रमिक ठेका स०स० लि०	—	—	—
४७	बीनोता पत्थर उत्पादक स०स०लि०	—	—	—
	योग :—	८२८८५५·५०	२३१०३·२४	८५१९५८·७४

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ३३१ का उत्तर देखिये)

राजकीय महिला सदन, जयपुर के इन्चार्जों की सूची "अ"

क्रमांक	व्यक्ति का नाम	कब से कार्य किया	कब तक कार्य किया
१	२	३	४
१	मिस तारा सांखला	२३-२-१९५७ से	९-६-१९५७
२	श्रीमती सुशीला अग्रवाल	१०-६-१९५७ से	१८-९-१९५७
३	मिस तारा सांखला	१९-९-१९५७ से	३०-७-१९५७
४	श्रीमती सुमन त्रिपाठी	३१-७-१९५७ से	१९-३-१९५८
५	मिस सरोजनी सक्सेना	२०-३-१९५८ से	२४-४-१९५८
६	मिस राजेश्वरी वैश्य	२५-४-१९५८ से	५-१२-१९५८
७	ग्रेगरी डी० सिलवा	६-१२-१९५८ से	१५-६-१९५९
८	मिस राजेश्वरी वैश्य	१५-६-१९५९ से	अब तक कार्य कर रही है

राजकीय महिला सदन, जयपुर से किन आवासनियों की शादी सदन द्वारा कारवाई गई उनकी सूची "ब"

क्रमांक	महिला का नाम	वर्ष	जिस व्यक्ति के साथ शादी की गई उसका नाम व पता
१	२	३	४
१	शान्ती	२४-९-१९५७	श्री उमाशंकर, मिस्त्री, कोटा ।
२	रामजानकी	८-११-१९५७	श्री सूरजमल पारीक, बाल बैयरिंग कम्पनी, जयपुर।
३	वर्जी (वृजबाला)	७-१२-१९५७	श्री रामेश्वर, ड्राईवर, समाज कल्याण बोर्ड, जयपुर ।
४	नर्मदा	११-१२-१९५७	श्री भरत सिंह, चपरासी, समाज कल्याण बोर्ड, जयपुर ।
५	पुष्पा	३-५-१९५८	श्री राम किशोर पारीक, कान्स्टबिल, थाना रामगंज, जयपुर ।
६	नर्मदा ब्राह्मण	२१-५-१९५८	श्री मोहनलाल शर्मा, यू०डी०सी०, कार्यालय महालेखापाल, जयपुर।
७	जमुना	२७-९-१९५८	श्री पूर्णमल शर्मा, जेमनी सोप फेक्टरी, अलवर।
८	गंगा	२०-४-१९५९	श्री सुमेरमल महाजन, भू० पोस्ट हाडू, वाया बाड़मेर ।
९	ओलम्बा	२२-४-१९५९	श्री अर्जुन सिंह मार्फत श्री केसवराम जी, पोलो विक्टरी सिनेमा के पास।
१०	गोपी	२६-६-१९५९	श्री रमप्रसाद, एल० डी० सी०, गवर्नमेन्ट प्रेस, जयपुर ।
११	लता	२१-७-१९६१	श्री मोहनलाल महाजन, ग्राम पापडा, तहसील अन्ता, जिला कोटा।
१२	शान्ति	२३-९-१९६२	श्री बाबूलाल, ड्राईवर, इरिगेशन विभाग, जयपुर।

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३३२ का उत्तर देखिये)

जागीर कर्मचारियों की सूची जो धक्त जागीर रिजम्पशन के फोरमर राजसथान में लेंड रिकार्ड सेक्शन में तफेदार एवं अमीन के पद पर आये ।

क्रमांक	नाम कर्मचारी	तहसील जहां आये	वेतन	वेतन शृंखला
१	२	३	४	५
१	श्री नाहर सिंह	फलासिया	४०)	४०–२–६२–३–८०–५–१००
२	श्री कस्तूरचन्द	"	"	"
३	श्री सांवत सिंह	"	"	"
४	श्री अनार बेग	"	"	"
५	श्री मोहनलाल	"	"	"
६	श्री अम्बालाल	"	"	"
७	श्री जौबराज	"	"	"
८	श्री भगवानलाल	"	"	"
९	श्री कुन्दनमल	"	"	"
१०	श्री कन्हैयालाल	राजसमन्द	"	"
११	श्री चांदमल	"	"	"
१२	श्री कन्हैयालाल	"	"	"
१३	श्री मर्दान अली	"	"	"
१४	श्री कन्हैयालाल पिता राजमल कोठारी	"	"	"
१५	श्री कुन्दन सिंह	"	"	"
१६	श्री मोतीलाल	सलुम्बर	"	"

१	२	३	४	५
१७	श्री अकबर मोहम्मद	सलुम्बर	४०)	४०-२-६२-३-८०-५-१००
१८	श्री चन्दन सिंह	"	"	"
१९	श्री कुतुबदीन	"	"	"
२०	श्री नाथूसिंह	"	"	"
२१	श्री नृसिंहदास	"	"	"
२२	श्री गिरधारीलाल	"	"	"
२३	श्री चुन्नीलाल	"	"	"
२४	श्री अली मोहम्मद	"	"	"
२५	श्री पौड़लाल	"	"	"
२६	श्री शोभालाल	भीम	"	"
२७	श्री भंवरलाल	गोगुन्दा	"	"
२८	श्री रूपलाल	"	"	"
२९	श्री चमनलाल	"	"	"
३०	श्री नानालाल	"	"	"
३१	श्री मनोहरसिंह	"	"	"
३२	श्री रणजीतसिंह	"	"	"
३३	श्री देवकिशन	"	"	"
३४	श्री फोजसिंह	भोपालसागर	"	"
३५	श्री खुदाबक्ष	सराड़ा	"	"
३६	श्री अनवर बेग	"	"	"
३७	श्री अमरसिंह	खेरवाड़ा	"	"
३८	श्री सवाई सिंह	"	"	"

Page No 115

१	२	३	४	५
३६	श्री टेकचन्द	खेरवाड़ों	४०)	४०-२-६२-३-८०-५-१००
४०	श्री गेहरा लाल	नाथद्वारा	,,	,,
४१	श्री गणेशलाल	,,	,,	,,
४२	श्री नन्दलाल	,,	,,	,,
४३	श्री जोतसिंह	,,	,,	,,
४४	श्री नीमीचन्द	,,	,,	,,
४५	श्री मोहनलाल	,,	,,	,,
४६	श्री रोशनलाल	,,	,,	,,
४७	श्री फौज महम्मद	,,	,,	,,
४८	श्री लल्लू लाल	,,	,,	,,
४९	श्री भैरूलाल	,,	,,	,,
५०	श्री वनराज	,,	,,	,,
५१	श्री भैरूलाल	,,	,,	,,
५२	श्री कालूलाल	,,	,,	,,
५३	श्री चम्पालाल	बल्लभनगर	,,	,,
५४	श्री रोशनलाल	,,	,,	,,
५५	श्री ख्यालीलाल	,,	,,	,,
५६	श्री लक्ष्मीलाल	,,	,,	,,
५७	श्री लक्ष्मीलाल	,,	,,	,,
५८	श्री शोभालाल	,,	,,	,,
५९	श्री बोथलाल	,,	,,	,,
६०	श्री गोरधनलाल	,,	,,	,,

Page No 116

१	२	३	४	५
६१	श्री कजोड़ीमल	देवगढ़	४०)	४०-२-६२-३-८०-५-१००
६२	श्री सफी मोहम्मद	,,	,,	,,
६३	श्री सोहनलाल	आमेट	,,	,,
६४	श्री हीरालाल	,,	,,	,,
६५	श्री भंवरलाल	,,	,,	,,
६६	श्री मोहनलाल	,,	,,	,,
६७	श्री मोहनलाल	,,	,,	,,
६८	श्री मोतीलाल	,,	,,	,,
७९	श्री सवाई सिंह	,,	,,	,,
७०	श्री पन्नालाल	देवगढ़	,,	,,
७१	श्री सोहनलाल	,,	,,	,,
७२	श्री रामप्रसाद	मावली	,,	,,
७३	श्री अर्जुनलाल	,,	,,	,,
७४	श्री मांगीलाल	,,	,,	,,
७५	श्री चुन्नीलाल	गिरवा	,,	,,
७६	श्री बक्षदाद खां	लसाड़िया	,,	,,
७७	श्री रतनलाल	,,	,,	,
७८	श्री लक्ष्मीनारायण	धरियावद	पद पर ही कनिष्ठ लिपिक के	
७९	श्री मानालाल	सराड़ा	पद पर लगाने से कोई स्थिरीकरण शेष नहीं है।	

प्रश्न संख्या ८८ । सी० एम०

उदयपुर जिले के उन कर्मचारियों की सूची जिनका फिक्सेशन अभी तक नहीं हुआ है:-

क्रमांक	नाम कर्मचारी	क्रमांक	नाम कर्मचारी
१	श्री नाहर सिंह	२१	श्री नानालाल
२	श्री कस्तूर चंद	२२	श्री अनवर बेग
३	श्री अनार बेग	२३	श्री गहरीलाल
४	श्री मोहन लाल	२४	श्री गणेशलाल
५	श्री कुन्दन मल	२५	श्री नन्द लाल
६	श्री कन्हैयालाल	२६	श्री रोशन लाल
७	श्री चांदमल	२७	श्री कालू लाल
८	श्री कन्हैयालाल	२८	श्री भेरूलाल
९	श्री मर्दान अली	२९	श्री वनराज
१०	श्री कुन्दनसिंह	३०	श्री भेरूलाल
११	श्री मोतीलाल	३१	श्री कालूलाल
१२	श्री कुतुबदीन	३२	श्री शोभा लाल
१३	श्री नरसिंह दास	३३	श्री कजोड़ीमल
१४	श्री गिरधारीलाल	३४	श्री सोहनलाल
१५	श्री चुन्नीलाल	३५	श्री मोती लाल
१६	श्री अली मोहम्मद	३६	श्री रामप्रशाद
१७	श्री शोभालाल	३७	श्री मांगीलाल
१८	श्री भंवरलाल	३८	श्री चुन्नीलाल
१९	श्री रूपलाल	३९	श्री रतन लाल
२०	श्री चमनलाल	४०	श्री नाथू सिंह

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३३३ देखिये)

सूची काश्तकारान जिनको नहरी पानी से फसलें नुक्सान होने से मुआवजा दिया जा चुका है या दिया जाने वाला है ।

तहसील पाटन

संख्या	नाम ग्राम	संख्या काश्तकारान	विशेष विवरण
१	घाटे का बराना	११	मुआवजा शीघ्र दिया जाने वाला है ।
२	दही खेड़ा	५	इनमें चार किसानों को मुआवजा दिया जा चुका है ।
३	केशोराय पाटन	१	मुआवजा दे दिया गया है ।
	योग ..	१७	

फसल रबी सन् १९६१-६२

१	घाटे का बराना	६	सभी किसानों का मुआवजा चुका दिया गया है।
२	चडी	१६	मुआवजा तैयार हो गया है और चुकाये जाने वाला है ।
३	कभोलर	७	,,
४	भीया	२	,,
५	झाली जी का बराना	१	,,
६	ईश्वर नगर	५	,,
७	जोशियों का खेड़ा	१	इनको मुआवजा दिया जा चुका है ।
८	केशोराय पाटन	५	मुआवजा शीघ्र दिया जाने वाला है ।
९	जलोदा	२	,,
	योग ..	४५	
	कुल योग ..	६२	

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३३६ का उत्तर देखिये)

सूची

(१) चक दहलावास

(२) किशनपुरा

(३) गिरधर पुरा

(४) हरी पट्टी

(५) नया गांव जागीर

(६) कलीयावास

(७) शेखपुरा

(८) डूवालिया

(९) वाड़ बिन्दरखा

(१०) चक रामथला

(११) खेरावास

(१२) मानेरा सुनार पुरा

(१३) भूपली

(१४) जगराम पुरा

(१५) पूरन वास

(१६) पूरवीया वास

(१७) डूग रावता आदि ।

परिशिष्ट ६

(समयाभाव के कारण प्रश्नोत्तर-काल में न लिये जाने वाले प्रश्नोत्तर)

गोविन्दगढ़ व लक्ष्मणगढ़ की पंचायत समितियों का ऑडिट

३४४. **श्री नत्थीसिंह** (गोविन्दगढ): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) गोविन्दगढ़ व लक्ष्मणगढ़ दोनों पंचायत समितियों में ऐसी कितनी पंचायतें हैं जिन का अभी तक गत वर्ष का ऑडिट नहीं हुआ है ? उनके नाम सदन की मेज पर रखे जावें।

(२) उनके ऑडिट न होने का क्या कारण है ?

(३) अब इन पंचायत के ऑडिट कब तक हो जावेंगे ?

उत्तर

(१) किसी भी पंचायत का गत वर्ष, अर्थात् १९६२-६३ का ऑडिट अभी नहीं हुआ।

(२) समस्त पंचायतों का ऑडिट एक वर्ष में पूरा होने का कार्य-क्रम है। उसके अनुसार कर लिया जाएगा।

(३) इस वर्ष के अन्त तक हो सकेगा।

टैक्सटाइल मिल, भवानी मंडी के मजदूरों को सहूलियतें

३४५. **श्री विट्ठल** (बांसवाडा): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि जिला झालावाड़ (राजस्थान) टैक्सटाइल मिल, भवानी मंडी के मजदूरों को श्रम कानून के अन्तर्गत सहूलियत नहीं दी गई हैं और इस संबंध में शिकायतें श्रम विभाग कोटा को राजस्थान टैक्सटाइल मिल्स मजदूर यूनियन ने की है ? यदि हां, तो अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

यह सही नहीं है न्यूनतम वेतन संबंधी कुछ शिकायतें, राजस्थान टैक्सटाइल मिल मजदूर यूनियन, भवानी मंडी ने श्रम विभाग कोटा के कार्यालय में मिल के कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रस्तुत की थी, उन पर उसी समय उचित कार्यवाही कर दी गई थी।

वाइल्ड लाइफ बोर्ड

३४६. **श्री दिग्विजय सिंह** (उनियारा): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान में एक बोर्ड "वाइल्ड लाइफ बोर्ड" के नाम से है ? यदि हां, तो उसके कितने सदस्य हैं ? कृपया नामों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि इस बोर्ड के निणयों पर सरकार विचार नहीं करती ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या यह सही है कि तीन वर्ष पहिले बोर्ड ने यह निर्णय किया था कि किसी के द्वारा पूरे वर्ष के लिये

ब्लोक्स रिजर्व नहीं किये जायेंगे ? क्या इस निर्णय को लागू किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त निर्णय के बाद भी ब्लोक्स पूरे वर्ष के लिये रिजर्व किये गये हैं ? यदि हां, तो कितने और किनके नाम पर ?

उत्तर

1. Yes. A list of its members has been placed on the table of the House.

2. No.

3. No. The recommendation made by the Board was as follows:—

"Professional Shikar Organisations who invite foreign tourists should be given one block in any one Division for a period of 3 years on payment of a fee of Rs. 500/- per block per year according to the shooting Rules. The royalties on animal shot in the block will be extra."

This recommendation was accepted by Government.

4. Only one block has been reserved in the name of M/s Big and Small Game Hunting for 62-63 which was in accordance with the recommendations of the Board.

LIST OF MEMBERS OF STATE BOARD FOR WILD LIFE PRESERVATION, RAJASTHAN

1.	The Governor	Patron.
2.	H. H. The Maharao Sahib of Kotah	Chairman.
3.	Chief Minister	Vice-Chairman.
4.	Forest Minister	—do—
5.	His Highness, Jaipur	
6.	His Highness, Bundi	
7.	His Highness, Jhalawar	
8.	His Highness, Kishangarh	
9.	His Highness, Loharu	
10.	His Highness, Tonk	
11.	Maharaj Kumar Brijendrapal of Karauli	
12.	Maharaj Kumar Brijraj Singh of Kotah	
13.	Raja Man Singh	
14.	Rawal Raghuvir Singh	
15.	Thakur Bheron Singh	
16.	Kr. Bhim Singh	
17.	Lt. Gen. K. Bahadur Singh	
18.	Shri V. N. Kak	
19.	Col. Keshri Singh	
20.	Th. Dharam Singh	
21.	Revenue Secretary	
22.	Chief Conservator of Forests	
23.	Shri Nandan Bhargava	
24.	Shri Narain Sinha, Organiser, Tourist Facilities, Rajasthan, Jaipur.	
25.	Sri K. S. Dharam Kumar Singhi, Honorary Regional Secretary of the Indian Board for Wild Life (Ministry of Food and Agriculture), Government of India, New Delhi.	
26.	Shrimati Rani Urmila Devi of Masuda.	

नागौर जिले में चीनी का वितरण

३४७. श्री गंगासिंह (जायल): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(क) क्या यह सही है कि नागौर जिले में परमिट से दी जाने वाली चीनी की मात्रा अन्य जिलों से बहुत कम है?

(ख) क्या यह सही है कि नागौर कस्बे में माह जून में केवल १२५ ग्राम चीनी प्रति व्यक्ति दी गई थी जब कि अन्य जिलों में जैसे कि पाली और जोधपुर में, सप्लाई प्रति व्यक्ति १ किलो थी? यदि हां, तो किस आधार पर?

उत्तर

(१) नागौर जिले के माहवारी शक्कर का कोटा गत कन्ट्रोल के समय में इस जिले के शक्कर के उठाव (off-take) को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया है।

(२) माह जून में शक्कर १२५ ग्राम प्रति व्यक्ति के हिसाब से नागौर शहर में बांटी गई थी परन्तु ज्योंही और माल इस जिले में प्राप्त हुआ तो वितरण की मात्रा २५० ग्राम तक बढ़ा दी गई। इस समय नागौर शहर में प्रति युनिट ५०० ग्राम शक्कर वितरित की जाती है, पाली जिले में माह जून, ६३ में १ किलो प्रति परिवार के हिसाब से शक्कर वितरण की गई तथा जोधपुर में १ किलो प्रति युनिट के हिसाब से माह जून, ६३ में शक्कर वितरण की गई। ऐसा संबंधित जिलाधीशों ने शक्कर सप्लाई की स्थिति को ध्यान में रखते हुए किया।

देवगढ़ में सूकई तालाब से सिंचाई

३४८. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सही है कि देवगढ़ में सूकई का तालाब भरा रहता है लेकिन स्लूसगेट न होने के कारण उस पानी का सिंचाई के लिये उपयोग नहीं किया जाता?

(२) क्या यह भी सही है उक्त तालाब से मोहरी और नहर बनाने का तखमीना डेढ़ साल से तैयार किया जा रहा है?

(३) यदि हां, तो इस तालाब के पानी का उपयोग कब तक किया जायेगा इसमें विलम्ब किस कारण से हो रहा है?

उत्तर

(१) जी नहीं। डाटदार मोरी खोलकर पानी का सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है।

(२) जी नहीं। सर्वे दिसम्बर ६२ में शुरू की गई थी और तखमीना अभी तैयार किया जा रहा है।

(३) तखमीना फाइनल होने पर ही यह बतलाया जा सकता है।

आयुर्वेद शिक्षा के प्रोफेसर्स

३४९. **श्री जोधसिंह चौहान** (गिरवा): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या आयुर्वेदिक शिक्षा के प्रोस्पेक्ट्स में आधुनिक चिकित्सा पद्धति के सिद्धान्त भी सम्मिलित हैं? यदि हां, तो क्या वर्तमान प्रोफेसर्स निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप क्वालिफाइड हैं?

(२) वर्तमान प्रोफेसर्स में कितने विश्वविद्यालय से योग्यता प्राप्त हैं तथा उन्होंने किस किस मान्यता प्राप्त या सरकारी चिकित्सालय में कितने समय तक कार्य किया है?

(३) विभाग में भिषगाचार्य और आयुर्वेदाचार्य विद्यापीठ के अतिरिक्त किन किन वैद्यों ने विश्वविद्यालय या किसी एक्ट द्वारा संचालित बोर्ड द्वारा नियमित विद्यालय में अध्ययन किया है? उनका वर्तमान पद क्या है?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) सूची सदन की मेज पर रखी है।

(३) भिषगाचार्य एवं आयुर्वेदाचार्य के अतिरिक्त एक प्राध्यापक ओ० आई० एम० एस० है, और तीन पार्ट टाइम कार्य करते हैं जिनके विषय में भी वान्छित सूचना प्रस्तुत सूची में अंकित करदी गई है।

STATEMENT ABOUT THE PROFESSORS OF AYURVEDIC COLLEGES

S. No.	Name of Professor	Qualification	From whom recognised	In which recognised or Govt. Hospital work	Period of work	Present post	Remarks
1.	Shri Kalyan Prashad Sharma, Jaipur	Bhishgacharya	Govt. Ay. College, Jaipur	Govt. Ay. College, Jaipur	13-1-35 to 31-3-50 Lecturer 1-4-50	Professor	
2.	Shri Roopshanker Sharma, Udaipur	Ayurvedacharya	Akhil Bhartiya Vidyapeeth, Delhi	Govt. Ay. College, Udaipur	1-6-44 to 13-9-56 Lecturer 14-9-56 to	—do—	
3.	Shri Mohan Lal Bhargava, Jaipur	Bhishgacharya	Govt. Ay. College, Jaipur	Govt. Ay. College, Jaipur	1-11-46 to 28-10-56 Lecturer 29-10-56 to	—do—	
4.	Shri Sudeechand Parashar, Jaipur	B. I. M. S.	Under Act of Indian Medicine, U.P.	Govt. Ay. College, Jaipur	27-11-44 to 10-5-57 Vaidya 11-5-57 to	—do—	
5.	Shri Ramdayal Sharma, Jaipur	Bhishgacharya	Govt. Ay. College, Jaipur	—do—	26-2-55 to 10-7-59 Lecturer 11-7-59 to	—do—	
6.	Shri Chajulal Sharma, Jaipur	—do—	—do—	—do—	1-9-38 to 10-7-59 Lecturer 11-7-59 to	—do—	
7.	Shri Vasudeo Shastri, Udaipur	—do—	Govt. Ay. College, Udaipur	Govt. Ay. College, Udaipur	14-10-55 to 13-7-59 Lecturer 14-7-59 to	—do—	
8.	Shri Hanumant Sahai, Udaipur	—do—	—do—	—do—	2-9-59	—do—	
9.	Shri Jasraj Joshi, Jaipur	—do—	—do—	Jaipur	14-9-55 to 18-9-59 Vaidya, 19-9-59	—do—	
10.	Shri Ram Prakash Swami, Jaipur	—do—	—do—	—do—	20-2-54 to 18-1-60 Registrar, I. M. B., Jaipur, 19-1-60	—do—	

STATEMENT OF PART-TIME PROFESSORS OF GOVERNMENT AYURVEDIC COLLEGE, JAIPUR

S. No.	Name of Professors	Qualifications	From which date working	Remarks	Subject of teaching
1.	Dr. Brij Kishore Sharma	M. B. B. S.	1-4-57	Private	Surgery.
2.	Dr. Har Narayan Mangal	—do—	1-8-63	Demonstrator in Medical College	Pathology.
3.	Niranjan Lal Sharma	B. Sc.	1-10-56	Teacher in Higher Secondary School	Science.

आबादी काबिल भूमि–नगरपालिका, लाखेरी

३५०. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सही है कि लाखेरी नगरपालिका की सीमा में आबादी काबिल भूमि अभी तक रेवेन्यू विभाग के नाम पर दर्ज है ?

(२) क्या यह सही है कि म्युनिसिपल बोर्ड की सीमा के अन्दर की आबादी काबिल भूमि को आबादी में दर्ज करने हेतु कलेक्टर से प्रार्थना की गई थी ?

(३) यदि हां, तो अब तक कितना रकबा आबादी में कौन कौन से नम्बर का दर्ज कर दिया है ? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(१) जी हां ।

(२) जी हां ।
नगरपालिका द्वारा ।

(३) कोई रकबा आबादी में दर्ज नहीं किया गया है । क्योंकि नगरपालिका ने स्वायत्त शासन विभाग द्वारा इस संबंध में आगे कार्यवाही नहीं की ।

रेन्जर के पदों पर भर्ती

३५१. श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या वन विभाग में रेन्जर के पदों पर सीधी भर्ती होती है ?

(२) हर वर्ष राज्य में कितने रेन्जर भर्ती किये जाते हैं ?

(३) क्या विभाग में ट्रेन्ड फारेस्टर हैं ? यदि हां, तो क्या उन ट्रेन्ड और तजुर्बेकार फारेस्टरों को रेन्जर के पद पर प्रमोट नहीं किया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी हां ।

(२) जितनी जगह इस पद की खाली होती हैं उन में ७५ प्रतिशत सीधी भर्ती से भरी जाती हैं बाकी जरिये तरक्की ।

(३) जी हां । ट्रेन्ड फोरेस्टरों का प्रमोशन पहले डिप्टी रेन्जर के पद पर किया जाता है व फिर रेन्जर के पद पर होता है । प्रमोशन व डाईरेक्ट नियुक्ति का ड्राफ्ट रूल्स में निम्न प्रावधान है ।

डाईरेक्ट नियुक्ति	७५ प्रतिशत
प्रमोशन	२५ ”

इन नियमों का पालन किया जाता है ।

अनुसूचित जन जाति बस्ती निर्माण हेतु आर्थिक सहायता––जिला भरतपुर

३५२. श्री रामकिशन (वैर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या अनुसूचित जन जातियों की बस्ती के निर्माण हेतु भरतपुर जिले में कहीं किसी को आर्थिक सहायता दी गई है ? यदि हां, तो किस किस को, कहां कहां, कितनी कितनी ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) क्या भरतपुर जिले में अनुसूचित जन जातियों के लिये कहीं बस्ती का निर्माण हो गया है ? यदि हां, तो कहां ?

(३) क्या बस्ती निर्माण के लिये ली गई आर्थिक सहायता का दुरुपयोग होने की शिकायतें सरकार को मिली हैं ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(१) भरतपुर जिले में अनुसूचित जन जातियों की बस्ती के निर्माण हेतु बक्तापुरा में वर्ष १९५८ में मकान बनाने हेतु ५० व्यक्तियों को ७५० रु० प्रति परिवार दी गई उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी हां। गांव बक्तापुरा में तहसील नदबई।

(३) जी हां। मामला सरकार के विचाराधीन है।

सूची

New Colony in Baktapura, Tehsil Nadbai.

S. No. 1	Name of the grantee 2	Father's Name 3	Caste 4
1.	Bhim Singh	Heera Singh	Meena
2.	Pare Lal	Heera Singh	—do—
3.	Mohar Singh	Payasa Singh	—do—
4.	Kalua Ram	Heera Singh	—do—
5.	Vijay Singh	Bakhta Singh	—do—
6.	Charan Singh	Kalua Ram	—do—
7.	Bakta Ram	Heera Singh	—do—
8.	Badan Singh	Kalua Ram	—do—
9.	Gayarsi Devi	Heera Singh	—do—
10.	Narain	Sukhdeo	—do—
11.	Bhoria	Rugga	—do—
12.	Matoli Ram	Narain Singh	—do—
13.	Budha Ram	Ghanda Ram	—do—
14.	Chajju Ram	Chanda Ram	—do—
15.	Ramji Lal	Samalia Ram	—do—
16.	Chandra	Chufia	—do—
17.	Balbir Singh	Sultan Singh	—do—

Page No 129

1	2	3	4
18.	Ram Singh	Panchaya Ram	Meena
19.	Mohar Singh	Sukiya Ram	—do—
20.	Harnarain		—do—
21.	Ram Narain	Poonia	—do—
22.	Kishori	Chandra	—do—
23.	Bhoria	Sukhdeo	—do—
24.	Pershadi	Sukhdeo	—do—
25.	Chiranji	Bankhandi	—do—
26.	Ghudia	Udaya	—do—
27.	Laloo	Moti	—do—
28.	Basanta	Bhola	—do—
29.	Kajodi	Ballaja	—do—
30.	Habdu	Chiranji	—do—
31.	Ram Singh	Ghudia	—do—
32.	Pooran	Pengha	—do—
33.	Mula	Udaiaji	—do—
34.	Berbal	Panchaya	—do—
35.	Ram Sahai	Basanta	—do—
36.	Shanker	Girwar	—do—
37.	Ramji Lal	Kanahia	—do—
38.	Kalla	Girwar	—do—
39.	Nanoo	Haltaya	—do—
40.	Bhoria	Girwar	—do—
41.	Bodan	Bhola	—do—
42.	Ramdhan	Mushia	—do—
43.	Ghamandi	Bhola	—do—
44.	Bheso	Mushia	—do—
45.	Ramhet	Neta	—do—
46.	Mattalla	Girwar	—do—
47.	Narayan	Pershadi	—do—
48.	Nangi	w/o Tunda	—do—
49.	Chattar	Bhero	—do—
50.	Ram Singh	Bhamanya	—do—

ग्राम खेजड़ी बुजर्ग औषधालय में वैद्य

३५३. श्री नाथूलाल करौल (चाकसू): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) ग्राम खेजड़ी बुजर्ग तहत पंचायत समिति, चाकसू, जिला जयपुर में जो औषधालय आयुर्वेद विभाग की तरफ से चल रहा है वहां से वैद्य जी को हटाये हुए कितने दिन हो गये हैं और उस औषधालय का कार्यभार किसने सम्भाल रखा है ?

(२) क्या आयुर्वेद विभाग उस औषधालय में वैद्य का रखना उचित नहीं समझता है ?

उत्तर

(१) औषधालय खेर्जडी बुजर्ग में दिनांक ८-१-६३ से श्री जुगलकिशोर शर्मा का परिवर्तन अन्यत्र करते हुए श्री राधाकृष्ण का पोस्टिंग वहां किया था, परन्तु घरेलू परिस्थिति वश वे वहां न जा सके, वहां एक योग्य उप-वैद्य कार्य कर रहे हैं ।

(२) अब शीघ्र ही अन्य वैध को भेज दिया जायेगा ।

मध्यम वर्ग आय वालों को मकान बनाने के लिये ऋण

३५४. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम): क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) सरकार ने मध्यम वर्ग आय वालों के मकान बनाने के लिये अब तक कितना कर्जा दिया और इस योजना के अन्तर्गत कितने मकान बने ?

(२) रकम उधार दी उसमें चालू बकायां कितनी है ?

(३) क्या इस प्रयोजन के लिये ऋण प्राप्त करने वाले लोगों में से ऐसे भी लोग हैं जिनके मकान होते हुए भी उन्होंने ऋण लिया है ?

उत्तर

(१) मध्यम वर्ग आय गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत १९६२-६३ तक कुल रकम १,२५,२७,६७० दी गई । ५८२ मकान इस योजना के अन्तर्गत बन चुके हैं ।

(२) उधार दी गई उसमें चालू बकाया १-४-६३ को निम्न प्रकार से है :–

मूलधन	:	१,४०,६९७·८०
ब्याज	:	१,१६,१४९·१४
योग		२,५६,८४६·९४

(३) जी हां ।

हरिजन बस्ती कस्बा मालपुरा

३५५. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि कस्बा मालपुरा में टोडारायसिंह जाने वाली मोटर की सड़क के पास एक हरिजन बस्ती बसाई गई है ? यदि हां, तो उक्त बस्ती में कितने परिवारों को बसाया गया है ?

(२) उनको प्रति परिवार सरकार से क्या क्या सहायता दी गई है और निर्माण कार्य किस स्थिति में है ?

(३) क्या यह भी सच है कि उक्त बस्ती की जमीन की कीमत के रुपये हर परिवार से २००) रु० मांगे जाकर उनको परेशान किया जाता है? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी नहीं। ३२ परिवारों को मकान सहायता दी गई है ।

(२) प्रति परिवार को ७५० रुपये के हिसाब से सहायता दी गई है । प्रथम २२ परिवारों को सन् १९५८-५९ में सहायता दी गई थी इनमें से ९ मकान पूरे बने हैं, १० का प्लास्टर होना बाकी है । एक का प्लास्टर व दर्वाजा बाकी है और दो अधुरे हैं । सन् १९६२-६३ में १० परिवारों को सहायता मिली है जिसमें से एक मकान बना है, ६ निर्माणाधीन हैं, २ ने काम प्रारम्भ नहीं किया व १ परिवार कार्य नहीं करना चाहता है।

(३) हरिजन परिवारों की ओर से इस तरह की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

राजस्थान केनाल एरिया में भूमि एलाटमेन्ट के लिए एक्स मिलिटरी पर्सनल्स के आवेदन-पत्र ।

३५६. श्री दुर्गालाल वाडदार (हवामहल, जयपुर) : क्या राजस्थान केनाल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या एक्स मिलिटरी व्यक्तियों को राजस्थान केनाल एरिया में भूमि एलाट करने की कोई स्कीम राज्य सरकार की है ?

(२) यदि हां, तो इस प्रकार अलॉट किए जाने के लिए आवेदन-पत्र राज्य सरकार ने एक्स मिलिटरी परसन्स से मांगे हैं ?

(३) यदि हां, तो इस प्रकार के कितने आवेदन-पत्र राज्य सरकार के विचाराधीन पड़े हैं और कब से ?

उत्तर

(१) जी हां ।

(२) जी नहीं।

(३) यद्यपि भूमि अलॉटमेन्ट के लिये एक्स मिलिटरी परसोनेल से कोई आवेदन-पत्र नहीं मांगे गये हैं, फिर भी उपनिवेशन विभाग में जुलाई सन् १९६३ के अन्त तक इस प्रकार के १७९० आवेदन-पत्र प्राप्त हो चुके हैं । इन आवेदन-पत्रों पर राजस्थान नहर क्षेत्र की उपनिवेशन नीति निश्चित होने पर ही कार्यवाही की जा सकेगी ।

(स्थगित प्रश्न)

उनियारा की हरिजन कालोनी में वर्षा काल में पानी की समस्या

१३६. श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि प्रत्येक वर्ष वर्षा काल में उनियारा म्युनिसिपैलिटी, जिला टोंक की हरिजन कोलोनी में पानी के इकट्ठे (Storage) होने से बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है ?

(२) क्या यह सही है कि इस समस्या को दूर करने के लिये एक योजना थी और इस के लिये कुछ धनराशि भी स्वीकार की गई थी ? यदि हां, तो उस योजना का क्या हुआ और वह धनराशि कितनी थी ?

(३) क्या यह सही है कि वर्तमान म्युनिसिपल बोर्ड, उनियारा, जिला टोंक ने सरकार को पुनः लिखा है और एक योजना प्रस्तुत की है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(४) क्या सरकार समाज कल्याण विभाग से उक्त म्युनिसिपल बोर्ड को हरिजन कोलोनी के लिये कुछ सहायता स्वीकार कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(१) यह सही है कि उनियारा हरिजन कोलोनी वार्ड नं० ३ व ४ में सतह नीची होने से पानी भर जाता है । इस पानी की निकासी के लिये सार्वजनिक निमार्ण विभाग एवं सिंचाई विभाग द्वारा अलग अलग योजना सन् १९५९-६० में बनाई थी और उसके व्यय का ३,३०० रुपये अनुमान था । इसी व्यय को देखते हुए २,९५९ रुपये जिसमें ४८४ रुपये जनता से इकट्ठा किया हुआ था व शेष २,४७५ रुपया रेवेन्यू रिलीफ विभाग द्वारा मद ७०–कैपिटल हैड से दिनांक ८-१२-५९ को दिया हुआ था । इस रुपये में से ७१५.५० नये पैसे व्यय किये गये । पुनः योजना बनाई गई और व्यय का अनुमान ६,०००) रुपया होने से कार्य स्थगित कर दिया गया और बची हुई राशि ट्रेजरी में दिनांक २९-३-६२ को जमा करादी गई । अब जिलाधीश ने पुनः दिनांक २५-८-६३ को १९४ कैपिटल हैड से ६,०००) रुपया स्वीकृत करने को राजस्व मन्डल को लिखा था परन्तु स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है । स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य शुरु करवाया जावेगा ।

स्थगित प्रश्न
(२३-ब-६३)

चम्बल की नहरों से पानी की सप्लाई

१४६. श्री हरीप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि चम्बल की नहरें प्रारम्भ करने के बाद किसानों को खेतों में पानी सप्लाई करने हेतु कहा गया था एवं पहले वर्ष में पिलाई नहीं लेने के लिये भी आश्वासन दिये गये थे ?

(२) क्या यह सही है कि पानी ऐसे मौसम में छोड़ा गया था जब कि किसानों को सिर्फ १ पानी की पिलाई की आवश्यकता थी ?

(३) क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग के कर्मचारियों द्वारा समय पर एवं मौके पर उचित ढंग से पिलाये जाने वाला रकबा दर्ज नहीं करके अधिक लिखा गया ?

(४) क्या यह सही है कि जब पानी की पिलाई के बिल बनाकर टैक्स प्राप्त करने हेतु किसानों को दिये गये, तो सारे क्षेत्रों में इसका विरोध किया गया था ?

(५) क्या यह सही है कि इस विरोध के फलस्वरूप जब मुख्य मंत्री से भेंट की गई तो उस वर्ष की वसूली तत्काल रोक दी गई ?

(६) क्या यह सही है कि गत वर्ष २ वर्ष की पिलाई व लगान एक साथ वसूल करने के आदेश दिये गये थे ?

(७) क्या यह सही है कि जनता के सही सुझाव को ठुकरा कर बिना जांच करवाये पुलिस की सहायता से कुर्कियां वारन्ट के द्वारा जबरदस्ती वसूली करवाई गई ?

(८) क्या इस संबंध में सरकार के द्वारा सही स्थिति का अध्ययन करना आवश्यक नहीं था ?

उत्तर

(१) चम्बल नहरों से पानी लेने के लिए विभाग ने किसानों से नहर लाने के पहले से ही अनुरोध किया था किन्तु पहले वर्ष में पिलाई न लेने का कोई आश्वासन नहीं दिया गया था ।

(२) ज्योंही पानी की मांग की गई उसे नहरों में छोड़ दिया गया था ।

(३) जी नहीं ।

(४) जी नहीं । कुछ क्षेत्रों में ऐसा विरोध केवल वसूली के समय किया गया ।

(५) ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया ।

(६) जी नहीं ।

(७) नियमानुसार कार्यवाही की गई ।

(८) प्रश्न नहीं उठता ।

स्थगित प्रश्न
(२३-८-६३)

ग्लास फैक्ट्री को दी गई जमीन

१३६. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) या यह सही है कि सन् १९४६-४७ में आराजी ख० नं० ११७७, ११७८, ११७९ व ११८० रकबा ११ बीघा वाके भरतपुर चक नं० २ श्री डी. डी. शर्मा को वास्ते कायमी ग्लास फैक्ट्री उस शर्त पर दिया गया था कि फैक्ट्री बन्द होने की सूरत में सरकार बाद अदायगी २००० रु० इस जमीन को वापिस ले लेगी ? आलिया कलेक्ट्री, रेवेन्यू बेंच ता० १९-८-४६ की नकल सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) क्या यह सही है कि उक्त ग्लास फैक्ट्री को बन्द हुए काफी अर्सा हो चुका है ?

(३) ग्लास फैक्ट्री बन्द हो जाने की सूरत में उक्त रकबे को वापस लिये जाने के वास्ते सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

(४) क्या यह सही है कि इस भूमि में इस समय रिहायशी मकान बने हुए हैं ?

(५) क्या यह सही है कि इस जमीन की मिल्कियत श्री डी. डी. शर्मा को नहीं दी गई थी ?

(६) क्या यह भी सही है कि यह भूमि श्री डी. डी. शर्मा ने किसी अन्य सज्जन को ट्रान्सफर करदी है ?

(७) इस समय उस आराजी पर जिस व्यक्ति का कब्जा है उसका टाइटल क्या है, और क्या यह भी सही है कि वह व्यक्ति राजस्थान का रहने वाला भी नहीं है ?

(८) क्या यह सही है कि इस समय यदि इस आराजी को प्लाट बनाकर नीलाम किया जावे तो इसकी कीमत लगभग २ लाख रुपये तक आ सकती है ?

(९) क्या यह भी सही है कि इस आराजी का दाखिल खारिज तहसील में गलत तौर पर किसी दूसरे के नाम पर दिया है ? यदि हां, तो सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(१) जी हां। आलिया रेवेन्यू बैन्च की आज्ञा दिनांक १६-८-४६ उपलब्ध न हो सकी, परन्तु इस संबंध में तहसीलदार, भरतपुर की आज्ञा की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी हां ।

(३) ग्लास फैक्ट्री पर गोपाल इन्डस्ट्रीज बैंक, भरतपुर का कर्जा था जिसमें ग्लास फैक्ट्री इस आराजी के सहित अदालत डिस्ट्रिक्ट जज, भरतपुर से बनाम गोपाल इन्डस्ट्रीज बैंक नीलाम हुई। बाद में बैंक से मोहनलाल ने खरीदी। मोहनलाल के खरीदने पर इस मामले की जांच की गई परन्तु जमीन अदालत दीवानी से नीलाम हो चुकी थी। कोई कार्यवाही कानून की निगाह में कारगर नहीं दिखाई दी।

(४) जी हां।

(५) जी नहीं फैक्ट्री के कायम रहने तक जमीन उसी के मन्लुका व मकबूजा रहना तहसीलदार की आज्ञा से जाहिर है।

(६) जी नहीं। कर्ज के कारण से सिविल कोर्ट द्वारा नीलाम हुई ।

(७) इस जमीन पर श्री मोहनलाल का कब्जा है। उसने जमीन खरीदी है। खरीदने के समय वह राजस्थान का रहने वाला नहीं था।

(८) यह तहकीक नहीं कहा जा सकता।

(९) दाखिल खरिज तहसील में रजिस्ट्री बयनामा के आधार पर दर्ज किया गया है।

आज्ञा की प्रतिलिपि

तहः भरतपुर गिरदावर हल्का कस्वा भरतपुर चक न० २.

बावत कायमी ग्लास फैक्ट्री, डी०डी० शर्मा, आराजो ११ अगई ३।=

इस बारे में बहुक्म आलिया रे० बैन्च ता० १६-८-४६ कि यह रकबा नम्बर ११७७ से ११८० आलावा चौकी पुलिस के व मंदिर के ताकायमी ग्लास फैक्ट्री डी० डी० शर्मा को दिया गया है। मिलकियत पर भरतपुर गवर्नमेंट से नहीं दिया गया इसके मुताबिक अमल किया जावे। जब तक फैक्ट्री कायम रहेगी यह रकबा मन्लूका व मकबुजा फैक्ट्री का रहेगा। अगर फैक्ट्री उठाई जावे, तो गवर्नमेंन्ट बाद अदाय २००० रु० रकबे को वापिस ले लेगी। अमल दरामद किया जावे ता० १७-८-४६।

ह०..................

तहसीलदार, भरतपुर।

———

शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, दिनांक ३० अगस्त, १९६३)

स्कम्भ सं०	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
३	६	कछ	कुछ
४	६	हे ।	हैं
,,	२०	वज	वजे
५	८	महीन	महीने
,,	१६	मे	में
६	१८	(वेर) :	(वैर) :
१०	१	**श्री रामप्रसाद लडढा**	**श्री रामप्रसाद लड्ढा**
११	शीर्ष	(श्री गोकुल प्रसाद शमा)	(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)
१२	१७	**कडिट**	**क्रेडिट**
,,	अन्तिम से ५	**श्री मनिकचंद सुराणा**	**श्री मानिकचन्द सुराणा**
१५	२	**श्री शिवनारायण छाछीया**	**श्री शिवनारायण छाछिया**
१६	२	और मेडीकल	ओर मेडीकल
,,	,,	दूसरी और	दूसरी ओर
२१	२१	क्वश्चन	क्वेश्चन
२२	अन्तिम से ६	कपीटल	केपीटल
२३	१६	बसिस	बेसिस
२४	२४	**श्री मुरलीधर व्यास**	**श्री मुरलीधर व्यास**
,,	अन्तिम से ४	**श्री तजाराम गहलोत**	**श्री तेजाराम गहलोत**
२५	शीर्ष	(श्री तेजाराम गहलोत)	(श्री तेजाराम गहलोत)
,,	अन्तिम से ४	जिनकी और	जिनकी ओर
३३	५	**श्री जयनाण सालोदिया**	**श्री जयनारायण सालोदिया**
,,	१२	**श्री ररामप्रसाद लड्ढा** : मंने	**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : मैंने
३५	१४	टंक्स	टैक्स
३६	१०	रेवेन्य	रेवेन्यू
,,	१२	**श्री रामकिशन**	**श्री रामकिशन**
३७	अन्तिम से ८	**श्री रामप्रसाद लडढा :**	**श्री रामप्रसाद लड्ढा :**
३८	४	कोर्टम	कोर्ट्स
३९	अन्तिम से ४	**सिचाई मंत्री** (श्री भीखा भाई)	**समाज कल्याण मंत्री** (श्री भीखा भाई)
४०	अन्तिम से ३	श्री भै रोंसिह	श्री भैरोंसिह
४१	६	महोने	महीने
,,	७	रस्वयू	रेस्क्यू
,,	अन्तिम	चयरमैन	चेयरमैन
४२	१४	(आसिन्द)	(आसीन्द)
४३	१	कलेक्टरी	कलेक्टरी
,,	१८	परीशिष्ट	परिशिष्ट
४४	३	**श्री रामप्रसाद लड्डा**	**श्री रामप्रसाद लड्ढा**

१	२	३	४
४४	८	नई ग्रडो	नई ग्रेडों
४५	२३	इक, ठा	इकट्ठा
४६	१	श्री भंरोंसिह	श्री भैरोंसिह
५०	अन्तिम से ११	हुं	हूं
,,	,, १०	मं	में
,,	,, ४	नेक्सट	नेक्स्ट
५३	अन्तिम से ४	शरु	शुरू
५४	अन्तिम से १२	हें	हैं
,,	,, ८	वज्ञानिक व्यक्ति ह	वैज्ञानिक व्यक्ति है
५६	अन्तिम से ११	ट्रनिग	ट्रेनिंग
,,	,, ५	श्री बरकतल्ला खां	श्री बरकतुल्ला खां
५७	अन्तिम से ५	जी नहीं	जी नहीं
५८	१८	प्रश्न क	प्रश्न के
,,	,,	डिसकशन	डिस्कशन
५६	११,	इनफोर्मेशन	इन्फोर्मेशन
,,	१३	इनकम्प्लीट इनफोर्मेशन	इन्कम्प्लीट इन्फोर्मेशन
,,	१६	उन्होंन	उन्होंने
६५	१	श्रो भंरोंसिह	श्री भैरोंसिह
,,	३	रिपोट	रिपोर्ट
,,	१४	**श्री भरोंसिह**	**श्री भैरोंसिह**
६६	शीर्षक	कार्य सलाहकार समिति के ११वें–३० अगस्त, ६३–प्रतिवेदन का उपस्थापन	तारांकित प्रश्नोत्तर ३० अगस्त, ६३–प्रतिवेदन का उपस्थापन
७०	अन्तिम से ४	प्रस्तुती	प्रस्तुति
७१ से ८५	शीर्षक	प्रस्तुती	प्रस्तुति
७१	शीर्ष	—	(श्री उपाध्यक्ष)
,,	२१	संकल्प।	संकल्प की प्रस्तुति विषयक वाद-विवाद
,,	२२	**श्री बृजसुन्दर शर्मा**	**श्री बृजसुन्दर शर्मा**
७३	शीर्ष	—	(श्री बृजसुन्दर शर्मा)
७५	,,	—	(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
,,	११, १६	अ ॉवजेक्शन	ऑब्जेक्शन
७६	१४	भी में	भी में
,,	१७	(उप-मंत्री	(उप-मंत्री,
७७	शीर्ष	—	(श्री निरंजननाथ आचार्य)
,,	१६	हे।	है।
,,	अन्तिम से ६	एडमिमिबिलीटी	एडमिसिबलिटी
७८	४, ५, १०, ११	लोंगवेज	लेंग्वेज
८०	१	अनकोंन्स्टीट्यूशनल	अनकॉन्स्टीट्यूश्नल
,,	१५	**श्री निरंजननाथ आचार्य**	**श्री निरंजननाथ आचार्य**
८१	शीर्ष	—	(श्री मथुरादास माथुर)
८४	१	**से। वह**	से वह

१	२	३	४
८६	११	कीट	कोट
,,	अन्तिम	लेजिश्लेशन, लेजिशलेशन	लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन
८७	शीर्ष	—	(श्री उपाध्यक्ष)
,,	२	लेजिशलेशन	लेजिस्लेशन
८८	११	चहला	चला
,,	अन्तिम	मेझे	मुझे
८९	शीर्ष	(श्री रामाकिशन)	(श्री रामकिशन)
,,	५, ६	अग्रेंजी	अंग्रेजी
९०	१२	नहरू	नेहरू
९१	९१	अंग्रजी	अंग्रेजी
९२	३	ओबजेक्शन	ऑबजर्वेशन
,,	अन्तिम से २	माननीयस	माननीय
९३	१	श्री रामाकिशन	श्री रामकिशन
,,	अन्तिम से ६	नहर, साहब, कॉल साहब	नेहरू साहब, कौल साहब
९५	शीर्ष	—	(श्री रामकिशन)
,,	९	आय	आया
९६	अन्तिम से ११	माननीय ग्रह मंत्री	माननीय गृहमंत्री
९७	शीर्ष	—	(श्री रामकिशन)
,,	१५	बाघा	बाधा
९९	अन्तिम से ३	कवल	केवल
१००	११	श्री योगन्द्रनाथ हांडा	श्री योगेन्द्रनाथ हांडा
१०१	अन्तिम से ६	चाहता हूं।	चाहते हैं।
,,	अन्तिम	क	के
१०२	१७	श्री मथुरादास माथुर :	एक माननीय सदस्य
१०४	शीर्षक	हिन्दी म	हिन्दी में
,,	१३	ह	है
१०५	अन्तिम से ७	मत में वह भी में	मत है वह भी में
१०६	१०	थी रामकिशन	श्री रामकिशन
१०७	२	लकाकर	लगाकर
,,	१७	रेंकगे	करेंगे
१०८	४	करत हैं	करते हैं
,,	५	मुझ	मुझे
११४	१०	जहा	जहां
,,	२३	में	में
११५	५	इस ओर	इस ओर
,,	१८, २२	रघुवीर	रघुवीर
,,	२१	हं	हूं
,,	२३	ओर	ओर
११८	२४	ऊंचे पद पर	ऊंचे पद
,,	अन्तिम से ५	ऍसी	ऐसी
,,	,, २	करन	करने
१२०	१०	में	में
,,	१२	एतराज उठाया था	एतराज उठाया

१	२	३	४
१२०	अन्तिम से ७	राष्ट्रय	राष्ट्रीय
१२१	शीर्ष	(श्री अब्वदुल जव्वार)	(श्री अब्दुल जब्बार)
,,	१	महोदय	महोदय
,,	अन्तिम	नको	उनको
१२२	१४	लॅन्वेज	लेंग्वेज
१२३	३	आपक	आपके
१२७	२२	श्रीमती लक्षमी कुमारी	श्रीमती लक्ष्मी कुमारी
१३०	८	म	में
१३१	अन्तिम से ११	आर्डस	ऑर्डर्स
१३२	अन्तिम से ५	दिन म	दिन में
,,	,, ३	ह	है
१३३	४	लेग्वेज	लेंग्वेज
,,	१६	ल	लगे
,,	२१	बनेंग	बनेंगे
१३६	११	में	में
१३८	१६	में उसका	में उसका
१४१	१३,१७,२२ २७	क्लेक्टर	कलेक्टर
,,	२४	रहे है	रहे हैं
१५० व १५१	शीर्षक	-हिन्दी में हो-गैर स. संकल्प	संकल्प प्रस्तुतकर्त्ता विषयक औचित्य प्रश्न.
१५२	अन्तिम से ७	(श्री केसरीसिह,	(श्री केसरीसिंह,
१५४	अन्तिम से ६	ले लीजीये	ले लीजिये
,,	,, २	जावेगे	जावेंगे
१५६	६	अवर्स	आवर्स
,,	२२	दफतर	दफ्तर
१५८	३	सर्वन्ट्स	सर्वेन्ट्स
,,	१४	अस्तपाल	अस्पताल
,,	१५	लायगा	लायेगा
,,	अन्तिम से १०	छटी	छुट्टी
,,	,, ७	चतुथ श्रेणी के कमचारी	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी
,,	,, ३	रहेगे तो सिमनेमा जायेगें,	रहेंगे तो सिनेमा जायेंगे,
१५६	२२	ईमानदरी	ईमानदारी
१६१	१८	श्री विजयसिह झाला	श्री विजयसिंह झाला
१६२	२	जायेगे	जायेंगे
,,	११	(वैर)	(वैर)
१६५	६	कालिजो	कॉलेजों
१६७	शीर्षक	कार्यालयों	कार्यालयों
१६८	३	पंहचता	पंहुचता
१६६	अन्तिम से २	ाहुत	बहुत
१७२	अन्तिम से ५	सेक्रेटरियट	सेक्रेटेरियेट
१७३	अन्तिम से ५	जायेंगे	जायेंगे
,,	अन्तिम	ह	है

१	२	३	४
१७३	८	भारतवंष	भारत वर्ष
१७७	शीर्ष	(श्री सतीशचन्द्र अद्रवाल)	(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
,,	अन्तिम से ११	इन्तेजाम	इन्तजाम
१८०	अन्तिम से २	में	में
१८२	३	क	के
१८३	४, ७	करेंग	करेंगे
१८५	अन्तिम से १३	फक्ट्रीज	फैक्ट्रीज
१८६	२	भेंस	भैंस
,,	७	सुवह्	सुबह
१८७	१४	श्रो सभापति	श्री सभापति
,,	१८	मरी	मेरी
,,	२०	छटी	छुट्टी
,,	अन्तिम से ५	में	में
,,	,, ४	दफतर	दफ्तर
१८८	६	प्राथना	प्रार्थना
१८९	२	कहूंगा	कहूंगा
,,	अन्तिम से २	थ	थे
१९१	४	एफीश सी	एफीशियेन्सी
,,	१६, १७	कॉम्युनिस्ट	कॉम्युनिस्ट
१९४	अन्तिम से ३	सैंकडों	सैंकडों
१९५	शीर्ष	(श्री अमरावसिंह ढावरिया)	(श्री उमरावसिंह ढावरिया)
१९७	अन्तिम से १३	सकेग	सकेंगे
१९९	,, ६	श्री य गेन्द्रनाथ हांडा	श्री योगेन्द्रनाथ हांडा
२०६	अन्तिम से ५	श्री समापति (केसरीसिंह)	श्री सभापति (श्री केसरीसिंह)
२२०	२५	ड्राईवर	ड्राइवर
,,	अन्तिम	इरिगेशन	ईरिगेशन
२२१	२	राजस्यान	राजस्थान
२२३	अन्तिम	कल योग	कुल योग
२३६	२०	भुमि	भूमि